मंगलवार, 9 मार्च 1982

18 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 14, मंगलवार, 9 मार्च, 1982/18 फाल्गुन

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 233	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21-214
*तारांकित प्रश्न संख्या 234 से 238, 240, 242 से 245, 247 और 123	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 से 2561, 2563 से 2595, 2597 से 2626, 2628 से 2676, 2679 से 2730 और 2732 से 2776	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3214, दिनांक 8-9-1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	215-216
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	216-228
उत्तर भारत में ओलावृष्टि, हिमपात और वर्षा से फसलों तथा जान-माल की हानि होने का समाचार	
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	216
राव बीरेन्द्र सिंह	217
श्रीमती कृष्णा साही	221
श्री हरिकेश बहादुर	225
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथ संकल्पों संबंधी समिति 37वां प्रतिवेदन	228
नियम 377 के अधीन मामले	228-233
(एक) सरकारी अस्पतालों में मरने वाले व्यक्तियों की आंखों को निकालने और उनको भारी मूल्य पर बेचने का समाचार	228
श्री मनी राम बागड़ी	
(दो) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई के लिए पराद्वीप बन्दरगाह पर कोयला घाट का निर्माण	229
श्रीमती जयन्ती पटनायक	

*किसी नाम पर अंकित चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) बड़े इस्पात कारखानों को कोकर कोयला की कम सप्लाई	230
श्री लक्ष्मण मलिक	
(चार) पश्चिम बंगाल में जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र प्रणाली की व्यवस्था करने और महत्त्वपूर्ण ट्रंक लाइनों पर माइक्रोवेव अथवा यू० एच० एफ० प्रणाली की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता	231
श्री अजीत कुमार साहा	
(पांच) बिहार के न्यायिक अधिकारियों की मांग	231
श्री राम विलास पासवान	
(छः) एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के संबंध में आपत्तिजनक बातों का उल्लेख	232
श्री कमल नाथ	
बजट (सामान्य), 1982-83—सामान्य चर्चा	233-281
श्री चित्त बसु	234
श्री भीकू राम जैन	240
श्री लक्ष्मण मलिक	251
श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल	254
श्री मूलचन्द डागा	257
श्री पी० राजगोपाल नायडू	264
श्री रवीन्द्र वर्मा	268
श्री कालीचरण शर्मा	279
कार्य मंत्रणा समिति	281-282
27वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 9 मार्च, 1982/18 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में होली की दो दिन की छुट्टी होनी चाहिए। आज होली जलेगी, कल खेली जाएगी । हम यह भी कर सकते थे कि शनिवार को बैठ जाते और आज छुट्टी कर देते ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : अगर पहले कहा होता, तो···

श्री सतीश अग्रवाल : हमने बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा था, मगर आप माने नहीं ।

श्री जेवियर अराकल : प्रश्न काल के बाद ।

अध्यक्ष महोदय : आज क्या बात है कि क्वेश्चन आवर की बड़ी जल्दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : क्या क्वेश्चन आवर के बाद आग लगाएंगे आप ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : होली का हुड़दंग नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीरे के उत्पादन और वितरण के लिये मानदण्ड

*227. **श्री हरीश रावत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सीरा बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा सीरे के उत्पादन और वितरण के लिये क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में इन मापदण्डों का उल्लंघन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या उनके मंत्रालय का विचार इस मामले की जाँच करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केन्द्रीय सीरा बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	अध्यक्ष
2. सभी राज्यों के उत्पाद मंत्री	सदस्य
3. सचिव (रसायन और उर्वरक)	,,
4. सचिव (खान)	,,
5. सचिव (वाणिज्य)	,,
6. सचिव (तकनीकी विकास)	,,
7. महानियंत्रक, आयात और निर्यात	,,
8. सदस्य (परिवहन), रेलवे बोर्ड	,,
9. संयुक्त सचिव (रसायन और उर्वरक)	,,
10. भारतीय चीनी मिल संघ के प्रतिनिधि	,,
11. सहकारी चीनी मिलों के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधि	,,
12. अखिल भारतीय आसव के संघ के प्रतिनिधि	,,
13. खांड़सारी चीनी उद्योग के प्रतिनिधि	,,
14. अखिल भारतीय अल्कोहल पर आधारित उद्योग विकास संघ के प्रतिनिधि	,,
15. भारतीय राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष	,,
16. निदेशक (रसायन)	सदस्य सचिव
17. परियोजना अधिकारी (पी० एण्ड ए०)	उप सचिव

केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने सीरे के उत्पादन और वितरण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीश रावत : मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय सीरा बोर्ड तो है और उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों को भी रखा गया है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यदि बोर्ड का फंक्शन, प्राडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन को चैनेलाइज करना नहीं है और इस विषय में कोई नीति-निर्धारण करना नहीं

है, तो फिर इसका फंक्शन क्या है। मोलेसिज कुछ राज्यों में अधिक पैदा होता है, कुछ में कम पैदा होता है और कुछ में पैदा ही नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रिब्यूशन को कोआर्डिनेट करने का काम कौन सी अथारिटी या एजेन्सी करती है। इस वर्ष चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मोलेसिज का भी रिकार्ड उत्पादन होगा, मगर उसकी खपत नहीं हो पायेगी और वह बर्बाद हो जाएगा, जिससे बहुत भारी नुक्सान होगा अगर केन्द्रीय सीरा बोर्ड का यह फंक्शन होता, तो उसे राज्यों से खबर लगती कि कितना उत्पादन हुआ है और कितना एक्सपोर्ट करना है और वह इसको रेगुलाइज करता। क्या मंत्री महोदय इस संदर्भ में विचार करेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : उत्पाद शुल्क मंत्रियों की 1967 में हुई बैठक में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए सीरा बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य उपलब्ध सभी सीरे का उपयोग और खंडसारी सीरे का विनियमन करके अल्कोहल के उत्पादन हेतु उपयोग करना तथा चीनी के कारखानों द्वारा सीरे के भण्डारण के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना है।

जहां तक समन्वय का प्रश्न है बोर्ड में बहुत उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। यद्यपि यह एक परामर्शदायी निकाय है, तथापि विभिन्न राज्य इसके द्वारा लिए गये निर्णयों का आदर करते हैं।

मेरे माननीय मित्र ने चीनी के अधिक उत्पादन के बारे में एक प्रश्न पूछा है। चीनी के अधिक उत्पादन से निःसन्देह अधिक सीरा उपलब्ध होगा। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार सीरे के निर्यात की ओर भी ध्यान देगी। महोदय, इस सभा को पता है कि पिछले वर्ष भी हमें लगभग आठ हजार टन अल्कोहल का आयात करना पड़ा था। निःसन्देह इस समय सीरे का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ है। लेकिन तत्काल इसके निर्यात का निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी कुछ समय तक स्थिति का अध्ययन किया जाना है। यह तो बाद में जब हम संतुष्ट हो जायें कि सीरे की भरमार हो जायेगी तो इसके निर्यात का निर्णय लिया जा सकता है।

श्री हरीश रावत : मेरे प्रश्न का बी भाग था उत्तर प्रदेश में नार्म्स के वायलेशन के बारे में। आपने तो कह दिया कि इसके कोई नार्म्स हैं ही नहीं। इस विषय में मैं यह जानना चाहता था कि उ. प्र. में कुल कितना मोलेसिस का उत्पादन पिछले साल हुआ, इस साल अभी तक कितना हुआ है और कितना होने की आशा है ? इसमें डिफरेंट डिस्टिलरीज को कितना मोलेसिस आबंटित किया गया है ? क्या कुछ डिस्टिलरीज ऐसे भी हैं कि जिनको विगत वर्ष जितना आबंटित किया गया था उससे 75 परसेंट ज्यादा इस वर्ष आबंटित किया गया है ? यदि किया गया है तो किस आधार पर एकदम से 75 परसेंट की वृद्धि की गई है ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, उत्तर प्रदेश में सीरे की उपलब्धता के सम्बन्ध में मैं सभा को यह बता दूं कि 1981-82 के दौरान उत्पादन 6.70 लाख टन होने का अनुमान है।

अब मेरे मित्र विभिन्न कारखानों के बारे में पूछ रहे थे। मैं बता दूं कि सीरे से अल्कोहल तथा कुछ पशु-चारा भी तैयार होता है। यह कर्त्तव्य राज्य सरकार का है अतः उत्तर प्रदेश में

अल्कोहल के अतिरिक्त उत्पादन को वहां से लाने में कुछ कठिनाइयां हैं। मैंने 1981-82 के आंकड़े दिये हैं। 1980-81 में सीरे का उत्पादन 5.48 लाख टन हुआ। राज्य सरकार ही इनके कारखानों के लिए वास्तविक रूप से नियतन करती है। इस मामले में केन्द्र सरकार का हाथ नहीं होता।

श्री ई० बालानन्दन : महोदय, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सीरे के उत्पादन और वितरण के लिए केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने कोई सिद्धान्त तय नहीं किये हैं। देश में हम सभी जानते हैं कि सीमेंट की भांति सीरा भी ऐसी वस्तु है जो काला बाजार में बिकती है और बहुत से खोटे धंधे भी किये जाते हैं। इस वर्ष अधिक उत्पादन हो जाने की आशा है। उचित वितरण व्यवस्था के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ति को रोक कर इसे दुर्लभ वस्तु बना सकता है। इस कारण जिन राज्यों में सीरे का उत्पादन नहीं होता उन्हें बहुत कठिनाई होगी जैसे केरल, पश्चिम बगाल आदि में इसकी बहुत कमी है। अत: इससे तैयार की जाने वाली अल्कोहल आदि पर लगने वाले शुल्क से होने वाली आय की दृष्टि से उचित वितरण व्यवस्था जरूरी है। केन्द्रीय सरकार यदि बोर्ड को ये अधिकार दे दे तो ऐसा किया जा सकता है। अत: मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या अगले वर्ष से प्रत्येक राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार सीरे के वितरण के लिए व्यवस्था करने पर विचार करेगी।

श्री पी० शिवशंकर : जैसा मैंने कहा है, सीरा बोर्ड तो एक परामर्शदायी निकाय है। इसकी सांविधिक मान्यता नहीं है। इसका···

एक माननीय सदस्य : सभापति कौन है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं सभापति हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तब यह परामर्शदायी निकाय कैसे है। आप तो मंत्री है।

श्री पी० शिवशंकर : डा० स्वामी, चूंकि कोई व्यक्ति मंत्री है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। (**व्यवधान**) मैं इस बात पर जोर देता हूं कि 1967 में उत्पाद शुल्क मंत्रियों की हुई बैठक के परिणामस्वरूप यह बोर्ड उन प्रयोजनों के लिए गठित किया गया था जिनका मैंने वर्णन किया ही है इसीलिए उत्पादन सम्बन्धी सिद्धान्त तय नहीं किये। इसे राज्यों पर ही छोड़ दिया गया।

उत्पादन सम्बन्धी सिद्धान्त तय करने की बात गन्ना उद्योग पर ही निर्भर करती है। यदि किसी राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक है तो सीरा भी अधिक होगा। (**व्यवधान**)

मैं उत्पादन सम्बन्धी भाग की बात कर रहा हूं। मैंने वितरण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया। आप एकदम उस पर क्यों आ रहे हैं। आपने पहले उत्पादन के बारे में पूछा है, मुझे उसका उत्तर देने दें। (**व्यवधान**) वास्तव में केन्द्र विशेष रूप से चाहता था कि सीरा बोर्ड को सांविधिक दर्जा दिया जाये लेकिन विभिन्न राज्यों ने इसका विरोध किया। इसलिए यह नहीं किया जा सका। औद्योगिक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सीरा नियंत्रण आदेश जारी किया जाता है, उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों में सीरे पर नियंत्रण के लिए कानून बनाये गये हैं।

वितरण वाले भाग के लिए भी राज्य सरकार उत्तरदायी है। क्योंकि राज्यों में जो कुछ हो रहा है, उसका मुझे पता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से अल्कोहल ले जाता है। क्योंकि शुल्क बढ़ाया गया है, इसलिए कुछ राज्यों को कठिनाई होती है। लेकिन अन्त में यह विषय राज्यों का ही है। जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है, हम इस पर ध्यान देते हैं। विभिन्न राज्यों के उत्पाद शुल्क मंत्री भी इसके सदस्य हैं। चर्चा होती है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीन राज्यों से बात की थी कि विक्रय शुल्क आदि कम किया जाये ताकि अन्य राज्य भी अल्कोहल उठा सके और उन राज्यों में सीरे की भरमार न हो जाये। अतः वितरण के मामले में हम अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह राज्य का विषय है।

जीवन रक्षक औषधियों की उचित मूल्य पर उपलब्धता

*228. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियां देश में उचित मूल्यों पर नहीं मिलती हैं और सप्लाई करने वाले उनके बहुत अधिक मूल्य मांग रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में निर्धन तथा कम आय वाले लोगों को राहत देने के लिए जीवन रक्षक औषधियां और आवश्यक औषधियां उचित मूल्यों पर दिलाने हेतु कोई कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार का यह प्रयास रहा है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत आवश्यक दवाइयों के मूल्य पर कानूनी नियंत्रण रखा गया है। ऐसी दवाइयों का मूल्य नियत करने में डी० पी० सी० ओ० 1979 में निर्धारित विशिष्ट मार्क अप जोड़ने के बाद सरकार निर्माताओं के कारखाने के बाहर के मूल्य का मूल्यांकन करती है। अधिक खपत की दृष्टि से मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों को उनकी आवश्यकता और महत्व के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-2 मार्क अप की व्यवस्था है। अधिक आवश्यक औषधों को यह सुनिश्चित करने के लिए कम मार्क अप दिया जाता है कि अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध हों।

इसके अलावा अनेक आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयों और कुछ बल्क औषधों जिन्हें उनके बदले प्रयोग किया जाता है और जिनका पूर्णतया या काफी मात्रा में आयात किया जाता है। उन्हें सीमा शुल्क की अदायगी से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। कुछ मध्यवर्ती जो कुछ आवश्यक औषधों के निर्माण के लिए अपेक्षित हैं, मूल्य कम रखने के लिए उन पर सीमा शुल्क की रियायती दर वसूल की जाती है। देश में निर्मित अनेक आवश्यक दवाइयों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है।

सरकार आवश्यक औषधों की उपलब्धता की देखरेख साप्ताहिक आधार पर करती है। राज्य औषध नियंत्रकों और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्ट

प्राप्त की जाती है। जनता से प्राप्त शिकायत पर भी नजर रखी जाती है। अब तक सप्लाइकर्ताओं द्वारा मनमाने मूल्य की मांग करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें कुछ जवाब ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ स्टेटमेंट है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार को पता है कि आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियां देश में उचित मूल्यों पर नहीं मिलती हैं या सप्लाई करने वाले उनके बहुत अधिक मूल्य मांग रहे हैं ? इसका जवाब हो सकता है कि माँगते हैं या नहीं मांगते हैं, उचित मूल्य पर मिलती है या नहीं मिलती है।

दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि क्या कम आय वाले लोगों को राहत देने के लिये जीवन रक्षक औषधियां और आवश्यक औषधियां उचित मूल्यों पर दिलाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है ? इन दोनों प्रश्नों का कोई उल्लेख ही नहीं है। मंत्री महोदय इन दोनों प्रश्नों का जवाब दें तो मैं आगे प्रश्न पूछूं।

श्री पी० शिवशंकर : यह प्रश्न दो भागों में है। पहला भाग यह है कि क्या सरकार को पता है कि आवश्यक तथा जीवनदायी औषधियाँ उचित मूल्यों पर बाजार में नहीं मिलतीं। दूसरा भाग यह है कि क्या इन औषधियों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई उपाय करने पर विचार कर रही है। मैंने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसमें कहा है कि कैसे मूल्य नियत किए जाते हैं। सदस्य महोदय ने इस बारे में पूछा है इसलिए विवरण पढ़ने पर उन्हें पता लग जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ लिया है कि आप का एक लाइन में उसका जवाब हो सकता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि उचित मूल्य पर दवाई मिलती है या नहीं ?

श्री पी० शिवशंकर : जहाँ तक उचित मूल्य का प्रश्न है। आप मेरे स्टेटमेंट के लास्ट सैन्टैन्स को पढ़ लीजिए। अभी तक पूर्तिदाताओं द्वारा बहुत अधिक कीमत मांगने की खबर नहीं है।

इससे आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय जानते हैं कि उचित मूल्य पर कहीं भी कोई दवाई नहीं मिलती है, जीवन-रक्षक की बात छोड़ दीजिए। सबसे दुखद स्थिति यह है कि देश में नकली दवाइयों की भरमार चल रही है, मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इस बारे में बतायेंगे। मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि देश में 50 से 60 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां प्रतिवर्ष देश में बेची जा रही हैं, जिसका नतीजा अन्ततोगत्वा यह होता है कि लोगों की मृत्यु हो

जाती है। विदेशों में जो जीवन-रक्षक दवाइयां हैं, वहां उस दवाई की कीमत 100 रु० है और यहाँ अपने देश में 300 रु० है। हमारे यहां एक मृगी की दवाई है और कैन्सर्स है, केन्सर्स के आपके यहां एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसकी टैक्नालाजी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी एसैसमेंट किया है कि आपके यहाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स का कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी कितनी आवश्यकता है ? आपने आयात के सम्बन्ध में कहा है मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कितना आयात कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि प्रतिवर्ष जो आयात की रकम है···

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी एक सवाल कीजिए। पहले टेड़ा सवाल करते हो, फिर सीधा सवाल करते हो और फिर लम्बा सवाल करते हो।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : इसकी कोई दवा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : टेड़ा करने के बाद उसको सीधा भी करना होता है।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह सही है कि आयात जो आप करते हैं, उसमें आयात की रकम प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है ?

श्री पी० शिवशंकर : 1979 का औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश है। इस आदेश के विभिन्न उपबन्धों को ध्यान में रख कर औषधियों का मूल्य नियत किया जाता है। होता यह है कि कारखाना पूर्व मूल्यों पर विचार करके उनमें थोड़ा सा और जोड़ा जाता है (**व्यवधान**) यह अधिक नहीं होता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह और जोड़ने की बात सोच रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : उस पर कल चर्चा हो ही चुकी है।

प्रो० मधु दंडवते : अधिक जोड़ने पर नहीं (**व्यवधान**)

श्री पी० शिवशंकर : यह बात एक अलग संदर्भ में आयी थी। (**व्यवधान**) मैं निवेदन कर दूं कि अधिक आवश्यक औषधियों पर कम पैसा जोड़ा जाता है ताकि वे अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर मिल सकें। इस बात को ध्यान में रखते हैं। शुल्क के बारे में मैं बता दूं कि अधिकांश आवश्यक 'बल्क' औषधियों को सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : उदाहरण के लिए।

श्री पी० शिवशंकर : यदि आप चाहें तो मैं विवरण देने को तैयार हूं। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं।

श्री एम० एम० लारेंस : ऐसे उदाहरण हैं परन्तु साथ ही इसका लाभ बड़े निर्माताओं को मिलता है लोगों को नहीं।

श्री राम विलास पासवान : उस प्राइस पर कहां मिलता है ?

श्री पी० शिवशंकर : अगर नहीं मिलता है तो···

श्री राम विलास पासवान : तो कौन दिलवाएगा उस प्राइस पर ? आप ही तो दिलवाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल-जवाब नहीं होना चाहिए । यह प्रश्नोत्तर का सत्र नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : हमारा प्रश्न तो बहुत सीधा-सीधा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बात को काट देते हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह बता रहा था कि कुछ आवश्यक दवाइयों पर आयात शुल्क उनके बड़ी मात्रा में आयात करते समय नहीं लगाया जाता और जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है आवश्यक दवाइयों को उससे पूरी छूट है तथा सरकार उसकी उपलब्धता बनाये रखने की साप्ताहिक निगरानी करती है । मैं इसका पूरा ब्यौरा दे सकता हूं परन्तु यह काफी लम्बा है । मेरे पास एक परिशिष्ट है । यदि वे बहुत इच्छुक हैं तो मैं इसे पढ़ सकता हूं परन्तु इसमें समय लगेगा । 1980-81 में 112 करोड़ रुपये का आयात हुआ । इस 112 करोड़ रुपये के आयात में थोड़ी सी कमी आई है और हम आशा करते हैं कि इस साल भी इसमें और कमी आयेगी । जहाँ तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है वह एक जैसा ही बना रहा है । मैं यह मानता हूं, परन्तु यह मांग और आयात संबंधी नीति का प्रश्न है । इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आयात शुल्क निश्चित किया जा सके तथा इसी आधार पर देश में उद्योगों को बढ़ाया जा सकता है ।

श्री राम बिलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है—हाथी साहब तो मर गये, लेकिन उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ड्रग्ज के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी है तथा उस पर अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं—प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपये की नकली दवाइयाँ बिकती हैं, उनके संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है । उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : हाथी समिति का प्रतिवेदन एक बड़ा प्रतिवेदन है और मैं की गई कार्रवाई सम्बन्धी जानकारी सभा पटल पर रखने को तैयार हूं । (व्यवधान) । मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें । हाथी समिति की सिफारिशें बड़ी सीमा तक स्वीकार कर ली गई हैं और उनके अनुसरण में कार्रवाई की गई है तथा उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखने को मैं तरजीह दूंगा ।

नकली दवाइयों की बिक्री के सम्बन्ध में जब कोई बात सरकार की जानकारी में लाई जाती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है । मेरे मित्र के अनुसार 60 करोड़ रुपये की दवाइयां बेची गई । मेरे विचार से उनका यह कथन सही नहीं है और यदि वे कुछ तथ्य मेरी जानकारी में लाएं तो मैं अवश्य ही कार्रवाई कर सकता हूं । (व्यवधान) । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, परन्तु यदि कुछ ब्यौरा मुझे दिया जाता है तो मैं इस सम्बन्ध में निश्चय ही कार्रवाई कर सकता हूं । यों ही कुछ कह देने से समस्याएं पैदा होती हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : स्थायी अनुदेशों के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस सबकी जानकारी आपको देनी चाहिए । यह काम पत्र सूचना कार्यालय का है । सम्बन्धित मंत्रालय को तथ्य प्राप्त होते हैं । (व्यवधान) ।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने कभी स्वयं को आवश्यक दवाइयों की जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं चाहा, परन्तु नकली दवाइयों और उनके गुण-प्रकार का सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से है। यह मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए यदि मेरी जानकारी में तथ्यों को लाया जाता है तो मैं निश्चय ही स्वास्थ्य मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बात करूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक वेहतर दृष्टिकोण है।

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, जीवन रक्षक औषधियां देश में उचित मूल्यों पर नहीं मिल रही हैं। क्या इसका कारण सरकारी लाइफ सेविंग ड्रग्ज की फैक्टरियों में उत्पादन क्षमता का ह्रास है या क्वालिटी कन्ट्रोल में ह्रास के कारण करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है। क्या सरकार इसके बारे में कुछ बतलायेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं माननीय सदस्या के कथन से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि सरकारी प्रयोगशालाओं का गुण प्रकार नियंत्रण निम्न कोटि का है और इसी कारण मूल्य बढ़ रहे हैं। मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं। उसे दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय के इस उत्तर के बावजूद हमारे लोगों को आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयां उचित मूल्य पर नहीं मिल रही हैं क्योंकि इनके अधिकतर निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जो करोड़ों रुपया कमाती हैं और अपने-अपने देशों को भेजती हैं। उनका बाजार पर नियंत्रण है। सरकार को इसे विनियमित करना चाहिए। क्या सरकार इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करेगी जिससे लोगों को ये दवाइयां उचित मूल्य पर मिल सकें ? मैं मंत्री महोदय से सटीक उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मूल्यों के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम इस पर नियंत्रण रखता है इस अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं कि वे अपनी इक्विटी भागीदारी को 40% शेयर धारिता तक कम करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुन्दर राजन।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आपको मेरा पक्ष लेना चाहिए, न कि मंत्री महोदय का। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। (**व्यवधान**)

श्री एन० सुन्दर राजन : मंत्री महोदय यह जानते हैं कि देश में अनेकों बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जिनके 75 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं। क्या मंत्री महोदय इसे घटाने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : इन कम्पनियों के कार्यकलाप संदेहास्पद रहे हैं तथा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे उन्हें अधिक लाभ कमा कर लोगों का शोषण करने से रोका जा सके। क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० अपने ऋषिकेश स्थित कारखाने में टेटरासाइक्लीन का उत्पादन करता है और वाइब्रोमाइसिन, जो एक जीवन रक्षक दवाई है, उससे बनने वाली दवाई है ? यदि हां, तो फाइजर लेबोरेटरीज को वाइब्रोमाइसीन का उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और आई० डी० पी० एल० की ऋषिकेश स्थित फैक्टरी में इसका उत्पादन क्यों नहीं किया जाता जिससे गरीबों को यह दवाई उचित मूल्य पर मिल सके ?

श्री पी० शिवशंकर : मूल्य संबंधी प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। इस संबंध में मुझे दोबारा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दें।

श्री पी० शिवशंकर : यह सही है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आवश्यक दवाइयों का उत्पादन कर रही हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। परन्तु इसका आधार प्रौद्योगिकी है। सरकार अधिनियम के अंतर्गत इक्विटी साझेदारी को कम करने का प्रयत्न करती रही है। निःसंदेह इसकी गति धीमी रही है, क्योंकि कुछ जीवन रक्षा औषधियां ऐसी हैं जिनसे संबंधित प्रौद्योगिकी देश में उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसी कम्पनियों की इक्विटी साझेदारी को कम करने के समय समिति इस बात पर भी विचार करती है। मैं आपको बता दूं कि जब भी देश में प्रौद्योगिकी का विकास उस स्तर तक हो जायेगा जिस स्तर तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का है, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रहित में उचित कार्यवाही की जायेगी। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रहित तक संबंध है वह सर्वोपरि है।

डाकतार विभाग का विभाजन

*229. †**प्रो० नारायण चन्द पराशर** :
श्री जेवियर अराकल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार संबंधी सरीन समिति ने सिफारिश की है कि देश में दूर संचार सेवाओं के अधिक कुशल कार्यकरण और विस्तार के लिये डाक और तार विभाग का विभाजन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर कोई निर्णय लिया है और वह किस प्रकार का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय किस तारीख तक लिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) श्री एच० सी० सरीन की अध्यक्षता में गठित दूर संचार समिति ने सिफारिश की है कि, डाकतार विभाग की दूरसंचार शाखा का दूरसंचार के एक स्वतंत्र सरकारी विभाग के रूप में पुनर्गठन किया जाए तथा उसका अपना

स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए जिसे, दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादन के लिए जरूरी शक्तियां प्राप्त हों।

(ख) और (ग) इस विषय पर अनेक सिफारिशें हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र काफी विस्तृत है तथा जिन पर काफी बारीकी से और गहराई के साथ विचार करने की जरूरत है। सरकार इन सिफारिशों पर पूरा-पूरा ध्यान दे रही है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : 400 सिफारिशें हैं। यह सिफारिश अत्यधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है तथा यह देश में दूरसंचार की व्यवस्था में गति लाने तथा उसके विस्तार को ध्यान में रखकर की गई है। अतः इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सिफारिश के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी तथा अन्य सिफारिशों पर बाद में विचार करेगी ?

श्री विजय एन० पाटिल : निर्णय लेने में शीघ्रता की जा रही है।

श्री नारायण चन्द्र पराशर : 1912 तक डाक विभाग और तार विभाग के रूप में दो अलग-अलग विभाग थे। इस समय भी विश्व के लगभग 50 प्रतिशत देशों में ये दो विभाग अलग-अलग हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने भी ऐसा किया है। यह भी सम्भव हो सकता है कि सिफारिश को आंशिक रूप में स्वीकार किया जाये अर्थात बोर्ड की आवश्यकता न रख दूर संचार विभाग सरकार के अन्तर्गत रखा जाये, जिससे उसका विस्तार किया जा सके। इस संबंध में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : आपने पूछा है कि इस विशेष सिफारिश के संबंध में हम क्या कर रहे हैं। यह सिफारिश की गई है कि दो बोर्ड होने चाहिए, एक दूर संचार के लिए और दूसरा डाक सेवाओं के लिए ऐसा करना आसान बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो मंत्री नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे स्वयं दो मंत्रियों के बराबर नहीं हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : की गई 434 सिफारिशों में से हमने अधिकतर पर निर्णय ले लिए हैं। कुछ पर निर्णय लेना शेष है और यह उनमें से एक है। शेष बची सिफारिशें बड़ी महत्व-पूर्ण हैं।

इस सिफारिश के कई पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में पहले भी दो बार विचार किया जा चुका है। जब बोर्ड का गठन किया गया था तो इस पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि ये दोनों विभाग एक जगह रहने चाहिए।

सुधार आयोग ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया। एक कार्यदल ने भी इस पर विचार किया और उसने बताया कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इनका एक जगह रहना आवश्यक है। अब इस समिति ने इस विषय पर विचार किया है और उसका कहना है कि इन्हें अलग-अलग किया जाये। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते समय हमें ग्रामीण विकास कार्य-क्रम को लागू करने पर विशेष ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि क्या इनको एक जगह

रखना बेहतर है या अलग-अलग रखना। मैं इस संबंध में यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस विषय पर औपचारिक रूप से विचार नहीं किया जा रहा है वरन गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री जेवियर अराकल : कार्य-कुशलता, आधुनिकीकरण और लोक-आस्था को पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 7 अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। मैंने अन्तिम प्रतिवेदन नहीं देखा है क्योंकि यह प्रकाशित नहीं हुआ है। मुझे ग्रन्थागार से प्रतिवेदन का केवल सारांश मिला। यह एक गम्भीर मामला है। दूसरे अन्तरिम प्रतिवेदन में उत्पादन-तकनीक (टेक्नोलोजी) के चुनाव के बारे में तथा पांचवें अन्तरिम प्रतिवेदन में उत्पादन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस समिति ने सरकार और सरकार के बीच सम्बन्ध और वर्तमान आई० टी० आई० को दो भागों में विभक्त करने के बारे में, अर्थात् एक बंगलौर परिसर तथा पालघाट और दूसरा रायबरेली में, क्या सिफारिश की है। दूसरा, इस देश में विदेशी माल के आयात के बारे में क्या सिफारिश की गई है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्य के पास सभी सिफारिशें मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास उनमें से 434 सिफारिशें हैं, पूरी चीजें उनके पास मौजूद हैं। ग्रन्थागार में सभी सिफारिशों को रखा गया है। शायद, पहला प्रश्न सिफारिशों से सम्बन्धित है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इस पृष्ठ के पलटते ही उन्हें मालूम हो जाएगा कि क्या सिफारिशें की गई हैं। मैं एक इनसाइक्लोपीडिया होने का दावा नहीं करता कि मुझे सभी सिफारिशें याद हैं। यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, 26 ऐसी सिफारिशें हैं जिन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने हैं और जिन पर गहन रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। सौभाग्यवश, माननीय सदस्य ने उन सिफारिशों में से तीन सिफारिशों का उल्लेख किया है, हम 27 सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं।

श्री सूरजभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरीन कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि डिपार्टमेंट में एफिसिएंसी कैसे आए। इसके लिए उन्होंने कुछ सिफारिशें दीं। उनका कहना था कि पी० एण्ड टी० बोर्ड में टेली कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेस को अलग-अलग करके दो बोर्ड बनाए जाएं।

मैं पूछना यह चाहता हूं कि यह सेपरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर आलरेडी है। टेलीग्राफ आफिसेस, टेलीफोन एक्सचेंज और पोस्टल सर्विसेस अलग-अलग हैं। सर्कल है। लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट अलग-अलग हैं, केवल बोर्ड में इकट्ठा है। बोर्ड में अगर एफिसिएंसी नहीं है तो उसको दूर करने के लिए सेपरेशन जरूरी नहीं है। क्या फैसला करते वक्त दो चीजों का ख्याल रखा जाएगा। क्या बोर्ड को डिवाइड करने के बजाए रेलवे बोर्ड की तरह उसे और मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे और अगर सेपरेट करना ही है तो सेपरेट होने के बाद पोस्टल और आर० एम० एस० एम्प्लाएज को बोनस से बंचित तो नहीं किया जाएगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्य डाक-तार सेवा में कार्य कर चुके हैं। इसलिए, उन्हें इसके कार्यकारण के बारे में सब कुछ मालूम है। मेरी राय में वे पूर्णतः सही हैं। वस्तुतः, यह सर्किल, डिवीजनल और निदेशालय स्तर पर पहले से ही विभक्त है। लेकिन निम्न स्तर पर यह

संयुक्त है; हमारे पास संयुक्त डाक तथा तार कार्यालय हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि गांवों में संयुक्त आपरेशन कैसे काम करेगा और यदि उन्हें अलग कर दिया गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा। कार्य-कुशलता के प्रयोजनार्थ यह सदैव अलग-अलग रहता है; वे अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही दृष्टिकोण है और उसी दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इन दोनों विभागों को अलग-अलग रखना जरूरी है। मेरी जानकारी यह है कि टेलीफोन विभाग मुनाफा कमा रहा है लेकिन डाक विभाग घाटे में जा रहा है। क्या यह सच है ? यदि हां तो, आप इसका समाधान कैसे करेंगे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह भी एक कारण है कि हमें उन्हें विभक्त करने से पहले दोबारा सोचना पड़ता है। समूचे विश्व में डाक विभाग में घाटा होता है। प्रश्न यह है कि सामान्य राजस्व अथवा समूची संचार प्रणाली में से कौन घाटा उठाए। यदि समूची संचार प्रणाली घाटा उठाती है तो उसका कुल जोड़ बनाये रखना पड़ेगा, अन्यथा हम यह सोचेंगे कि टेलीफोन विभाग से अच्छा राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि यह लाभप्रद है और जहां तक डाक विभाग का सम्बन्ध है, सामान्य राजस्व को बिल का भुगतान करना पड़ेगा जिसकी एक सीमा होगी। इसका अभिप्राय यह है कि गांवों में डाक सेवाओं का विस्तार रुक जाएगा। जब हम इस मामले पर विचार करते हैं कि तो यह भी एक कारण है जिस पर हमें गौर करना पड़ता है।

सुपर तापीय विद्युत परियोजनाओं और बड़े इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध कोयला खनन परियोजनाओं का 1982-83 की योजना से निकाला जाना

*230. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपरतापीय विद्युत परियोजनाओं और बड़े इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध कोयला खनन परियोजनाओं को 1982-83 की वार्षिक योजना से निकालने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसका देश में वार्षिक विद्युत उत्पादन और वार्षिक इस्पात उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या इससे सरकार को दूसरे देशों से अत्यधिक मूल्य पर इस्पात का अनावश्यक रूप से आयात करना पड़ेगा ; और

(घ) वार्षिक योजना परिव्यय में कमी करने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) सुपर ताप बिजली परियोजनाओं और इस्पात संयंत्रों से जुड़ी कोयला परियोजनाओं को 1982-83 की वार्षिक योजना के विचार क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने वर्ष 1982-83 के लिए कोयला कम्पनियों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा था, लेकिन योजना आयोग ने कहा कि 750 करोड़ रुपये ही आबंटित किया जाएगा। तब कोयला खनन परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा ?

(ख) क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन-कौन सी नई कोयला खनन परियोजनाएं हैं जो 1982-83 की वार्षिक योजना के दौरान पारादीप और विजाग में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित वृहत इस्पात संयंत्रों के साथ जोड़ी जाएंगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस समय कोल इण्डिया के लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना हेतु आबंटन 702 करोड़ रुपये है। कोयला खानों के विकास में तेजी लाने के लिए छठी योजना और वर्ष 1982-83 के दौरान अतिरिक्त धन की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि कोयला उद्योग वर्ष 1982-83 के लिए ऊर्जा सेक्टर के लिए कोयले की पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम रहेगा। मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में परिवहन, जिसके लिए रेल विभाग लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है, के सिवाए और कोई कठिनाई नहीं है।

यदि कोयला खान परियोजना अथवा ऊर्जा परियोजना जोड़ दी जाती है तो हम कोयला सप्लाई करते हैं। एक लिंकेज कमेटी है और लिंकेज कमेटी में यदि लिंक्रेंज की अनुमति दे दी जाती है तब कोयले की सप्लाई करने का दायित्व कोयला विभाग का हो जाता है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। वे कौन-कौन सी कोयला खनन परियोजनाओं को वृहत इस्पात संयंत्रों के साथ जोड़ा जाएगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : लिंकेज समिति ने लिंकेज की अनुमति दी अथवा नहीं, मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या आप बाद में उत्तर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हां, मैं बाद में उत्तर दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : पश्चिम बंगाल के चुनाव के अवसर पर।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय, कोयला सम्बन्धी कार्य-कारी ग्रुप के अनुसार वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना के बारे में कोयले की मांग लगभग 137 मिलियन टन होने की आशा है। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 133 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। अतः 4 मिलियन टन का अन्तर रह जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अन्तर को कैसे पूरा किया जाएगा·····कोकिंग कोल अथवा कोयले की मात्रा, जो इस्पात कारखानों और ताप बिजलीघरों की आवश्यकता कैसे पूरी की

जाएगी और 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया जाएगा और उस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी। (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग द्वारा वर्ष 1982 के लिए निर्धारित कोयले का उत्पादन लक्ष्य 133 मिलियन टन है। तथापि, आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला कम्पनियों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 136 मिलियन टन किया जाए। ऐसा करना सुरक्षित होगा। इसके अलावा, हमारे पास कोयला खान-मुहानों पर लगभग 20 मिलियन टन का भन्डार है। इसे भी हिसाब में लेना होगा।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या हम आयात नहीं करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक आयात का प्रश्न है, यह मामले का दूसरा पहलू है। इस्पात कारखानों के इस्तेमाल के लिए कोयले के गुण-प्रकार में सुधार करने हेतु इस्पात मंत्रालय द्वारा कतिपय मात्रा में कोकिंग कोल का आयात किया जा रहा है। भारत में परिष्कृत कोकिंग कोल में 20 प्रतिशत राख होता है जबकि आयातित कोकिंग कोल में 10 प्रतिशत राख होता है। गुण-प्रकार के प्रयोजनार्थ हमें परिष्कृत कोयले का आयात करना पड़ता है। कभी-कभी गुण-प्रकार में वृद्धि करने के लिए और कुशन के प्रयोजनार्थ भी हम उसे आपस में मिला देते हैं।

श्री ए० के० राय : ऐसी सूचना मिली थी कि कोयला खान मुहाने पर काफी मात्रा में कोकिंग कोयला पड़ा है। इसे देखते हुए, क्या बेहतर गुण-प्रकार प्राप्त करने के लिए उस कोयले को परिष्कृत करने की कोशिश की गई ताकि हमें देश में कोकिंग कोयले का आयात न करना पड़े ? क्या छठी पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसा कार्यक्रम या योजना है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : भारतीय कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिए परिष्करण की तकनीक में सुधार लाने हेतु टेक्नोलोजी मालूम करने के लिए अलग से कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर गौर किया जा रहा है।

श्री ए० के० राय : छठी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ निर्धारित किया गया है उसके अलावा कोकिंग कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिए क्या कोई अन्य ठोस उपाय किया जा रहा है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : योजना केवल यही है कि नई टेक्नोलाजी के साथ नई धवन शालाएं स्थापित की जायेंगी ऐसा हम कर रहे हैं।

पेट्रोल में सीसा मिलाया जाना

*231. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोल में अक्टेन का अंश बढ़ाने के लिये उसमें सीसा मिलाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में पेट्रोल की ऊर्जा दायक शक्ति बढ़ाने के लिये उसमें कितनी मिलावट करने की अनुमति है ;

(ग) क्या यह पाया गया है कि पेट्रोल में सीसे का होना बच्चों के लिए एक गम्भीर खतरा है और कुछ पश्चिमी देशों ने पेट्रोल में सीसे के अंश में कमी करने के लिये पहले ही कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल में सीसे के वर्तमान अंश में कमी करने का है जिससे कि बच्चों को खतरे से बचाया जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) 83 आक्टेन पेट्रोल के लिए आई. एस. आई. विशिष्टता के अनुसार अनुज्ञेय सीमा प्रति लिटर पेटोल के लिए 0.56 ग्राम सीसा (लेड) तथा 93 आक्टेन पेट्रोल के लिए यह सीमा प्रति लिटर पेट्रोल के लिए 0.80 ग्राम सीसा (लेड) है ।

(ग) भारत में इस संबंध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है । कुछ पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका ने पेट्रोल में सीसा (लेड) कम करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाया है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मंत्री जी के उत्तर से मुझे निराशा हुई है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व में प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इस निराशा के सम्बन्ध में मैं कुछ करूं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया आप प्रधान मंत्री से सिफरिश करें कि उन्हें छोड़ न दिया जाये ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सीसा प्रदूषण की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्रियों को नियुक्त करने से पूर्व अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : यह खतरनाक है । इससे कैन्सर, रक्त का कैन्सर और अनेक अन्य रोग हो जाते हैं । कई देशों में किये गये अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि वयस्कों में रक्तहीनता के कुल मामलों में से औसतन 27 प्रतिशत मामलों का आंशिक या पूर्ण कारण यह पैट्रोल ही है । एक चीफ मेडिकल आफिसर ने अपने एक पत्र में इंगलैंड की सरकार को यह चेतावनी दी थी :

"सीसायुक्त पेट्रोल से हमारे अधिकांश बच्चों के बौद्धिक स्तर (आई० क्यू०) में स्थायी रूप से गिरावट आने की बहुत अधिक सम्भावना है ।"

कितना अधिक खतरनाक है यह । (व्यवधान) अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार

को पता है कि जापान, रूस और अमरीका जैसे देशों ने पैट्रोल में से सीसे के अंश को पूर्णतः समाप्त करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है और यदि हां, तो क्या सरकार अब तो यह निर्णय ले लेगी कि पैट्रोल के धुएं के माध्यम से सीसे से होने वाले वातावरण प्रदूषण को रोका जाये। क्या उसने इस प्रयोजन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह बताना चाहता हूं कि अमरीका जैसे उन्नत देशों में सीसे से मुक्त गेसोलीन का लक्ष्य है। परन्तु इस पर भी विशेषज्ञों की राय परस्पर विरोधी है कुछ का यह कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मोटरगाड़ियों से निकलते धुएं में से हवा में मिलने वाले सीसे से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है भारत में बेचे जाने वाले गेसोलीन में सीसे की मात्रा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मात्रा से कहीं कम होती है। अधिकांश पश्चिमी देशों की तुलना में यह मात्रा हमारे देश में बहुत कम है। हमारे देश में गेसोलीन का उपयोग बहुत कम होता है, इस दृष्टि से अपने देश में तेलशोधक कारखानों पर ऐसी शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है कि वे गेसोलीन में सीसे की मात्रा पूर्णतः समाप्त कर दें। यह प्रत्येक देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, यहां सीसे की मात्रा बहुत कम है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मेरी समझ में यह नहीं आता कि बिना कोई अनुसंधान या अध्ययन किये वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जैसा कि मुझे बताया गया है इंगलैंड में इसकी मात्रा 0.43 ग्राम है। उन्होंने अब इसे घटाकर 0.41 करने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में क्या सरकार 0.41 ग्राम के मानक को मानकर सीसे की वर्तमान मात्रा को घटाने के लिए तैयार है ? क्या सरकार इसे घटाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भारतीय मानक संस्थान से मार्ग-दर्शन प्राप्त करते हैं। क्या बच्चों पर इसका भयंकर परिणाम पड़ रहा है, इस संदर्भ में मैंने कहा था कि कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय मानक संस्थान पैट्रोल में ओक्टेन की मात्रा और सीसे की मात्रा की तुलना समय-समय पर करता रहता है और उसने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं मेरे माननीय मित्र ने इंगलैंड में पैट्रोल में विद्यमान सीसे की मात्रा को भारत में आपनाने का जो सुझाव दिया है वह विचारणीय है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

232. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना किए जाने के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजना के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ग) किन-किन राज्यों में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) प्रत्येक ऐसी परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (घ) रामागुण्डम और तालचर में स्थित कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों ने वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 11-1-1980 से प्रारंभ किया। इन परियोजनाओं की नवीनतम अनुमोदित लागत निम्न प्रकार है:-

रामागुण्डम—221.06 करोड़ रुपये
तालचर —223.14 " "

(ख) और (ग) कोयले पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब रामागुण्डम और तालचर के सुस्थिर संचालन से पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाये।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक जगह अपने उत्तर में कहा है :

"कोयले पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब रामागुण्डम और तालचर के सुस्थिर संचालन से पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाये।"

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें एडीक्वेट एक्सपीरिएंस 1980 से अब तक प्राप्त हुआ है या नहीं ? अगर नहीं, तो वह कब तक प्राप्त हो जायेगा ? और

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल एक वक्त में।

श्री राजेश कुमार सिंह : एक ही सवाल है।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई तलवार कमेटी नियुक्त की थी और उसकी रिपोर्ट तलवार की धार पर आयेगी ? अभी रिपोर्ट आई है या नहीं ? अगर आई है तो क्या उस पर विचार किया जायेगा ?

श्री पी० शिवशंकर : 1980 से अब तक प्राप्त हुए अनुभव के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक उपयुक्त दोनों संयंत्रों का सम्बन्ध है, यह प्रौद्योगिक बिल्कुल नई है। इतना बड़ा संयंत्र विश्व भर में केवल एक ही ओर है और वह है दक्षिण अफ्रीका में। अतः 1980 में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के चालू होने पर हमें पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया है, यह मैं नहीं कह सकता। उनसे अनुभव प्राप्त होने पर ही हम ऐसे और संयंत्र लगाने पर विचार कर सकते हैं।

जहां तक तलवार समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। यह अभी सरकार को पेश नहीं किया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : कब तक यह आयेगी, इसकी कोई उम्मीद है क्या ?

श्री पी० शिवशंकर : यह बात तो मुझे स्वयं श्री तलवार से पूछनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं कह देते कि उम्मीद पर जहां कायम है ?

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन दो प्लांट्स में अब तक कितने ब्रेक-डाउन हुए हैं और क्या वे ब्रेक-डाउन एक्विपमेंट की खराबी की वजह से हुए हैं या अव्यवस्था की वजह से ?

श्री पी० शिवशंकर : माननीय मित्र ने इन दो संयंत्रों में खराबी (ब्रेक-डाउन) आने के बारे में पूछा है। रामागुन्डम और तालचर संयंत्रों में जब से उनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है तब से अब तक, अनेक प्रारम्भिक कठिनाइयां आई हैं। 'रा गैस काम्प्रैसर' के रुक जाने के कारण बन्द होना, अमोनिया संयंत्र में प्रशीतण व्यवस्था (एबजोरप्शन रेफ्रीजेरेशन सिसटम) के हीट एक्सचेंजर, एयर सेपरेशन यूनिटों और रेक्टीजल सेक्शनों के हीट एक्सचैंजों में लीकेज का होना, एयर टरबो कम्प्रेसरों के स्टीम टरबाइन के ब्लैडों का बार-बार फेल होना बिजली की सप्लाई में व्यवधान और विद्युत में कटौती प्रमुख समस्याएं हैं। तालचर में उपरोक्त के अतिरिक्त कोयले की किस्म भी एक बड़ी समस्या है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोयले की बहुतायत वाले रानीगंज में भी कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उपरोक्त दोनों संयंत्रों से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही हमें भविष्य में ऐसे संयंत्र लगाने की सोच सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि उपरोक्त संयंत्रों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तो आप ऐसे और संयंत्र लगायेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : तब आपके सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

श्री सुनील मैत्रा : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की प्रौद्योगिकी नयी है। इस कथन के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि सिंदरी उर्वरक परियोजना के इंजीनियरों के एक शिष्टमंडल ने कई वर्ष पूर्व 1964 या 1965 में भारत सरकार को एक योजना प्रस्तुत की थी जो भारत में कोयले पर आधारित संयंत्रों की स्थापना के बारे में थी ?

श्री पी० शिवशंकर : मुझे 1964 के प्रतिवेदन के बारे में पता नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री के० के० तिवारी : माननीय मंत्री को मालूम ही होगा कि देश का 80 प्रतिशत कोयले का भंडार बिहार में है और 1966-67 में बिहार सरकार ने रामगढ़, हजारीबाग में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया था।

इसी संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बिहार में कोयले पर आधारित संयंत्र बनाने की किसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं। हजारी बाग जिले के रामगढ़ में ऐसे संयंत्र लगाने के बारे में बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए सम्भाव्यता प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि पर्याप्त अनुभव होने पर ही अन्य संयंत्रों

की स्थापना के बारे में विचार करना संभव होगा। मैंने यह भी बताया है कि यह प्रोद्योगिकी विशेष प्रकार की है और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त इतना बड़ा ऐसा संयंत्र अन्यत्र कहीं भी नहीं है।

पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन

*233. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन के विस्तार के लिए क्या योजनाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : छठी योजना में निम्नलिखित पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(1) कसौली (हिमाचल प्रदेश)

(2) कौड़ेकनाल (तमिलनाडु)

इसके अतिरिक्त, अनेक अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को व्यापक कवरेज प्रदान करने की एक योजना विचाराधीन है।

श्री दिगम्बर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं, और विशेष रूप से मथुरा में, जो देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण नगर है, कोई इस तरह की दूरदर्शन के विस्तार की योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : यह सवाल पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आपने पूछा था। उसका जवाब आपको दिया। अब आप पर्वत से मैदान में आ रहे हैं। तो मैदान की बात पूछेंगे तो मैदान की बात बताएंगे। वह कह रहे हैं मथुरा में लगाने के लिए···(**व्यवधान**)···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न में 'पर्वत क्षेत्र' नहीं कहा गया है, उसमें 'पर्वतीय क्षेत्र' लिखा है। यह अन्तर है—बम्बई में 'मालाबार हिल' की तरह से।

अध्यक्ष महोदय : यह तकनीकी दृष्टि से व्याख्या है।

श्री वसंत साठे : उत्तर प्रदेश में मसूरी में आज भी रिले स्टेशन है।

श्री हरिकेश बहादुर : गढ़वाल में ?

श्री वसंत साठे : वह गढ़वाल में पहुंचता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : 'गढ़वाल' चुनाव चाहता है, टेलीविजन नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय वहां टेलीविजन की कमी है।

श्री वसंत साठे : हम महत्वपूर्ण रिले केन्द्र और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना साधनों की सीमा रहते हुए तथा इस बात को देखते हुए करने पर विचार कर रहे हैं कि दूर संवेदी सूक्ष्मतरंग व्यवस्था को टेलीविजन के लिए किस हद तक उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करना

*234. श्री उत्तम राठौर :
श्री बी० एन० गाडगिल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायापीठ स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने भी उक्त न्यायपीठ खोलने की जोरदार सिफरिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगननाथ कौशल) (क) महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की है कि बंबई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित की जाए।

(ख) बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने भी ऐसी न्यायपीठ की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं।

(ग) इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

लोअर पेरियार इलेक्ट्रिक स्कीम

*235. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण लोअर पेरियार इलेक्ट्रिक स्कीम को पहले ही तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दे चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब दी गई और क्या उसे निवेश संबंधी मंजूरी के लिए योजना आयोग को भेजा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तकनीकी-आर्थिक मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) से (ग) लोअर पेरियार जल विद्युत स्कीप (3×60 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 26 नवम्बर, 1981 की हुई अपनी बैठक में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते इसे पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाए। छठी योजना में शामिल करने के लिए इस स्कीम की सिफारिश योजना आयोग को की जा चुकी है।

उपग्रहों के माध्यम से संचार सम्पर्क

*236. डा० सरदीश राय :
श्री गदाधर साहा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उपग्रहों के माध्यम से संचार सम्पर्क उपलब्ध कराने की 200 करोड़ रु० की कोई परियोजना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपग्रह संचार परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभाग ऐसे उपग्रहों से कितने समय तक काम लेगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। सरकार ने उपग्रह के माध्यम से आन्तरिक संचार संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 188 करोड़ रु० की एक परियोजना की मंजूरी दी है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत दो उपग्रह तथा 31 भू-केन्द्र आते हैं, पहला उपग्रह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट-आई० ए०) के मई, 1982 तक चालू होने की उम्मीद है। इनसैट आई० ए० के साथ कार्य करने के लिए डाक-तार विभाग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंबई, शिलांग, जयपुर, लखनऊ, जालंधर, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, पंजिम, मिनिकाय, गंगटोक, इटानगर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, लेह, पोर्ट ब्लेयर, ऐजल, कावारत्ती तथा कार निकोबार स्थानों पर 28 स्थायी भू-स्टेशनों का निर्माण कर रहा है। तीन वहनीय भू-केन्द्र आपतकालीन परिस्थितियों में संचार व्यवस्था हेतु प्रदान किए जाएंगे। दूसरे उपग्रह (इनसैट-/-वी) के। 1983 के मध्य में प्रक्षिप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपग्रहों की संभावित कार्यक्षम अवधि सात वर्ष है।

जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर उ० प्र० में टेलीफोन केन्द्र

*237. श्री त्रिलोक चन्द : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहांगीराबाद (जिला बुलन्दशहर) और आस-पास के क्षेत्र में कितने टेलीफोन हैं और वहां पर टेलीफोन सेवा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) जहांगीराबाद में टेलीफोन केन्द्र न होने के कारण लोगों को अपने रोज के काम में पर्याप्त कठिनाई होती है ; और यदि हां, तो जहांगीराबाद में एक स्वतंत्र टेलीफोन केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) जहांगीराबाद (जिला बुलंदशहर)

में एक स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान किया गया है। जहांगीराबाद तथा समीपवर्ती एक्सचेंजों में चालू टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	जहांगीराबाद	समीपवर्ती क्षेत्र	
		औरंगाबाद एक्सचेंज	शिकारपुर एक्सचेंज
चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	72	18	23

जहांगीराबाद में एक ट्रंक केन्द्र खोलने तथा ट्रंक सर्किटों को बुलंदशहर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जहांगीराबाद एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की ट्रंक सेवा में इससे काफी सुधार होने की संभावना है।

नये तेल शोधक कारखाने स्थापित किया जाना

*238. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री नीरेन घोष :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान कुछ नये तेल कारखाने खोलने और वर्तमान तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की कुल क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि इस तेल शोधक कारखानों से परिष्कृत उत्पादों की मांग पूरी हो जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार परिष्कृत उत्पादों की मांग पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

कुछ शोधनशाला विस्तार और उनका आधुनिकीकरण संबंधी प्रायोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये हैं :

1. (1) 1.2 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष (एम० टी० पी० ए०) का विस्तार (4.5 एम० टी० पी० ए० की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) और कोचीन शोधनशाला में 1.0 के एम० टी० पी० ए० के एक तरल कैट्रलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना ;

(2) 0.75 एम० टी० पी० ए० का विस्तार (6 एम० टी० पी० ए० की परिशोधन

क्षमता प्राप्त करने के लिए) और भारत पेट्रोलियम शोधनशाला, बम्बई से 0.6 एम० टी० पी० ए० के एक तरल कैट्रलिटिक यूनिट की स्थापना ;

(3) 2.8 एम० टी० पी ए० का विस्तार (5.6 एम० टी० पी० ए० की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) और मद्रास शोधनशाला में 0.6 एम० टी० पी० ए० के एक तरल कैट्रलिटिक यूनिट की स्थापना ; और

(4) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला, विशाखा पत्तनम में 0.6 एम० टी० पी० ए० तरल कैट्रलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना सहित 3.0 एम० टी० पी० ए० का विस्तार (4.5 एम० टी० पी० ए० की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए)

निम्नलिखित गौण प्रक्रिया सुविधाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) इण्डियन आयल कारपोरेशन की कोयाली शोधनशाला में 10 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष का एक तरल कैट्रलिटिक क्रेकिंग यूनिट ।

(2) इण्डियन आयल कारपोरेशन की मथुरा शोधनशाला में 1.0 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष का एक तरल कैट्रलिटिक क्रेकिंग यूनिट ; और

(3) बरौनी शोधनशाला में 0.5 मिलियिन मी० टन का डिलेड कोकिंग संयंत्र ।

2. इनके अतिरिक्त, प्रत्येक की 6 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता की दो नई शोधनशालाएं आरंभ की जायेंगी । इन दो शोधनशालाओं को करनाल के निकट और मंगलौर में स्थापित किया जाएगा ।

3. हाल्दिया शोधनशाला का विस्तार 3.0 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष से करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

4. ऐसी संभावना है कि पैरा 1 में दर्शायी गई कार्यान्वित की जाने वाली विस्तार प्रायोजनाएं वर्ष 1984-85 तक पूरी कर ली जायेंगी और तब कुल उपलब्ध परिशोधन क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करेगी और उस समय की परिशोधित उत्पादों की हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की देखभाल करेगी ।

5. पैरा 2 और 3 में दी गई शोधनशाला प्रायोजनाओं से उक्त अवधि के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बनाई गई है ।

सोडा ऐश के आयात का देश में विद्यमान एककों पर प्रभाव

*240. **श्री नवीन खाधी :**

श्री मोहन लाल पटेल .

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन रासायनिक एककों के क्या नाम हैं जो सोडा ऐश का उत्पादन कर रहे हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि सोडा ऐश का आयात किया जा रहा है यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान सोडा ऐश की कितनी मात्रा का आयात किया गया और उनकी दर क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय सोडा ऐश की तुलना में आयातित सोडा ऐश सस्ती है और इसके कारण निर्माताओं के पास सोडा ऐश का भारी भंडार जमा पड़ा है ; और

(घ) क्या उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए सरकार का विचार सोडा ऐश के आयात पर प्रति बन्ध लगाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) : एक विवरणपत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) सोडा ऐश का निर्माण मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, मै० धुंगधरा कैमिकल्स वर्क्स लि० और मै० उड़ीसा सीमेन्ट लि० (हरी फर्टिलाइजर्स) द्वारा किया जाता है। वर्ष 1981 में इन कंपनियों द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन निम्न प्रकार था :

कम्पनी का नाम	उत्पादन (टनों में)
मै० टाटा कैमिकल्स लि०	3,84,450
मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०	1,84,554
मै० धांगधरा कैमिकल्स वर्क्स लि०	59,385
मै० उड़ीसा सीमेन्ट लि० (हरी फर्टिलाइजर्स) (भूतपूर्व न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि०)	12,044

(ख) सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत है। वर्ष 1979-80 और 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) में सोडा ऐश का आयात क्रमश: 1.35 लाख टन और 0.53 लाख टन था। आयात सांख्यकी को महानिदेशक या वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यकी, कलकत्ता द्वारा संकलित करके प्रकाशित किया जाता है। अक्टूबर, 1980 के बाद की अवधि के लिये सांख्यकी अभी प्रकाशित की जाती है। इस सांख्यकीयों का संकलन हो जाने के पश्चात इन्हें भारत की विदेश व्यापार की मासिक सांख्यकी के खण्ड-11 में प्रकाशित किया जायेगा जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।

(ग) सोडा ऐश लाहट के लिये कारखाने से बाहर निर्माताओं का मूल्य 2050.35 रुपये, 2207.32 रुपये प्रति टन तक है। सोडा ऐश का आयात मूल्य अलग-अलग प्रेषण के लिये भिन्न-भिन्न होता है जो प्रेषक देश और प्रेषण की मात्रा पर निर्भर करता है। यह देखा जा सकता है कि सोडा ऐश लाईट का सी० आई० एफ० मूल्य अब 80 अमेरिकी डालर प्रति टन के बराबर है। सोडा ऐश के निर्माताओं ने अभ्यावेदन किया है कि बड़ी मात्रा में आयात और कम उठान

के कारण उनके पास भण्डार एकत्रित हो रहा है और यदि आयातों पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। निर्माताओं के पास जनवरी, 1981 के अन्त में 17,053 टन का स्टाक था जो दिसम्बर, 1981 के अन्त तक बढ़कर 79,997 टन हो गया है। तथापि, अखिल भारतीय ग्लास निर्माता फेडरेशन और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ वर्तमान आयात नीति को चालू रखने के लिए दलीलें दे रहे हैं।

(घ) आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात किया जाता है।

कोयला उद्योग में पूंजी लगाने के लिए जापान का प्रस्ताव

*242. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला उद्योग में पूंजी लगाने के लिए जापान से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पूंजी लगाने से पूर्व जापान ने क्या शर्तें रखी हैं ;

(ग) इन शर्तों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : वर्ष 1980 के प्रारंभ में 2 जापानी कम्पनियों ने निर्यात-प्रवण कोयला खानों के विकास में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई थी। चूंकि सरकार बढ़िया ग्रेड के कोयले के निर्यात के पक्ष में नहीं थी इसलिए इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया था। हाल ही में एक फर्म ने एक ओपेनकास्ट कोयला खान के विकास की गति तेज़ करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है जो विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश में गैस की एजेंसियों के लिए चयन

*243. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी गैस एजेंसियां हैं जिनके लिये विज्ञापन जारी किया गया था ;

(ख) एजेंसियां देने के लिए साक्षात्कार कब किया गया था और आवेदकों से साक्षात्कार करने के लिए नियुक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी एजेंसियां मंजूर की गईं ; और

(घ) उक्त साक्षात्कार में चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1981-82 योजना के प्रति हिमाचल प्रदेश में 4 एल० पी० जी० एजेंसियां विज्ञापित की गई थी जो प्रत्येक नाहन, सोलन, चम्बा और मण्डी के लिए हैं ।

(ख) दो स्थलों के लिए दो डीलरों के चयन के लिए अंतिम साक्षात्कार निम्नलिखित तिथियों को लिए जा चुके हैं ;

स्थल	वर्ग	साक्षात्कार की तिथि	चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी हैं
नाहन	सामान्य	10-11-1981	आई० ओ० सी०, बी० पी० सी० तथा आई० बी० पी०
सोलन	शारीरिक रूप से अपंग	4-2-1982	आई० ओ० सी०, एच० पी० सी०, बी० पी० सी० तथा पेट्रोलियम विभाग से एक प्रतिनिधि

(ग) दो ।

(च) चयन समिति प्रत्याशियों का मूल्यांकन व्यापार क्षमता, विक्रय कला, वित्तीय प्रबन्ध करने की क्षमता, पूर्णकालिक कार्य डीलर, सामान्य मूल्यांकन, व्यक्तित्व और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यकलापों के आधार पर करती है ।

डाक द्वारा भेजे गए तार

*244. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तार सामान्य डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) डाक द्वारा तार न भेजने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां । सेवा की आवश्यकतानुसार तार एयरमेल अथवा शीघ्र उपलब्ध परिवहन के जरिए डाक से भेजे जाते हैं ।

(ख) तार लाइनों में खराबी होना, कुछ क्षेत्रों में प्राय: बिजली खराब रहना तथा अनुपस्थिति के कारण स्टाफ की कमी होना तारों को डाक से भेजने के मुख्य कारण हैं ।

(ग) सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) कड़े अनुरक्षण के साथ-साथ निम्न स्तर के तथा निर्मित परिपथों को उच्च स्तर के तथा सीधे परिपथों से प्रतिस्थापित करके परिपथों की बाधाओं को कम किया जा रहा है ।

(ii) जहां कहीं व्यवहार्य हो, केन्द्रीय तारघरों विभागीय तारघरों में विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान ।

(iii) स्टाफ की कमी दूर करने के साथ-साथ अल्पकालिक टेलीग्राफिस्टों को नियुक्त करने के लिए तीव्र भर्ती के कार्यक्रम तथा प्रचालन स्टाफ के लिए आरक्षित पूल का सृजन।

सोडाऐश का उत्पादन कर रही कम्पनियों द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

*245. **श्री हरीश कुमार गंगधार** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश का उत्पादन कर रहीं सभी कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 (पी०) के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस उपबन्ध का पालन किया जाये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सोडा ऐश का उत्पादन करने वाली सभी कम्पनियों ने, जिनके लिये 1981 की अवधि समाप्ति के वित्तीय वर्षों के लिये पिछली लागत लेखा परीक्षा बाध्यकर थी, उन्होंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख (2) के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षकों की विधिवत नियुक्ति की थी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र की समस्याएं

*247. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र गत छः महीनों से रुक-रुक कर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें गत छः महीनों में किस-किस तारीख को कार्य रोकना पड़ा था तथा ऐसा करने के कारणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वहां अनेक बड़ी और छोटी दुर्घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उनके कारण कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या संयंत्र के डिजाइन में कोई मूल दोष है, जिससे उसमें बार-बार दिक्कत पैदा हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं। पिछले 6 महीनों के दौरान प्लांट ने 134 दिन उत्पाद किया और यहां 33 दिन योजनाबद्ध बन्दी समेत 50 दिनों के लिए बन्द रहा।

(ख) संक्षिप्त कारणों सहित प्लांट के बन्द होने की तिथि विवरण में दी गई है।

(ग) इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। तथापि, 18-10-81 को नाइट्रोजन कम्प्रेशर के खराब होने के कारण सी० ओ० कनवर्शन में हीट इक्सचेंज के अन्तिम आवरण में मामूली आग लगी। तुरन्त आग बुझा दी गई और हीट इक्सचेन्जर में रिसाव की मरम्मत के बाद प्लांट चालू हो गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तिथि	कारण
1-8-1981 से 7-8-81	एल० एन० डब्ल्यू यूनिट की डिरिमिंग, सी ओ 2 और एच2 एस० रिमुवल टावर के निरीक्षण और मालिकुलर शिलों को बदलने के लिए योजना बद्ध बन्दी।
18-8-81	सिन गैस कम्प्रेशर के टरबाइन ड्राइव एल० पी० सील आयल पम्प की खराबी।
4-9-81 से 6-9-81	सी० ओ० कनवर्सन हीट इक्सचैन्जर में रिसाव को दूर करने, सेचुरेटर वाट पंप के सक्शन और डिस्चार्ज बल्व की मरम्मत, मोटर ड्राइव में सिन गैस कम्प्रेशर के० एल० पी० सील आयल पम्प के टरबाइन ड्राइप को बदलना।
13-10-81 से 15-10-81	डिकार्ब्रनेटेड गैस में सी ओ 2 का मिलना जिससे एल० एन० डब्ल्यू० यूनिट में दुर्गन्ध। एल० एन० डब्ल्यू को डिरिम किया गया और सी० ओ० कनवर्सन यूनिट में हीट इक्सचैंजर के आवरण सिरे के रिसाव को भी ठीक किया गया।
18-10-81	नाइट्रोजन कम्प्रेशर की खराबी, उसके बाद सी० ओ० कनवर्सन में हीट इक्स-चैन्जर के आवरण सिरे में आग लगना।
5-11-81 से 8-11-81	सी० ओ० कनवर्सन खण्ड में हीट इक्सचैन्जर का रिसाव।
24-12-81 से 18-1-82	सी० ओ० कनवर्सन उत्प्रेरक के बदलने, सी० ओ० कनवर्सन हीट इक्सचैन्जर में रिसाव को ठीक करने, एयर कम्प्रेशर एलाइनमेंट के निरीक्षण और एयर सेपरेशन प्लांट की डिरिमिंग के लिए प्लांट की योजनाबद्ध बंदी।
23-1-82	एल० एन० डब्ल्यू यूनिट की डिरिमिंग।
28-1-82 से 31-1-82	एयर कम्प्रेशर के कन्डेन्सेट पम्प की खराबी।

फिल्मोत्सव निदेशालय द्वारा फिल्म जगत की जानीमानी हस्तियों का अनादर

*123. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मोत्सव निदेशालय ने फिल्मोत्सव-82 के अवसर पर कलकत्ता की दिवंगत और जीवित जानी-मानी फिल्म हस्तियों के प्रति उदासीनता और अनादर प्रदर्शित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

यह सही नहीं है कि फिल्मोत्सव-82 के दौरान फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा कलकत्ता की किसी भी जीवित या दिवंगत जानी-मानी फिल्मी हस्ती के प्रति कोई उदासीनता या अनादर प्रदर्शित किया गया था। इसके विपरीत, कलकत्ता के श्री सत्यजित रे, श्री मृणाल सेन जैसी जानी-मानी फिल्मी हस्तियों को समारोहों में समुचित प्रमुखता दी गई थी। उद्घाटन समारोह में श्री सत्यजित रे भी मंच पर थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया था। कलकत्ता की अन्य जानी-मानी फिल्मी हस्तियों यथा अपर्णासेन, श्री उत्पल दत्त, श्रीमती ममताशंकर, श्री सौमित्र चटर्जी, श्रीमती सुचित्रासेन, श्रीमती माधवी मुखर्जी, आदि को महत्वपूर्ण समारोहों में आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण फिल्मी हस्तियों को प्रतिनिधि का दर्जा दिया गया था ताकि वे रवीन्द्र सदन और ग्लोब में समारोह की फिल्में देख सकें। इसके अलावा, श्री सत्यजित रे के एक घनिष्ठ सहयोगी स्वर्गीय श्री बंशी चन्द्र गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम न्यू एमपायर में आयोजित किया गया था। स्वर्गीय श्री बंशी चन्द्र गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर श्री सत्यजित रे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

बड़े एकाधिकारवादी घरानों की पूंजी

2546. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष 1971 से 1981 के बीच बड़े एकाधिकारवादी घरानों की पूंजी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : ऐसी परिकल्पना है कि माननीय सदस्य ने वृहद् एकाधिकारी घरानों को प्रदत्त पूंजी पर सूचना की मांग की है। 20 शीर्षस्थ एकाधिकारी घरानों को 1972 तथा 1980 में परिसम्पत्तियां प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है। (सबसे पहला वर्ष, जिसकी घराने-अनुसार प्रदत्त पूंजी की स्थिति संकलित की गई है 1972 है। 1981 के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप देना है क्योंकि अनेक कम्पनियों के तुलन पत्र अभी देय नहीं हैं।)

विवरण

20 शीर्षस्थ घरानों* की 1972 व 1980 के वर्षों की प्रदत्त पूंजी प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र।

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में) 1972	1980
1.	टाटा	130.46	188.55
2.	बिड़ला	130.83	167.11
3.	मफ्तलाल	29.40	72.00
4.	जे० के० सिंघानिया	18.95	46.61
5.	थापर	25.40	52.48
6.	आई० सी० आई०	40.54	64.13
7.	साराभाई	9.91	20.29
8.	ए० सी० सी०	35.37	44.17
9.	बांगुर	27.60	35.17
10.	लारसेन एण्ड टोबरो	13.80	28.41
11.	श्रीराम	24.48	28.03
12.	किर्लोस्कर	14.65	29.41
13.	हिन्दुस्तान लीवर	14.67	33.52
14.	सिंधिया	12.26	19.27
15.	आयल इंडिया	29.25	33.93
16.	मोदी	6.96	21.88
17.	टी० वी० एस० आयंगर	16.33	27.19
18.	महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा	13.70	20.85
19.	चौगुले	5.69	23.69
20.	बजाज	12.54	23.09

नोट : 1980 के आंकड़े 31-12-80 तक के पंजीकरणों पर आधारित हैं, जबकि 1972 के आंकड़े 30-6-1978 तक के पंजीकरणों से सम्बन्धित हैं।

* आंकड़े प्रथम 20 घरानों की 1980 की परिसम्पत्तियों के अनुसार है।

पोलिएस्टर उद्योग में कच्चे माल का संकट

2547. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोलिएस्टर उद्योग के बारे में जानकारी है जिसे कच्चे माल की कमी के गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कारणों से पोलिएस्टर के उत्पादन में गिरावट आ गयी है;

(ग) यदि हां; तो सरकार देश के पोलिएस्टर उद्योग के कच्चे माल के संकट को हल करने के बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पोलिएस्टर उद्योग के सामने कच्चे माल का कोई भी अत्यन्त अभाव की स्थिति नहीं है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) देश में उत्पाद और पोलिएस्टर उद्योग अर्थात पी० एम० टी० और एम० ई० जी० के लिए कच्चे माल की मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था की जाती है ।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अखिल भारतीय स्तर के कलाकारों का भाग लेना

2548. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन अखिल भारतीय स्तर के कलाकारों के नाम क्या हैं जो गायन और वादन उपकरणों में प्रवीण हैं और जिन्हें आकाशवाणी के संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया ;

(ख) क्या सरकार एक चरित्र नाटक कलाकारों, लोकप्रिय परम्परागत तमाशों और पोवादा को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पर्याप्त अवसर देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारणमंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) महाराष्ट्र के उन कलाकारों, गायक और वादक दोनों, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जो संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सूची में नए होनहार कलाकारों को शामिल करके निरन्तर बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) आकाशवाणी की अपनी सूचियों में अनेक एकल चरित्र नाटक कलाकार

हैं और उनको अब भी आकाशवाणी से प्रसारण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। आकाशवाणी "तमाशा" और "पोवादा" जैसे पारम्परिक रूपों का भी नियमित रूप से प्रसारण करती है।

विवरण

महाराष्ट्र के उन कलाकारों, गायक और वादक दोनों, की सूची जो संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

हिन्दुस्तानी संगीत

गायक

1. किशोरी अमोनकर
2. लताफत हुसैन खां
3. गुलाम मुस्तफा खां
4. पंडित जसराज
5. मानिक वर्मा
6. पंडित मणीराम
7. पद्मावती शालिगराम
8. भीमसेन जोशी
9. ए० के० कोगजे
10. अंजनीबाई लोलेकर
11. सी० आर० व्यास
12. दिनकर कैकिनी
13. हीरादेवी मिश्र
14. जीतेन्द्र अभिसेकी
15. ज्योत्स्ना भोले
16. परवीण सुल्ताना
17. प्रभा अतरे
18. प्रभुदेव सरदार
19. राम मराठे
20. शोभा गुर्टू
21. सिंह ब्रादर्स

22. वसंतराव देशपांडे
23. ऊषा चिप्पाकट्टी

वादक

24. अब्दुल हलीम जाफर खां (सितार)
25. रईस खां (सितार)
26. रवि शंकर (सितार)
27. जरीन दारूवाला (सरोद)
28. हरी प्रसाद चौरसिया (बांसूरी)
29. शिव कुमार शर्मा (संतूर)
30. जिया मोईनुद्दीन डागर (बीन)
31. राम नारायण (सारंगी)
32. डी० के० दातार (वायलिन)
33. निखिल घोष (तबला)
34. सुल्तान खां (सारंगी)
35. निजामुद्दीन खां (तबला)
36. अरविन्द पारिख (सितार)
37. रमेश प्रेम (विचित्र वीणा)
38. विजयराघव राव (बांसुरी)
39. भुवनेश्वर मिश्रा (वायलिन)
40. कुंवर राजेन्द्र सिंह (वायलिन)
41. शमीम अहमद (सितार)
42. देवेन्द्र मुरदेश्वर (बांसुरी)
43. रघुनाथ सेठ (बांसुरी)
44. सिधाराम जादव और साथी (सुंदारी)

कर्नाटक संगीत

गायक

1. अलमेलु मणि
2. मीरा नाथन

वादक

3. के० एस० नारायण स्वामी (वीणा)

कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

2549. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य क्या थे और वास्तव में कितने कोयले का उत्पादन हुआ; और

(ख) इन सालों में लक्ष्य से कम कोयला उत्पादन होने के क्या कारण थे ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान लक्ष्य और उसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित हैं :

	लक्ष्य	उत्पादन (मिलियन टन)
1981-82	121	124 (अनुमानित)
1980-81	113.5	114.00
1979-80	104.31	103.95

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए कोयला उद्योग ने अपना उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया था और वर्ष 1981-82 का लक्ष्य भी पूरा कर लेने की आशा है।

वर्ष 1979-80 में लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी आई जो मुख्य रूप से इन कारणों से थी—बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की अशांत स्थिति, नई खानें खोदने के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाइयां, आदि।

आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों की मांग

2550 **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) की मांगें बहुत समय से लम्बित हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया; और

(ग) यदि हां, तो कौन सी मांगें पूरी की गई हैं ?

(क) से (ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों की एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उनकी सेवा शर्तों, बेहतर वेतनमानों, पदोन्नति के अच्छे अवसरों, पेंशन, आदि की मांगें की गयी हैं। हाल ही में, स्टाफ आर्टिस्टों को सिविल कर्मचारियों में परिवर्तित करने की मांग रही है। सरकार भी उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने, वर्ग ढांचे तथा शुल्कमानों को संशोधित करने, पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने आदि के समय-समय पर कदम उठाती रही है।

सरकार ने अब स्टाफ आर्टिस्ट कहे जाने वाले कर्मचारियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय किया है :

(क) "कलाकार" और

(ख) अन्य कर्मचारी जो वही कार्य करते हैं जो सामान्यतया सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में करते हैं।

श्रेणी (ख) के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा।

श्रेणी (क) के कर्मचारियों अर्थात "कलाकारों" की नौकरी की शर्तों को नए सिरे से जांच की जायेगी तथा संशोधित नियम बनाए जाएंगे।

ये शर्तें काफी उदार होंगी ताकि सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा "कलाकारों" को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में परिवर्तित किए जाने के लिए हल्ला गुल्ला करने से हतोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य पूरे हो सकें।

नियमों में कलाकारों के कौशल की आवधिक समीक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा ताकि (क) जिनका योगदान दीर्घकालिक तथा सृजनात्मक नहीं रहे उनकी छंटनी की जा सके और (ख) उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके जो अपने क्षेत्रों में उपयोगी और सृजनात्मक योगदान देते रहे। उनके लिए समुचित सेवानिवृत्ति लाभ भी उपलब्ध किए जाएंगे।

आप्टीकल फाइबर पारेषण लाइनों की स्थापना

2551. **श्री सैयद मसुदल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम है जहां आप्टीकल फाइबर पारेषण लाइनों की पहले से ही स्थापना की जा चुकी है :

(ख) उन स्थानों के क्या नाम है जहां ये लाइनें स्थापित की जानी हैं और : कब; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)आयातित केवल और उपस्कर सहित एक प्रायोगिक आप्टीकल फाइबर केवल संचार परियोजना 1979 में पुणे में चालू की गई है और यह प्रणाली इस समय कार्य कर रही है। इस प्रायोगिक परियोजना में आप्टीकल फाइबर युग्म पर 120 टेलीफोन जंक्शन प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार के प्रचालन हेतु एक स्वदेशी आप्टीकल फाइबर संचार उपस्कर का अलग से डिजाइन तैयार किया गया है और वह पुणे में समान आप्टीकल फाइबर केबल में फाइबरों के दूसरे सैट पर कार्य कर रहा है।

(ख) अभी तक किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ब्रिटेन का डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज का प्रस्ताव

2552. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का डिजिटल इनेक्ट्रोनिक्स टेलीफोन एक्सचेंज का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है अथवा इस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। डिब्बा कृत छोटे ग्रामीण एक्सचेंजों हेतु हमारे विश्वजनीन निवादा के अंतर्गत एक ब्रिटिश विनिर्माता से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (ख) और (ग) निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

फिल्म निर्माण के लिये ऋण अनुदान की शर्तें

2553. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म डिवलपमेंट कारपोरेशन को वर्ष 1981 के दौरान फिल्म निर्माण और थिएटर निर्माण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितने आवेदन पत्रों की मंजूरी दी गई;

(ग) उन आवेदन कर्त्ताओं के नाम क्या हैं जिन्हें ऋण मंजूर किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत ऋण देने के बारे में क्या शर्तें हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० को 1-1-81 से 31-12-81 तक की अवधि के दौरान सिनेमाघरों के निर्माण के लिए 53 ऋण आवेदन पत्र तथा फिल्मों के वित्त पोषण के लिए 83 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) इसी अवधि के दौरान, सिनेमा घरों के निर्माण के लिए 25 ऋण आवेदनपत्रों तथा फिल्मों के वित्त पोषण के लिए 12 ऋण आवेदन-पत्रों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मंजूर किया गया।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक में आत्म-निर्भरता

2554. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उर्वरकों के बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने में हमें कहां तक सफलता मली ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पांचवीं योजना प्रासा में वर्ष 1978-79 तक 40 लाख टन नाइट्रोजन और 12 5 लाख टन मी 2 ओ 5 के रूप में उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य नियत किया था। जब पांचवीं योजना की अन्तिम रूप दिया गया तब वर्ष 1978-79 तक 29 लाख टन नाइट्रोजन और 7.7 लाख टन मी 2 ओ 5 तक लक्ष्य को संशोधित किया गया था। (ख) वर्ष 1978-79 के दौरान 21.7 लाख टन नाइट्रोजन और 7.7 लाख टन मी 2 ओ 5 का वास्तविक उत्पादन हुआ।

राजस्थान से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण कार्य करना

2555. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण कार्य किए जाने वाले स्थानों में झालावाड़ को भी शामिल किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जी, नहीं।

डाक्सीसाइक्लाइन और क्लोरमफेबीकोल की बिक्री

2556. **श्री एस० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्सीसाइक्लाइन और क्लोरमफेबीकोल और इसकी एस्टेर्ज गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निश्चित बिक्री मूल्यों से अत्यन्त कम मूल्यों पर खुले बाजार में बेची गई है।

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने श्रेणीकरण एजेन्सी के पास अपनी आवश्यकतायें पंजीकृत कराई थीं और उसे लेने में असफल रहीं,

(ग) क्या उन कम्पनियों ने इन मदों को खुले बाजार से ले लिया था और अनभिप्रेत हो भारी मुनाफा कमा लिया,

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस अनभिप्रेत लाभ को समाप्त करने में असफल रही है, और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में यह सूचना आई है कि क्लोरमफेबीकोल पाउडर और डाक्सीसाइक्लाइन दोनों औषधियें खुले बाजार में सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्य पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का काम

2557. **श्री मतिलाल हसदा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों/शहरों के नाम क्या है जहां इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों ने काम करना शुरू कर दिया है और कब से, तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और ;

(ख) इन साधनों के नाम क्या हैं जहां इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज काम शुरू करेंगे और कब से; तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)

(क)

	राज्य	स्थान/शहर का नाम	चालू होने तारीख
(i)	उत्तर प्रदेश	कोसीकलां	15-8-79
(ii)	छोटे स्वचल एक्सचेंज (क्षेत्र परीक्षण के अधीन)		
	उत्तर प्रदेश	भगवान	नवम्बर, 79
	हरियाणा	कछवा	अगस्त, 80
	—वही—	लखान माजरा	सितम्बर, 80
	—वही—	बापोरा	नवम्बर, 80
	—वही—	चांग	नवम्बर, 80

(ख) (i) इलैक्ट्रोनिक डिब्बायुक्त एक्सचेंज (कोसीकलां में कार्य कर रहे एक्सचेंज जैसा)

राज्य	स्थान का नाम	चालू होने का संभावित वर्ष
उत्तर प्रदेश	नैनीताल	82-83 के दौरान
—वही—	अल्मोड़ा	—वही—
—वही—	उझानी	—वही—

(ii) स्टोर्ड प्रोग्राम कन्ट्रोल इलैक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज

महाराष्ट्र	बम्बई	84-85
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	84-85
दिल्ली	दिल्ली	84-85
तमिलनाडु	मद्रास	84-85

(iii) स्टोर्ड प्रोग्राम कन्ट्रोल इलैक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज

राज्य/केन्द्र	स्थान/शहर	चालू होने का संभावित वर्ष
महाराष्ट्र	बम्बई	1983-84
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	—वही—
दिल्ली	दिल्ली	—वही—
तमिलनाडु	मद्रास	—वही—

(iv) इलैक्ट्रोनिक टेलेक्स एक्सचेंज

महाराष्ट्र	बम्बई	1982-83
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	1983-84
दिल्ली	दिल्ली	1982-83
तमिलनाडु	मद्रास	1983-84

(v) और इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की विस्तृत योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

थाल वैशेट उर्वरक संयंत्र पर कुवैत की कंपनी का निवेश

2558. **श्री वी० वी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट कंपनी ने दिसम्बर, 1981 के आखिरी सप्ताह के दौरान भारत को महाराष्ट्र में थाल वैशेट परियोजना में निवेश के लिये 46 करोड़ की धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने 1982 के दौरान और 46 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया है, और

(ग) यदि हां, तो कुवैत इंटरनेशनल कंपनी से प्राप्त धन राशि में से थाल वैशेट परियोजना पर कितना व्यय किया गया है और 1982 में अब तक मिली धन राशि में से इस पर कितना खर्च किया जायेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) : थाल परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा के स्रोतों में से राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स

लिमिटेड ने मैसर्स कुवैत इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट कंपनी, कुवैत फारन ट्रेडिंग कट्रैक्टिंग इनवेस्टमेंट कंपनी और कुवैत इनवेस्टमेंट एंड इनवेस्टमेंट कंपनी से 30 मिलियन कुवैती दिनार (लगभग 95 करोड़ रुपये) की राशि कुवैती बाजार से ऋण के रूप में प्राप्त किया है। ऋण दो किस्तों में प्राप्त हो गया है। 21-12-1981 को पहली किस्त और 21-1-1982 को दूसरी किस्त।

(ग) थाल उर्वरक परियोजना में चरणबद्ध ढंग से निवेश किया जा रहा है। कुवैत ऋण से उपलब्ध विदेशी मुद्रा का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जायेगा।

भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय को स्थानान्तरित करना

2559. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय एक बहुत असुविधाजनक स्थान पर ले जाया गया है;

(ख) क्या कार्यालय में टेलीफोन और अन्य सुविधायें नहीं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वहां आने वाले पत्रकारों और दूसरे लोगों को एक गिलास पानी मिलने में भी कठिनाई होती है; और

(घ) क्या सरकार सभी सुविधायें प्रदान करने के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का नया स्थान प्रकाशकों तथा उन व्यक्तियों, आदि जिन्हें इस कार्यालय में आना होता है, के लिए सुविधाजनक नहीं है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के लिये डाक-तार सलाहकार समिति का गठन

2560. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार सर्किल के लिए अभी तक डाक-तार सलाहकार समिति का गठन नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने पटना टेलीफोन जिले के लिए भी टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इनके गठन में होने वाले असाधारण विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) समितियों के गठन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सर्किल की डाक सलाह-

कार समिति का गठन 1-1-11982 को किया गया था, बिहार राज्य हेतु दूरसंचार सलाहकार समिति का अभी गठन किया जाना है।

(ख) पटना टेलीफोन जिले की टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

(ग) नामांकन विलंब से प्राप्त हुए थे तथा उनकी समीक्षा की जा रही थी।

(घ) इन समितियों का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा।

एल० पी० जी० स्टोव का निर्माण करने वाली फर्में

2561. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी० स्टोवों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) इन फर्मों द्वारा निर्मित गैस स्टोवों के बारे में गारन्टी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि जब उपभोक्ता को गैस कनेक्शन मिलता है और वह गैस एजेन्सी से गैस स्टोव खरीदता है, तो स्टोव की कोई गारन्टी नहीं दी जाती।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) द्वारा अनुमोदित एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) स्टोवों के निर्माताओं के नाम और उनके पते संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों के एल० पी० जी० वितरकों द्वारा सीधे निर्माताओं से एल० पी० जी० स्टोव खरीदे जाते हैं और उपभोक्ताओं को उनकी स्वेच्छा के अनुसार सीधे बेचे जाते हैं। तथापि तेल कम्पनियों द्वारा केवल उन उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० कनेक्शन दिये जाते हैं जिनके पास आई० एस० आई० की मोहर वाले एल० पी० जी० स्टोव होते हैं चूंकि इस एल० पी० जी० स्टोवों का इनके निर्माण, संचालन, सुरक्षा आवश्यकताओं आदि के संबंध में निरीक्षण और प्रमाणित आई० एस० आई० द्वारा किया जाता है, अलग से गारंटी जारी करना व्यवहार्य नहीं है। आई० एस० आई० द्वारा प्रमाणित किये गये स्टोवों में कोई निर्माण सम्बन्धी खराबी ध्यान में आती है तो निर्माता को आई० एस० आई० द्वारा जारी किये गये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार खराब स्टोव को बदलना पड़ता है।

विवरण

एल० पी० जी० हाट प्लेटों के निर्माताओं के नाम और पते

पश्चिम क्षेत्र

1. पंचाल इंजीनियरिंग वर्क्स,
   30-31, जी० आई० डी० सी० इंडस्ट्रियल इस्टेट, ओदवे रोड,
   अहमदाबाद-382415.

2. एम० गुनांतरी प्रा० लिमिटेड,
शेड नं० 437, "डी" रोड, लाइन 40/41 जी० आई० डी० सी०
इंडस्ट्रियल स्टेट, मकरपुरा, बड़ौदा-390010.

3. श्री राम इंजीनियरिंग मेन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रताप नगर (फैक्ट्री एरिया),
दबोई रोड, बड़ौदा-39000.

4. बोम्बे फूड्स प्रा० लिमिटेड,
53/57, लक्ष्मी इंशोरेंस बिल्डिंग, सर पी० एम० रोड, फौट, बम्बई-400001.

5. ओरिएंटल मेटल प्रैसिंग वर्क्स प्रा० लि०
पोस्ट बाक्स नं० 65566131, बम्बई-400018.

6. राजसन्स, 1 प्लेनेट इंस्ट्रीयल स्टेट,
सुभाष रोड, वाइल पारले (ईस्ट), बम्बई-400011.

7. यूनाइटेड वर्क्स प्रा० लिमिटेड,
7-8, महालक्ष्मी ब्रिज, बम्बई-400011.

8. फोरघम प्रैसिंग (इण्डिया) प्रा० लि०,
बम्बई-आगरा रो,ड नियर पाइपलाइन बीहाइंड एम० एस० ठाकुर पेट्रोल पम्प,
घाटकोपर, बम्बई-400086 (ए० एस०)

9. पेटेक्स इन्जीनियरिंग प्रा० लि०,
भारत वैलवेट कम्पाउंड, सफीद पूल, सर एम० वरंजी रोड, बम्बई-400072

10. बजाज इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड,
45-47, वीर निर्माण रोड, बम्बई-400023.

उत्तरी क्षेत्र

1. ग्लोब सुपर पार्ट्स,
14/1, माइल, मथुरा रोड, पी० ओ० अमर नगर, फरीदाबाद-121003.

2. सनफ्लेम इंडस्ट्रीज,
1 और 2, पी० एल० एफ० इंडस्ट्रीयल एरियाफेस-2 13/4, माइल, मथुरा रोड,
फरीदाबाद-1210033.

3. दर्वी गैस ऐप्लोएंसिस,

31, माइल स्टोन (नियर विधु सिनेमा) जी० आई० रोड, कुंडाली (सोनीपत)

4. आर० के० इंडस्ट्रीज,
83/2, वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110052.

5. विक्की तशा इण्डिया प्रा० लि०,
महाजन हाऊस, ई-1 और 2, एस० एक्सटेंशन पार्ट-11, रिंग रोड, नई दिल्ली।

6. तुलसी डोमेस्टिक ऐप्लीएंसिस 30, ओल्स इंडडस्ट्रीयल एरिया, अलवर (राज०)

7. परफैक्ट इंजीनियरिंग ऐन्टरप्राइसिस
ई-1 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, माहुपुरा, अजमेर (राज०)

पूर्वी क्षेत्र

1. मार्टिन बर्न लिमिटेड,
(इण्डस्ट्रीयल डिविज़न), 1, सत्या डाद रोड, खिडरपोर, कलकत्ता-23.

2. श्री अम्बिका मैटल वर्क्स,
17, तर्क प्रमाणिका रोड, कलकत्ता-700006.

दक्षिण क्षेत्र

1. श्री निवास डोमेस्टिक,
ऐक्साइसिस 10, सैकेन्ड क्रेसेन्ट पार्ट रोड, गांधी नगर, अधोर,
मद्रास-600020.

नागालैण्ड में और अधिक ग्रामीण विद्युतीकरण की कार्यवाही

2563. **श्री चिंगवाग कोनयक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागालैण्ड में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ताकि राज्य के लोगों के आय स्तर को बढ़ाया जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : नागालैण्ड में गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति काफी संतोषजनक रही है। छठी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के दौरान कार्यक्रम अर्थात किए गए प्रावधान, निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	परिव्यय (करोड़ रु० में)	गांवों का विद्युतीकरण	
		लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1980-81	1.00	40	47
1981-82	1.00	50	41 (अक्टूबर 1981 तक)
1982-83*	1.32	45	—

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कुल 960 गांवों में से अक्टूबर 1981 के अन्त तक 408 गांव, जो 42.5 प्रतिशत बैठते हैं, विद्युतीकृत हो गए हैं। आशा की जाती है कि ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का विस्तार होने से राज्य में हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों के विकास में तेजी आएगी।

सीनियर प्रोग्राम आफिसरों के बारे में स्थानान्तरण के नियम

2564. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के सीनियर प्रोग्राम आफिसरों (राजपत्रित) के स्थानान्तरणों में लागू नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं ;

(ख) उनके स्थानान्तरणों में लागू होने वाले नियमों का सारांश क्या है और एक राजपत्रित प्रोग्राम आफीसर नियमों के अन्तर्गत एक दूरदर्शन या आकाशवाणी के स्टेशन पर कितने समय तक रह सकता है ;

(ग) यदि हाल में कोई परिवर्तन लागू हुआ है तो उसका आधार क्या है ; और

(घ) दिल्ली और बम्बई के स्टेशनों में प्रोग्राम से सम्बन्धित कितने राजपत्रित अधिकारी सात साल से अधिक समय से सेवारत हैं और उनके नाम और पद क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी में नियुक्त केवल राजपत्रित कार्यक्रम अधिकारियों के ही नहीं अपितु राजपत्रित तथा अराजपत्रित कार्मिकों के स्थानान्तरणों की व्यवस्था करने के लिए जुलाई, 1981 में स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, किसी अधिकारी को विभिन्न केन्द्रों पर कितनी अवधि तक कार्य करना है, इसको केन्द्रों पर उपलब्ध सहूलियतों और सुविधाओं की किस्म को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया है। मुख्य उद्देश्य जल्दी-जल्दी स्थानान्तरणों से बचने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि अधिकारी विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करके अपने अनुभव में वृद्धि करें।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(क) : आकाशवाणी		नाम और पद नाम
बम्बई :	1.	श्री डब्ल्यू० आर० सराफ, उप निदेशक
	2.	श्रीमती आर० आर० नासिरबाद बाला, सहायक केन्द्र निदेशक
	3.	श्रीमती सरोज बाला चन्दोला, सहायक केन्द्र निदेशक
	4.	श्री वाई० एच० मनाके, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
	5.	श्रीमती भारती व्यास, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
	6.	श्री जे० पी० शर्मा, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
	7.	श्रीकांत ठाकर, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव

दिल्ली : 8. श्रीमती पी० ठाकुर, संयुक्त निदेशक
9. श्री एम० एस० बेदी, निदेशक
10. श्रीमती मधुमालती, निदेशक
11. श्री एन० के० क्वात्रा, सहायक निदेशक
12. श्रीमती बेद क्वात्रा, सहायक निदेशक
13. कुमारी रीता मुखर्जी, सहायक निदेशक
14. श्री बी०के० चोपड़ा, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
15. श्री जे० के० जोशी. कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
16. श्री राम स्वरूप, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
17. श्रीमती सरोज गुप्ता, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव
18. श्रीनारायण परवानी, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव

(ख) दूरदर्शन

बम्बई : शून्य

दिल्ली : 1. श्री एच० आर० सलूजा, सहायक केन्द्र निदेशक

नांगल उर्वरक संयंत्र में मैथानोल कारखानों का निर्माण

2565. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा नांगल उर्वरक संयंत्र में मैथानोल के एक कारखाने का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है तथा मैथानोल कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या यह मैथानोल कारखाना चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थापित कर दिया जाएगा ;

(घ) उसके निर्माण का कार्य पूरा करने की लक्षित तारीख क्या है ; और

(ङ) उपरोक्त कारखाने की स्थापना की दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० 7.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 16,500 टन मैथानोल की क्षमता वाले एक मैथानोल संयंत्र की स्थापना नंगल में कर रहा है।

(ग) और (घ) परियोजना पर 1 मार्च, 1982 से कार्य प्रारंभ हो गया है। परियोजना 28 महीनों के अन्दर पूरी होने की आशा है।

(ङ) टर्न-की आधार पर संयंत्र की स्थापना करने के लिए मै० फर्टिलाइजर (प्लांनिग एण्ड डेवलपमेन्ट) इन्डिया लि० एक सार्वजनिक उपक्रम को ठेका दिया गया है ।

तीन बैंड के रेडियो पर से लाइसेंस शुल्क हटाना और टेलीविजन पर एक बार लेवी लगाना

2566. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री के० मालन्ना :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तीन बैंड के रेडियो पर से लाइसेंस शुल्क हटाने और टेलीविजन पर लाइसेंसों के वार्षिक नवीनीकरण से बचने के लिए एक बार लेवी लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में कोई सुझाव दिए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) तीन बैंड वाले रेडियो सैटों पर मौजूदा लाइसेंस शुल्कों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तथापि, टेलीविजन सैटों पर आवर्ती लाइसेंस शुल्क के स्थान पर खरीद के समय ही एक बारगी शुल्क लगाने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन सुझावों के वित्तीय, प्रशासनिक आदि पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

पुणे जिले में गांवों का विद्युतीकरण

2567. **श्री राम कृष्ण मोरे : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के पुणे जिले के कितने गाँवों का अब तक विद्युतीकरण किया गया है ;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल में महाराष्ट्र के जिन गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं किया गया है, उनकी संख्या सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुणे जिले में ऐसे कितने गाँव हैं जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) महाराष्ट्र के पुणे में कुल 1481 आबाद गाँवों में से, अक्तूबर, 1981 के अन्त तक 1080 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं जो 72.92 प्रतिशत बैठते हैं ।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए उन गाँवों की संख्या का पता लगाने के लिए, कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। 31-10-1981 की स्थिति के अनुसार पुणे जिले में 401 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

गैस कनेक्शन देना

2568. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान रजिस्टर्ड लोगों को कितने गैस कनेक्शन देने का विचार है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में 14 लाख ग्राहकों के नाम दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य/संघीय क्षेत्रवार ब्यौरा अन्तिम रूप में अभी तैयार किया जाना है।

ईरान द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करना

2569. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत को सप्लाई होने वाले कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करने का निर्णय लिया है, यदि हाँ, तो प्रति बैरल कितनी ; और

(ख) सरकार ने ईरान से तेल का आयात करके इस कटौती का लाभ उठाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ईरान ने वर्ष 1982 के दौरान अपने अशोधित तेल के मूल्यों में भिन्न अवस्थाओं में समग्ररूप से प्रति बैरल 4 डालर की कमी की।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान 3.3 मिलियन मीट्रिक टन ईरानियन अशोधित तेल का आयात करने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

विदेशी दवाई कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा

2570. **श्री वी० आर० नहाटा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में विदेशी दवाई कम्पनियों ने कितने लाभांश की घोषणा की और इस अवधि में उन्होंने अपने मूल देश को कितना लाभांश भेजा, और

(ख) जबसे ये कम्पनियां चालू हुई हैं उन्होंने कितना पूंजी निवेश किया और उन्होंने कितना लाभ कमाया ;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/लाभांश के साथ में विदेशों में भेजी गई राशि से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश की मात्रा, अस्तित्व में आने पर पूंजी निवेश और कमाए गए लाभ से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा विदेश भेजी गयी राशि

(स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च)	लाभ/लाभांश
1	2	3	4
1.	एवांट लैब (इं) प्रा०, लि०, बम्बई	1978-79	12.00
		1979-80	17.81
		1980.81	10.12
2.	बरो बेलकम एण्ड कं० (इं) लि०, बम्बई	1978-79	—
		1979-80	15.00
		1980-81	22.50
3.	मै० एण्ड वेकर (इं) लि०, बम्बई	1978-79	—
		1979-80	17.99
		1980-81	—
4.	स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रैन्च (इं) लि०, बंगलोर	1978-79	103.95
		1979-80	7.97
		1980-81	—
5.	रोश प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई	1978-79	20-02
		1979-80	55.99
		1980-81	20.02

1	2	3	4
6.	पार्क डैविस (इं) लि०, बम्बई	1978-79	55.12
		1979-80	46.20
		1980-81	4.20
7.	ग्लैक्सो लेबर (इं) लि०, बम्बई	1978-79	120.02
		1979-80	65.03
		1980-81	135.00
8.	जानसन एण्ड जानसन आफ (इं) लि०, बम्बई	1978-79	11.54
		1979-80	11.54
		1980-81	11.54
9.	फाइजर लि०, बम्बई	1978-79	45.36
		1979-80	141.75
		1980-81	73.71
10.	वायथ लैब, बम्बई	1978-79	10.99
		1979-80	11.29
		1980-81	10.99
11.	सीवा गायगी आफ इंडिया लि०, बम्बई	1978.79	54.19
		1979-80	54.19
		1980-81	54.19
12.	ई० मर्क (इं) प्रा० लि०, बम्बई	1978-79	3.07
		1979-80	7.20
		1980-81	2.46
13.	मर्क शार्प एण्ड डोहगे आफ इंडिया लि०, बम्बई	1978-79	8.91
		1979-80	—
		1980-81	—
14.	सेण्डोज (इं) लि० वम्बई	1978-79	11.01
		1979-80	31.50
		1980-81	18.00
15.	रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि० बम्बई	1978-79	14.85
		1979-80	7.42
		1980-81	2.48
16.	सिनामाइड इंडिया लि० बम्बई	1978-79	47.87
		1979-80	53.85
		1980-81	56.42

1	2	3	4
17.	दि बूट्स कं० (इं) लि०, बम्बई	1978-79	12.15
		1979-80	14.85
		1980-81	18.00
18.	बायर (इं) लि०, बम्बई	1978-79	46.54
		1979-80	49.64
		1980-81	49.64
19.	अल्कली एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता	1978-79	17.12
		1979-80	18.41
		1980-81	—
20.	हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई	1978-79	20-43
		1979-80	30.65
		1980-81	45.97
21.	वार्नर हिन्दुस्तान लि०, हैदराबाद	1978-79	17.20
		1979-80	19.78
		1980-81	21.46
22.	हिफन्स (इं) लि०, बम्बई	1978-79	0.94
		1979-80	0.62
		1980-81	0.62
23.	आर्गेनान (इं) लि०, कलकत्ता	1978-79	—
		1979-80	8.42
		1980-81	4.30
24.	यूनी सैन्कीयो लि०, हैदराबाद	1978-79	0.09
		1979-80	1.13
		1980-81	0.73

बिहार में शाखा डाकघरों का खोला एवं दर्जा बढ़ाया जाना

2571. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा तथा समस्तीपुर डाक डिवीजनों में कुल कितने शाखा तथा उपरि कोटि के डाक घर हैं।

(ख) नए शाखा डाक घर खोलने तथा दर्जा बढ़ाये जाने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं ?

(ग) क्या उभागांव खंड में मनोहरपुर, बेनीपट्टी खंड में गोगुली, खजौली खंड में मरूकिया बाबू बरही खंड में बरदाहा, मधुबनी खंड में खजूरी में शाखा डाकघर खोल दिये गये हैं। यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बेसफी खंड में बेस्फी बरहा तथा सेवरी शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न डाक मंडलों में शाखा और उपरि कोट के डाकघरों की संख्या नीचे दी गई हैं।

1.	**मधुबनी डाक मंडल**	
	शाखा डाकघर	319
	विभागतर उप डाकघर	36
	उपरि कोटि डाकघर	36
2.	**सीतामढ़ी डाक मंडल**	
	शाखा डाकघर	240
	विभागेतर उप डाकघर	35
	उपरि कोटि डाकघर	30
3.	**दरभंगा डाक मंडल**	
	शाखा डाकघर	240
	विभागेतर उप डाकघर	29
	उपरि कोटि डाकघर	38
4.	**समस्तीपुर डाक मंडल**	
	शाखा डाकघर	238
	विभागेतर डाकघर	77
	उपरि कोट डाकघर	40

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विभागीय मानदंडों के अनुसार उभागांव खंड में मनोहरपुर और खजौली खंड में मरूकिया में शाखा डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया है। मधुबनी खंड में खजूरी में 10-2-1981 से शाखा डाकघर काम कर रहा है। बाबू बरही खंड में बरदाहा में शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मधुबनी के बेनापट्टी खंड में गोगुली में शाखा डाकघर खोलने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) विभागीय मानदंडों के अनुसार बेस्फी और बरहा शाखा डाकघरों का उप डाकघरों में दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया है। सेबरी शाखा डाकघर का दर्जा उप डाकघर में बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में 600 मेगावाट विद्युत संयंत्र

2572. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 600 मेगावाट का एक नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मेजिया में (210-210 मेगावाट के 3 यूनिटों वाला) एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। निगम को अद्यतन परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् विधियों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए, निवेश संबंधी स्वीकृति के लिये कार्रवाई की जायेगी।

कोटा तापीय बिजली घर के एकक संख्या 182 का चालू किया जाना

2573. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा तापीय बिजली घर के एकक संख्या 182 से राजस्थान को किस निश्चित तारीख से और कितने मेगावाट बिजली मिलने लगेगी ; और

(ख) क्या इन बिजली एककों के आरम्भ किये जाने से राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोटा ताप विद्युत यूनिट सं० 1 (110 मेगावाट) को जून, 1982 तक समाकलित किए जाने की संभावना है। कोटा यूनिट 2 (110 मेगावाट) का उत्थापन कार्य 31 मार्च, 1983 तक पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

(ख) कोटा यूनिट 1 और 2 से तथा जिन साधनों पर राजस्थान इस समय अपनी विद्युत सप्लाई के लिए निर्भर है उनसे पूरी विद्युत उपलब्ध होने से यह आशा की जाती है कि राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक हो जाएगी।

1981-82 के दौरान गुजरात के लिए स्वीकृत एवं लम्बित ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं

2574. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 1981-82 में मंजूरी के लिए गुजरात से कितनी योजनाएं प्राप्त हुईं ;

(ख) उनमें से अब तक कितनी मंजूर की गई हैं और कितनी लम्बित हैं ; और

(ग) लम्बित योजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी और उनके अधीन कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम को गुजरात बिजली बोर्ड से 27 स्कीमें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) इनमें से 12 स्कीमों का अनुमोदन कर दिया गया है और शेष स्कीमें विभिन्न कारणों से अनुमोदन के लिए लम्बित हैं ।

(ग) भाग (ख) में जिन लम्बित स्कीमों का उल्लेख है वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए उन स्कीमों पर चालू/अगले वित्त वर्ष में विचार किया जाएगा बशर्ते निधियां उपलब्ध हों ।

चण्डीगढ़ में सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी

2575. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चण्डीगढ़ के सिनेमा गृहों में सिनेमा गृहों के मालिकों की साँठ-गाँठ से सिनेमा टिकटों की बढ़ती कालाबाजारी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाने का है जिससे कि सिनेमा देखने जाने वालों को बिना किसी दिक्कत के सिनेमा के टिकट मिल सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) यद्यपि चण्डीगढ़ में सिनेमा-टिकटों की कालाबाजारी के मामलों का पता चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा 1981 में लगा लिया गया था, किन्तु उनके ध्यान में यह बात नहीं आई है कि कालाबाजारी सिनेमाघरों के मालिकों की साँठ-गाँठ से की जाती है ।

(ख) सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी की रोकथाम करने के लिए, 50 प्रतिशत सिनेमा टिकटों को 7 दिन की अग्रिम बुकिंग में बेचने तथा बाकी 50% सिनेमा टिकटों को चालू बुकिंग में बेचने की एक नयी पद्धति चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा पहली अगस्त, 1981 से चालू की गयी थी ।

चूक करने वालों से टेलीफोन के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति राशि

2576. **श्री के० मालन्ना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने टेलीफोन राजस्व की बढ़ती बकाया राशियों की समस्या को हल करने के प्रयास में चूक करने वालों से टेलीफोन के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति राशि की माँग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्देशों संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले वर्ष की उन बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है जो इस वित्तीय वर्ष में भी अभी तक बकाया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मौजूदा उपभोक्ताओ से जो टेलीफोन देय के भुगतान में चूक करते हैं अथवा जान-बूझ कर विलम्ब करते हैं, प्रतिभूति जमा की उगाही हेतु भारतीय तार नियमों के नियम 445 की संबंधित व्यवस्थाओं की पुनरावृति करते हुए यूनिटों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(ख) उन उपभोक्ताओं से, जो भुगतान करने में चूक करते हैं अथवा जिनकी वित्तीय स्थिति विश्वसनीय नहीं समझी जाती तथा उन उपभोक्ताओं से जो टेलीफोन बिलों के भुगतान में जानबूझ कर विलम्ब करते हैं, प्रतिभूति जमा उगाही जाती है ।

(ग) वर्ष 80-81 के दौरान जारी किए गए 561.95 करोड़ रुपये के बिलों में से 1-7-81 को 7.54 करोड़ रुपये बकाया था और 1-12-81 को यह बकाया केवल 4.53 करोड़ रुपये था । यह बनाये गए बिलों की राशि के 10 प्रतिशत से भी कम है ।

दिल्ली में अनाधिकृत बस्तियों को बिजली की सप्लाई

2577. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "डेसू" द्वारा अनाधिकृत बस्तियों में मकान मालिकों को बिजली के स्थायी कनैक्शन दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "डेसू" द्वारा प्रीतमपुरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य बस्तियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट धारियों को स्थायी कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं और पूर्ति प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों के प्लाटधारियों के साथ इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अद्यतन अनुदेशों के अनुसार अनधिकृत बस्तिओं में 1-1-82 के पश्चात् खड़े किए गए किसी भी नये मकान आदि को बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जा सकते । अन्य सभी प्रकार के नव निर्माणों के संबंध में बिजली के कनैक्शन स्वीकृत किये जाने के लिए अनुरोध को डेसू स्वीकार कर सकता है बशर्ते सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हों ।

प्रीतमपुरा और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य कालोनियों में बिजली के स्थायी कनैक्शन स्वीकृत किये जाने के आवेदनों पर डेसू, दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार, कार्रवाई करेगा ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, इस मामले में किसी भी प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार का प्रश्न नहीं उठता ।

पटना में डाक-तार कर्मचारी की मृत्यु

2578. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरा में नियुक्त डाक-तार विभाग के कर्मचारी तथा यूनियन के पदाधिकारी श्री जी० बी० सिंह किन परिस्थितियों में पटना में पी० एम० जी० के कार्यालय भवन की तीसरी मंजिल से गिर गये तथा बाद में मर गये ;

(ख) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं ; तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या डाक सेवाओं के निदेशक ने मृत शरीर को ले जाने के लिए वाहन नहीं दिया तथा कई दिनों बाद पी० एम० जी० के साथ अस्पताल में कर्मचारी को देखने गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आरा के पोस्टल क्लर्क श्री जे० बी० सिंह 26-3-80 को पोस्ट-मास्टर जनरल, पटना के कार्यालय में आ गए थे । उक्त कर्मचारी कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर शौचालय गए थे । इस कर्मचारी ने गलती से गलत दरवाजा खोल दिया तथा वह सेनीटरी पाइप वाले पाइप शैफ्ट में गिर गया । उन्हें चोट लगी तथा हस्पताल ले जाया गया । चोट के कारण 30-3-80 को उनकी मृत्यु हो गई ।

(ख) यह पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है कि क्या इस लापरवाही के लिए आंशिक जिम्मेदारी किसी और की भी है जिसके कारण यह घटना हुई ।

(ग) सहायक पोस्टमास्टर जनरल द्वारा घायल कर्मचारी को हस्पताल ले जाने के अगले दिन पोस्टमास्टर जनरल तथा डाक सेवा निदेशक घायल कर्मचारी को देखने हस्पताल गए थे । कोई विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया परन्तु यह सूचना पोस्टमास्टर जनरल जो कि मुख्यालय पर थे को नहीं दी गई थी कि पटना से आरा के समीप कर्मचारी के जन्मस्थान पर उनका शव ले जाने के लिए विभागीय वाहन नहीं दिया जा रहा था, जब पोस्टमास्टर जनरल को उक्त कर्मचारी की मृत्यु की सूचना मिली तो वे तुरन्त मृतक कर्मचारी के दुःखित परिवार के सदस्यों के प्रति व्यक्तिगत रूप से संवेदना प्रकट करने के लिए उसके जन्मस्थान पर गए । उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई । मृतक कर्मचारी के पुत्र को भी सामान्य भर्ती नियमों में ढील देकर करुणामूलक आधार पर डाक सहायक के बतौर नियुक्त कर दिया गया है ।

पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों को संचार सेवाओं से जोड़ना

2579. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश के पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों को 31 मई, 1981 को अन्तरिक्ष में छोड़े गये रोहिणी उपग्रह के माध्यम से दूर संचार सेवाओं से जोड़ने की कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े जिले को भी इस सेवा से जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। रोहिणी, संचार उपग्रह नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रो-कैमीकल काम्पलैक्स हाल्दिया

2580. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**
श्री चित्त बसु :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजनावधि में हाल्दिया में पेट्रो-कैमीकल काम्पलैक्स में केन्द्र सरकार की वित्तीय साझेदारी के लिए वित्त मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय के साथ मामला उठाया है ;

(ख) पेट्रो-कैमीकल काम्प्लैक्स हाल्दिया के "आशय पत्र" को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के बारे में केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ; और

(घ) विम्लब होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाल्दिया में प्रस्तावित पेट्रोरसायन उद्योग समूह में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय भागीदारी के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) से (घ) आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार आशय-पत्र में दी गई शर्तों के पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी

2581. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों से मिटट्री के तेल की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ग्रामीण लोगों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जबकि मिटट्री के तेल का समस्त आवंटन इस विभाग द्वारा किया जाता है, राज्यों के भीतर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच इस उत्पाद का वास्तविक वितरण करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्हें पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि वह राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस उत्पाद का उचित वितरण सुनिश्चित करें।

महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के लिए चीन से तकनीकी जानकारी

2582. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन का राष्ट्रीय मशीनरी निर्यात-आयात निगम देश में माइक्रो-हाइडल परियोजनाओं की स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने को सहमत हो गया है ;

(ख) क्या इस बारे में इस बीच समझौता हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और यह समझौता किसके साथ किया गया है ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को मंजूरी दे दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डिपो होल्डरों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

2583. **श्री आर० आर० भोले** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल के डिपो होल्डरों को मिट्टी के तेल का मासिक कोटा दिल्ली तथा बम्बई प्रशासनों द्वारा एक साथ सप्लाई नहीं किया जाता और कोटा किस्तों में दिया जाता है जिसके कारण जनता को बहुत दिक्कतें होती हैं ; और

(ख) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि डिपो होल्डरों को मिट्टी के तेल का कम से कम पाक्षिक कोटा एक ही बार में दिया जाये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां। खुदरा विक्रेताओं की उत्पादों को प्राप्त करने की सीमित भंडार क्षमता के कारण, दिल्ली में दिन-प्रति दिन के आधार पर सप्लाई की जाती है । भंडार चूंकि तंग इलाकों में हैं उनका आसानी से विस्तार नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, वहां के नगर पालिका नियमों के अनुसार खुदरा दुकानदार एक समय में 500 से 1000 लिटर से अधिक मिट्टी के तेल का भण्डार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, होटलों, होस्टलों, उद्योगों इत्यादि को मिट्टी का तेल सप्लाई करने वाले अन्य तेल डिपो होल्डरों के पास भी केवल एक पखवारे की मिट्टी का तेल भंडार करने की सीमिति क्षमता है । तथापि उपभोक्ताओं को उनकी मिट्टी के तेल की पखबारे की आवश्यकता एक किस्त में

परिक्रमण में प्रत्येक माह की पहली तारीख से पन्द्रह तारीख तक तथा सौलह तारीख से माह के अन्तिम दिन तक जारी की जाती है ।

डेसू के आर० के० पुरम जिले में इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण में अनियमितताएं

2584. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेसू के आर० के० पुरम जिले में इलैक्ट्रिकल इन्सपैक्टरों का स्थानान्तरण 2-3 महीनों में कर दिया जाता है और कुछ को तीन साल से अधिक समय एक ही स्थान पर रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो डेसू के आर० के० पुरम जिले में कुल कितने इन्सपैक्टर काम कर रहे हैं और ऐसे इन्सपैक्टरों का ब्यौरा क्या है जो तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ; और

(ग) ऐसे इन्सपैक्टरों का तत्काल स्थानान्तरण करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है जो इन इन्सपैक्टरों का एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक काम करने के बाद स्थानान्तरण न करने के लिए उत्तरदायी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 4-3-1982 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के रामकृष्ण पुरम जिले में 33 निरीक्षकों (तकनीकी) में से 13 निरीक्षक पिछले तीन वर्ष अथवा अधिक समय से वहां कार्य कर रहे हैं ।

जब सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तब अथवा प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है ।

बिहार में जिला सारन में एकमा स्थान पर जिला डाकघर खोला जाना

2585. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जिला सारन में एकमा स्थान पर जिला डाकघर के लिए एक भवन का निर्माण किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और उसके निर्माण पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या इस बीच वहाँ जिला डाकघर खोल दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो वहां पर उक्त प्रस्तावित जिला डाक घर न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सारन जिले के एकमा नामक स्थान में जिला डाकघर के नाम से कोई डाकघर नहीं है । अतः वहां पर जिला डाकघर स्थापित

करने हेतु भवन के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। एकमा में एक उप डाकघर है जिसके लिए विभागीय भवन का निर्माण किया गया है।

(ख) एकमा डाकघर के लिए 5,29,420 रुपए की लागत से वर्ष 1980 में एक विभागीय भवन का निर्माण किया गया था।

(ग) एकमा का उप डाकघर विभागीय भवन में स्थित है।

(घ) एकमा उप डाकघर 16-10-80 से विभागीय भवन में कार्य कर रहा है।

पिछले 20 मास में उप-निर्वाचनों के बारे में शिकायतें

2586. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग को जनता तथा राजनैतिक दलों से पिछले 20 मास में उप-निर्वाचनों में धांधली, सरकारी शक्ति तथा धन के दुरुपयोग और भूतपूर्व-डाकुओं के सहयोग आदि के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आयोग ने इस बारे में किन उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) इन कदाचारों को समाप्त करने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ एक विवरण उपबंध I में दिया गया है जिसमें उप-निर्वाचनों में धांधली किए जाने, सरकारी शक्ति और धन का दुरुपयोग किए जाने और भूतपूर्व डाकुओं का भी प्रयोग किए जाने के संबंध में निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें जनता और राजनैतिक दलों से पिछले बीस मास के दौरान प्राप्त हुई हैं उनके ब्यौरे दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 3521/82]

(ख) और (ग) आयोग ने इस समस्या से निपटने के लिए निर्वाचन पद्धति में अनेक परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं। इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें उपबंध II में दी हुई हैं। ये प्रस्ताव निर्वाचन सुधार संबंधी अन्य प्रस्तावों के साथ मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रिमंडल समिति को भेज दिए गए हैं और वे मंत्रिमंडल समिति के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग लोकसभा/विधान सभाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के ठीक पहले से इस विषय के संबंध में कार्यवाई करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की पद्धति को अपनाता रहा है। निर्वाचन आयोग के, तारीख 22 अप्रैल, 1980 के पत्र की एक प्रति जिसमें कुछ राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं, उपबंध III के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 3521/82]**

गुजरात परिमंडल में "काम न आने योग्य भंडार" के निपटान के लिए टैण्डर

2587. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1981 में महाप्रबंधक, दूरसंचार, गुजरात परिमंडल ने "काम न आने योग्य भण्डार" के निपटान के लिए एक वर्ष का टैण्डर विशेष पार्टी के पक्ष में निश्चित किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त, टैण्डर में अन्य वस्तुओं के साथ जी० आई० वायर, लोहा तथा स्क्रेप, पी० बी० सी० केवल. कापर वायर, ए० सी० एस० आर० वायर सम्मिलित थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त वस्तुओं के लिए टैण्डर में स्वीकार की गई कीमतें खुले बाजार की कीमतों से 70 प्रतिशत कम हैं ;

(घ) क्या टैण्डर देने वाले ठेकेदार का नाम इस विभाग के अन्य एककों में काली सूची में है ;

(ङ) ठेकेदार ने जनवरी, 1982 के अन्त तक कितने मूल्य के "काम न आने योग्य भंडार" का उठान किया और क्या पूरी कीमत की अदायगी कर दी गई है ; और

(च) क्या सरकार ने भ्रष्ट तरीकों का पता लगाने के लिए इस टैण्डर की जांच की है, यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) खुदरा मदें होने के कारण इन सामग्रियों की विभिन्न किस्मों/मूल्यों की तुलना खुले बाजार में उपलब्ध मदों से करना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जनवरी, 1982 के अन्त तक ठेकेदार द्वारा निम्न भंडार उठाया गया है तथा जिसके लिए ठेकेदार से वसूली कर ली गई है।

सामग्री	मात्रा
जी० आई० वायर	17,840 कि० ग्राम
पोस्ट सामग्री	4,690 ,,
ए० सी० एस० आर० वायर पीस	5,032 ,,
पी० वी० सी० केबल पीस	329 ,,

(च) मामला विचाराधीन है ।

दोषपूर्ण उपकरणों के कारण टेलीफोनों के दोष

2588. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टेलिफोनों में जिन दोषों का पता लगा उनमें से 40 प्रतिशत दोष उपकरणों के दोषपूर्ण होने के कारण थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गये है अथवा उठाये जाने हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एवं (ख) 30 से 40 प्रतिशत दोष उपस्कर के कारण होते हैं । टेलीफोन उपस्करों में लगे उपकरणों एवं तकनीकी को निरन्तर अद्यतन रूप दिया जाता है । हाल ही में आई० टी० आई० ने बेहतर निष्पादन वाले 677-कोड के विकसित टेलीफोन उपकरण तैयार किया है ।

टेलीफोन उपकरणों की नियमित अंतराल के बाद जांच की जाती है और दोषपूर्ण टेलीफोन उपकरणों के बदले अच्छे परीक्षित उपकरण लगाए जाते हैं ।

टेलीफोनों के बकाया बिलों पर सरचार्ज

2589. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोनों के बकाया बिलों पर सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसके कुल कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) क्या टेलीफोन बिलों की अदायगियां अभी तक समय पर प्राप्त नहीं होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बकाया बिलों के संबंध में औसत क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केवल 40%, उपभोक्ता ही नियत तारीख अर्थात विल जारी करने के 15 दिन के भीतर बिलों का भुगतान करते हैं परन्तु 95% से अधिक जारी किए गए बिलों की भुगतान राशि बिल जारी करने के तीन माह के भीतर वसूल हो पाती है ।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान जारी किए गए बिलों की राशियों तथा आगामी 1 जुलाई को उन पर बकाया राशियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं ;

वर्ष	जारी किए गए बिलों की राशि (करोड़ों में)	आगामी 1 जुलाई को बकाया रकम (करोड़ों में)	जारी बिलों की रकम से बकाया का प्रतिशत
79-80	511.01	7.97	1.55
80-81	561.95	7.54	1.34

टेलीफोन सलाहकार समिति

2590. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इस समय टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं और वे किन-किन तारीखों से काम कर रही हैं ;

(ख) किन प्रयोजनों के लिए इन समितियों की स्थापना की जाती है ;

(ग) इनकी सदस्यता के पात्र कौन व्यक्ति हैं और उनके चयन का मानदण्ड और तरीका तथा उनकी सदस्यता की अवधि क्या है ; और

(घ) इन समितियों पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक खर्चा किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना विवरण-i में दी गई है ।

(ख) इन समितियों के कार्य विवरण-ii में दिए गए हैं ।

(ग) सूचना विवरण-iii में दी गई है ।

(घ) दूरसंचार सलाहकार समिति के लिए औसत वार्षिक व्यय 2885 रु० तथा टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए औसत वार्षिक व्यय 730 रु० है ।

विवरण-i

उन स्थानों को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र जहां फिलहाल टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं

क्रम सं०	स्थान का नाम	किस तारीख से समिति कार्य कर रही है
1	2	3
(क)	**टेलीफोन जिलों में सलाहकार समितियां**	
1.	आगरा	1-4-1981
2.	अहमदाबाद	20-8-1981
3.	अमृतसर	1-4-1981
4.	बंगलूर	28-8-1981
5.	बड़ौदा	19-5-1681
6.	बम्बई	14-5-1981

1	2	3
	7. कलकत्ता	2-12-1981
	8. कोयम्बतूर	19-5-1981
	9. दिल्ली	10-9-1981
	10. हैदराबाद	1-4-1981
	11. इंदौर	1-4-1981
	12. जयपुर	1-4-1981
	13. जालंधर	1-4-1981
	14. कानपुर	1-4-1981
	15. लुधियाना	5-5-1981
	16. मद्रास	14-5-1981
	17. नागपुर	20-8-1981
	18. पुणे	14-9-1981
(ख)	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में दूरसंचार सलाहकार समितियां	
	1. आन्ध्र प्रदेश	1-4-1981
	2. अरुणाचल प्रदेश	4-1-1982
	3. चण्डीगढ़	15-4-1981
	4. गोवा, दमण और दीव	22-8-1981
	5. हरियाणा	15-6-1981
	6. हिमाचल प्रदेश	15-5-1981
	7. जम्मू तथा कश्मीर	1-4-1981
	8. लक्षद्वीप	22-3-1981
	9. मध्य प्रदेश	1-4-1981
	10. महाराष्ट्र	20-8-1981
	11. पांडिचेरी	19-5-1981
	12. पंजाब	15-6-1981
	13. राजस्थान	1-4-1981
	14. त्रिपुरा	15-5-1981

विवरण-ii

टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य

1. टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता और डाक तार विभाग के बीच निकटतम संबंध बनाना।

2. जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी कठिनाइयों का प्रस्तुतीकरण समुचित ढंग से होता है और उन पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

3. स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग को सलाह देना।

4. टेलीफोन सेवाओं में सुधार और विकास के लिए डाक तार विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार करना।

5. जनता से सहयोग और सहनशीलता की प्रार्थना करके लाइनों और टेलीफोन उपस्कर की मौजूदा कमी को निभाने में विभाग की सहायता करना।

6. विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुणावगुण के संयुक्त आकलन द्वारा निष्पक्ष और समान आधार पर नियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बिना बारी के कनैक्शनों के बारे में निर्णय करने में विभाग की सहायता करना।

दूर संचार समिति के कार्य

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तार, टेलीफोन एवं टेलेक्स सुविधाओं के विस्तार अथवा सुधार के सम्बन्ध में सभी मामलों (नीति सम्बन्धी मामले सहित) पर विचार करना परन्तु यह समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है कि वह उस नगर के टेलीफोन मामलों को उठाये जिसके लिए पहले से ही अलग टेलीफोन सलाहकार समिति गठित हो चुकी है।

2. तारघर, टेलीफोन एवं टेलेक्स एक्सचेंज आदि खोलने, पुनः चालू करने अथवा विस्तार हेतु सुझाव देना।

3. तारघर, टेलीफोन कार्यालयों, टेलीफोन एवं टेलेक्स एक्सचेंजों आदि के कार्य समय के बारे में सुझाव देना।

4. टेलीफोन उपभोक्ताओं एवं डाक तार विभाग के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करना।

5. जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी समस्याएं उचित रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं और उन पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

6. स्थानीय, ट्रंक एवं टेलेक्स सेवाओं आदि के सुधार के बारे में विभाग को सलाह देना।

7. टेलीफोन, तार एवं टेलेक्स सेवाओं में सुधार एवं विकास हेतु विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार करना।

8. जनता से सहयोग एवं सहनशीलता की प्रार्थना करके टेलीफोन, तार टेलेक्स उपस्कर एवं लाइनों की मौजूदा कमी को निपटाने में विभाग की सहायता करना ।

9. विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुणावगुण के संयुक्त आकलन द्वारा निष्पक्ष और समान आधार पर नियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में निर्णय करने में विभाग की सहायता करना ।

10. सार्वजनिक हित का कोई अन्य दूरसंचार सम्बन्धी मामला ।

विवरण-iii

निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रतिनिधि टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों के सदस्य हो सकते है :

(1) राज्य प्रशासन

(2) राज्य विधायिका

(3) नगर निगम/नगर निकाय

(4) संसद

(5) प्रेस

(6) चिकित्सा व्यवसाय

(7) विधि व्यवसाय

(8) अन्य व्यवसाय-इंजीनियर, वास्तुकार आदि ।

(9) व्यापार, वाणिज्य व उद्योग

(10) जन सेवक व अन्य

2. टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने वाला व्यक्ति टेलीफोन सलाहकार समिति के मामले में उसे टेलीफोन जिले के भौगोलिक क्षेत्र में तथा दूर संचार सलाहकार समिति के मामले में संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य तथा रहने वाला होना चाहिए ।

3. टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों में नामांकन सरकार द्वारा दूरसंचार सर्कलों/टेलीफोन जिलों, संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त तथा डाकतार विभाग में और संचार मंत्रालय में सीधे प्राप्त अन्य नामों पर विचार करने के बाद किया जाता है ।

4. टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों का कार्यकाल दो वर्ष होता है ।

तेल का आयात

2591. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आन्तरिक माँग को पूरा करने के लिए वर्ष 1981 के दौरान विदेशों से कितने तेल का आयात किया ;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान माँग की तुलना में तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की माँग की पूर्ति किस सीमा तक की गई ;

(ग) इस बारे में आन्तरिक उत्पादन को किस सीमा तक उपयोग में लाया जा सका ; और

(घ) वर्ष 1982 में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित माँग कितनी होगी और आन्तरिक उत्पादन की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत खपत के लिए उपलब्ध होगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1981 के दौरान करीब 15.55 मि०मी० टन कच्चे तेल का आयात किया गया है ।

(ख) और (ग) जबकि कच्चे तेल की आवश्यकताओं की करीब आधी आवश्यकताएं स्वदेशी तौर पर पूरी की जाती हैं, पेट्रोलियम उत्पादों की 80 प्रतिशत से अधिक मांग को स्वदेश में शोधित किये गये पेट्रोलियम उत्पादों से पूरी की गई थी ।

(घ) 1982 में पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्वानुमानित मांग करीब 35.3 मि०मी० टन है और यह अनुमान है कि स्वदेश में शोधित किये गये पेट्रोलियम उत्पाद इन आवश्यकताओं का करीब 90 प्रतिशत पूरा करेंगे ।

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटान

2592. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मामलों के निपटाने की वर्तमान गति को देखते हुए लम्बित आवेदन-पत्रों के निपटाने में कितने वर्ष लगने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : प्रश्न में "आवेदन पत्र" से यह स्पष्ट नहीं है कि उससे किस प्रकार के मामलों का आशय है क्योंकि उच्च न्यायालयों की मूल और अपीली आधिकारिता भी होती है ।

तथापि तारीख 30-6-81 को लंबित मामलों की जो संख्या थी वह विवरण-i में बताई गई है ।

तारीख 30-6-81 को न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और उनकी वास्तविक संख्या तथा 1976-80 की अवधि के दौरान प्रति न्यायाधीश निपटान की औसत दर विवरण-ii में बताई गई है ।

विभिन्न जटिल कारणों से यह बताना सभव नहीं है कि इन मामलों को निपाटाने में विनिदिष्ट रूप से कितने वर्ष लगेंगे ।

विवरण-i

30-6-81 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या

1. इलाहाबाद	145893
2. आंध्र प्रदेश	49761
3. बम्बई	69558
4. कलकत्ता	87865
5. दिल्ली	37130
6. गोहाटी	9433
7. गुजरात	21717
8. हिमाचल प्रदेश	5947
9. जम्मू-कश्मीर	10722
10. कर्नाटक	79464
11. केरल	32436
12. मध्य प्रदेश	38237
13. मद्रास	70796
14. उड़ीसा	12210
15. पटना*	40651
16. पंजाब और हरियाणा	34837
17. राजस्थान	32203
18. सिक्किम	42
योग	779192

*केवल मुख्य मामले

विवरण-ii

स्वीकृत संख्या, वास्तविक संख्या और मुख्य मामलों के निपटारे के आधार पर प्रति न्यायाधीश औसत संख्या

उच्च न्यायालय का नाम	30-6-81 को स्वीकृत सं०	30-6-81 को वास्तविक सं०	मुख्य मामले के निपटारे के आधार पर प्रति न्यायाधीश औसत संख्या				
			1976	1977	1978	1979	1980
1. इलाहाबाद	60	49	590.9	648.3	960.3	1281.3	1065.8
2. आन्ध्र प्रदेश	21	17	992.0	826.1	829.6	807.2	788.3
3. बम्बई	41	37	931.5	627.3	770.0	589.2	555.2
4. कलकत्ता	40	33	1078.0	1006.9	799.2	1093.2	1038.4
5. दिल्ली	27	21	525.2	350.3	351.9	440.5	550.2
6. गोहाटी	9	7	385.5	210.7	309.6	528.2	282.2
7. गुजरात	18	14	884.3	840.5	875.1	817.0	798.8
8. हिमाचल प्रदेश	5	4	225.0	349.3	953.5	626.5	600.6
9. जम्मू-कश्मीर	7	4	280.0	320.2	597.7	752.0	677.2
10. कर्नाटक	23	21	952.9	807.7	966.1	999.2	1270.2
11. केरल	16	14	844.3	1063.4	984.1	987.2	1068.4
12. मध्य प्रदेश	29	22	805.2	590.8	855.8	814.6	776.2
13. मद्रास	25	22	1001.2	1031.6	1304.3	896.9	1014.9
14. उड़ीसा	8	5	608.1	571.2	430.1	595.2	781.6
15. पटना	35	23	718.5	580.4	620.3	915.8	800.2
16. पंजाब और हरियाणा	23	19	917.4	1216.3	1136.2	1281.0	1103.3
17. राजस्थान	16	12	606.4	444.9	660.5	547.7	729.6
18. सिक्किम	2	2	22.0	30.7	18.7	18.7	15.0
योग	405	326	808.2	729.2	819.4	897.7	863.0

"फिल्म फीट-हाल्फ क्रोर डाउन दी ड्रेन" शीर्षक समाचार

2593. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1982 के साप्ताहिक 'ब्लिटज' में "फिल्म-फीट हाल्फ क्रोर डाउन दी ड्रेन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की हानियों से बचने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) और (ख) जी, हां । ब्लिट्ज में प्रकाशित एक समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि विदेशी प्रतिनिधियों का चयन करने, निमंत्रण पत्रों को जारी करने, टिकटों का वितरण तथा बिक्री करने, निर्धारित फिल्म शो को रद्द करने में अव्यवस्था थी । फिल्मों का चयन घटिया था तथा फिल्म बाजार का आयोजन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था ।

(ग) सरकार उपरोक्त समाचार में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है । प्रविष्ट फिल्मों की गुणवत्ता, गणमान्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति तथा जनसाधारण की रुचि की दृष्टि से यह समारोह सफल रहा था । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, अलेखा परीक्षित समारोह लेखों से यह प्रकट होता है कि व्यय 40.12 लाख रुपए हुआ तथा टिकटों की बिक्री से प्राप्त अनन्तिम राजस्व 33.86 लाख रुपए था ।

स्वदेशी "इंस्यूलेटर" का उत्पादन तथा आयातित इन्स्यूलेटर के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिश

2594. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "इंस्यूलेटर" का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनके वार्षिक वास्तविक उत्पादन सहित उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में सिफारिश की है कि केवल आयातित "इंस्यूलेटर" का ही प्रयोग करें और ऐसे इंस्यूलेटरों के विश्वव्यापी टेंडरों की प्रतियां स्वदेशी उत्पादकों को नहीं दी जानी चाहिए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में इन्स्यूलेटरों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम, उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता तथा वर्ष 1980 और 1981 के दौरान हुआ उत्पादन विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी; नहीं ।

विवरण

यूनिट का नाम	स्थान	प्रतिष्ठापित क्षमता (मीटरी टन)	उत्पादन 1980 (मीटरी टन)	उत्पादन 1981 (मीटरी टन)
1. मै० जयश्री उद्योग कलकत्ता	हुगली	6000	3837	7200
2. मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज, पोरसीलेन प्रभाग मैसूर	बंगलौर	7500	4927	9400
3. मै० एच० टी० इन्सूलेटर्स	रांची	1900	2252	2117
4. मै० डब्ल्यू० एस० इन्सूलेटर्स	मद्रास	7500	6990	6000
5. मै० बंगाल पाटरीज लि०	कलकत्ता	2400	2228	2100
6. मै० शेषशायी इन्डस्ट्रीज	वडालूर	4800	4627	4666
7. मै० यूनिवर्सल इन्सूलेटर्स (प्रा०) लि०	रायबरेली	500	शून्य	345
8. मै० इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	हलोल	4000	शून्य	890
	जोड़	34600	24861	32718

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत दक्षिण भावरा कोयला खान में तीन अल्पवयस्कों की मृत्यु

2595. **श्री मुकुन्द मण्डल :**
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत दक्षिण भावरा में कोयला खान दुर्घटनाओं में हुई तीन अल्पवयस्कों की मृत्यु के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के जांच आदेश दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं और क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो जाँच आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) दिनांक 7-2-1982 को भारत कोकिंग कोल लि० की दक्षिण भांवरा कोलियरी में छत गिरने के कारण एक दुर्घटना हुई जिसमें तीन लोडर मारे गए थे और एक लोडर गंभीर रूप से घायल हुआ था । यह दुर्घटना तब हुई जब वे टबों में कोयला लाद रहे थे । दुर्घटना की विभागीय जाँच पूरी हो गई है किन्तु खान सुरक्षा महा-निदेशक द्वारा सांविधिक जांच अलग से चल रही है। विभागीय जांच के निष्कर्षों के अनुसार, यह छत इस तथ्य के बावजूद गिरी कि इस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में सहारे लगाए गए थे और कामगारों को काम पर लगाने के पहले इसकी सक्षम व्यक्तियों ने जांच भी करली थी । इसीलिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग, शिवसागर की कर्मचारी यूनियन द्वारा वेतन में कटौती के आदेश वापस लेने के लिए अभ्यावेदन

2597. श्री आनन्द पाठक :
श्री सुबोध सेन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेतन में कटौती के 23-1-82 के आदेश वापस लेने के लिए तेल कर्मचारी यूनियन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, असम का 29.1.82 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, उक्त अभ्यावेदन में यूनियन द्वारा उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इस अनुरोध पर अब तक क्या कदम उठाए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं !'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) जी हां ।

(ख) तेल कर्मचारी यूनियन, शिवसागर ने अपने अभ्यावेदन में इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्रीय सरकार की कथित प्रतिकूल श्रमिक वर्ग नीतियों और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध अपना घोर

असंतोष दिखाने के लिए पूरे देश में समस्त श्रमिक वर्ग द्वारा 19 जनवरी, 1982 को एक अखिल भारतीय आम हड़ताल की गई थी। उन्होंने आगे यह भी अभियोग लगाया है कि केन्द्रीय सरदार ने श्रमिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने और श्रमिक वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करके राहत प्रदान करने के स्थान पर कठिनाई पैदा करने का रास्ता अपनाया हुआ है। इन नीतियों के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए यूनियन ने श्रमिक वर्ग के अधिकार पर भी बल दिया है। इसलिए यूनियन ने ओ० एन० जी० सी० के प्रबन्धकों द्वारा वेतन-कटौती आदेश को वापिस लेने की मांग की है जिससे ओ० एन० जी० सी० में शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण रहे।

(ग) और (घ) तेल कर्मचारी यूनियन, शिवसागर और एक दूसरी यूनियन ने 19-1-1982 की हड़ताल के लिए नोटिस दिये थे। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) गोहाटी ने मामला समझौते के लिए लिया था तथा उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित यूनियनों से प्रार्थना की थी कि समझौतों पर विचाराधीनता के दौरान हड़ताल न करें। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के महाप्रबन्धक, पूर्वी क्षेत्र ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, पूर्वी क्षेत्र असम के सभी कर्मचारियों को सूचित करते हुए दिनांक 15-1-1982 को एक और परिपत्र जारी किया था कि चूंकि भारत सरकार ने किसी भी तेल क्षेत्र में सेवा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत "जनोपयोगी सेवा" तथा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है, ऐसी सेवा में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता है तथा ऐसी हड़ताल गैर-कानूनी होगी तथा ऐसी गैर-कानूनी हड़ताल में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कानून, नियमों, विनियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा उस दिन के लिये उसका वेतन काटा जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि उस दिन अनुपस्थित लोगों की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

तदनुसार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों द्वारा उस दिन अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काट लिया गया था।

समाचारपत्रों की उत्पादन लागत कम करना

2598. श्री संतोश मोहन देव :

श्री एस० बी० खितपाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई० इ० एन० एस० द्वारा की गई इस टिप्पणी की जानकारी है कि भारी लेवी, कच्चे माल तथा सर्विस के ऊंचे दामों के कारण भारत में प्रेस उद्योग शीघ्र ही रुग्ण हो जाएगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रेस-नीति की पुनरीक्षा करने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) : सरकार को यह मालूम है कि अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि तथा मंजूरी बिल में वृद्धि से समाचारपत्र उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं।

अधिकांश समाचारपत्रों ने छपाई की लागत को पूरा करने के लिए अपने बिक्री मूल्य तथा विज्ञापन दरों में वृद्धि कर दी है। जहां तक अखबारी कागज पर आयात शुल्क का सम्बन्ध है, छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को राहत पहले ही उपलब्ध की हुई है।

संवाददाताओं के अधिकारों के लिए मार्ग-निदेश

2599. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संवाददाताओं के अधिकारों सम्बन्धी मार्ग-निदेश तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तैयार किए गए निदेशों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री (वसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के रिक्त पद

2600. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय मुख्य न्यायाधिपति नहीं हैं ;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं ;

(ग) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) से (घ) आज जो स्थिति है उसके अनुसार निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में उनके सामने लिखी हुई तारीखों से मुख्य न्यायाधिपति नहीं हैं :

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्त की तारीख
1.	जम्मू-कश्मीर	23-2-1980
2.	गोहाटी	1-3-1980
3.	मद्रास	9-7-1981
4.	केरल	30-1-1981

इन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

उड़ीसा के टेलीफोनों में बार-बार खराबी

2601. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के विभिन्न भागों में टेलीफोनों के बार-बार खराब होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले छह महीनों के कार्य निष्पादन संकेतक से उड़ीसा सर्किल के विभिन्न भागों में टेलीफोन के बार-बार खराब होने की जानकारी का पता नहीं लगता।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में नए टेलीफोनों के लिए विशेष श्रेणी

2602. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन में नए टेलीफोनों के लिए "विशेष श्रेणी" में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची से सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को निकाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि इसके स्थान पर "जनता के प्रमुख व्यक्ति" श्रेणी बना दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह परिभाषा अस्पष्ट है ; और

(घ) यदि हां, तो "जनता के प्रमुख व्यक्ति" की मांग तथा "विशेष श्रेणी" में शामिल करने की शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) एवं (ख) विशेष श्रेणी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्त्ता के स्थान पर "प्रख्यात सामाजिक व्यक्ति" श्रेणी न केवल बम्बई टेलीफोन में बल्कि देश की सभी टेलीफोन प्र० ालियों में लायी गयी है।

(ग) एवं (घ) परिभाषा अस्पष्ट नहीं है। "प्रख्यात सामाजिक व्यक्ति" पद में वे लोग आते हैं जो जनता में सुप्रसिद्ध तथा लब्धप्रतिष्ठ होते हैं।

दूरदर्शन केन्द्रों में खाली पद

2603. **श्री राम अवध :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी दूरदर्शन केन्द्रों में खाली पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) इन पदों के लम्बे अर्से से खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

रानीगंज कोयला क्षेत्रों का पुनर्निर्माण

2604. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की एक समेकित योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई विशेष कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बागपत टेलीफोन एक्सचेंज का बन्द होना

2605. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागपत टेलीफोन एक्सचेंज पिछले दो वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस एक्सचेंज में कार्य न होने के कारण उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनसे त्रैमासिक टेलीफोन बिल नियमित रूप से लिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बागपत में टेलीफोन अग्रवाल मंडी के छोटे स्वचल एक्सचेंज से मिलाए जाते हैं। अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 तक अग्रवाल मंडी का यह एक्सचेंज काम नहीं कर रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि सेवा के रखरखाव के कार्यभारी जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इन दो कर्मचारियों को 10 फरवरी, 1982 को निलंबित कर दिया गया है। बागपत में टेलीफोनों के कार्य न करने की सूचना जैसे ही ध्यान में आई, विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके एक्सचेंज को दो दिन के भीतर 5-2-82 को ठीक कर दिया था।

(ग) से (ङ) अग्रवाल मंडी एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल वार्षिक भेजे जाते हैं। इन बिलों को समय से पहले भेंज दिया जाता है। जिस अवधि के दौरान टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए टेलीफोन किराये में छूट मंजूर करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

मेझिया में बिजली घर

2606. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कालिदासपुर कोयला खान में 20 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा जो मेझिया में 600 मेगावाट बिजली के संपोषण के लिए पर्याप्त है : और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार वहां बिजली स्थापित करने में विलम्ब क्यों कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कालिदासपुर कोलियरी से प्रति वर्ष केवल 0.58 मिलियन मीटरी टन कोयले का उत्पादन होगा। मेझिया में अन्य परियोजनाओं से प्रति वर्ष दो मिलियन मीटरी टन के उत्पादन के लिए योजना बनानी आवश्यक होगी।

(ख) मेझिया में (210-210 मेगावाट की 3 यूनिटों वाले) एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है। निगम को अद्यतन परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के पश्चात् निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

बिड़ला समूह की कम्पनियां

2607. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बिड़ला समूह की कम्पनियों के बारे में 27 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला समूह के सदस्यों के नियंत्रण/स्वामित्व वाली कम्पनियों के नाम, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 1980-81 या कलैंडर वर्ष 1981 सहित पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियां क्या हैं;

(ख) 31 दिसंबर, 1981 तक किसी वित्तीय संस्थान की कितनी धनराशि प्रत्येक कम्पनी को उधार दी गई है या इसमें लगाई गई है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी में बिड़ला समूह की आज तक कितनी शेयर पूंजी लगी हुई है और प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी क्या है;

(घ) सबसे बड़े 20 औद्योगिक घरानों की परिसम्पतियों में इस समूह की परिसम्पत्तियां कितनी हैं; और

(ङ) क्या सभी कम्पनियां सरकार को समय पर 'बैलेंस शीट' भेजती हैं और यदि नहीं, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत 31-12-1980 तक के पंजीकरणों के अनुसार, बिड़ला समूह से सम्बन्धित 62 उपक्रमों के नाम, प्रत्येक कम्पनी द्वारा किये जा रहे व्यापार की प्रकृति की बाबत ब्यौरे तथा प्रत्येक कम्पनी की 1976, 1977, 1978, 1979 तथा 1980 के वर्षों में कुल परिसम्पत्तियां, प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र—I संलग्न है। 1981 के वर्ष की परिसम्पत्तियों पर सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अनेक कम्पनियों के तुलन-पत्र अभी देय नहीं हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 3522/82]

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए अग्रिम धन, नियोजनों के उपलब्ध ब्यौरे देते हुए विवरण-पत्र-II संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 3522/82]

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है व यथासमय सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) उपलब्ध मुद्रित तुलन-पत्रों के आधार पर, ऊपर भाग (क) पर दी गई बिड़ला

समूह की कुल परिसम्पत्तियां, 20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की 31-12-1980 तक की कुल परिसम्पत्तियों का 18.74 प्रतिशत बैठती हैं।

(ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व यथासमय सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

"अलार्मिंग सिचुएशन इन बिहार पब्लिक एंटरप्राइजेज" शीर्षक समाचार

2608. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "अलार्मिंग सिचुएशन इन बिहार पब्लिक एंटरप्राइजेज" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी और केन्द्रीय सरकार ने आज तक इस बोर्ड में कितनी धन राशि लगाई है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार उद्यम ब्यूरो के 1980-81 के चौथे प्रतिवेदन के अनुसार इस विद्युत बोर्ड में 949 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 1980-81 के दौरान इनमें 108 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रुग्णता तथा इसे दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल, 1958 को की गई थी। केन्द्रीय सरकार बिजली बोर्डों में निवेश नहीं करती। तथापि ग्राम विद्युतीकरण की अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम सीधे ही राज्य बिजली बोर्डों को ऋण देता है। 31-3-1980 को स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य बिजली बोर्ड पर राज्य सरकार और ग्राम विद्युतीकरण निगम की बाकी ऋण राशि क्रमशः 403.1 करोड़ रुपये तथा 69.3 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1980-81 के लेखों के लेखा परीक्षा में किये गये वार्षिक विवरण के अनुसार राज्य सरकार तथा अन्यों (जीवन बीमा निगम, वित्तीय संस्थान, बाजार के अन्य ऋण आदि) द्वारा बिहार राज्य बिजली बोर्ड को दिया गया ऋण 783.3 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य बिजली बोर्ड को हुई वाणिज्यिक हानियां निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने के बाद, राज्य सरकार की अर्थिक सहायता सहित 37.6 करोड़ रुपये बैठती हैं तथा आर्थिक सहायता के बिना 73.9 करोड़ बैठती हैं :

(1) सरकारी ऋणों पर ब्याज (पूंजीकृत किए गए 6.6 करोड़ रुपयों को छोड़कर)

(2) देय मूल्यह्रास।

(3) अन्य राजस्व घाटे (इस वर्ष भुगतान किए गए पिछले वर्षों के 4.9 करोड़ रुपयों के सामान्य प्रशासन व्यय को छोड़कर)

राज्य बिजली बोर्डों के सही कार्यकरण के लिए प्रमुख रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्यकरण की समीक्षा करती रहती है। इनकी परियोजना प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार लाने, इनकी क्षमता समुपयोजन में वृद्धि करने तथा इनके समग्र प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उन्हें विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। जब भी आवश्यकता होती है, राज्य बिजली बोर्डों को तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

"सिने-वूमेन" पर गोष्ठी की मंजूरी

2609. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में एक प्राइवेट संस्था द्वारा अभी हाल ही में आयोजित "सिने-वूमेन" पर गोष्ठी में भाग लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संगठन को मंजूरी दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस गोष्ठी में सरकार को क्या भूमिका निभानी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार मैं० दास मीडिया द्वारा 8-13 फरवरी 1982 को नई दिल्ली में आयोजित "सिने-वूमेन" गोष्ठी में भाग नहीं लिया, किन्तु सरकार ने परियोजना के विषय और इसके अव्यावसायिक स्वरूप को देखते हुए विशेषकर चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत सेंसरशिप से छूट देकर तथा दिल्ली प्रशासन से प्रदर्शित फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए विचार करने के लिए अनुरोध करके सहायता अवश्य प्रदान की। सरकार ने अनुदान के रूप में कोई वित्तीय समर्थन नहीं दिया था।

बांदा, उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

2610. **श्री राम नाथ दुबे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांदा, उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या उक्त स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए जमीन मिल गई है और विभागीय निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है;

(ग) यदि हां तो निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भूमि उपलब्ध है। परियोजना की स्वीकृति मिलने पर भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा ।

(ग) छठी योजना के अन्त तक बांदा के लिए डिब्बाकृत इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है। कन्टेनर से सम्बन्धित भवन छोटा है तथा इसे कन्टेनर के साथ निर्मित किया जाएगा ।

(घ) देश में स्वचल स्विचिंग उपस्कर की कमी के कारण करवल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण उत्तरोत्तर किया जाना है ।

प्रोड्यूसरों के पदोन्नति नियम

2611. **श्री टी० एस० नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में हाल ही में कुछ प्रोड्यूसरों को पदोन्नत करके सीनियर प्रोड्यूसर बना दिया गया है जबकि पटना, लखनऊ और इलाहाबाद में बहुत लम्बे अर्से से प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर रहे हिन्दी-भाषी साहित्यकारों को सीनियर प्रोड्यूसर पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रोड्यूसरों के पदोन्नति नियमों में कुछ परिवर्तन करने और पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहे सभी असिस्टेंट प्रोड्यूसरों को पदोन्नत करके सीनियर प्रोड्यूसर बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी में वरिष्ठ प्रोड्यूसर के 27 पद भर्ती नियमों के अनुसार हाल ही में भरे गए हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था है कि इस प्रकार के पद सेलेक्शन ग्रेड/साधारण ग्रेड के प्रोड्यूसरों में से 100 प्रतिशत चयन द्वारा भरे जाने होंगे। चयन द्वारा पदोन्नति अखिल भारतीय वरीयता सूची में से की जाती है और इसलिए इसका किसी केन्द्र या भाषा विशेष से, जिसमें कोई प्रोड्यूसर कार्यरत है, कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

औषधि मूल्यों में वृद्धि के लिए औषध कम्पनियों द्वारा अभ्यावेदन

2612. **श्री सत्या साधन चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में आने वाली कुछ औषधियों के मूल्यों में 100 प्रतिशत वृद्धि के लिये औषधि उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में औषध की मांग स्वीकार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले बहुविटामिन फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में कारखाने से बाहर लागत पर 100 प्रतिशत के मार्कअप की अनुमति के लिये निर्माताओं और औषध निर्माता संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) और (ग) अनुसूची के ऐसे बहु विटामिन फार्मूलेशनों पर मार्कअप का सम्पूर्ण मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

आधुनिक पद्धति पर बड़े पैमाने के उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजना

2613. **श्री अजित बाग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवाओं के लिए आधुनिक पद्धति पर बड़े पैमाने के उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय ले लिया है कि इलैक्ट्रानिक किस्म के बड़े स्थानीय एक्सचेंज के उपस्कर बनाने के लिए दो कारखाने स्थापित किए जाएं। प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच लाख लाइनें होंगी। छठी पंचवर्षीय योजना काल में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विस्तार और आधुनिकीकरण के नीचे लिखे कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है :

(एक) रायबरेली में, भारतीय क्रासवार परियोजना (आई० सी० पी०) डिजाइन के क्रासवार स्विचिंग उपस्कर की 2 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करना;

(दो) पालघाट कारखाने की उत्पादन क्षमता को, जहां छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की 10 हजार लाइनें प्रतिवर्ष बनती है, बढ़ाकर इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचलन एक्सचेंजों, ग्रामीण और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों की 1.5 लाख लाइनों का प्रतिवर्ष उत्पादन;

(तीन) नैनी और बंगलौर स्थित दो कारखानों में 10 लाख टेलीफोन उपकरण तथा समसामयक डिजाइन के 15 लाख प्रमुख उपघटक बनाने की क्षमता स्थापित करना;

(चार) बंगलौर और नैनी के पारेषण प्रभागों में "न्यू जनरेशन चैनलिंग/मल्टीप्लेक्सिंग" उपस्कर तैयार करने की क्षमता स्थापित करना;

(पांच) उपग्रह भू-केन्द्रों के प्रयोग के लिए, प्रति वाहक एक सरणी भू-संचार के उपस्कर, अल्प कोलाहल ध्वनिवर्द्धक यंत्र, डिजिटल उप प्रणाली आदि कई दूरसंचार उपस्कर बनाने की क्षमता स्थापित करना।

"इम्मेन्स स्कोप फार माइक्रो-हाइडल पावर" शीर्षक से समाचार

2614. श्री बापूसाहिब परूलेकर :
श्री रति लाल प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "इम्मेन्स स्कोप फार माइक्रो-हाइडल पावर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से तथा विस्तृत रूप से लागू करने के लिए एक हाईब्रिड माइक्रो हाइड्रो इनर्जी प्रणाली तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : जी, हां। मिनी-माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का विकास देश में लम्बे समय से होता आ रहा है तथा काफी संख्या में ऐसी परियोजनाओं का प्रचालन हो रहा है। इन परियोजनाओं की प्रति किलोवाट प्रतिष्ठापना की लागत परम्परागत जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में काफी अधिक है।

मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए इस बारे में जहां भी आवश्यक हो वहां तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को किया है। राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है कि सिंचाई कार्यों के लिए बनाए जा रहे बांधों/नहरों के प्रवाह के जल का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करने की समुचित व्यवस्था की जाए।

(ग) और (घ) रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हाइब्रिड माइक्रो ऊर्जा प्रणाली का विकास कर रहे हैं जो कि सौर ऊर्जा, गोबर-गैस और वायु आदि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के साथ-साथ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करेगी। तथापि ये विकास कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है। हाइब्रिड माइक्रो जल-विद्युत ऊर्जा प्रणाली के रूप में वास्तविक कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने की व्यवस्था में है।

कच्चे तेल के आयात के लिए रूस से समझौता

2615. डा० कृष्ण सिन्धु भोई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 में 25 लाख टन कच्चे तेल के आयात के लिए रूस के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। बातचीत चल रही है।

पश्चिम जर्मनी सीमेन द्वारा ऊर्जा उत्पादक उपकरणों को आधुनिक बनाने हेतु योजना

2616. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सीमेन द्वारा विद्युत उत्पादक उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव मुख्यत: मैसर्ज सीमेन्स तथा ए० ई० जी० द्वारा सप्लाई किए गए पुराने विद्युत उत्पादन यूनिटों की सहायता के लिए है ताकि वे अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकें।

रानीगंज का धंसना

2617. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दरा** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज नगर को धंसने के खतरे से बचाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) भारत सरकार को रानीगंज शहर को स्थिर करने के लिए अभी हाल ही में पोलैण्ड से एक व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इसके अलावा, कोयला विभाग की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के अधीन रानीगंज की एक चालू खान में 22.2 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पायलट स्केल अध्ययन भी स्वीकृत किया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों की मशीनरी का बदला जाना

2618. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कई टेलीफोन केन्द्रों की मशीनरी बेकार हो गई है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनरी को बदलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) उन टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं, जिनकी मशीनरी 1982-83 के दौरान बदली जाएगी और अन्य टेलीफोन केन्द्रों की मशीनरी कब तक बदली जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ एक्सचेंजों में उपस्कर पुराने पड़ चुके हैं।

(ख) इन एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर परिवर्तित किया जाएगा जो कि नए उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) 1982-83 के दौरान किसी एक्सचेंज को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। नवीकरण हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

1. तीस हजारी	(कोड 22)	84-85 तक 10,000 लाइन
2. कनाट प्लेस	(कोड 4)	85-86 तक 4,200 लाइन
3. सचिवालय	(कोड 37)	85-86 तक. 6,000 लाइन

मध्य प्रदेश के झबुआ और रतलाम जिलों में नए पी० सी० ओ० खोला जाना

2619. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश के झबुआ और रतलाम जिलों में कितने नए पी० सी० ओ० खोले गये, उनका स्थान निर्धारण क्या है और इस अवधि के दौरान इन पी० सी० ओ० ने कितने दिन कार्य किया ; और

(ख) अगले वर्ष के दौरान झबुआ और रतलाम जिलों में स्थानवार नए पी० सी० ओ० खोलने के लिए कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान झबुआ और रतलाम जिलों में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची :

क्रम संख्या	जिला	गांव	खोलने की तारीख	1980-81 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घरों के काम करने के दिनों की संख्या
1.	झबुआ	बेकलद	29-3-81	3
2.	,,	झकनावाड	30--3-81	2
3.	,,	खेत्ताली	12-2-81	48
4.	,,	जेरान	17-10-80	166
5.	रतलाम	मामतखेड़ा	13-2-81	47
6.	,,	बिरमाबूल	24-2-81	36

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घरों की योजना :

झबुआ जिला :

1. खवासा 2. दान 3. मदरानी 4. अमराल 5. माथवाड 6. वालपुर 7. खोहनकोट 8. हरीनगर 9. बैदवा 10. गादली 11. बानी 12. कनवाडा 13. सेजावाडा 14. सूरदिया

रतलाम जिला : 1. धतूरिया 2. अमनपुर कलां

टिप्पणी :—झबुआ जिले में निम्नलिखित छः सार्वजनिक टेलीफोन घर पहले ही खोले जा चुके हैं :

1. खवासा 2. बान 3. मदरानी 4. अगराल 5. मोहनकोट 6. कनवाडा ।

"जेवेल इन द क्राउन" का फिल्माया जाना

2620. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश टेलीविजन यूनिट देश में कई करोड़ रु० वाली फिल्म "जेवेल इन द क्राउन" को फिल्मा रही है जो देश में ब्रिटिश राज के अन्तिम वर्षों को चित्रित करती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है तथा क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां । पोल स्काट की "राज क्वारटैट" पर आधारित 14 उपाख्यानों वाली "जेवेल इन द क्राउन" नामक एक टी० वी० श्रृंखला की शूटिंग की अनुमति के लिए भारतीय उच्चायोग के माध्यम से ग्रनाडा टेलीविजन कम्पनी लि० से प्राप्त अनुरोध को स्वीकृति प्रदान की गयी थी । अनुमोदित स्क्रिप्ट के अनुसार स्थलों की शूटिंग करने के लिए एक निर्माण-दल इस समय भारत में है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बंगलौर में विद्युत उपकरण प्रयोगशाला लगाया जाना

2621. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बंगलौर में सबसे बड़े विद्युत उपकरण प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) क्या देश के उत्पादकों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले विद्युत उपकरणों की घटिया किस्म को रोकने के लिए जो देश में विद्युत उत्पादन की धीमी गति के लिए भी उत्तरदायी है, इस प्रयोगशाला की स्थापना आवश्यक हो गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में निर्मित 57 प्रतिशत ट्रांसफार्मर घटिया किस्म के होते हैं और एक अथवा दो ही वर्ष में जल जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बंगलौर में स्थापित हो रही इस विद्युत जांच प्रयोगशाला के कार्य क्या होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) : दोषपूर्ण स्थितियों में विद्युत सप्लाई प्रणाली का कन्डक्ट-कार्य निष्पादन-परीक्षण करने के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में एक उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। प्रयोगशाला के लिए स्वीकृत परियोजना लागत 2226.25 लाख रुपए है। सप्लाई प्रणाली उपस्कर की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए दोषपूर्ण परिस्थितियों में परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत सप्लाई में बन्दियां न्यूनतम हों। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी इस प्रकार का परीक्षण अनिवार्य है जिससे सप्लाई प्रणालियों में घटिया किस्म के उपस्करों केप्रयोग से बचा जा सकेगा। खराबियों की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है जो औसतन 5 % है।

लघु और मध्यम समाचारपत्रों में डी० ए० वी० पी० विज्ञापन

2622. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु और मध्यम समाचारपत्रों की सहायता के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की प्रतिशतता को बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकारी विज्ञापनों में समाचारपत्रों की किसी भी विशिष्ट श्रेणी के लिए कोई प्रतिशतता हिस्सा निश्चित नहीं किया गया है। तथापि, बजट तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के अन्दर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सजावटी तथा वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए छोटे और मझोले समाचारपत्रों का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश ताप बिजलीघरों के लिए कोयला

2623. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों में 1977-78 से 1981-82 में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में ताप और जल विद्युत संयंत्र में प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र को 4000 कैलोरी ऊष्मा के कोयला ईंधन में डिजाइन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस ईंधन के द्वारा उत्पादन क्षमता मेगावाट में कितनी है;

(घ) क्या यह कोयला ईंधन ताप विद्युत संयन्त्रों को उपलब्ध किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) ताप विद्युत संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता पर इससे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल कम्पनियों द्वारा पोलीटैकनिक की स्थापना

2624. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा कितने पोलीटैकनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कोल इण्डिया द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान तलचेर कोयला खानों में ऐसे किसी पोलीटैकनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तलचेर में स्थापित किये जाने वाले उक्त पोलीटैकनिक स्कूलों के लिए कुल स्वीकृत राशि कितनी है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एक।

(ख) जी, हां।

(ग) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन से 1981-82 में रु० 5,00,000/- की तदर्थ राशि पोलिटेकनिक के आवर्ती खर्च से लिए मंजूर की गई है। इसके आगे धनराशि जुटाने के सम्बन्ध में स्थिति का अभी पता लगाया जाना है।

(घ) पोलिटेकनिक की स्थापना की जा चुकी है और उसमें पांच विषय अर्थात् सिविल, वैद्युत, यान्त्रिक, खनन सर्वेक्षण और ड्रिलिंग इंजीनियरी रखे गये हैं। भर्ती के लिए विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है। इसमें से 88 विद्यार्थी भर्ती किए जा चुके हैं।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

2625. **श्री वि० एस० विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अस्थमा और कुछ अन्य रोगों के लिए कुछ जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है, और

(ख) यदि हां तो इस कमी को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। इसके विपरीत देश में सालबुटामोल और इफेड्रीन एच० सी० एल० जैसे दमा निरोधी बल्क औषधियों की अधिक उपलब्धता है। अन्य आवश्यक बल्क औषधियों की कमी की सूचना भी नहीं । फार्मुलेशन के मामले में देश के कुछ भागों में कभी-कभी कुछ विशिष्ट ब्राण्ड उत्पादों की कमी की सूचना मिली है। इनमें से अनेक मामलों में समान किस्म उपलब्ध हैं। जब

कभी कमी की सूचना मिलती है तो सम्बन्धित निर्माताओं और समान किस्म के फार्मूलेशन के निर्माताओं को उन क्षेत्रों में तुरन्त सप्लाई भेजने की सलाह दी जाती है। इनमें से अनेक मामलों में निर्माताओं ने उस क्षेत्र में तुरन्त सप्लाई भेज कर कमी दूर की है।

"आई० ए० एस० आन्सर शीट्स लास्ट"
शीर्षक समाचार

2626. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित 'आई० ए० एस० आन्सर शीट्स लॉस्ट' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें चण्डीगढ़ से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बीमांकित पार्सल से भेजी गई आइ० ए० एस० (मुख्य) परीक्षा, 1981 उत्तर पुस्तिकाओं और खाली अंक सूची के खोये जाने का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) डाक व तार विभाग के कार्य को सुचारु बनाने के लिए क्या कार्रवाही की गई है और डाक के तेजी से वितरण करने तथा इस मामले की तरह अकारणीय समय न लेने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय जांच से यह पता चला है कि दिनांक 1-12-1981 को चण्डीगढ़ में एक डाक थैला रेल डाक सेवा तथा चण्डीगढ़-14 डाकघर के बीच गुम हो गया था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 30-11-81 को भेजे गये दो बीमा पत्र (एक में चार उत्तर पुस्तिका तथा दूसरे में कोरे अंक पत्र थे) भी इस थैले में थे। इस थैले के गुम होने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। जांच के लिए इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है।

(ग) डाक तथा वितरण व्यवस्था की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है तथा जब कभी विलम्ब अथवा किसी दोषी का पता चलता है उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

क्रासबार एण्ड स्ट्रोजर एक्सचेंजों को डिजिटल
एण्ड इलैक्ट्रोनिक प्रणाली में बदलना

2628. **श्री सुबोध सेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विद्यमान क्रासबार एण्ड एट्रोजर एक्सचेंज प्रणाली को धीरे-धीरे डिजिटल एण्ड इलैक्ट्रोनिक प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीलंका के साथ संचार माध्यम कार्यक्रमों को बदलना

2629. **श्री डी० पी० यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संचार माध्यम कार्यक्रमों के तबादले के लिए श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसन्त साठे : (क) जी हां ।

(ख) भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रोतोकाल में रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से समाचारों, न्यूजरील तथा रिकार्ड की हुई सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान रखे जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारत तथा श्रीलंका के गैर-सरकारी निर्माताओं के बीच सह-निर्माण के माध्यम से फिल्म के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावना का भी पता किया जाएगा ।

विदेशी तेल कम्पनियों को हाथ में लेने का प्रस्ताव

2630. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाली तेल फर्मों को हाथ में लेने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों अर्थात ए० ओ० सी० और बी० ओ० सी० की अधिग्रहण के लिए क्या देयतायें हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) दिनांक 14 अक्टूबर 1981 से भारत सरकार ने आयल इण्डिया लिमिटेड के 50 प्रतिशत शेयरों को जो कि बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड के पास थे और असम आयल कम्पनी लिमिटेड तथा बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड (इण्डिया ट्रेडिंग) की भारतीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को 21.56 करोड़ रुपये की समग्र धनराशि पर ले लिया है ।

असम आयल कम्पनी, दी बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड और आयल इण्डिया लिमिटेड (बर्मा आयल कम्पनी के स्वामित्वों में) के 50 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण के साथ देश का तेल उद्योग समग्र रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया है ।

बल्क औषधियों का उत्पादन

2631 **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुसार वर्ष 1981-82 के दौरान देश में बल्क औषधियों का उत्पादन 1980-81 के दौरान 240 करोड़ रुपये की तुलना में 275 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा ।

(ख) यदि हां, तो 1980-81 और 1981-82 के दौरान इन औषधियों का कितना उत्पादन हुआ था;

(ग) क्या यह सच है कि 1981-82 के दौरान कीमत के अनुसार इसकी अधिकांश वृद्धि मूल्यों में 304 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई, इसके उत्पादन की मात्रा के कारण नहीं, और

(घ) 1980-81 के दौरान उत्पादों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त कीमतों में यदि 1981-82 के दौरान उत्पादन को आंका जाये तो वास्तविक लाभ क्या होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82, दिसम्बर, 1981 तक के दौरान उन बल्क औषधों का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है जिनके उत्पादन देखरेख की गई है ।

(ग) जी, नहीं वर्ष 1981-82 और 1980-81 के दौरान उत्पादन के मूल्य का अनुमान संशोधन से पूर्व के मूल्यों पर ही आधारित है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	औषध का नाम	इकाई	उत्पादन	
			1980-81	1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4	5
1.	**एन्टीबायोटिक्स**			
1.	पेनिसिलिन	एम एम यू	336.82	257.58
2.	स्ट्रेप्टोमाइसीन बेस	टन	227.33	188.41
3.	क्लोरमफेनी कोल पाउडर	,,	83.58	52.24
4.	टेट्रासाइक्लीन एच सी एल	,,	166.85	132.32

1	2	3	4	5
5.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	,,	129.83	84.31
6.	एम्पीसीलिन	,,	30.32	32.74
7.	एरिथ्रोमाइसीन	,,	33.18	23.48
8.	डोक्सीसाइक्लीन	,,	2.22	0.97
9.	जेन्टामाइसीन	कि०ग्रा०	—	70.00
2.	**सल्फाड्रग्स**			
1.	सल्फाडिमिडाइन	टन	444.20	241.20
2.	सल्फासिटामाइड/सोडियम	,,	34.57	45.02
3.	सल्फाफिनाजोल	,,	24.42	33.15
4.	सल्फासोमिडाइन	,,	70.48	42.29
5.	थाइलाइल सल्फाथियोजोल	,,	12.13	—
6.	सल्फामेथाक्साजोल	,,	102.23	107.77
3.	**विटामिन्स**			
1.	विटामिन ए	एम एम यू	59.85	39.82
2.	विटामिन बी 1	टन	19.33	37.77
3.	विटामिन बी 2	,,	8.93	13.87
4.	विटामिन बी 12	कि०ग्रा०	188.32	117.21
5.	विटामिन सी	टन	594.80	565.14
6.	फोलिक एसिड	टन	5.94	2.91
4.	**एनलजेस्टिक एन्टीपाइरेटिक्स आदि**			
1.	एनलजिन	टन	389.79	384.40
2.	एस्प्रिन	,,	886.46	642.95
3.	फिनाइल बुटाजोन	,,	46.29	38.85
4.	आक्सीफिनाइल बुटाजोल	,,	56.63	49.48
5.	पेरासिटामोल	,,	93.82	83.23*
6.	केडियोन और लवण	,,	7.58	2.05
5.	**कोर्टिको स्टीरियडस**			
1.	प्रीडनीसिनोल	कि०ग्रा०	1423.00	942.00

1	2	3	4	5
2.	डेक्सामिथाक्साजोन	,,	127.05	92.59
3.	बेटामेथाजोन	,,	425.21	324.87
6.	**एन्टी टी० बी० ड्रग्स**			
1.	पीएएस और इसके लवण	टन	405.46	188.70
2.	आई एन एच	,,	129.20	79.34
3.	थियासिटाजोन	,,	8.44	10.00
4.	इथाम्बुटोल	टन	24.87	46.06
7.	**एन्टी मलेरियल**			
1.	क्लोरोक्वीन	टन	34.62	43.26
2.	एमोडियाक्वीन	;,	23.15	22.24
3.	क्वीनोन	,,	15.72	9.76
8.	**एन्टी डिसेन्ट्री ड्रग्स**			
1.	मेट्रानिडाजोल	टन	119.38	99.46
2.	हेलेजेन्टेड-आक्सीक्वीजोलाइन	टन	183.77	137.39
2. (क)	डाइआडो हाइड्रोक्सी-क्बीनोलाइन	टन	8.83	9.88
2. (ख)	आइडोक्लोरोहाड्रो-क्वीनोलाइन	टन	127.04	93.18
2 (ग)	इन्टेस्टोपान सब्सटेंशन	टन	47.90	34.33
9.	**एन्टी डायबेटिक्स**			
1.	इन्सुलिन	एम यू	1332.00	1381.00
2.	क्लोरोप्रोपेमाइड	टन	25.96	12.87
3.	ग्लाइक्लेमाइड	टन	0.73	0.47
10.	**सी एन एस स्टीमुलेटस**			
1.	कैफिन	टन	86.76	55.69
11.	**ड्यूरेटिक्स**			
1.	फ्रसेमाइड	टन	4.11	3.82
12.	**एन्टी आस्थामेटिक्स**			

1	2	3	4	5
1.	इफहीड्रिन	टन	22.47	10.34
13.	**कार्डियो वेस्कुलर ड्रग्स**			
1.	जेन्थीनोल निकोटिनेट	टन	10.14	11.72
2.	डाइगोक्सिन	कि०ग्रा०	7.33	2.25
14.	**एनास्थमेटिक्स**			
1.	लिम्नोसीन/जाइलोसिन	टन	4.58	2.90
15.	**एन्टी हिस्टामिन्स**			
1.	फिनरेमाइन मेलेसेट	टन	8.39	8.36
16.	**एन्टी हेल्मेटिक्स**			
1.	पिपराजाइन हेक्साहाइड्रेट	टन	25.18	7.55
17.	**ट्रान्कुलीजर्स एण्ड योडाटिब्स**			
1.	फिनोवरारविटोन	टन	16.12	20.70
18.	**एन्टी फिलेरियल**			
1.	डीईसी सीट्रेटस	टन	18.99	13.18
19.	**एन्टी लिप्रोटिक्स**			
1.	डी डी एस (डेप्सोन)	टन	21.05	17.19
20.	**इम्युनोलोजीकल एजेन्टस**			
1.	ट्रपल वेक्सीन	कि०ग्रा०	13.81	13.53
21.	**विविध ड्रग**			
1.	ट्राइमेथोप्रिम	टन	24.61	37.02

पश्चिम जर्मनी द्वारा एक कोल फलूहाइन्ड बेड संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव

2632. **मगन भाई वरोट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी से 200 मेगावाट पैदावार की क्षमता का एक लागतमुक्त कोल फलूहाइण्ड बेड संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्र महाजन) : (क) पश्चिम जर्मनी से इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

* अनुमानित उत्पादन

डीजल के साथ मीथाईल एल्कोहल का मिश्रण

2633. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि आंतरिक कम्यूसन इंजनों में भारतीय तेल निगम के रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट सेण्टर द्वारा तैयार मेथानोल (मीथाइल एल्कोहल की एक किस्म) के प्रयोग करने से 30 प्रतिशत डीजल की बचत की जा सकती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) जी, हां।

शालीमार बाग निवासियों के लिए बिजली के बिल

2634. **श्री भीकू राम जैन :**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शालीमार बाग में नव निर्मित डी० डी० ए० कालोनी में आज तक बिजली के बिल नहीं भेजे गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "डेसू" द्वारा लगाए गए अनेक मीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि "डेसू" मीटरों के ठीक कार्य करने के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं करता है और इसे आवंटितियों की शिकायतों के लिए छोड़ देता है ;

(घ) क्या उपर्युक्त कालोनी में लगाए गए मीटरों के ठीक कार्य के बारे में सरकार का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है और आवंटितियों को बिना किसी कठिनाई के बेकार मीटरों को बदलने का कोई प्रस्ताव है : और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) नये कनेक्शनों के मामले में, क्रियाविधि सम्बन्धी बहुत सी औपचारिकताओं का पालन करना होता है। परिणामस्वरूप बिजली का पहला बिल जारी करने में कुछ समय लग जाता है। अन्य सब मामलों में सामान्यतः, उपभोक्ताओं को बिल नियमित रूप से जारी कर दिए जाते हैं।

(ख) से (ङ) : जी, नहीं। सामान्य प्रक्रिया में, ऊर्जा मीटर लगाये जाने के लिए मीटर जारी करने से पहले उसकी जांच डेसू की मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है और उसका अनुसंशोधन किया जाता है। डेसू के मीटर रीडिंग स्टाफ द्वारा रीडिंग लेते समय यदि यह देखा जाता है कि मीटर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनके स्थान पर दूसरे मीटर लगाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसी भांति, मीटरों के ठीक काम न करने के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाता है।

केरल की हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना केन्द्र की स्वीकृति हेतु लम्बित

2635. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो भारत सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित है ; और स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) शीघ्र स्वीकृत होने वाली परियोजना कौन सी हैं ; उनकी विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता और उनके पूरे किए जाने का समय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केरल की सात बहुद्देशीय/जल विद्युत स्कीमों के बारे में वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से, लोअर पेरियार जल विद्युत स्कीम (3×60 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है बशर्ते पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से इसे स्वीकृति दे दी जाए। छठी योजना में शामिल करने के लिए इस स्कीम की सिफारिश योजना आयोग को कर दी गई है।

विवरण

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. लोअर पेरियार	3×60	88.43	1976	यह स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1981 में स्वीकृत कर दी गई है बशर्ते पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से इसे स्वीकृति दे दी जाए। छठी योजना में शामिल करने के लिए इस स्कीम की सिफारिश योजना आयोग को कर दी गई है।

1	2	3	4	5
2. करापारा कुरियारकुट्टी बहुद्देशीय परियोजना	95	32.1	1979	परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जाँच की गई थी और टिप्पणियां, परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी। बहूद्देश्यीय परियोजना होने के कारण इसका अनुमोदन पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जाना होगा। तदुपरान्त विद्युत संबंधी भाग पर के० वि० प्रा० द्वावा विचार किया जाएगा।
3. मनन्थवाड़ी बहूद्देश्यीय परियोजना	4×60	69.12	1980	परियोजना की जांच के० वि० प्रा०/के० ज० आ० और विद्युत विभाग में की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। चूंकि काबिनी (कावेरी बेसिन) की एक सहायक नदी मनन्थवाड़ी नदी के जल को पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है, अतः इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना आवश्यक होगा। बहूद्देश्यीय परियोजना होने के कारण इसका अनुमोदन पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जाना होगा। तदुपरांत विद्युत संबंधी भाग पर के० वि० प्रा० द्वारा विचार किया जाएगा।

1	2	3	4	5
4. कुट्टियाडी आगमेन्टेशन स्कीम	—	13.05	1976	परियोजना रिपोर्ट की के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जाँच की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। इस परियोजना में, कावेरी बेसिन में एक सहायक नदी करमन्थोडू नदी के जल को, वर्तमान कुटिट्याडी बिजली घर में विद्युत के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर कुटिट्याडी बेसिन में व्यपवर्तित किया जाना है। इस स्कीम के अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल किया जाना है। अन्तर्राज्यीय पहलुओं के हल हो जाने तथा परियोजना की विशिष्टियों को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इस स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।
5. पण्डियार पुन्नापुझा टेलरेस	2×35	21.95	1972	परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है। यह स्कीम तमिलनाडु प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई पण्डियार पुन्नापुझा परियोजना के टेलरेस के विकास के रूप में प्रस्तावित की गई है। इस बारे में 1965 में, योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य की उपस्थिति में तमिलनाडु और केरल के बीच एक सहमति हुई थी जिसके अंतर्गत तमिलनाडु को यह अनुमति दी गई थी कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली चलियार नदी

1	2	3	4	5
				की सहायक नदियों, पण्डियार और पुन्नापुझा नदियों, के जल को वह विद्युत उत्पादन के लिए रोक ले और टेलरेस जल को उसी बेसिन में अनुप्रवाह में केरल द्वारा विद्युत उत्पादन और सिंचाई हेतु उपयोग किए जाने के लिए छोड़ दे। बाद में इस बेसिन के कुछ पानी को पूर्व दिशा की ओर व्यपवर्तित करने के बारे में तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार किया है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर इस समय दोनों राज्य सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है। तमिलनाडु की स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय ले लिए जाने के बाद ही केरल को पण्डियार पुन्नापुझा टेलरेस स्कीम पर स्कीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।
6. साइलेंट वैली धाटी जल विद्युत परियोजना	2×60	58.00	1977	यह परियोजना, के० वि० प्रा० द्वारा फरवरी, 1979 में स्वीकृत कर दी गई है। तथापि पर्यावरण विशेषज्ञों तथा परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र-राज्य की संयुक्त समिति द्वारा इस मामले की पुनः जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5
7. पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना	750	565.15	1981	परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और सिविल कार्यों, विद्युत कार्यों, जल विज्ञान संबंधी सिविल डिजाइनों आदि की अनुमानित लागत के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है । स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु स्कीम पर विचार किया जाएगा ।

अवशिष्ट भट्टी तेल की कीमत

2636. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में धुवारन पावर स्टेशन को सप्लाई किया गया अवशिष्ट भट्टी तेल की कीमत आर्बिट्रेशन अवार्ड के आधार पर निश्चित की गई है और यह 389.54 रु० प्रति मीटरी टन है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने इस अवार्ड के विपरीत इसकी कीमत में वृद्धि करके 1928 रु० प्रति टन किया है जो कि अवार्ड द्वारा निर्धारित मूल्य के चार गुने अधिक है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से धुवारन पावर स्टेशन को सप्लाई किए जाने वाले अवशिष्ट भट्टी तेल के मूल्य में वृद्धि न करने का अनुरोध किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गुजरात में धुवारन पावर स्टेशन को सप्लाई किए जाने वाले अवशिष्ट भट्टी के तेल (एल. एस. एच. एस.) के मूल्य आर्बिट्रेशन अवार्ड की शर्तों के अनुसार समय-समय पर नियंत्रित किए जाते हैं । इस अवार्ड के अनुसार, दिनांक 15-12-1977 तक धुवारण पावर स्टेशन को सप्लाई किए गये एल. एस. एच. एस. का मूल्य 389.54 प्रति मी० टन था ।

(ख) और (ग) 15-12-1977 के बाद की अवधि के लिए अवार्ड के अन्तर्गत भुगतान किए

जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में इण्डियन आयल कारपोरेशन और गुजरात विद्युत बोर्ड के बीच एक विवाद है। इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा अवार्ड की गई व्याख्या के अनुसार धुवारन पावर स्टेशन को दी गई एल. एस. एच. एस. की सप्लाई के लिये देय मूल्य दिनांक 15-12-1977 के बाद धीरे-धीरे बढ़ गये हैं और 11-7-1981 से 1938.15 रु० प्रति मी० टन हो गये हैं। तथापि गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड 15-12-1977 के बाद की अवधि में सप्लाई किए गये एल. एस. एच. एस. के लिए भी 389.54 रु० प्रति मी० टन की दर से मूल्य का भुगतान कर रहा है। गुजरात सरकार ने अब यह प्रस्ताव दिया है कि धुवारन को सप्लाई किए गये एल. एस. एच. एस. के मूल्य कोयला समता आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

मिट्टी के तेल के व्यापारियों में भ्रष्टाचार

2637. **श्री जगपाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार "2,320 लीटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया" की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मिट्टी के तेल के उन व्यापारियों की भ्रष्ट गतिविधियों की जाँच के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, जो (1) फोम/बब्बल्स के समाप्त हुए बिना काफी कम तोलते हैं, (2) उन खाद्य कार्डों का तेल लेते हैं जिन पर तेल नहीं लिया जाता है और उसे ब्लैक में बेचते हैं ; और

(घ) क्या इन भ्रष्ट व्यापारियों को पकड़ने के लिए विस्तृत रूप से धर-पकड़ शुरू करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत डीलर के विरुद्ध एक फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है। उसका लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा मिट्टी के तेल के डीलरों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ताकि उन्हें इन कदाचारों में पड़ने से रोका जा सके।

(घ) जी, हां दिल्ली प्रशासन ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने से पहले ही आरम्भ कर दिए हैं।

तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में कटौती

2638. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में मुख्य तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल के मूल्यों में कमी की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश का विचार तेल के मूल्यों में कमी करने का है, जिससे कि इस उत्पादकता वर्ष में उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को लाभ हो सके ; और

(ग) कच्चे तेल के मूल्यों में इस कटौती से हमारे देश को कितना लाभ होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अनेक राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने इस वर्ष के दौरान अशोधित तेल के मूल्यों में कमी की घोषणा की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दीर्घकालीन आधार पर मूल्य में इस कमी के प्रभाव की मात्रा बताना कठिन होगा क्योंकि यह भविष्य में मूल्यों पर तथा रुपया-डालर विनिमय दर के व्यवहार पर निर्भर करेगा।

मंगलौर में तापीय बिजली घर

2639. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में एक तापीय बिजली घर की स्थापना के बारे में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस तापीय बिजलीघर के किस तिथि तक चालू होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई पर आधारित, मंगलौर में 2×110 मेगावाट के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने मई 1976 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समुद्री मार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई की अधिक लागत को दृष्टि में रखते हुए, राज्य बिजली बोर्ड को यह सलाह दी गई थी कि वे किसी अन्य स्थान को चुनें। रायचूर में 2×210 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित स्कीम को योजना अयोग ने 28-4-1978 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, और यह निर्माणाधीन है।

मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में टेलीफोनों का लगाया जाना

2640. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अब तक कितने टेलीफोन लगागे गये हैं ;

(ख) इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वर्ष 1982-83 में कितने टेलीफोन लगाए जाएंगे ; और

(ग) इन पर्वतीय क्षेत्रों में दूर संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए 1982-83 में क्या कोई नया कार्यक्रम शुरू किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों में दी गई है ।

विवरण

1982-83 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नागालैंड तथा त्रिपुरा में संस्थापित किये गये तथा प्रदान किये जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की विवरणी

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1-2-1982 को टेलीफोन कनैक्शन	1982-83 के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	1038	922
2.	मणिपुर	2174	1512
3.	मेघालय	3534	1592
4.	मिजोरम	765	704
5.	नागालैंड	2329	1281
6.	त्रिपुरा	2780	1175

विवरण-2

1982-83 के दौरान मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में विकास योजना

(क) टेलीफोन एक्सचेंज

क्र० सं०	एक्सचेंज	विस्तार	कैफियत
1.	नया ईटानगर	400	नया एक्सचेंज
2.	चौराचांदपुर	100	करचल एक्सचेंज के स्थान पर नया स्वचल एक्सचेंज बनाना
3.	इम्फाल	2100	—वही—

1	2	3	4
4.	शिलांग	1000	विस्तार
5.	जवई	200	नया स्वचल एक्सचेंज
6.	ऐजवाल	100	विस्तार
7:	दीमापुर	100	विस्तार
8:	कोहिमा	100	विस्तार
9:	अगरतला	2100	करचल एक्सचेंज के स्थान पर नया स्वचल एक्सचेंज बदलना

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त 12 स्वचल एक्सचेंजों के उत्तरोत्तर खोले जाने की आश है बशर्ते कि कम से कम अपेक्षित पंजीकरण मांग तथा निर्धारित कम से कम प्रत्याशित राजस्व हो ।

(ख) टेलेक्स :

कोहिमा-20 लाइनों का नया एक्सचेंज

(ग) लंबी दूरी के पी० सी० ओ० :

37 लंबी दूरी के पी०सी०ओ० खोले जाने की उम्मीद है।

(घ) लंबी दूरी की योजनाएं :

(1) यू० एच० एफ० योजनाएं

1: उत्तर लखीमपुर ईटानगर
2. जोराट-एवर लखीमपुर
3. तिनसुखिया-खोंसा
4. बाम्बिला-तेजपुर
5. सिल्चर-एजवाल
6. शिलांग-जवई
7. दीमापुर-दीप
8. सिल्चर-कशीमेंगंरी
9. सिल्चर-हलफलांग

10. उत्तर लखीमपुर-जीरो
11. तिनसुखिया-अलांग
12. चम्पकहत्रा-पसीघाट
13. ऐजवाल
14. लांगलेह-शजा
15. अगरतला-कैलाशर
16. अगरतला-राधा किशोरपुत
17. इम्फाल-उखरूल
18. इम्फाल-कासंग
19. इम्फाल-चौरा चांदपुर
20. इम्फाल-तमेंगलांग
21. इम्फाल-चंदेल
22. कोहिमा-फेक
23. कोहिमा-गौखा
24. गौखा-जूनेखोटो
25. वोखक-मूकाकचुंग
26. मुकाककचुंग-तेनटसंग
27. धुबरी-तुरा
28. कुच्छुधर-धुबरी
29. विलियन नगर-नान गजटिंग
30. तिनसुखिया-चम्पक हवा-तेजू

(2) क्रम सं० उपग्रह भू-केन्द्र भू-केन्द्र

1.	मेघालय	शिलांग
2.	नागालैंड	कोहिमा
3.	मणिपुर	इम्फाल
4.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
5.	त्रिपुरा	अगरतला

(3) इसके अतिरिक्त अनेक कैरियर टेलीफोन प्रणालियां उपलब्ध कराई जाएंगी बशर्ते कि यातायात की मांग हो।

राजस्थान को विभिन्न राज्यों से सप्लाई की गई बिजली

2641. श्री अशोक गहलोत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में बिजली की भारी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सहायत मांगने हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों से राजस्थान को राज्य-वार कितनी बिजली की सप्लाई की गई और राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों को इसकी सप्लाई की गई ; और

(ग) यदि कोई सप्लाई नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान बदरपुर तथा उत्तर प्रदेश से राजस्थान को सहायता दी गई है । पिछले छः महीनों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से और उत्तर प्रदेश से राजस्थान को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

महीना	बदरपुर से सहायता	उत्तर प्रदेश से सहायता
अक्तूबर, 81	2.22	0.46
नवम्बर, 81	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 81	1.50	शून्य
जनवरी, 82	3.06	0.77
फरवरी, 82	13.55	1.58
मार्च, 82 (1 से 5)	5.48	2.96

राजस्थान को उपलब्ध कराई गई सहायता से तथा उनके अपने विद्युत उत्पादन से राज्य के बिभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियंत्रक उपायों के अनुसार, सप्लाई की गई .

(ग) राजस्थान की समस्त आवश्कता पड़ोसी प्रणाली से पूरी नहीं की जा सकती । जैसा कि ऊपर, प्रश्न के भाग "ख" के उत्तर में बताया गया है जहां तक व्यवहार्य हुआ, समय-समय पर सहायता दी गई है ।

नव वर्ष की पूर्व संध्या कार्यक्रम

2642. **श्री मोहनलाल पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1981 को नव वर्ष की पूर्व संध्या कार्यक्रम के लिए दिल्ली दूरदर्शन द्वारा विदेशी विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विदेशी विशेषज्ञों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं/दर्शकों की प्रतिक्रिया काफी असन्तोषजनक थी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । कार्यक्रम को श्रोताओं और प्रेस द्वारा बहुत पसन्द किया गया है ।

फिल्मों का आयात

2643. **श्री चित्त महाटा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के शेष अवधि के दौरान फिल्मों का आयात न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र की हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) ऐसा अनुमान है कि सदस्य सिनेमेटोग्राफ फिल्मों (कोरी फिल्मों) के आयात का उल्लेख कर रहे हैं । छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सिनेमेटोग्राफ फिल्मों का आयात बन्द कर देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने आर० ई० पी० लाइसेंस के अन्तर्गत रंगीन पाजिटिव फिल्मों

का आयात बन्द कर देने का सुझाव दिया है। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रण द्वारा इस सुझाव को 1982-83 के लिए आयात नीति को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जायेगा।

डाक-तार विभाग में कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों की संख्या

2644. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्ष के दौरान डाक-तार विभाग के प्रत्येक सर्किल में कुल कितने कनिष्ठ और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये गये थे ;

(ख) उनका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त पदों के संबंध में नियुक्ति संबंधी नियम और विभागीय संवर्ग बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन पदों के संबंध में विभागीय संवर्ग केवल भर्ती नियमों के अधिसूचित किए जाने के बाद ही लागू हो सकते हैं। कार्मिक विभाग और राजभाषा विभाग से परामर्श करके भर्ती नियम तैयार किए जा रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए बसों में एल० पी० जी० प्लांट बनाने का प्रस्ताव

2645. **श्री जयनारायण रोट** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में महानगरों में पेट्रोल और डीजल बचत करने के लिये बसों में तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) प्लांटों को लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) डीजल इंजन वाली बसों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के प्रयोग के अध्ययन का एक प्रस्ताव है। देहरादून स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम और इण्डियन आयल कार्पोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र पर डच रिसर्च इंस्टीट्यूट से आयात किये गये कनवर्जन किटों के साथ बेंच परीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। भारत में इस प्रयोग की उपयुक्तता की जांच करने के लिये क्षेत्र परीक्षण उसके बाद किये जायेंगे। पेट्रोल चालित इन्जनों वाली बसों में एल० पी० जी० को प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2646. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित कुछ उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रस्तावित संख्या क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर लगाए जायेंगे और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार उर्वरक प्लांट लगाने का विचार है । इन प्लांटों के सही स्थल पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के सही स्थल पर सरकार द्वारा स्थल चयन समिति की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाये जो हाल ही में प्राप्त हुई है । उसके बाद ही अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

राजस्थान टेलीफोन सर्किल में डिवीजनल इन्जीनियरों टेलीफोन के ग्रेड में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2647. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल के (महाप्रबंधक टेलीफोन के अन्तर्गत) कुल कितने डिवीजनल इन्जीनियर टेलीफोन हैं ;

(ख) राजस्थान टेलीफोन सर्किल में डिवीजनल इन्जीनियर के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिगणना क्या है ;

(ग) राजस्थान सर्किल में डाक और तार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) राजस्थान सर्किल में (महाप्रबंधक टेलीफोन के अन्तर्गत) डिवीजनल इन्जीनियर टेलीफोन के ग्रेड में कुल कितने पदों का आरक्षण हटा लिया गया है ; और

(ङ) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डाक और तार कर्मचारियों को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान दूरसंचार सर्किल (जयपुर टेलीफोन जिले सहित) में मंडल अभियंताओं की स्वीकृत 29 संख्या में से 28 मंडल अभियंता कार्य कर रहे हैं ।

(ख) 21.4 प्रतिशत

(ग) एवं (घ) मंडल अभियंता काडर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है न कि सर्किल जिला आदि के लिए पृथक तौर पर।

(ङ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित कार्याविधि का जो भारत सरकार के सभी विभागों में समान रूप से लागू होती है, डाक-तार विभाग द्वारा भी कड़ाई से उसका पालन किया जाता है।

फिल्मोत्व-82 से आय-व्यय

2648. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में आयोजित फिल्मोत्सव-82, से हुई आय-व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त फिल्मोत्सव में कितना व्यापार हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। तथापि, अलेखा परीक्षित अनुमान के अनुसार, फिल्मोत्सव 82 के आयोजन पर हुआ कुल व्यय 40.12 लाख रुपये था। टिकटों की बिक्री से हुई आय 33.86 लाख रुपये थी। इसके अलावा, 4 देशों को 71 फिल्मों की बिक्री से 33,54,500 रुपए के सौदे हुए थे। ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं।

बड़े दोहनरहित कोयला भण्डार और 2000 मेगावाट के पांच सुपरतापीय बिजलीघरों की सम्भावना

2649. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बड़े दोहनरहित कोयला भंडारों के दोहन द्वारा 2000 मेगावाट के कम से कम पांच सुपर तापीय बिजली घरों का निर्माण किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में नये सुपर तापीय बिजली घरों की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 600 मीटर की गहराई तक तथा 1.2 मीटर तक की मोटी परत में 18 बिलियन टन कोयले के कोयला भण्डार हैं।

मध्य प्रदेश में कोरबा में 2100 मेगावाट की क्षमता के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कार्यान्वित कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वैधन में 2260 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए भी निगम ने

व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है तथा परियोजना के 1260 नेगावाट के चरण-एक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और निवेश संबंधी निर्णय के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।

मेत्तूर (तमिलनाडु) में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

2650. **श्री के० अर्जुन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेत्तूर में, जो औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या मेत्तूर बांध, मेत्तूर आर० एस० मैचेवी नांगावल्ली तथा कोलाथुर को एक ही एक्सेचेंज के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये सभी 15 कि० मी० की परिधि में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) मेत्तूर बांध, मेत्तूर रेलवे स्टेशन मैचवी, नांगाबल्ली तथा कोलाथुर को एक अंतर्डायलिंग प्रणाली के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

'ड्रग' इन्टरमीडिएट्स पर आयात शुल्क।

2651. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण ड्रग इन्टरमीडिएटप पर आयात शुल्क में कमी करने, जिससे कि बल्क ड्रगों के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इससे बल्क औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1982-83 के बजट प्रस्ताव में एम्पीसिलिन के निर्माण के लिए अपेक्षित मध्यवर्ती डी-अल्फा फिनाइल ग्लाइसीन वेस पर सीमा शुल्क 80 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया। इससे इस औषध के निर्माण में प्रोत्साहन मिलेगा।

(ख) और (ग) बल्क औषध का मूल्य सीमा शुल्क में कमी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। ऐसी कमी से बल्क औषध के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा जिसे सरकार नियत करेगी।

टाटा कैमिकल्स द्वारा विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2652. **श्री रसीद मसूद :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि टाटा कैमिकल्स लि० को अपनी सोडा ऐश उत्पादक यूनिटों के विस्तार में लिए वर्ष 1973 में लाइसेंस जारी किया गया था, फिर भी वे इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और पिछली बार आगे बढ़ाई गई लाइसेंस की वैधता अवधि भी समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड को 1,40,000 टन प्रतिवर्ष सोडा ऐश का निर्माण करने के लिए क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस सं० सी. आई. एल. : 15 (73) दिनांक 4-12-73 की मंजूरी दी गई थी। विस्तार के बाद क्षमता 5 लाख टन प्रतिवर्ष की हो जायेगी । लाइसेंस का अभी भी कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड ने महत्वपूर्ण विस्तार के कार्यान्वयन में बिलम्ब के निम्नलिखित कारण बताये हैं :—

(1) लवण कारखाने का विस्तार, सोडा ऐश के विस्तार की योजना का एक अभिन्न अंग है । जबकि, उन्हें सोडा ऐश क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए दिसम्बर, 1973 से औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी दी गई थी, लेकिन एम. आर. टी. पी. अधिनियम लवण के अन्तर्गत कारखाने के विस्तार के लिए मई, 1977 में स्वीकृति मिली ।

(2) वर्ष 1979 और 1980 में अभूतपूर्व वर्षों और बाढ़ के कारण लवण कारखाने का विकास गंभीर रूप से प्रभावित रहा ।

कम्पनी ने अब सूचित किया है कि बैटरी सीमा के अन्तर्गत सोडा ऐश प्लांट का विस्तार पूरा हो गया है और विस्तृत क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व अवलम्ब स्वरूप कुछ मदें स्थापित की जानी हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं सामग्री हैंडलिंग यार्ड की पुनर्व्यवस्था और ब्वायलर फोड वाटर प्लांट लगाने का काम पूरा किया जाना है । कम्पनी ने यह भी तर्क किया है कि जब तक हापा से मीठापुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक विस्तृत क्षमता के लिए कच्चे माल के परिवहन का काम सुचारुरूप से नहीं चल सकता ।

औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि 31-12-1981 को समाप्त हो गई । मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने 31 दिसम्बर, 1983 तक औद्योगिक लाइसेंस की वैधता तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है अभी सरकार ने कम्पनी के अनुरोध पर निर्णय नहीं लिया है ।

"टेलीग्राम अराइव्ज सिक्स मंन्थस लेट" शीर्षक समाचार

2653. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1982 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में, "टेलीग्राम अराइव्ज सिक्स मन्थ्स लेट" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) एवं (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

राजस्थान में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण/अनुदान

2654. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के नगरों, तथा गांवों में सिनेमा घरों की अपर्याप्त संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वहां सिनेमा घरों के लिए ऋण तथा अनुदान देने हेतु कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सिनेमाघरों का निर्माण राज्य विषय है । तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की राजस्थान सहित देश के सभी भागों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान की एक योजना है ।

(ख) इस योजना के अनुसार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रुपए तक के और शहरी क्षेत्रों में 7.50 लाख रुपए तक के ऋण देता है । ऋणों की अदायगी 5 वर्ष में की जानी होती है और इन पर $12\frac{1}{2}\%$ वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है । निगम को अपनी फिल्म के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 50% तक प्रदर्शन समय का उपयोग करने का अधिकार है ।

राजस्थान में बिजली की प्रति व्यक्ति औसत खपत

2655. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981 तक बिजली की प्रति व्यक्ति औसत खपत क्या है ;

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान की बिजली की प्रति व्यक्ति औसत खपत क्या है ;

(ग) क्या बिजली की राष्ट्रीय औसत खपत तथा राजस्थान की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए राज्य की औसत खपत में वृद्धि करने के लिए राज्य द्वारा भारत सरकार को कोई योजना भेजी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है और इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राष्ट्रीय औसत 134.81 यूनिट था ।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान राजस्थान में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 98.86 यूनिट थी ।

(ग) जी, हां । 925.2 मेगावाट की कुल क्षमता की परियोजनाएं राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं । इनमें से, 1980-85 की अवधि के दौरान 496.2 मेगावाट का लाभ तथा 1985-90 की अवधि के दौरान शेष 429 मेगावाट का लाभ होने की संभावना है । राजस्थान को केन्द्रीय क्षेत्र के सिंगरोली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट) में भी हिस्सा प्रारक्षित किया गया है । इस स्कीम से 1980-85 में 124 मेगावाट और 1985-90 के दौरान 176 मेगावाट का लाभ होने की संभावना है ।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने निम्नलिखित चार परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं :

1. पातना लिग्नाइट ताप विद्युत स्कीम (2 × 60 मेगावाट)
2. मंगरोत में दांयी मुख्य नहर जल विद्युत परियोजना (3 × 2 मेगावाट)
3. माउंट आबू जल-विद्युत परियोजना (2 × 1.25 मेगावाट)
4. सूरतगढ़ नहर मिनी जल-विद्युत स्कीम (2 × 1.5 मेगावाट)

पातना लिग्नाइट ताप विद्युत स्कीम तथा दांयी मुख्य नहर जल-विद्युत स्कीम की केन्द्रीय विद्युत स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

माउंट आबू जल-विद्युत परियोजना की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है ।

सूरतगढ़ नहर मिनी जल-विद्युत परियोजना की रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम तेल क्षेत्रों में गैस का जलना

2656. श्री वीरभद्र सिंह : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1981 तक आसाम के तेल क्षेत्रों में कितनी गैस जली है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान जली सम्पूर्ण गैस का कुल मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) असम में ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० के तेल क्षेत्रों से लगभग 4426 मिलियन घन मीटर गैस जलाई गई थी ।

(ख) जलाई गई गैस का भारित औसत विक्रय मूल्य के आधार पर कुल मूल्य लगभग 79.08 करोड़ रुपए बैठता है ।

अन्य विकासशील देशों को डाक विशेषज्ञता

2657. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य विकासशील देशों को अपनी डाक विशेषज्ञता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इस सम्बंध में निश्चित परियोजनाओं को कब तक बनाए जाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । हाल ही में सऊदी अरब प्रशासन के निवेदन पर सऊदी अरब में डाक सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विशेषज्ञों द्वारा सेवा परामर्श प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तीन सदस्यों का एक शिष्ट मंडल सऊदी अरब गया था । डाक सेवाओं के कुछ क्षेत्रों, जिनमें हम अपनी सुविज्ञता प्रदान करने की स्थिति में हैं, की जानकारी उन्हें दे दी गई है ।

नाइजीरिया के डाक प्रशासन का भी अपनी डाक सुविज्ञता प्रदान करने के ऐसे ही सुझाव पत्र द्वारा उन्हें भेजे गए हैं ।

(ख) प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में अभी तक कोई जवबा नहीं आया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगलौर में मिट्टी के तेल तथा एल० पी० जी० की कमी

2658. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बंगलौर शहर में मिट्टी के तेल का भारी अभाव है और एल० पी० जी० गैस की सप्लाई भी बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में इन दोनों की कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1981 के दौरान स्वीकृति के लिए पड़े एल० पी० जी० आवेदन पत्रों की संख्या क्या है और अगले तीन महीनों के दौरान कितने लोगों को ये कनेक्शन दे दिये जाएंगे ; और

(घ) वर्ष 1981 के दौरान घरेलू उपयोग के लिए कर्नाटक सरकार ने मिट्टी का कितना तेल मांगा और वास्तव में उसे कितना दिया गया है तथा इस संबंध में यदि कोई कठिनाई है, तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) राज्य सरकार से बंगलौर शहर में मिट्टी के तेल की कमी की कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है।

बम्बई स्थित भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला में आंशिक उत्पादन होने के फलस्वरूप भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन से अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण जनवरी/फ़रवरी के दौरान एल० पी० जी० की कुछ कमी की सूचनाएं मिली हैं।

(ग) वर्ष 1981 के दौरान बंगलौर शहर में एल० पी० जी० की स्वीकृति के लिए लगभग 47,000 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे। जनवरी से मार्च 1982 के दौरान लगभग 5000 कनैक्शनों को जारी करने की योजना बनायी गई है।

(घ) मिट्टी के तेल की आबंटन की वर्तमान नीति है कि समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी गत वर्ष में तदनुरूपी माह के आवंटन/बिक्री पर 5% की वृद्धि दर से आबंटन किया जाता है। तथापि कर्नाटक को उपर्युक्त नीति के अनुसार आबंटन किया गया है। समय-समय पर किये गए आबंटनों के फलस्वरूप वर्ष 1981 में वास्तविक विक्रय 221483 मी० टन से बढ़ कर 244966 मी० टन हो गया जो कि 10.6% अधिक है।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण

*2659. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अपने यहां की विशेषज्ञता से इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सहयोगियों के विशेषज्ञों की राय से अपने विभाग के इंजीनियरों द्वारा पहले कुछ संस्थापन कार्य किया जाएगा तत्पश्चात् संस्थापन कार्य पूर्ण रूपेण अपने इंजीनियरों द्वारा ही किया जाएगा।

तट दूर प्रौद्योगिकी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की इटली की यात्रा

2660. सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों का एक दल उन्नत तट दूर प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए इटली की यात्रा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो दल का गठन कैसे किया जायेगा और इस दल को इटली भेजने के बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) इटली की राज्य के स्वामित्व वाली एक कपंनी ई० एन० आई० से एक शिष्टमण्डल ने फरवरी, 1982 में भारत का दौरा किया और अन्य बातों के साथ-साथ ओ० एन० जी० सी० के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया । पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया और तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग विशेषज्ञों के एक दल द्वारा इटली के दौरे के प्रश्न सहित इन क्षेत्रों में आगे कार्यवाही के लिए कार्य करेगा ।

विद्युत उत्पादन के लिए 15 वर्षीय व्यापक भावी योजना

2661. श्री मोहन लाल पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्युत उत्पादन के लिए एक 15 वर्षीय व्यापक भावी योजना बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भ में योजना 1995 तक की 15 वर्ष की अवधि के लिए होगी और बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 2000 ईस्वी तक 20 वर्ष कर दिया जायेगा । आशा की जाती है कि ताप विद्युत, और न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन का इष्टतम मिला-जुला स्वरूप इसमें शामिल होगा । इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में आर्थिक विकास के वांछित परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ही विद्युत विकास के इष्टतम मार्ग का पता लगाया जाए । इस कार्य में ऐसी विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाना भी शामिल रहेगा जिनके लिए कोयला और रेल द्वारा उसकी ढुलाई जैसे निवेशों के निर्धारण किए जाने आवश्यक हैं ।

भविष्य में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विद्युत कार्यक्रम बड़ाने के लिए यह योजना एक आधार का काम देगी ।

उर्वरक कारखानों की स्थापना

2662. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं, उनके निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और वे कब तक चालू हो जायेंगे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : निर्माणाधीन और चालू होने वाली उर्वरक परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

परियोजना का नाम	यांत्रिक रूप से पूरा होने की सम्भावित तिथि	वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावित तिथि	कार्य की प्रगति
ट्राम्बे-i	यांत्रिक रूप से पूरा		चालू किया जा रहा है।
भारूच	यांत्रिक रूप से पूरा		चालू किया जा रहा है।
हाल्दिया	यांत्रिक रूप से पूरा		चालू किया जा रहा है।
ततोजा	जुलाई, 1982	जनवरी, 1983	इंजीनियरिंग कार्य लगभग पूरा है। सिविल कार्य 85 प्रतिशत अधिप्राप्ति—96 प्रतिशत (आयातित) और 80 प्रतिशत (स्वदेशी), डिलिवरी—70 प्रतिशत और यांत्रिक उठान—20 प्रतिशत पूरा है।
तूतीकोरिन (विस्तार)	फरवरी, 1983	मई, 1983	लगभग 61 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।
गोवा विस्तार	जुलाई, 1984	सितम्बर, 1984	प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।
नामरूप-iii	मई, 1984	नवम्बर, 1984	भूमि का अधिग्रहण और विकास हो गया है उपकरणों और मशीनरी के लिए आर्डर देने का काम सन्तोषप्रद ढंग से चल रहा है, डिजाइन और इंजीनियरी कार्य पूरा हो गया है।

परियोजना का नाम	यांत्रिक रूप से पूरा होने की सम्भावित तिथि	वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावित तिथि	कार्य की प्रगति
थाल	फरवरी, 1984 (चरण-i)	अगस्त/सितम्बर, 1984 (चरण-i)	भूमि का अधिग्रहण हो गया है और इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के लिए प्रावधानों की व्यवस्था कर ली गई है। मुख्य प्लांट के लिए ठेका प्रभावी हो गया है और सिविल कार्य चल रहा है। अधिप्राप्ति कार्य और आर्डर देने का कार्य सन्तोषप्रद ढंग से चल रहा है।
	मई/जून, 1984 (चरण-ii)	दिसम्बर, 1984 (चरण-ii)	
हजीरा	सितम्बर, 1984 (चरण-i)	मार्च, 1985 (चरण-i)	मुख्य प्लांट के लिए ठेका प्रभावी हो गया है। डिजाइन और इंजीनियरी कार्य लगभग पूरा है। अधिप्राप्ति कार्य सन्तोषप्रद ढंग से चल रहा है।
	सितम्बर, 1985 (चरण-ii)	मार्च, 1986 (चरण-ii)	
पैराडीप	अप्रैल, 1985 (चरण-i)	जून, 1985 (चरण-i)	प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।
	अक्टूबर, 1985 (चरण-ii)	फरवरी, 1985 (चरण-ii)	

एल० पी० जी० संयंत्रों की स्थापना

2663. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों में कितने एल. पी. जी. संयंत्र स्थापित किए गये हैं ;

(ख) ये एल. पी. जी. संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए गये हैं ;

(ग) इनमें से कितने संयंत्रों में अब तक उत्पादन शुरू हो गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1982-83 में कुछ एल. पी. जी. संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो संयंत्र कहां-कहां स्थापित करने का विचार है ; और

(च) उन संयंत्रों में कब उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर एल. पी. जी. (खाना पकाने की गैस) भरने के संयंत्र स्थापित किए गये हैं :

1. कानपुर (विस्तार)
2. बम्बई (बी. पी. सी.)
3. बम्बई (एच. पी. सी.)
4. शकूर बस्ती
5. बंगलौर (एच. पी. सी.)
6. बंगलौर (आई. ओ. सी.)
7. जालंधर
8. नागपुर

इन सभी बाटलिंग संयंत्रों ने कार्यारम्भ कर दिया है ।

(घ) से (च) वर्ष 1982-83 के दौरान स्थापित किए जा रहे/स्थापित किए जाने वाले एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

स्थान	चालू किये जाने का अनुमानित समय
मथुरा	जून 1982
इलाहाबाद	—वही—
सालेम	अप्रैल 1983
जालन्धर, बंगलौर } विस्तार	जून 1982
शकूर बस्ती (विस्तार), मिराज (विस्तार) }	अप्रैल 1983
पुणे (विस्तार)	दिसम्बर 1982
इन्दौर (विस्तार)	जून 1983
हैदराबाद	जून 1983
कोयम्बतूर	1983-84
कलकत्ता	1983-84
बोंगाईगांव	1982-83
दुलियाजन	1982-83

एशियाड के लिए डाक-तार सुविधाएं

2664. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एशियाड के लिए पर्याप्त डाक-तार सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1) **टेलीफोन सुविधाएं**

1400 सीधी लाइनों के साथ-साथ स्थानीय टेलीफोन सेवा, राष्ट्रीय ट्रंक सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक सेवाओं हेतु सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध कराए जाने की आशा है ।

(2) **टेलेक्स सुविधाएं**

लगभग 70 नए टेलेक्स कनेक्शनों के चालू किए जाने की उम्मीद है तथा एक सौ से अधिक टेलेक्स पी० सी० ओ० खोले जाने की योजना है ।

(3) **प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट टेलीप्रिंटर सर्किट**

लगभग 150 प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट टेलीप्रिंटर लाइन तथा लगभग 60 परफोरेटर अटैचमेंट की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) **हॉट लाइन्स**

900 से अधिक हॉट लाइनों और एक्सचेंज तथा कन्ट्रोल केबिल पेयर की व्यवस्था करने की योजना है ।

(5) **केबिल बिछाना**

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगभग 148 कि० मी० टेलीफोन केबिल बिछाई जा रही है ।

(6) **होटल पी० ए० बी० एक्स०**

एसियाड हेतु बनाये जा रहे विभिन्न होटलों हेतु 10,000 टेलीफोन एक्सटेंशनों वाले 16 नये इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० के संस्थापन की योजना है ।

(7) टेलीविजन का सीधा प्रसारण

देश में और देश से बाहर टेलीविजन का सीधा प्रसारण (रंगीन टेलीविजन का प्रसारण भी) प्रदान करने के निमित्त दूरदर्शन हेतु उपग्रह चैनल/सूक्ष्मतरंग चैनल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(8) फोटो टेलीग्राम

पिक्चर (फोटो) पारेषण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(9) डाक तार सुविधाएं

खेल गांव और अन्य स्टेडियमों में डाकघर तथा संयुक्त डाक तार घर स्थापित किए जा रहे हैं।

(10) फिलैटली

एशियाड से सम्बन्धित 10 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने की योजना है, जिसमें से 4 डाक टिकट पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

नये टेलीफोन एक्स एक्सचेंजों की स्थापना

†2665. **श्री रामविलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगले तीन वर्षों (अर्थात् 1982-83, 1984) के दौरान कितने नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है और ये कहां-कहां पर स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का अनुमान है ; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान देश में 2,000 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। 1982-83 में खोले जाने वाले नये एक्सचेंजों के सर्किलवार स्थान अनुबन्ध में दिए गये हैं। शेष अवधि के लिए स्थानों का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित 2,000 नये एक्सचेंजों से 32,000 नये कनेक्शन देने की सम्भावना है।

(ग) इन एक्सचेंजों हेतु जो कि आकार में छोटे हैं, अलग निधि आवंटित नहीं की गई है। अर्धशहरी एवं ग्रामीण स्थानीय टेलीफोन प्रणाली हेतु छठी योजना में उपलब्ध की गई 602 करोड़ रुपये की राशि में ये भी शामिल हैं।

लोकसभा में श्री रामविलास पासवान द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2665 के भाग (क) के उत्तर में दिनांक 9-3-82 को सभा पटल पर रखा जाने वाला अनुबन्ध

अनुबन्ध

क्रम सं०	दूर संचार सर्किल का नाम	1982-83 के दौरान खोले जाने वाले नये एक्सचेंजों की संख्या	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	
2.	बिहार	4	
3.	गुजरात	35	
4.	जम्मू एवं काश्मीर	10	
5.	कर्नाटक	35	
6.	केरल	20	
7.	मध्य प्रदेश	20	
8.	महाराष्ट्र	35	
9.	उत्तर पूर्वी	5	उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल द्वारा असम तथा अन्य उत्तर पश्चिम राज्यों को सेवा प्रदान की जाती है।
10.	उत्तर पश्चिमी	35	उत्तर पश्चिमी दूरसंचार सर्किल द्वारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और पंजाब में सेवा प्रदान की जाती है।
11.	उड़ीसा	10	
12.	राजस्थान	30	
13.	तमिलनाडु	32	
14.	उत्तर प्रदेश	32	
15.	पश्चिम बंगाल	12	पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल द्वारा पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम को सेवा प्रदान की जाती है।

वर्ष 1982-83 में डाकघरों के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए आवंटन

2666. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार के लिए सर्किलवार (बहुराज्यीय सर्किलों के मामले में राज्यवार) कितनी राशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) उक्त निर्माणाधीन भवनों में से कितने भवन मुख्य डाकघरों, वितरण डाकघरों तथा मण्डीलय डाकघरों के लिए हैं ;

(ग) इस आबंटन में से आज तक सर्किल-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भवनों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया गया है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के कुल आबंटन में से वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान देश में डाकघर भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार के लिए योजना आयोग ने 47.30 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। स्वीकृत परिव्यय का सर्किलवार आबंटन नहीं किया गया है। सर्किलों द्वारा प्रक्षिप्त मांग और वर्ष विशेष के लिए योजना आयोग द्वारा आबंटित की गई वास्तविक निधि को मद्देनजर रखते हुए सर्किलों को प्रतिवर्ष निधि का आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा 15.00 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु और 6.10 करोड़ रुपये रेल डाक सेवा भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इस सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना है।

नार्थ-वेस्ट सर्किल में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच पोस्ट आफिस का खोला जाना

2667. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में नार्थ वेस्ट पोस्टल सर्किलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच पोस्ट आफिस खोलने के लिए डिवीजन वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

(ख) लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है और इस सर्किल के प्रत्येक डिवीजन में कितनी कमी है, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ब्रांच पोस्ट आफिस छटी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक जिले-वार खोले गए हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इस सर्किल के लिए 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए लक्ष्य पहले ही निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो नार्थ वेस्ट सर्किल के प्रत्येक डिवीजन के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उत्तर पश्चिम सर्किल में वार्षिक योजना 1981-82 के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य मंडलवार नहीं निश्चित किया जाता। वर्ष के दौरान उत्तर-पश्चिम सर्किल में खोले जाने वाले 65 शाखा डाकघरों का लक्ष्य एक साथ निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा मंडलवार प्राप्त लक्ष्य विवरण 1 में दर्शाए गए हैं।

छठी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर-पश्चिम सर्किल में खोले गए शाखा डाकघरों के जिलेवार नाम विवरण 2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना 1982-83 हेतु सर्किलवार लक्ष्य शीघ्र ही निर्धारित किया जाएगा।

विवरण-1

अनुबंध-क

1981-82 के दौरान उत्तर पश्चिम सर्किल में खोले गए डाकघरों की डिवीजन वार संख्या

डाक डिवीजन का नाम		खोले गये डाकघरों की संख्या
1.	अम्बाला	5
2.	रोहतक	1
3.	हिसार	7
4.	सोनीपत	2
5.	गुड़गांवा	2
6.	फिरोजपुर	5
7.	होशियारपुर	1
8.	गुरदासपुर	1
9.	चंडीगढ़	1
10.	मण्डी	1
11.	हमीरपुर	7
12.	धर्मशाला	3
13.	देहरा	2
14.	शिमला	12
15.	चम्बा	5
16.	सोलन	10
	कुल	65

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से उत्तर पश्चिम सर्किल में खोले गए शाखा डाकघरों के जिलेवार स्थानों के नाम

(क) 1980-81 के दौरान खोले गये

1—अम्बाला जिला

1. भोजकोटी
2. पिपली मिजरा
3. दुलियानी
4. मंधौर

2—हिसार जिला

5. मोहला

3—सिरसा जिला

6. लेहांगवाला
7. उमेदपुरा

4—भिवानी जिला

8. खरखरी सोहन

5—कुरूक्षेत्र जिला

9. टीक

6—फिरोजपुर जिला

10. झरीवाला
11. रणजीतगढ़
12. भंगाली कलां
13. मान सिंह वाला

7—गुरदासपुर जिला

14. बिशन कोट
15. लाखन कलां

8.—लुधियाना जिला

16. घुदानी खुर्द
17. कुलार
18. अमराला
19. नाट

9—होशियारपुर जिला

20. भांगरान
21. चिपरा

10—जालंधार जिला

22. नावांहिद जतन
23. भोदीपुर

11—कपूरथला जिला

24. खांड़वाल
25. नाथूचहल

12—पटियाला जिला

26. दुधान साधन

13—अमृतसर जिला

27. खेले
28. झांडेर महान खुरखान
29. बनिआ

14—भटिंडा जिला

30. बेहमान जस्सा सिंह

15—रोपड़ जिला

31. अजौली

16—कुलू जिला

32. खालवाहन
33. बरेहन
34. सुचिन
35. मजदन
36. धौगी

17—सोलन जिला

37. चारसी
38. कोट
39, धरमाना

18—कांगड़ा जिला

40. थारु
41. सिधपुर सरकारी
42. बूनकां
43. सुनेट
44. रिरकमार
45. रजिआना
46. झिओल
47. नागनी
48. गुरनवार
49. पद्दार
50. कुथाना
51. मदौली
52. मल्लानू
53. मान सिम्बल
54. राजेहर
55. थंडार खास

19—सिरमौर जिला

56. कान्ती माशवा
57. टिकरी कोठार
58. शारली मण्डी
59. दारो देवीरिआ
60. मत्तर
61. पानेर
62. बालीकोट
63. लोजा

20—शिमला जिला

64. बेहरा
65. शारी
66. जाजिली
67. धावास
68. गावास
69. समोली
70. क्यानना
71. जागोठी

21—मंडी जिला

72. काथोग
73. चारन

22—लाहौल स्पिति जिला

74. पिओकर
75. सामोह

23—चम्बा जिला

76. ताई सुरल
77. बिसथाउलिज
78. कोठी
79. कुमार
80. सुनुदीन
81. तुना हट्टी
82. साहली
83. राय
84. रार्जन
85. कुनेश
86. उतीप
87. कालोद
88. चरारा
89. बरही
90. देहरा
91. बैरगढ़
92. खुन्दयाल
93. कूनर
94. उलान्सा
95. भंदास (मांगली)
96. जुगरा
97. खारोटी
98. घगरान

99. ऐल
100. सुंघानी
101. देरेकेरी
102. भादेल
103. भुनाद
104. खंदवाड़ा
105. नारूद
106. जोलाना

24—हमीरपुर जिला

107. अम्बेहर धिराज
108. थो
109. बेरी
110. दैन

(ख) 1981-82 के दौरान खोले गए

1—अम्बाला जिला

1. बलचापर
2. ताहरपुरकलां
3. थंदोग
4. चंगोली
5. हफीजपुर

2—रोहतक जिला

6. कोट

3—हिसार जिला

7. मोचीवाला
8. गुरियाना
9. सावास
10. अहमदपुर
11. सुन्दावास
12. ननौना
13. दैयर

4—सोनीपत जिला

14. जोहरा
15. छतरा

5—गुड़गांव जिला

16. खतेला

6—नारनौल जिला

17. मासनी

7—फिरोजपुर जिला

18. दस्तूल साहिबवाला
19. सकनेवाला
20. हिमेद धांदी
21. फुत्तूवाला
22. चागाराय उत्तर

8—गुरदासपुर जिला

23. खोजेपुर

9—रोपड़ जिला

24. धनास

10—होशियारपुर जिला

25. देनोवल कलां

11—कूलू जिला

26. खोखन मन्डी

12—सोलन जिला

27. भारती
28. जरग
29. बधीनी-घाट
30. सूरजपुर
31. रतवारी
32. तंडल
33. खिल्लायन
34. बाथोखेरी

13—कांगड़ा जिला

35. ककरियान
36. नान्स
37. थेहर
38. नहलना
39. लिली

14—सिरमौर जिला

40. कोतरीब्यास
41. शारियान

15—शिमला जिला

42. सैयंज
43. गेहन
44. जोधर
45. पाखन
46. आदू
47. करहंदा-बरनोह
48. कियारवी
49. सीमा
50. तूरन

16—किन्नौर जिला

51. चारंग

17—लाहौल स्पिती जिला

52. धनखर
53. देमूल

18—चम्बा जिला

54. सिउरा
55. कुलेठ
56. मुडाह
57. प्राहगला
58. ग्रीमा

19—हमीरपुर जिला

59. वाल्ह-उलताप
60. डंगहेवनी
61. जखुअल

20—ऊना जिला

62. बावेहर

21—बिलासपुर जिला

63. कोथलू-ब्राह्मना
64. हरनोरा
65. सुइनसरहर

देहरा और ऊना में विभागीय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन

2668. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० डब्ल्यू० सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने देहरा (जिला कांगड़ा) और ऊना में विभागीय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्रमशः 843 वर्गमीटर तथा 750 वर्ग-मीटर की भूमि के 2 प्लाटों के अर्जन के मामलों में आगे कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों प्लाट अर्जित कर लिए गए हैं और यदि हां, तो डाक तथा तार प्राधिकारियों द्वारा किन-किन तारीखों को कब्जा लिया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार को अर्जन हेतु किस तारीख को अनुरोध किया गया था, इस मामले में नवीनतम प्रगति क्या है और ये दोनों प्लाट कब तक अर्जित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर पश्चिम सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल ने कांगड़ा जिले में देहरा गोपीपुर में मुख्य डाकघर भवन, मंडलीय कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि के 713.65 तथा 130.95 वर्ग मीटर के दो भू-खण्डों के अंतरण का मामला उठाया है। पोस्टमास्टर जनरल ने हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ ऊना में मुख्य डाकघर भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 4 कनाल 5 मरला के निजी भू-खंड के अधिग्रहण का मामला भी उठाया है।

(ख) देहरागोपीपुर में दो भू-खंडों का अंतरण नहीं हुआ तथा ऊना स्थित भू-खंड का भी अभी तक अधिग्रहण नहीं किया जा सका। अतः जहां तक डाक तार विभाग द्वारा इन भू-खंडों पर अधिकार करने की तारीख का प्रश्न है, इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार की देहरागोपीपुर की भूमि के भू-खंडों के अंतरण हेतु कांगड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर को 27-3-81 को पत्र लिखा गया था। परंतु इन भू-खंडों का अभी तक अंतरण नहीं हो पाया है। इस मामले में उनको अंतिम पत्र 12-2-82 को भेजा गया था। जहां तक ऊना स्थित भू-खंड के अधिग्रहण का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को 30-1-81 को पत्र भेजा गया था। परन्तु अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अंतिम पत्र 12-11-81 को भेजा गया था। चूंकि अंतरण/अधिग्रहण से सम्बन्धित निर्णय राज्य सरकार को लेने हैं, अतः यह बता पाना सम्भव नहीं है कि किस तारीख (तारीखों) तक ये भू-खंड अंतरित/अधिकृत हो जायेंगे।

स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

2669. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान डाक परिमंडलों में डाक क्वार्टरों के निर्माण के लक्ष्य क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए परिमंडल-वार (बहुराज्य परिमंडलों के मामले में राज्यवार) कुल कितना परिव्यय नियत है तथा परिमंडल के भीतर प्रत्येक डाक मंडल के लिए कितनी राशि नियत है ;

(ख) वर्ष 1980-81 में तथा 1981-82 के पहले 9 महीनों में इस काम पर कितना व्यय किया गया है और 1981 के अन्त तक प्रत्येक परिमंडल के प्रत्येक मंडल में किन-किन स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान डाक सर्किलों में 13285 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का लक्ष्य है। इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग ने 72.08 करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी है। छठी पंचवर्षीय

योजना के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के सर्कलवार तथा डिवीजनवार ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं। डाक सर्कलों को निधि का आवंटन डाक सर्कलों द्वारा दिखाई गई आवश्यकताओं तथा वर्ष विशेष के लिए योजना आयोग द्वारा वस्तुतः आवंटित निधि को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष किया जाता है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर 3.72 करोड़ रु० व्यय किए गए। 1981-82 के प्रथम 9 महीनों के दौरान इस कार्य पर 2.21 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई। प्रत्येक सर्कल में, जहां 1981 के अन्त तक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कर लिया गया है, डिवीजन वार स्थानों के नाम एकत्र किए जा रहे हैं तथा लोक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) वार्षिक योजना 1982-83 के दौरान स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 6.19 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है।

भारत ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए अरब देशों तथा सहयोगी प्रदाता एजेंसियों द्वारा ऋण दिया जाना

2670. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों और सहयोगी प्रदाता एजेंसियों ने देश के ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए वर्ष 1981 के अन्त तक भारत को 336 करोड़ रुपये का कुल ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से देश थे और प्रत्येक देश द्वारा कुल कितनी राशि दी गई थी;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राशि का प्रयोग किस प्रकार किया गया था; और

(घ) वर्ष 1982 के दौरान बिजली परियोजनाओं के लिए इन अरब देशों द्वारा कितनी सहायता दिए जाने की सम्भावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रदाता एजेंसियों के नाम ऋणों की राशि तथा जिन परियोजनाओं के लिए ये ऋण दिए गये हैं, उन परियोजनाओं के नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(घ) रामागुण्डम-II विद्युत परियोजना के लिए 30 से 40 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु ओपेक निधि के साथ बात-चीत चल रही है।

विवरण

क्रम सं०	प्रदाता एजेन्सी का नाम	ऋण की राशि (प्रदाता की मुद्रा मिलियन में और करोड़ रुपये में कोष्ठों में)	परियोजना का नाम
1.	अरब के आर्थिक विकास हेतु आबूधाबी निधि (यूनाइटिड अरब अमीरात)	यू० ए० ई० दिरहम 68.000 (15.44)	गढ़वाल ऋषिकेश चिल्ला-जल विद्युत परियोजना
2.	सऊदी विकास निधि (सऊदी अरब)	एस० आर० 353.000 (85.07)	श्रीशैलम और नागार्जुनसागर विद्युत परियोजनाएं
3.	—वही—	एस० आर० 106.000 (25.55)	कोयला कारो जल विद्युत परियोजना
4.	अरब के आर्थिक विकास हेतु कुवैत निधि (कुवैत)	के० डी० 9.400 (27.85)	कोपिली जल विद्युत परियोजना
4.	(क) —वही—	के० डी० 15.000 (40.000)	काती नदी जल-विद्युत परियोजना
5.	—वही—	के० डी० 16.000 (47.41)	अजपारा "क" ताप विद्युत परियोजना
5.	(क) —वही—	के० डी० 9.000 (26.67)	अजपारा विद्युत परियोजना (कोयले की ढुलाई और हैंडलिंग)
6.	ओपेक (विशेष) अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि (वियना)	अमरीकी डालर 20.000 (16.00)	कोरबा ताप विद्युत केन्द्र
7.	—वही—	अमरीकी डालर 20.000 (16.00)	रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना
8.	—वही—	अमरीकी डालर 14.000 (11.20)	बम्बई हाई पाइप लाइन
9.	—वही—	अमरीकी डालर 30.000 (24.00)	सैकिण्ड बम्बई हाई अपतटीय
	जोड़	335.19 करोड़ रुपये	

कोयले की उठाईगिरी

2671. श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयले की बड़े पैमाने पर उठाईगिरी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर तथा इस उठाईगिरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी नहीं हो रही है फिर भी, जब कभी कोयले की चोरी के मामले पकड़े जाते हैं तो कोयला कंपनियां समुचित कार्रवाई करती हैं। चोरी रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(1) कोयला कंपनियों की टीमों द्वारा तथा कोल इण्डिया लि० की टीम द्वारा भी कोयले के स्टाकों की नियमित भौतिक जांच-पड़ताल।

(2) कोयला कंपनियों की तथा कोल इण्डिया लि० की "सतर्कता टीमों" द्वारा अचानक पहुंचकर जांच।

(3) गैर सरकारी कोल डिपो की संख्या घटाई जा रही है।

(4) जहां कोयले के स्टाक नियमित आधार पर रखे जाते हैं वहां चारों ओर दिवालें बनाई जा रही हैं और तार लगाए जा रहे हैं।

(5) कोयला, कोक और बालू के सड़क द्वारा परिवहन का विभागीकरण किया जा रहा है।

(6) सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा सुपर ताप बिजलीघर

2672. श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर में बनाये जा रहे चार सुपर ताप बिजली घरों के नाम क्या हैं ;

(ख) कार्य की प्रगति क्या है ; और

(ग) उनको पूरा किये जाने की लक्षित तारीखें क्या हैं और उनके द्वारा काम कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में (2000 मेगावाट), मध्य प्रदेश में कोरबा में (2100 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम में (2100 मेगावाट) और पश्चिम बंगाल में फरक्का में (2100 मेगावाट के लिए आयोजित तथा वर्तमान में 600 मेगावाट निर्माणाधीन) सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हों और मूल कार्यक्रम के अनुसार ही सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का 200 मेगावाट का यूनिट संख्या-1 हाल ही में चालू किया गया है। इनको पूरा करने का वर्तमान लक्ष्य निम्नलिखित है :

परियोजना	पहले यूनिट को चालू करना	पूरे केन्द्र को सम्पन्न करना
सिंगरौली (2000 मेगावाट)	फरवरी, 82 (प्राप्त कर लिया गया है)	1987-88
कोरबा (2100 मेगावाट)	जनवरी, 1983	1988-89
रामागुण्डम (2100 मेगावाट)	फरवरी, 1984	1989-90
फरक्का	जनवरी, 1985	1990-91 (योजना बनाई गई है)

निर्धनों को विधिक सहायता देने के मामले में राज्यों द्वारा की गई प्रगति

2673. **श्री नवीन रवाणी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों को विधिक सहायता देने का कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू किया जा चुका है, यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने इस स्कीम को अपनाया नहीं है ;

(ख) जिन राज्यों में यह स्कीम लागू हो चुकी है, उनमें इस स्कीम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है ;

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए इस स्कीम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ; और

(घ) अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान इस स्कीम के लिए कितनी धनराशि दी गई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना द्वारा व्यापक विधिक सहातता स्कीमें तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए एक छोटी-सी उच्च शक्ति प्राप्त समिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित की थी। इस समिति ने एक आदर्श स्कीम तैयार की है। विधिक सहायता और सलाह स्कीमें सभी राज्यों में इस आदर्श स्कीम के आधार पर प्रारंभ नहीं की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रवेश राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने उक्त आदर्श स्कीम के आधार पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड गठित किए हैं। असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी-अपनी विधिक सहायता स्कीमें हैं।

(ख) अनेक राज्यों में राज्य बोर्ड और ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्य में लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार के पास इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि उक्त बोर्डों और संगठनों आदि ने कुल कितने मामले अपने हाथ में लिए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में विधिक सहायता के लिए 50 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी।

(घ) अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक केन्द्रीय सरकार की निधियों में से निम्नलिखित सहायता अनुदान संवितरित किए गए हैं :

	रकम रुपयों में
1. उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति, नई दिल्ली	1,00,000
2. उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, लखनऊ	61,500
3. गुजरात राज्य विधिक सहायता समिति, अहमदाबाद	15,500
4. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	3,500
	1,80,500

इसके अतिरिक्त वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूर किए गए निम्नलिखित सहायता अनुदान भी सितम्बर, 1981 से संवितरित किए गए थे :

1. उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति	25,000 रु०
2. विधिक जानकारी बढ़ाने संबंधी समिति (कमेटी फार एडवांसमेंट आफ लीगल लिटरेसी), बम्बई	10,000 रु०
3. लायर्स कलेक्टिव, बम्बई	10,000 रु०
4. उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, लखनऊ	5,000 रु०
	50,000 रु०

उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

2674. **श्री निहालसिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में नये टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है ; और

(ग) नये कनेक्शनों के लिए ऐसे आवेदन-पत्रों की तारीखें क्या हैं और उन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर प्रदेश में दिनांक 1-2-82 को प्रतीक्षा-सूची में आवेदन-पत्रों की संख्या-24744 थी। 27 मुख्य एक्सचेंजों का एक्सचेंजवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रतीक्षा-सूची के 24744 आवेदकों के पंजीकरण की तारीखों की संख्या अत्यधिक है और यहां दे पाना सम्भव नहीं है। ये ब्यौरे प्रत्येक एक्सचेंज के प्रतीक्षा-सूची रजिस्टर में उपलब्ध है तथापि ऊपर (क) में बताए गये मुख्य एक्सचेंजों की सामान्य प्रतीक्षा-सूची के निपटान की तारीख अनुबन्ध में दर्शायी गई है। ऐसी आशा है कि वर्तमान प्रतीक्षा-सूची के अधिकांश आवेदकों को छठी योजना के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

उत्तर प्रदेश के मुख्य एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची और निपटान की तारीखें

क्रम	एक्सचेंज	1-2-82 को प्रतीक्षा सूची	सामान्य प्रतीक्षा सूची के निपटान की तारीख
1.	लखनऊ टेलीफोन प्रणाली		
	(i) केसरबाग	1761	30-7-79
	(ii) चन्दरलोक	480	27-9-78
	(iii) चौक	138	14-7-80
	(iv) आलमबाग	412	9-3-79
2.	कानपुर टेलीफोन प्रणाली		
	(i) माल रोड	2174	25-1-79
	(ii) बेनाझावर	1499	22-11-79
	(iii) लाजपतनगर	639	25-1-79
	(iv) सर्वोदय नगर	55	18-3-81
	(vi) किदवई नगर	335	16-11-79
3.	आगरा	2090	25-4-78
4.	वाराणसी	1749	12-1-78
5.	अलीगढ़	523	11-9-78
6.	इलाहाबाद (स्ट्राउंजर)	352	26-7-79
	इलाहाबाद (कासबार)	831	6-4-79
7.	बरेली	853	16-8-78
8.	देहरादून	972	20-12-78
9.	फिरोजाबाद	124	14-4-79
10.	गोरखपुर	277	13-1-79
11.	हल्दवानी	84	6-2-81
12.	हरिद्वार	46	1-9-81
13.	झांसी	180	6-9-79
14.	मथुरा	563	10-6-78
15.	मेरठ	1745	18-2-77
16.	मुरादाबाद	1319	2-4-78
17.	मुजफ्फरनगर	272	27-7-79
18.	सहारनपुर	1216	14-3-77
19.	शाहजहांपुर	153	10-6-78
	योग	20841	

भड़ौंच जिले में पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना

2675. **श्री आर० पी० गायकवाड़** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भड़ौंच जिले में तीसरे-पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स की स्थापना करने के लिए गुजरात सरकार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धांत रूप में सूरत जिले में कवास में गैस पर आधारित एक पेट्रोरसायन उद्योग समूह स्थापित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय कर लिया है। इस पेट्रोकैमिकल काम्लैक्स को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

गुजरात की ग्रामीण जनता के लिए टी० वी० सेट

2676. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की ग्रामीण जनता के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन सैटों की व्यवस्था करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के दौरान "इनसैट" स्कीम के अन्तर्गत राजकोट में 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके सेवा क्षेत्र में वी० एच० एफ० टेलीविजन सैट तथा राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ के जिलों, जो स्थलीय ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्रों के अन्दर नहीं आते, में सीधे संग्रहण सैट उपलब्ध किए जायेंगे।

आकाशवाणी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

2679. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो पत्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़िया-भाषा में भी कोई पत्रिका प्रकाशित की जाती है या प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसका नाम क्या है और यह किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) "आकाशवाणी", "आवाज़", "बेतार जगत", "आकाशी", "नभोवाणी", "वाणी", "वनोली", और "इंडिया कालिंग" ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनायें

2680. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुछ परियोजनाएं कुछ विदेशों के सहयोग से आरम्भ किये जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कौन-कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ।

(ग) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम की उन परियोजनाओं की मदद करने के लिए किन-किन देशों ने वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(घ) क्या यह सच है कि सोवियत रूस मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की परियोजना (वैधान तापीय विद्युत निगम) का वित्तपोषण करेगा, और

(ङ) यदि हां, तो उस परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दिसम्बर, 1980 के भारत सोवियत तकनीकी सहयोग समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते में बताई गई परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता से वित्त-व्यवस्था के हेतु 520 मिलियन रुबल के एक ऋण की व्यवस्था है। इनमें, सिंगरौली क्षेत्र के निगाही ब्लाक की खानों पर आधारित एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करना शामिल है। मध्य प्रदेश के सोधी जिले में वैधान में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के चरण एक की लागत 1110.42 करोड़ रुपए होगी। इस चरण में 1260 मेगावाट (6×210 मेगावाट) क्षमता का और सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण शामिल है। दिसम्बर, 1980 के भारत-सोवियत तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत इस परियोजना के सोवियत सप्लाई वाले भाग की वित्त व्यवस्था के लिए सोवियत संघ ने 400 मिलियन रूबल (300 करोड़ रु०) तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने के बारे में सूचित किया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और निवेश संबंधी निर्णय के लिए इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

देश के ताप विद्युत कार्यक्रम में सहायता के प्रस्ताव यू० के०, इटली, कनाडा, जापान, पश्चिम जर्मनी आदि जैसे कुछ अन्य देशों से भी प्राप्त हुए हैं।

पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनायें

2681. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापनाधीन विद्युत परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी के द्वारा कुल कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी द्वारा तकनीकी जानकारी भी दी गई है; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय प्रतिष्ठापित की जा रही दो परियोजनाओं को; क्रमशः ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र (500 मेगावाट) तथा नेवेली दूसरा विद्युत केन्द्र (630 मेगावाट), पश्चिम जर्मन से सहायता मिल रही है।

इसके अतिरिक्त, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्राधिकारियों ने कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (500 मेगावाट के एक टर्बो जेनरेटिंग सेट) तथा सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (500-500 मेगावाट के दो टर्बो जेनरेटिंग सेटों) के लिए भी वचन दिया है परन्तु निर्दिष्ट समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने अब तक कुल 639 मिलियन डी० एम० दिए हैं/देने का वचन दिया है। इसमें से नेवेली दूसरे विद्युत केन्द्र के लिए 58 मिलियन डी० एम० की राशि की ऋण की चौथी किस्त के लिए निर्दिष्ट समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ग) फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करके भी विद्युत विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। इनको चालू करने का कार्यक्रम निम्नानुसार है :

परियोजना का नाम	चालू करने का कार्यक्रम
ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र	1982-83
नेवेली दूसरा विद्युत केन्द्र	1984-85

सिन्दरी स्थित फार्मों को एफ० पी० डी० आई० एल० को लौटाने का प्रस्ताव

2682. **श्री ए० के० राय :**

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के स्वामित्व वाले सिन्दरी (धनबाद-बिहार) स्थित फार्मों का क्षेत्र कितना है और वहां हो रहे उत्पादन तथा प्रयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) सिन्दरी स्थित एग्रोनोमी डिवीजन में कितने कर्मचारी हैं और वहां वास्तव में कितना काम हो रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि फार्म में वस्तुतः कोई उत्पादन नहीं होता है और एग्रोनोमी डिवीजन द्वारा भी कोई काम नहीं होता है;

(घ) क्या यह विंग पहले योजना तथा विकास प्रभाग सिन्दरी के पास था (जो अब एफ० पी० डी० आई० एल० है) जब अच्छा कार्य हुआ करता था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसे बहाल हेतु एफ० पी० डी० आई० एल० को लौटाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के स्वामित्व में सिन्दरी (धनबाद-बिहार) में फार्म का कुल क्षेत्र 100 एकड़ है। फार्म का प्रयोग मुख्यतया भूमि परीक्षण, जांच परीक्षण और प्रदर्शन के लिए किया जाता है। फार्म के कुछ हिस्से का प्रयोग धान, गेहूं, सरसों, आलू, अरहर, बागबानी आदि जैसी सामान्य फसलों के लिए किया जाता है। कहां किए जाने वाले परीक्षणों में भूमि परीक्षण, क्राप रिसपोस कैलिब्रेशन अध्ययन, फसल चक्र और उर्वरक प्रयोग आदि शामिल हैं।

(ख) 1951 भूमि और प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। साथ-साथ भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है। सिन्दरी में भारतीय ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रायोजित चावल में ब्राउन प्लांट, हापर के नियन्त्रण, भूमि परीक्षण मूल्य के साथ क्राप रिसपोंस का कैलिब्रेशन, नाइट्रोजन (15 एन) की दक्षता में वृद्धि आदि जैसी नई परियोजनाएं चालू की गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ), (ङ) और (च) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के पुनर्गठन के पूर्व यह स्थापना योजना और विकास स्कन्ध के पास थी। 1 अप्रैल, 1978 से फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के पुनर्गठन के बाद इसे हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अन्तर्गत रखा गया। संगठन के सन्तोषप्रद ढंग से कार्य करने की सूचना है। इसे फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इण्डिया लि० (एफ० पी० डी० आई० एल०) को स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है। इसके अलावा यह बिहार में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के उर्वरक प्रवर्तन ढांचे का एक

अंग है और यदि इस संगठन को इससे अलग कर दिया जाता है तो बिहार में इसके माध्यम से कृषकों को भूमि परीक्षण सेवाएं देने समेत अनेक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा उत्पादित कैटेलिस्ट

2683. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा उत्पादित कैटेलिस्टों के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यू० सी० आई० एल० की तुलना में एफ० पी० डी० आई० एल० की तकनीकी उपयुक्तता को मंत्रालय के सलाहकार (उर्वरक) को सौंपा गया था, यदि हां, तो सलाहकार के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि यू० सी० आई० एल० से कैटेलिस्ट खरीदने में, टेंडर देने में सिन्दरी एकक द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं की गई थीं, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जबकि मंत्रालय ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ० सी० आई०) के सिन्दरी यूनिट में फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इण्डिया लि० (एफ० पी० डी० आई० एल०) के सी० ओ० शिफ्ट कनवर्सन उत्प्रेरक के कार्यनिष्पादन की जांच की, लेकिन यूनाइटेड कैटेलिस्ट इण्डिया लि० (यू० सी० आई० एल०) उत्प्रेरक के साथ उसके कार्यनिष्पादन की तुलना नहीं की गई।

(ख) एफ० सी० आई० ने सूचित किया है कि उस समय विद्यमान उत्प्रेरकों की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ रही थी और यह पता था कि उत्प्रेरक किसी भी समय असफल हो सकते हैं। इसलिए एफ० सी० आई० ने प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर ही मामले पर कार्यवाही कर दी। चूंकि देश में एफ० पी० डी० आई० एल० और यू० सी० आई० एल० नामक दो ही उत्प्रेरक के सप्लाइकर्ता थे, इसलिए दोनों से सम्पर्क किया गया और एफ० सी० आई० ने उनसे प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। एफ० सी० आई० ने अन्त में 15-9-81 को यू० सी० आई० एल० को आशय पत्र दिया। एफ० सी० आई० ने आगे सूचित किया है कि सिन्दरी यूनिट द्वारा कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बरती गई है।

(ग) उत्प्रेरक के प्रयोग के बारे में अन्ततोगत्वा उपभोक्ता कम्पनी तकनीकी फैसले का निर्णय लेती है।

दिल्ली टेलीफोन का विस्तार

2684. **श्री भीकू राम जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में विस्तार तथा सुधार करने का विचार है, राजधानी के विभिन्न स्थानों को माइक्रो-वेव से जोड़ने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

1. दिल्ली टेलीफोन प्रणाली की, 2,32,900 लाइनों की मौजूदा क्षमता में छठी योजना की शेष अवधि में अतिरिक्त 1,29,500 लाइनों के विस्तार कार्यक्रम पर भी विचार करना।

2. प्रणाली के सुधार पर विचार करना :

(I) आयातित आधुनिक उपस्कर द्वारा कुल 20,000 लाइनों के लगभग पुराने स्ट्रोजर उपस्कर का प्रतिस्थापन।

(II) टेलेक्स ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों और स्थानीय एक्सचेंजों हेतु इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग प्रणालियां प्रारम्भ करना।

(III) भूमिगत केबल जालकार्य हेतु—केबलों को नलिकाओं में बिछाने तथा उनके दाबीकरण का विस्तार।

(IV) एक्सचेंजों के अनुरक्षक और प्रचालन की कड़ी निगरानी एवं नियन्त्रण।

3. एक्सचेंजों के बीच जंक्शनों हेतु सूक्ष्मतरंग सम्पर्क प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

उड़ीसा को सोफ्ट कोक की सप्लाई

2685. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को सोफ्ट कोक की सप्लाई की अधिकतम सीमा कितनी है;

(ख) उड़ीसा को 1981 केलैंडर वर्ष में सोफ्ट कोक के कुल कितने वैगन सप्लाई किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा को अधिकतम सीमा के अनुसार सोफ्ट कोक सप्लाई नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ीसा राज्य को 1982 कैलेंडर वर्ष में सोफ्ट कोक की सप्लाई बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) रेलवे ने उड़ीसा को सोफ्ट कोक भेजने के लिए 1981 में जो सीमा नियत की थी वह 250 वैगन प्रतिमास की थी।

(ख) वर्ष 1981 में रेलवे ने 539 वैगन सोफ्ट कोक उड़ीसा को पहुंचाया। इसके अलावा, कोल इण्डिया लि० ने उड़ीसा की निश्चित मांग को पूरा करने के लिए लगभग 1200 टन सोफ्ट कोक सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी दिया।

(ग) और (घ) : उड़ीसा को सोफ्ट कोक की सप्लाई में कमी हुई थी जिसका कारण सोफ्ट कोक के परिवहन के लिए वैगनों का पर्याप्त संख्या में न मिलना था।

(ङ) कोल इण्डिया लि० रेल वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई अधिक से अधिक करने के सम्बन्ध में रेलवे के साथ सभी परिचालन स्तरों पर सम्पर्क बनाए हुए है। आशा है कि रेल द्वारा कोयले की ढुलाई 1981-82 में अब तक की सबसे अधिक रिकार्ड ढुलाई होगी। इसके अलावा, रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की निगरानी उच्चतम स्तर पर "आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति" द्वारा भी की जाती है।

उत्तर प्रदेश में डामर (बिटूमन) की मांग

2686. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981-82 में कितनी मात्रा में बिटूमन की मांग की और 1982-83 के लिये उसकी आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को अपेक्षित मात्रा में डामर सप्लाई कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981-82 के लिये राज्य को 1.80 लाख मीट्रिक टन बिटूमन के आवंटन के लिये मंत्रालय से निवेदन किया गया है। वर्ष 1982-83 के लिये राज्य सरकार से अभी तक कोई ऐसी प्रार्थना मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिये राज्य को बिटुमन की 1.01 लाख मीट्रिक टन की कुल मात्रा आवंटित की गई थी जिसमें से राज्य को जनवरी 1982 तक 0.96 लाख मी० टन की सप्लाई की जा चुकी है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि वर्ष 1981-82 के दौरान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रभूत मात्रा में बिटूमन का अतिरिक्त आवंटन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वर्ष 1982-83 के लिये राज्यवार आवंटनों को अभी अन्तिम रूप से निश्चित किया जाना शेष है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में विकास खण्डों का विद्युतीकरण

2687. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के उन विकास खंडों के क्या नाम हैं : जिन्हें वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने का विचार है, और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत इन दोनों जिलों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के विकास खंडों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए नीचे लिखी स्कीमें स्वीकृत की हैं :

अल्मोड़ा जिला	पिथौरागढ़ जिला
1. बागेश्वर	1. वारकोट
2. भिकिया सेन	2. वेनीनाग
3. भैंसियाचेना	3. चम्पावत
4. चोखटिया	4. धारचूला
5. धौलादेवी	5. दिगतारत
6. द्वारहाट	6. गंगोलीहाट
7. गरुर	7. केनालेचीला
8. हावलबाग	8. लौहाघाट
9. केपकोटे	9. मुनाकोट
10. लामगेरा	10. मुसियारी
11. सल्ट	11. पिथौरागढ़
12. स्यादे	
13. ताकुला	
14. टेलीखेत	

1982-83 के दौरान इन विकास खंडों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के ब्यौरा का निर्णय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 18,000 गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है। जिले-वार लक्ष्य राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

विदेशी औषध फर्मों का भारतीयकरण

2688. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 40 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग वाली विदेशी कम्पनियों की

संख्या कम करके केवल 12 करने का निर्णय किया है जो इस समय 40 से अधिक है और औषधियों के उत्पादन में लगी हुई हैं;

(ख) क्या शेयर होल्डिग में कमी करने के साथ ये कम्पनियां उच्च प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों का उत्पादन करने के लिये बाध्य नहीं होंगी और अपनी प्रधान कंपनियों से प्रौद्योगिकी का आयात भी नहीं कर सकेंगी;

(ग) क्या शेयरों की यह कमी किये जाने से इन कम्पनियों को भारतीय कम्पनियां बनाया जायेगा और वे ऐसे सूत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी जो इस समय भारतीय कम्पनियों के लिये आरक्षित किये जा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि इन कम्पनियों की शेयर होल्डिग में कमी करने से भारतीय औषध कम्पनियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और यदि हां, तो इस बारे में क्या वास्तविक रक्षोपाय करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विदेशी औषध कम्पनियों के विदेशी मुद्रा के अनुमेय स्तर के बारे में लिये गये निर्णयों के ब्यौरे पहले ही 18-12-1981 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 के उत्तर में दिये जा चुकें हैं।

(ख) और (ग) यदि विदेशी कम्पनी अपनी विदेशी साम्य पूंजी सहभागिता के स्तर को 40 प्रतिशत या उससे कम कर लेती है, तो उसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और औषध नीति के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसिग के उद्देश्य के लिये भारतीय कम्पनियों के समान समझा जाता है; ऐसी कम्पनियों को सिर्फ उच्च प्रौद्योगिकी बल्क औषधों का निर्माण करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। वे अन्य भारतीय कम्पनियों के समान ही बल्क औषधों के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकी के आयात करने के लिये आवेदन कर सकती हैं।

(घ) ऐसी अनेक औषध कम्पनियां हैं जिनकी विदेशी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत या उससे कम है। इस संख्या में 6 और कम्पनियों की वृद्धि होने से इस समय अन्य भारतीय कम्पनियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

ऊर्जा के विकास के लिए स्वीडन से सहायता

2689. **श्री एस० एन० नन्जे गौडा :**
श्री हरिनाथ मिश्र :
श्री बी० वी० देसाई :
श्री तारिक अनवर :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के प्रधान मंत्री ने अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान हमारे देश में ऊर्जा के विकास के लिए हमारे देश की प्रौद्योगिकी में सहायता करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के किन-किन क्षेत्रों में विकास हेतु सहायता प्राप्त होगी;

(ग) क्या इस विषय पर उत्तर-दक्षिण वार्ता करने का भी सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या स्वीडन ने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती निर्यात ऋण हेतु भारतीय अनुरोध पर सक्रिय विचार करने की भी पेशकश की थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : स्वीडन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के सम्बन्ध में हुए विचार-विमर्श में, ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की भावना पर जोर दिया गया था। जल-विद्युत तथा ताप विद्युत उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा-संरक्षण तथा ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश है। दोनों देशों के आपसी हितों की दृष्टि से इन क्षेत्रों में सहयोग की सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ग) अन्य बातों के साथ उत्तरी-दक्षिणी वार्ता आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर, विशेषकर ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय प्रवाहों के क्षेत्र में इस प्रकार की वार्ता आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर विचारों का खुल कर आदान-प्रदान हुआ।

(घ) जी, हां। भारत में ऊर्जा परियोजनाओं के कुछ हिस्सों के वित्त-पोषण के लिए स्वीडन के प्रधान मंत्री ने विशेषज्ञता के क्षेत्र में रियायती ऋण देने पर विचार करने की पेशकश की थी।

भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति

2690. **श्री दिगम्बर सिंह :**
श्री टी० एस० नेगी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्वतीय बोलियों के विकास के लिये नजीबाबाद और लखनऊ केन्द्रों में वरिष्ठ प्रोड्यूसरों को नियुक्त करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न केन्द्रों पर न्यूज रीडरों के ग्रेड, अर्थात् 1100-1600 रुपये के समान ग्रेड में भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति पर विचार करने का है ताकि कार्यक्रमों का स्तर बढ़ाया जा सके; और

(ग) विशेषज्ञों और प्रोड्यूसरों की पदोन्नति के लिये क्या प्रावधान हैं और विभिन्न भाषाओं के विशेषज्ञों की पदोन्नति करने के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा रखने वाले आकाशवाणी के प्रोड्यूसर योग्यता के आधार पर सीनियर प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। वे उप-मुख्य प्रोड्यूसर के पद चयन द्वारा पदोन्नति के लिए और मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर सीमित चयन द्वारा पदोन्नति के लिए भी पात्र हैं।

स्मारक-टिकटों का जारी किया जाना

2691. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1982 तक के बीच की अवधि में सरकार ने जो स्मारक टिकट जारी किये हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ये टिकट सरकार ने अपनी मर्जी से जारी किये थे अथवा इन्हें कुछ लोगों के अनुरोध के आधार पर जारी किया गया था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जनवरी, 1980 और जनवरी, 1982 के बीच की अवधि के दौरान डाक तार विभाग द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा तथा प्रेषकों का विवरण, शासकीय अथवा अन्यथा दोनों, विवरण में दिया गया है ।

विवरण

जनवरी 1980 से जनवरी 1982 की अवधि के दौरान जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों का विवरण

क्रम सं०	विषय	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की सं०	मूल्यवर्ग (पैसे)	प्रस्तावक
1	2	3	4	5	6
1.	यूनीडा सम्मेलन	21-1-80	1	100	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
2.	भारत-80 (शृंखला)	25-1-80	4	30,50 100, 200	डाक तार विभाग
3.	इंजीनियरों का संस्थान	17-2-80	1	30	इंजीनियर संस्थान, कलकत्ता
4.	मद्रास सैपरर्स	26-2-80	1	30	निदेशक, सेना डाक सेवा
5.	मधुमक्खी सम्मेलन	29-2-80	1	100	कृषि एवं सिचाई मंत्रालय
6.	चौथा विश्व पुस्तक मेला	29-2-80	1	30	डा० कर्ण सिंह, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री
7.	वैल्थी फिशर	18-3-80	1	30	श्री चन्द्र शेखर, अध्यक्ष जनता पार्टी
8.	दारुल उलूम देवबन्द	21-3-80	1	30	शिक्षा मंत्रालय

1	2	3	4	5	6
9.	के० सी० सेन	15-4-80	1	30	भारत के भूतपूर्व अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल
10.	छत्रपति शिवाजी महाराज	21-4-80	1	30	छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति तथा अन्य
11.	एशियाई टेबिल टेनिस	9-5-80	1	30	बंगाल टेबिल टेनिस एसोसिएशन
12.	एन० एम० जोशी	5-6-80	1	30	श्री एच०एन० बहुगुणा भूतपूर्व वित्त मंत्री
13.	उल्लूर एस० परमेश्वर अय्यर	6-6-80	1	30	मुख्य मंत्री केरल और डा० पी० सी० चन्द्र भूतपूर्व शिक्षा मंत्री
14.	एस० एम० जामिन अली	25-6-80	1	30	आल इंडिया यूनिवर्सिटी आफ उर्दू टीचर्ज़ ऐसोसिएशन, इलाहाबाद
15.	हेलन केलर	27-6-80	1	30	नेशनल ऐसोसिएशन फार ब्लाइंड, बम्बई
16.	बाईसवां ऑलिंपिक्स मास्को	19-7-80	2	100, 280	डाक तार विभाग
17.	प्रेमचंद	31-7-80	1	30	आल इंडिया पीस एण्ड सोलीडेरीटी आर्गनाइजेशन, दिल्ली
18.	मां टेरेसा	27-8-80	1	30	श्री पी० एन० प्रभु, बंबई
19.	द अर्ल माउन्टबेटन आफ बर्मा	28-8-80	1	280	डाक तार विभाग
20.	स्काटिश चर्च कालिज	27-9-80	1	35	प्रिंसिपल, स्काटिश चर्च कालिज कलकत्ता
21.	राजा अणामलै चेट्टियार	30-9-80	1	35	श्री० ए० वल्लारतन, पत्रकार, त्रिवेंद्रम

1	2	3	4	5	6
22.	दांडी यात्रा	2-10-80	2	35, 35	साबरमती आश्रम प्रीजरवेशन एण्ड मिमोरियल ट्रस्ट,अहमदाबाद
23.	जयप्रकाश नारायण	8-10-80	1	35	डाक तार विभाग
24.	हुकना पक्षी	1-11-80	1	230	टुअरइज्म एण्ड वाइल्डलाइफ सोसाइटी आफ इण्डिया, जयपुर
25.	1400 हिजरी	3-11-80	1	35	निदेशक, भारतीय इस्लामिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
26.	बाल दिन	14-11-80	1	35	डाक तार विभाग
27.	ध्यान चन्द	3-12-80	1	35	श्री कैलाश नाथ सिंह, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, (उत्तर प्रदेश)
28.	स्वर्ण खनन शताब्दी	20-12-80	1	100	इस्पात और खान मंत्रालय
29.	एम० ए० अंसारी	25-12-80	1	35	प्रधान मंत्री का कार्यालय और अन्य
30.	भारत सरकार टकसाल	27-12-80	1	35	वित मंत्रालय
31.	भारतीय दुलहनें	30-12-80	4	100, 100 100, 100	डाक तार विभाग
32.	मजहरूल हक़	2-1-81	1	35	श्री एस० आर० ऐड़े, एडवोकेट, छपरा
33.	सेंट स्टीफन कालिज, दिल्ली	1-2-81	1	35	प्रिंसिपल सेंट स्टीफन कालिज, दिल्ली
34.	गोमतेश्वर	9-2-81	1	100	देवेन्द्र कुमार जैन, भूतपूर्व सदस्य महानगर परिषद्, दिल्ली
35.	जी० वी० मावलंकर	27-2-81	1	35	श्री एच० वी० कामथ, संसद सदस्य

1	2	3	4	5	6
36.	शहीदों को श्रद्धांजलि	23-3-81	1	35	श्री राम किशन (भूत-पूर्व मुख्य मंत्री पंजाब) अध्यक्ष शहीद अर्द्ध शताब्दी समारोह समिति
37.	हैनरी वान स्टीफान	8-4-81	1	100	विश्व डाक संघ
38.	अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष	20-4-81	1	100	अखिल आरतीय व्याव-सायिक चिकित्सक संघ, हैदराबाद
39.	भारत की जनजातियां		4		
	भील	30-5-81		100	डाक तार विभाग
	दंडानी मारिया	30-5-81		100	
	खियामङन नागा	30-5-81		100	
	टांडा	30-5-81		100	
40.	वन्य संरक्षण	15-6-81	1	100	विश्व वन्यजीवन निधि, भारत
41.	नीलमणि फूकन	22-6-81	1	35	असम साहित्य सभा और श्री दिनेश गोस्वामी, संसद सदस्य
42.	संजय गांधी	23-6-81	1	35	भार्गवा फिलैटलिक सोसाइटी, लखनऊ और अन्य
43.	एस एल वी-3	18-7-81	1	100	सचिव, अंतरिक्ष विभाग
44.	नवम् एशियाई खेल दिल्ली 1982	28-7-81	2	100 100	संगठन समिति, नवम एशियाई खेल, दिल्ली
45.	पुष्पित वृक्ष	1-9-81	4	35, 50, 100, 200	फ्रेंड्स आफ ट्रीज, अहमदाबाद
46.	विश्व खाद्य दिवस	16-10-81	1	100	कृषि मंत्रालय(एफ ए ओ)
47.	तितलियां	20-10-81	4	35, 50, 100, 200	डाक तार विभाग
48.	बेल्लेरी राघव	31-10-81	1	35	राघव शताब्दी समिति (विदेश मंत्री और दूसरों के माध्यम से)

1	2	3	4	5	6
49.	महार रेजिमेंट	9-11-81	1	35	थल सेना अध्यक्ष
50.	बाल दिन	14-11-81	1	35	डाक तार विभाग
51.	नवम एशियाई खेल दिल्ली 1982	19-11-81	1	100	संगठन समिति, नवम एशियाई खेल दिल्ली
52.	के० पी० जायसवाल	27-11-81	1	35	बिहार सरकार
53.	फिलीस्तीनी जनता के साथ एकता	29-11-81	1	100	विदेश मंत्रालय
54.	भारतीय नौसेना	4-12-81	1	35	नौसेना मुख्यालय
55.	हेनरी हेरास	14-12-81	1	35	हैरास इन्स्टिच्यूट आफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर
56.	आईओकाम केबल	24-12-81	1	100	महानिदेशक विदेश संचार सेवा
57.	5वां विश्व चश्क	29-12-81	1	100	संगठन सचिव, 5वां विश्व चश्क (पुरुष) बम्बई
58.	नवम एशियाई खेल दिल्ली 1982	30-12-81	1	100	संगठन समिति, नवम एशियाई खेल दिल्ली
59.	टेलीफोन सेवा के 100 वर्ष	28-1-82	1	200	महाप्रबंधक मद्रास टेलीफोन्स, मद्रास

छठी योजना के दौरान कल्लड विद्युत प्रजवत योजना पर खर्च की जाने वाली राशि

2692. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कल्लड विद्युत प्रजक्त योजना पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) क्या उक्त परियोजना का कार्य आरम्भ हो गया है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है, उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कल्लड विद्युत उत्पादन स्कीम पर छठी योजना में 11 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे।

(ख) प्रारम्भिक कार्य शुरू किए जा रहे हैं। परियोजना को छठी योजना के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

कतिपय राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा होना

2693. **श्री अमर राय प्रधान :**

प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री नीरेन घोष :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वर्ष 1982 में विधान सभा के निर्वाचन कराये जाने हैं;

(ख) उनके निर्वाचनों के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि विधान सभा के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन कराये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिमी बंगाल।

(ख) निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त राज्यों में निर्वाचक नामावलियों का 1 जनवरी, 1982 को अर्हता की तारीख के प्रतिनिर्देश से पुनरीक्षण किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य की पुनरीक्षित नामावालियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 1 फरवरी, 1982 को कर दिया गया था। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, हरियाणा में नामावलियों का प्रकाशन भी 1 मार्च, 1982 को कर दिया गया था। नागालैंड में पुनरीक्षित नामावलियों का प्रकाशन 31 मार्च, 1982 को किया जाने वाला है। आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग उक्त राज्यों में विद्यमान विधान सभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन कराने के लिये विधि के अधीन अपेक्षित सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त राज्यों में साधारण निर्वाचन कराने के लिए समुचित कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग उपयुक्त समय पर विचार करेगा।

दिल्ली/नई दिल्ली से जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूचबिहार तक एस० टी० डी० सुविधाएं

2694. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली से

सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार तक एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली से सिलीगुड़ी के लिए एस० टी० डी० सुविधा पहले ही उपलब्ध है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कूच बिहार एवं जलपाईगुड़ी में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) कूचबिहार को सिलीगुड़ी के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, जिसकी संस्थापना की जा रही है, के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। मौजूदा हस्तचल एक्सचेंज को स्वचल एक्सचेंज में अंतरित करने के बाद जलपाईगुड़ी को सिलीगुड़ी ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने की भी योजना है।

आकाशवाणी द्वारा पूर्णकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति

2695. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की समाचार एकत्र करने की प्रणाली का विस्तार करने के लिए एक बड़ी संख्या में पूर्णकालिक संवाददाता नियुक्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की स्थापना का मूल प्रयोजन क्या है ;

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों में अन्दरूनी क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों के विकास और प्रगति के सम्बन्ध में सूचना देनी होती है। आकाशवाणी केवल समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार सामग्री के आधार पर ही इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। आकाशवाणी की समाचार यूनिटों को अधिकाधिक आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आकाशवाणी के नियमित संवाददाताओं की संख्या क्रमबद्ध ढंग से बनाने की आवश्यकता होगी। योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है जिस पर विचार और निर्णय किया जाना है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन लोडना कोलियरी में दुर्घटना

2696. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन लोडना कोलियरी में जनवरी 1982 के गत सप्ताह में कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और दुर्घटना के ब्यौरेवार कारण क्या है तथा यदि कोई जन-हानि हुई हो, तो वह कितनी है ;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) लोडना में 30-1-1982 को शेल रूफ के गिरने से एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक ट्रैमर की मृत्यु हो गई तथा ओवरमैन और खनन सरदार को गंभीर चोटें लगीं।

(ग) और (घ) खान सुरक्षा महानिदेशक की सांविधिक जांच अलग से चल रही है किन्तु कम्पनी द्वारा दुर्घटना की विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। विभागीय जांच के निष्कर्षों के अनुसार जो रूफ शेल गिरा था उसके नीचे सहारे के लिए पांच प्रोप लगे हुए थे और उसकी ओवरमैन तथा खनन सरदार ने जांच भी करली थी। गिरने के बाद यह पता चला कि इस रूफ में सही बैंड नहीं थे। मृतक को भी वहां उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था। कम्पनी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

"डेसू" द्वारा बिल विलम्ब से दिया जाना

2697. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी दिल्ली के हजारों निवासियों के दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में "मंडे डायरी-पे लेटर" शीर्षक से प्रकाशित लेख के संदर्भ में बिल समय पर न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह असामान्य विलम्ब कम्प्यूटरों के प्रयोग के कारण होता है या "डेसू" की अक्षमता के कारण ;

(ग) बिजली अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम कितनी राशि के बिजली के बिलों के बकाया होने की अनुमति है ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि अद्यतन बिल तैयार किए जाएं और दिल्ली छावनी के उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को भुगतान हेतु जारी किये जायें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उनकी बिल बनाने की प्रणाली में कुछ अव्यवस्था आई है। मुख्य रूप से इसका कारण है मनुष्य द्वारा बिल बनाये जाने की प्रणाली के स्थान पर कम्प्यूटर से बिल बनाए जाने की प्रणाली अपनाने में निहित प्रारम्भिक कठिनाइयां। बिल बनाये जाने के इस अन्तर को दूर करने के लिए, दो महीने के बिल बनाने के स्थान पर चार महीने के बिल जारी किए जाते हैं और भुगतान करने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया जाता है। विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, उपभोक्ताओं को दो बराबर-बराबर मासिक किस्तों में भुगतान करने की मंजूरी दे दी जाती है। उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई काटने का नोटिस दिए जाने के बावजूद बिलों

का भुगतान न किए जाने पर ही विद्युत की सप्लाई काटी जाती है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल बनाने की प्रणाली सामान्य दशा में आ रही है।

(ग) अधिनियम में इस बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल बनाने की प्रणाली सामान्य दशा में आ रही है। जहां तक छावनी के उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, यह सूचित किया गया है कि दो महीने में एक बार बिल बनाए जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।

डाकघरों/रेल डाक सेवा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निरीक्षक

*2698. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में प्रत्येक डाक सर्किल में कुल कितने डाक घर/रेल डाक सेवा निरीक्षक हैं;

(ख) डाक विंग में, जैसा कि उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं ;

(ग) डाक तथा तार विभाग (डाक विंग) में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधत्व देने में सरकार की क्या नीति है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए डाकघर/रेल डाक सेवा निरीक्षकों के पदों के लिए विशेष परीक्षा आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उपरोक्त (क) भाग में बताये गये कुल कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एवं (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एवं (घ)

डाकघर निरीक्षक/रेल डाक सेवा निरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है। डाकघर निरीक्षक/रेल डाक सेवा निरीक्षक सहित पदोन्नति के पदों पर डाक तार विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अवसर दिए जाते हैं। आरक्षित रिक्त पदों पर उनकी पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के लिए डाकघर निरीक्षक/रेल डाक सेवा निरीक्षक परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए प्रत्येक पर्चे में 33% तथा कुल 48% का निम्न अर्हकारी मानक निर्धारित किया गया है जबकि अन्य समुदाय के प्रत्याशियों के लिए यह क्रमशः 40% तथा 45% है। यदि निर्धारित निम्न मानक के अनुसार भी पर्याप्त संख्या में अ०जा/अ० ज० जा० के प्रत्याशी सफल नहीं हो पाते हैं तो यह निर्णय लिया गया है कि असफल प्रत्या-

शियों के मामलों पर गोपनीय रिपोर्ट, परीक्षा में समग्र रूप में प्रदर्शन आदि के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाए ताकि उनकी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। यह कदम इस कारण उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त संख्या में अ० जा०/अ० ज० जा० के प्रत्याशी उपलब्ध हों और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा अनुभव किया गया है कि इस समय इस उद्देश्य हेतु विशेष परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर

2699. **श्री भीखाभाई क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में कुल कितने कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर हैं ;

(ख) डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने प्रतिशत कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर हैं ;

(ग) सिविल विंग द्वारा इस विंग में कनिष्ठ इंजीनियरों/सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में कुल कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया ;

(घ) डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारियों में अनु० जा० और अनु० जन जा० के कर्मचारियों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की क्या नीति है ; और

(ङ) उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारियों में सरकार के नियमों के अनुसार अनु० जा० और अनु० जन जा० को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रामागुण्डम और तालचर उर्वरक संयंत्रों की हो रही समस्याओं तथा सिन्दरी में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

2700. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में रामागुण्डम और तालचर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की समस्याओं का समाधान करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इसी अवधि में क्षमता के उपयोग में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो विवरण सहित तथ्य क्या है और नवम्बर, दिसम्बर (1981) तथा जनवरी (1982) के लिए महीने वार ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वर मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) रामागुण्डम और तालचर उर्वरक संयंत्रों में समस्याओं पर काबू पाने के लिए गत तीन महीनों में निम्नलिखित प्रगति की गई है :

(i) कच्ची गैस के पाइप और कच्ची गैस के कूलरों की जंग और रुकावट से बचाने की दृष्टि से नो रिमूवल सिस्टम की स्थापना की गई है और रामागुण्डम तथा तालचर दोनों संयंत्रों में प्रारम्भ कर दी गई है ।

(ii) इन संयंत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण करने और कमियों का पता लगाने तथा उपचारों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तकनीकी अध्ययन दल द्वारा अध्ययन प्रारम्भ किया गया है ।

(ख) नवम्बर, 1981, दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 82 महीनों में इन संयंत्रों का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार है :

	प्रतिशत क्षमता उपयोग	
	तालचर	रामागुण्डम
नवम्बर, 1981	42.97	43.75
दिसम्बर, 1981	22.57	17.16
जनवरी, 1982	31.31	50.64

(ग), (घ) और (ङ) : रामागुण्डम और तालचर संयंत्र अभी स्थिर नहीं हुए हैं । सिन्दरी अथवा अन्य कहीं कोयले पर आधारित नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब रामागुण्डम और तालचर उर्वरक संयंत्रों के सुस्थिर संचालन से पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाये ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्रों पर काम कर रहे कर्मचारी

2701. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के कर्मचारियों की 1 जनवरी, 1982 को वर्तमान संख्या कितनी थी तथा उनका श्रेणीवार और संयंत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि केवल सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र ही सिन्दरी में चले तो अनुमानतः कितनी जनशक्ति की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयले पर आधारित पुराने संयंत्र के बन्द होने तथा बिक्री के कारण आने वाले इन वर्षों तक किसी भर्ती के लिए यहां तक की संख्या में होने वाली कमी को सामान्य भर्ती होने तक पूरी करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ;

(घ) क्या इससे सिन्दरी में भारी निराशा और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र को चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 758 कर्मचारियों की आवश्यकता है । इसमें इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति सम्मिलित नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया था ।

(ग) से (ङ) कोयले पर आधारित सिन्दरी का पुराना संयंत्र बन्द कर दिया गया था क्योंकि उसकी मियाद पूरी हो गयी थी और उसका संचालन असुरक्षित था । उसके स्थान पर ईंधन तेल पर आधारित एक आधुनिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी । इसके परिणामस्वरूप जनशक्ति कुछ फालतू हो गई । जब तक इस फालतू जनशक्ति को खपाया नहीं जाता तब तक बाहर से भर्ती किए जाने की कोई उम्मीद नहीं है ।

विवरण

दिनांक 1-1-1982 को सिन्दरी एकक में कर्मचारियों की श्रेणीवार और संयंत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

पद की श्रेणी	कार्यरत कर्मचारी		
	उत्पादन संयंत्र	अनुरक्षण	पावर हाउस
मुख्य अभियन्ता	2	5	1
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	3	6	1
उप मुख्य अभियन्ता	8	13	1
सहायक मुख्य अभियन्ता	11	37	7
ए० पी० एम०/ए० पी० ई०	56	68	8
कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक फोरमैन	116	107	32
सिनियर आपरेटर / सिनियर टैक्निशियन	249	221	36
आपरेटर/टैक्निशियन	707	1101	311
हैलपर/मजदूर	1255	(समस्त तीनों प्रभागों में)	

नोट : (i) उपरोक्त के अलावा 142 हैलपर/मजदूर अन्य विभागों में कार्यरत है ।

(ii) उपरोक्त आंकड़े केवल संयत्रों के है । उसमें सामग्री प्रबन्ध, वित्त, कार्मिक, चिकित्सा,

तकनीकी सेवा, रसायन नियंत्रण, प्रशासन, प्रशिक्षण, जन सम्पर्क, औद्योगिक इंजीनियरिंग विभागों और अन्य निर्वेद्य कार्यालयों/अनुभागों के कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

भारतीय कम्पनियों द्वारा टेलीफोनों के लिए उन्नत उपकरणों का निर्माण

2702. **श्री जेवियर अराकल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विदेश या कम्पनी के साथ टेलीफोनों के लिए उन्नत प्रोद्योगिकीय जानकारी और उपकरण लेने के लिए कोई करार किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी भारतीय कम्पनियों ने भारत में टेलीफोन के लिए उन्नत उपकरणों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनियों को भारत में टेलीफोनों के लिए उन्नत उपकरणों के निर्माण हेतु अनुमति नहीं दी जाती है या उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विकसित तकनालाजी का ज्ञान हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम ने किसी वाहरी देश अथवा कम्पनी के साथ कोई करार नहीं किया है।

(ख) संचार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और राज्य सरकार के उपक्रम कर्नाटक राज्य इलैक्ट्रानिक और विकास निगम ने सहयोग के आधार पर आधुनिक टेलीफोन उपकरण के उत्पादन के लिए जानकारी के हस्तान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि दूरसंचार उपकरणों का शत-प्रतिशत उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ही किया जाएगा।

पाइप लाइनों के माध्यम से तेल शोधक कारखानों के उत्पादों की सप्लाई

2703. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तेल शोधक कारखाने, उनके उत्पादों के शीघ्र वितरण के लिए पाईप लाइनों से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने की शीघ्र सप्लाई के लिए कोयम्बटूर मद्रास या दक्षिण के किन्हीं अन्य नगरों के साथ पाइप लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक किया जायेगा, किस लागत पर किया जायेगा और इसके पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) कुछ शोधनशालाओं को छोड़कर जहां कि दूरी के लिए एक ही उत्पाद पाइप लाईन है, छः शोधनशालाओं को उनके उत्पादों के शीघ्र वितरण के लिए बहु-उत्पाद पाइप लाइनों के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त मथुरा शोधनशाला को भी ऐसी बहुउत्पाद पाइप लाइन के साथ जोड़ा जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक के वितरण में बिलंब

2704. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों में डाक के वितरण में अनुचित और दीर्घ विलंब हुए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि केरल में डाक सेवा नवम्बर और दिसम्बर में अस्तव्यस्त हो गई थी और यदि हां, तो केरल राज्य में डाक सेवा के धीमी पड़ जाने या पूर्णतया बंद हो जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। हाल ही के महीनों में क्रिसमस एवं नव वर्ष की बधाइयों के कारण बहुत अधिक पत्र भेजे गए तथा ऐसे अवसरों पर कुछ बिरले मामलों में विलंब से नहीं बचा जा सकता।

(ख) जी नहीं। केरल में डाक व्यवस्था अस्त-व्यस्त नहीं हुई थी। तथापि भारी मात्रा में पत्र भेजे जाने, स्टाफ की कमी तथा समयोपरि भत्ते के भुगतान पर रोक के कारण दिसम्बर, 1981 के दौरान मौसमी डाक निपटाने में बिलंब हुआ। तत्पश्चात् रुकी हुई डाक निपटा दी गई थी।

शहरों में गैस कनेक्शन

2705. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाली विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर शहरों में से 31 जनवरी, 1982 को प्रत्येक शहर में ईंधन गैस कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) ये मांगें कब तक पूरी की जायेंगी: और

(ग) छोटे शहरों में भी यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये क्या योजनाएं हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर नगरों में दिनांक 1-1-1982 को एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) कनैक्शनों के लिए लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

दिल्ली	—	4,03,675
बम्बई	—	2,98,864
कलकत्ता	—	52,779
मद्रास	—	1,18,686
कानपुर	—	81,633

(ख) देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि के साथ-साथ एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची को तेल कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से निपटाया जा रहा है।

(ग) देश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालयों और कस्बों में एल० पी० जी० की विपणन सुविधाएं दी जा रही हैं। 50,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को उत्तरोत्तर उसके बाद यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

भारतीय फिल्म फैडरेशन द्वारा दिये गये सुझाव

2706. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय फिल्म फैडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा सरकारी नीति की आलोचना की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय फिल्म फैडरेशन के अध्यक्ष ने (एक) एक समान सेंसरशिप नीति (दो) बिक्री कर में कमी और (तीन) उत्साही फिल्म निर्माताओं के लिये संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का आह्वान किया है; और

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया (बम्बई) में "फिल्म सेंसरशिप लेक्स यूनिफार्मिटी" शीर्षक समाचार में उल्लिखित उपरोक्त प्रत्येक मुद्दे की ओर सरकार की प्रतिक्रिया क्याहै ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 1-1-82 के टाइम्स आफ इंडिया (बम्बई) में "फिल्म सेंसरशिप लेक्स यूनिफार्मिटी" नामक शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है।

जहां तक सेंसरशिप में समानता का संबंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है कि फिल्म के समग्र प्रभाव के रूप में सभी फिल्मों पर सेंसरशिप मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने में समानता और अनुरूपता हो। तथापि, वैयक्तिक दृश्यों के रूप में गणितीय समा-

नता सुनिश्चित करना असंभव है, क्योंकि एक ऐसा दृश्य जो किसी फिल्म विशेष के संदर्भ में उल्लंघनकारी न हो, किसी अन्य फिल्म में विभिन्न संदर्भ में सेंसरशिप मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णतया उल्लंघन कर सकता है।

बिक्री कर के बारे में प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तथापि, वस्तुओं की किसी राज्य के भीतर बिक्री या खरीद पर कर लगाना राज्य विषय है। वस्तुओं की अन्त: राज्य बिक्री पर लगे केन्द्रीय बिक्री कर का प्रशासन भी कानून के द्वारा राज्य सरकारों को ही सौंपा गया है जो इस कर को प्राप्त करते हैं और अपने पास रखते हैं। राज्य सरकारों को इस कर को भी कम करने या इसमें छूट देने का अधिकार है यदि वे ऐसा करना लोक हित में आवश्यक समझें।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम की स्थापना से ही, फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म निर्माताओं को ऋण पहले ही दे रहा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 100% वित्तपोषण की एक योजना भी शुरू की है जिससे फिल्म निर्माता बिना चिन्ताओं के फिल्म निर्माण के सृजनात्मक पहलुओं पर केन्द्रित कर सकते हैं।

टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों का आयात

2707. **डा० बंसत कुमार पंडित :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स स्विचिंग उपकरणों के नये कारखाने स्थापित किये जाने की योजना है; यदि हां, तो इनके स्थानों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा का बड़े पैमाने पर बाहर जाना कम करने की योजना बनाई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) जी हां। पांच लाख लाईनों की वार्षिक क्षमता वाली दो नई फैक्ट्रियों के संस्थापन की योजना है। इस उद्देश्य हेतु प्रोद्योगिकी के आयात के लिए विश्वजनीन निविदाएं 31-3-82 तक प्राप्त होनी हैं। फैक्ट्रियों हेतु स्थान का अभी निर्धारण नहीं किया जा सका है।

(ख) दो नई प्रस्तावित फैक्ट्रियां, जिनमें से प्रत्येक की 5 लाख लाइनों की वार्षिक क्षमता होगी, की योजना से टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के आयात हेतु विदेशी मुद्रा के व्यय की बचत होगी।

डाक पार्सलों के जरिए नशीली औषधियों की तस्करी

2708. **डा० बंसत कुमार पंडित :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने डाक पार्सलों के जरिए नशीली औषधियों की तस्करी के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 के दौरान अब तक पूरे देश में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया था;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पुलिस के पास शिकायतें की गई थीं और तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या विभाग ने इस बारे में सभी डाक पार्सल सेवा कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है और यदि हां, तो तस्करी के इस गिरोह का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1980 में 415 मामले तथा 1981 में 290 मामले।

(ग) और (घ) डाकघरों का कार्य बन्द तथा पैक की गई वस्तुओं की बुकिंग पारेषप तथा वितरण करना है। यदि किसी डाक वस्तु के भीतर निषिद्ध वस्तु के होने का संदेह होता है तो इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचना दी जाती है।

अखबारी कागज का मूल्य

2709. **श्री चिंग वांग कोनयक :**
श्री के० मालन्ना :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से इस तारीख तक आयातित अखबारी कागज के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या विभिन्न आदानों की लागत का कोई अध्ययन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 48.8 जी० एस० एम० (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) के आयातित अखबारी कागज का हाई-सी विक्रय मूल्य जनवरी-मार्च, 1979 में 3470 रुपए प्रति टन से बढ़कर चालू तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च; 1982 में 5,960 रुपये प्रति टन हो गया है।

(ख) हाल ही में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, प्रेस आयोग के विचारणीय विषयों में से एक "अखबारी कागज उद्योग की अर्थ व्यवस्था; अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी और समाचारपत्रों के लिये अन्य निवेश" की जांच से सम्बन्धित है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च, 1982 तक है और आयोग की रिपोर्ट की उस तारीख तक उम्मीद है।

ऊर्जा की आवश्यकता और उसके लिए संसाधन

2710. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1950 में 2300 मैगावाट बिजली उत्पादित की गई थी;

(ख) इस समय मेगावाट में बिजली की कुल कितनी मात्रा उत्पादित हुई है और इसमें से ताप, पन बिजली और परमाणु ऊर्जा की अलग-अलग कितने मेगावाट मात्रा उत्पादित की गई; और

(ग) इस समय देश में बिजली की आवश्यकता कितनी है और यह आवश्यकता कब तक पूरी हो जायेगी और इस प्रयोजन के लिए किन संसाधनों का उपयोग किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में वर्ष 1950 में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2300 मेगावाट थी। इसमें से यूटिलिटीज की क्षमता 1712.52 मेगावाट और गैर-यूटिलिटीज की क्षमता 587.85 मेगावाट थी।

(ख) देश में यूटिलिटीज की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 31317 मेगावाट है। इसमें से जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता 12171 मेगावाट, ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता 18286 मेगावाट है और न्यूक्लीय संयंत्रों की क्षमता 860 मेगावाट है। वर्तमान में, उपरोक्त क्षमता में से कुल 17750 मेगावाट की उच्चतम क्षमता राज्य द्वारा पूरी की जा रही है।

(ग) वर्तमान में देश की ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 394 मिलियन यूनिट है। आशा की जाती है कि छठी योजना के अन्त तक, समस्त देश में, मांग और सप्लाई में सन्तुलन हो जाएगा।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० द्वारा केप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापना किया जाना

2711. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० द्वारा उद्योग मंडल में 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष केप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि इस बीच कोई निर्णय लिया जा चुका है तो इस योजना पर कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किए जाने का विचार है और इस योजना को कब शुरू किया जाएगा ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में कोई निर्णय कब लिया जाएगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क), (ख) और (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मंडल एकक में 50,000 टन कैप्रोलेक्टम प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की स्थापना करने के प्रस्ताव पर निवेश निर्णय के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है।

दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को दी गई सप्लाई की मात्रा

2712. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में महीने वार, दामोदरघाटी निगम से कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को दी गई सप्लाई की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को दी गई यह सप्लाई निगम द्वारा सहमत हुई मात्रा से कम है ;

(ग) बिजली की कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं ;

(घ) दामोदर घाटी निगम से सप्लाई की पूरी मात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले तीन महीनों में अर्थात् दिसम्बर, 1981, जनवरी, 1982 और फरवरी, 1982 में दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को क्रमशः 42.239 मिलियन यूनिट, 37.855 मिलियन यूनिट और 36.390 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की।

(ख) और (ग) : दामोदर घाटी निगम में 800 मेगावाट या इससे अधिक उत्पादन के स्तर पर, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को अधिकतम अनुबंधित भार 105 एम० वी० ए० है। तथापि दामोदर घाटी निगम प्रणाली में घटे हुए उत्पादन स्तर पर निर्भर करते हुए, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को निम्न स्तर पर सप्लाई के विनियमित किए जाने के लिए प्रावधान है।

(घ) 1980 के मध्य भाग से दामोदर घाटी निगम का उत्पादन 50% बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त दामोदर घाटी निगम की प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि की जा रही है। प्रश्नगत अवधि के दौरान कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को दामोदर घाटी निगम ने जो विद्युत सप्लाई की वह 1979-80 और 1980-81 की इन्हीं अवधियों के दौरान की सप्लाई की गई विद्युत से क्रमशः 49% और 34% अधिक थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की बिजली परियोजनाओं के लिए आवंटन

2713. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की बिजली परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान अन्यथा सहायता आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस आवंटन का आधार क्या है ; और

(ग) वर्ष 1979 से पश्चिम बंगाल की विभिन्न बिजली परियोजनाओं (परियोजनावार) के लिए कितनी राशि आवंटित की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) योजना आयोग राज्य के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से अलग से कोई अनुदान अथवा सहायता का आवंटन नहीं करता । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर, समूची राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा यह विकास के किसी विशिष्ट शीर्षक से सम्बन्धित नहीं होती ।

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 की वार्षिक योजनाओं के लिए, पश्चिम बंगाल की विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए परिव्यय का आवंटन दिखाने वाला विवरण संलग्न है । वार्षिक योजना 1982-83 के परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

विवरण

स्कीम का नाम		1979-80 के लिए आवंटन	1980-81 के लिए आवंटन	1981-82 के लिए आवंटन
1	2	3	4	5
स्वीकृत तथा निर्माणाधीन			(करोड़ रुपयों में)	
1.	जलढाका चरण-II (2×4)	1.90	1.90	1.92
2.	कुरसेंग चरण-II		0.14	
3.	रामय चरण-II (4×12.5)	3.00	2.50	3.00
4.	कुरसेंग चरण-I (फाजी) का विस्तार	0.15	0.18	0.02
5.	संथाल डीह (4×120)	5.00	3.60	1.50
6.	बंडेल यूनिट (5×210)	13.00	12.00	8.00
7.	कोलाघाट (3×210)	41.00	47.00	48.00
8.	बंडेत नवीकरण	0.75	0.95	0.75
9.	दुर्गापुर परियोजना लि० विस्तार (1×110)	7.00	11.30	12.00
10.	टीटागढ़ (4×60)	6.75	9.00	8.30
11.	डीजल स्कीमें (पुरानी) (2×3.5)	0.04	0.04	0.04
12.	गैस टरबाइन (5×20)	4.00		
	उप जोड़	82.59	88.61	83.73

1	2	3	4	5
नई स्कीमें				
1.	कोलाघाट विस्तार	—	10.00	20.00
	(3×210)	—		
2.	अन्य नई स्कीमें	—		
3.	दुर्गापुर परियोजना लि० के विद्युत संयंत्र की मौजूदा यूनिटों का नवीकरण	—	—	1.00
	उप जोड़	—	10.00	21.00
	कुल जोड़	82.59	98.61	104.53

प्राइवेट पार्टियों द्वारा बिजली का उत्पादन

2714. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए बिजली एककों की स्थापना करने हेतु प्राइवेट पार्टियों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है और प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यूटिलिटीज के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प द्वारा शासित होती है। निजी स्वामित्व वाले मौजूदा यूनिटों का विस्तार किए जाने में अथवा नई यूनिटों की स्थापना के लिए जब राष्ट्र हित में निजी क्षेत्र के उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित हो तब इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने की संभाव्यता में यह संकल्प बाधा नहीं डालता है। कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

2715. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का नाम क्या है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने पर कार्यवाही चल रही है;

(ख) उनके खिलाफ किस प्रकार के अपराध हैं; और

(ग) उनके मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) : यह धारणा की जाती है कि प्रश्न में विनिर्देश उन मामलों के लिए है, जहां केन्द्रीय सरकार पहले ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन के विषय में प्रथम दृष्या निष्कर्ष पर पहुंच गई है और न्यायालय में प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कार्यवाही करली गई है। इस प्रकार के मामलों के ब्यौरों को सम्मिलित करता हुआ विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों में उन मामलों और उन कम्पनियों के नामों के ब्यौरे, जिनमें और जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन की कार्यवाही अनिर्णीत है।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अपराध का रूप/ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा का उल्लंघन	कब से अनिर्णीत है।	उठाये गये पग/ अनिर्णीत कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स गोदरेज सोप्स लिमिटेड	बगैर पूर्व अनुमोदन के नये उपक्रम की स्थापना धारा 22	22-8-1980	अभियोग, जो यहां तक कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, वह 31-10-1980 को कम्पनी द्वारा विचारणीय अभियोग को चुनौती देने के लिये प्रस्तुत रिटयाचिका के निर्णय होने तक रोक दिया गया।
2.	मैसर्स के० सी० पी० लिमिटेड	बगैर पूर्व अनुमोदन के भारी विस्तार करना। धारा 21	1-10-1981	प्रस्तुत अभियोग दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 19-11-1981 को कम्पनी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर रोक दिया गया है।

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स कुल्ली तलाई केल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	उपक्रम को पंजीकरण कराने में असफलता। धारा 26	6-7-1978	अभियुक्त के विरुद्ध मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष कार्यवाहियां 27-3-1982 को स्थगित कर दी गई हैं।
4.	मैसर्स फाइबर ग्लास पिलकिंगटन लिमिटेड	उपक्रम के पंजीकरण कराने में असफलता/धारा 26	30-10-1978	अभियोग को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4-5-1979 को कम्पनी द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निपटान के निर्णय तक रोक दिया गया।
5.	मैसर्स राजलक्ष्मी टेक्सटाइल्स प्रोसेसर्ज प्रा० लिमिटेड	बगैर पूर्व अनुमोदन के नये उपक्रम की स्थापना/धारा 22	1-8-1981	कम्पनी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के निर्णय होने तक 21-10-1981 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभियोग रोक दिया गया।

स्ट्रेप्टोमाइसीन संयंत्र का विस्तार

2716. **श्री रामकृष्ण भोरे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रति वर्ष 180 से 200 मीट्रिक टन प्राप्त करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसीन संयंत्र का विस्तार करने पर लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि खर्च करती है, और

(ख) यदि हां तो इस विस्तार के बाद, जब विस्तार से पूर्व 100 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया था, गत दो वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन बहुत कम होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने 608.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० की 85 टन प्रति वर्ष से 170 टन प्रतिवर्ष तक की स्ट्रेप्टोमाइसीन की क्षमता के विस्तार की मंजूरी दी है।

(ख) विस्तार योजना पूरी हो गई है और अब परीक्षण संचालन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :

1978-79	100.27 टन
1979-80	93.03 टन
1980-81	91.01 टन

मार्च, मई, 1980 में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० में हड़ताल के कारण वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उत्पादन कम हुआ।

राष्ट्रीय ग्रिड का कार्यान्वय

2717. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रिड के कार्यक्रम में विलम्ब के क्या कारण हैं; राष्ट्रीय ग्रिड को पूरा करने के लिए कितने किलोमीटर तक कार्य हो जाना चाहिए था और वस्तुतः कितने किलोमीटर कार्य पूरा हुआ है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु आगामी पांच वर्षों के लिए बड़े आकार के सभी एस० सी० एस० आर० कंडक्टरों की कितनी आवश्यकता है और इसका वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा; और

(ग) तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यद्यपि एकीकृत राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली की आवश्यकता को सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है तथापि एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाये जाने की तन्त्र-व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों आदि के साथ परामर्श करके तैयार करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में वे अपनी सुविचारित राय भेजें।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2718. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में नये दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना कब की जायेगी; और

(ख) इस पर कितनी लागत आयेगी और इस काम्प्लेक्स में क्या सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) भुवनेश्वर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस समय अनुमानित व्यय 191 लाख रुपये होगा ।

बिजली उत्पादन के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति

2719. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में देश के बिजली उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 के इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 122000 मिलियन यूनिट है । यह आशा की जाती है कि वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और इस लक्ष्य से आगे बढ़ जाने की आशा है । वर्ष 1982-83 के लिए विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 132000 मिलियन यूनिट है ।

बम्बई में "एल० पी० जी०" के नये कनेक्शन

2720. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक (एक) भारत पैट्रोलियम और (दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के क्रमश: बम्बई में एल० पी० जी० के कुल कितने नये कनेक्शन दिये गए हैं; और

(ख) भविष्य में दिये जाने वाले नये कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश में एल० पी० जी० अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण तेल कंपनियों द्वारा वर्ष 1980 में बड़ी संख्या में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनेक्शन नहीं दिये गये थे । फरवरी 1981 से जनवरी 1982 की अवधि में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने बम्बई में लगभग एक लाख एल० पी० जी० कनैक्शन दिये थे । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन अपनी एल० पी० जी० एजेन्सियों के पुनर्गठन के कारण उस अवधि में शहर में कोई भी एल० पी० जी० कनैक्शन नहीं दे सकी ।

(ख) एच० पी० सी० एल० द्वारा शहर में लगभग 12,000 एल० पी० जी० कनैक्शन दिये जा रहे हैं । कम्पनी की बम्बई में वर्ष 1981-82 के दौरान खाना पकाने की गैस के 50,000 और नये कनैक्शन देने की योजना है । भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कोई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

बम्बई में कुकिंग गैस की पाइप लाइनों के जरिए सप्लाई

2721. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गैस सिलंडरों के बजाए बम्बई में कुकिंग गैस (एल० पी०.जी०) की पाइपलाईन के जरिए सप्लाई करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधूरे बधाई तार

2722. **डा० सुब्रहामण्यम स्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों द्वारा प्राप्त की गई बधाई तारों के प्राय: ऐसे मामले हैं जिनमें बधाई संख्या को संदेश में नहीं लिखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । यह सही नहीं है कि बधाई तारों के प्राय: ऐसे मामले हैं जहां कूट शब्दों को संदेश में रूपान्तर किए बगैर वितरित किया जा रहा है । तथापि, गत छः महीनों के दौरान वितरित किए गए 158186 बधाई तारों में से इस प्रकार की कुल 23 शिकायतें थीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक और तार विभाग के लिए स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना करना

2723. **श्री चित्त बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक सेवाओं में सुधरी हुई कार्य-कुशलता लाने के बारे में डाक और तार विभाग के लिए एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार के सामने डाकतार विभाग के लिए स्वायत्तता प्राप्त बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाकतार बोर्ड का गठन दिसम्बर 1959 में संचार मंत्रालय (तब परिवहन तथा संचार मंत्रालय—संचार तथा नागर विमानन विभाग) के अधीन किया गया था । डाक तथा दूर संचार

सेवाओं का प्रभावपूर्ण प्रबन्ध करने के लिए डाक तार बोर्ड की वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का समय-समय पर संशोधन होता रहा है ।

प्रेस की स्वतन्त्रता

2724. **श्री चित्त बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस की स्वतंत्रता के खतरे में हाल ही में वृद्धि हुई है ; और

(ख) प्रेस की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता में दृढ़ विश्वास रखती है । अन्य बातों के साथ-साथ, प्रेस की स्वतन्त्रता का परिरक्षण करने के लिए एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय, भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना भी की हुई है ।

टेलीफोन के लम्बित बिल

2725. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और बड़े औद्योगिक गृहों पर टेलीफोन बिलों की भारी राशियां बकाया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) बकाया राशियां वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है :

(घ) गत तीन वर्ष में प्राइवेट टेलीफोन प्रयोक्ताओं से रह रही बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) डाक तार विभाग के रिकार्ड में टेलीफोन उपभोक्ताओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है :

(i) केन्द्रीय सरकार (रक्षा विभाग को छोड़कर)

(ii) राज्य सरकार

(iii) रक्षा विभाग

(iv) गैर-सरकारी (औद्योगिक घरानों सहित)

31-8-81 तक जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में 1-12-81 को बकाया राशि निम्नलिखित थी :

(संख्या करोड़ रुपयों में)

केन्द्रीय सरकार	1.10
राज्य सरकार	1.62
रक्षा विभाग	1.14
गैर सरकारी	16.60
कुल	20.46

1-4-76 से 31-8-81 तक की अवधि के दौरान, विभाग ने 2565 करोड़ रुपये तक के बिल जारी किए जबकि 1-12-81 को (पिछले वर्षों के बकाया सहित) बकाया राशि 20.46 करोड़ रुपये थी जो कि जारी किए गए बिलों की राशि के 1 प्रतिशत से भी कम है।

(ग) बकाया की वसूली हेतु सामान्य प्रक्रिया, जैसा कि विभागीय नियमों में निर्धारित है, अर्थात उपभोक्ता को फोन पर भुगतान हेतु स्मरण कराना, भुगतान प्राप्त न होने पर टेलीफोन काट देना, उपभोक्ता के साथ व्यक्तिक संपर्क द्वारा बकाया के निपटान के लिए कार्रवाई करना और जहां संभव अथवा आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करना, अपनाई जाती है। शासकीय बकाया के मामले में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकार को बकाया के निपटान हेतु उच्च स्तरीय बातचीत की जाती है।

(घ) 77-78 तक जारी किए गए बिलों हेतु 1-7-78 को गैर-सरकारी उपभोक्ताओं से बकाया देय राशि 827.90 लाख रुपये थी जिसमें से 31-7-81 को 476.52 लाख रुपये के अधिशेष को छोड़कर 351.38 लाख रुपये की राशि अनुवर्ती तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई थी।

देवली और साढूपुर में हरिजनों पर किये गए अत्याचारों के दृश्यों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

2726. **श्री दया राम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देवली और साढूपुर में हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के दृश्यों को दूरदर्शन पर दिखाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क)जी; नहीं :

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देवली और साढूपुर में हुई दोनों घटनाओं को दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए गए समाचार बुलेटिनों में और समाचार डायरी में भी विधिवत् कवर किया गया था।

तेल क्षेत्रों में उत्पादन के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को लगाना

2727. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाक स्ट्रेट तेल क्षेत्र से शीघ्र उत्पादन पद्धति के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विश्व भर से मंगाये गए टेंडर में केवल दो बोली लगाने वाली कम्पनियां हैं—एक अमरीका की कम्पनी और दूसरी हालैंड की कम्पनी ही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एस० बी० एम० ने स्वयं ही पूरी परियोजना का वित्त पोषण करने और इसके उत्पादन से लागत और फीस को वसूल करने के लिए अपनी रजामन्दी दर्शाई है ;

(ग) क्या दोनों कम्पनियों ने न्यूनाधिक इसी प्रकार की उत्पादन पद्धति की पेशकश की है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने शीघ्र उत्पादन प्रणाली के लिए एक प्रत्ययात्मक डिजायन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। स्वदेशी पार्टियों से मिलाकर कुल तेरह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आमंत्रित प्रस्ताव एक उपयुक्त शीघ्र उत्पादन प्रणाली के प्रत्ययावर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के उपलब्ध वैकल्पों के बारे में जानने के लिए पूछताछ के रूप में थे, जिन्हें कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रत्ययात्मक प्रणाली को अन्तिम रूप दिए जाने के आधार पर पाक खाड़ी अपतट क्षेत्र के लिए वातावरण ब्यौरों तथा भूमि आंकड़ों के अध्ययन के पश्चात् मूल्यों के प्रस्ताव अलग से आमंत्रित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी नहीं। सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे देगा तथा इसे सरकार को प्रस्तुत करेगा।

डाक और तार विभाग द्वारा बान्दा जिले को पिछड़ा-क्षेत्र घोषित किया जाना

2728. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बान्दा जिले को डाक और तार विभाग ने वहां की जनता को विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछड़ा-क्षेत्र घोषित किया है ;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र को केवल दूरसंचार विभाग द्वारा ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है अथवा डाक और दूरसंचार दोनों विभागों द्वारा ; और

(ग) यदि उत्तर प्रदेश के बांदा और हमीरपुर जिलों को पिछड़ा-क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दूर संचार सुवि-

धाओं के उद्देश्य हेतु उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को "पिछड़ा" माना गया है न कि डाक सुविधाओं के विस्तार हेतु ।

(ग) उत्तर प्रदेश के बांदा और हमीरपुर दोनों जिलों को दूर संचार सुविधाओं के उद्देश्य हेतु "पिछड़ा" क्षेत्र माना गया है । जहां तक डाक विकास का सम्बन्ध है, डाक सर्किल के अतिरिक्त समूचे देश के लिए अनुरूप आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में उस क्षेत्र में प्रति ग्रामीण डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर निश्चित क्षेत्र के पिछड़ेपन का मूल्यांकन किया जाता है । जिन ग्रामों में डाकघर प्रदान किए गए हैं उनकी प्रतिशतता को भी ध्यान में रखा जाता है । बांदा और हमीरपुर जिले 1981-82 के लिए तैयार की गई "पिछड़े" क्षेत्रों की अनुसूची में नहीं आते हैं । 1982-83 हेतु वार्षिक पुनरीक्षा शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी ।

उच्च न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

2729. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित तारीख 18 मार्च, 1981 के केन्द्रीय विधि मंत्री के पत्र के उत्तर में उच्च न्यायालयों के कितने अपर न्यायाधीशों ने अन्य उच्च न्यायालयों में अपने स्थानान्तरण के बारे में लिखित रूप में सहमति व्यक्त की है ; और

(ख) कितने मामलों में स्थानान्तरण किए जा चुके हैं !

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) अपर न्यायाधीशों से (संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन) स्थायी न्यायाधीशों के रूप में बाहर के उच्च न्यायालयों में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में न कि (संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन) उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सहमति मांगी गई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हैलीकाप्टर सेवा पर खर्च

2730. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई हाई वेस और तट के बीच हैलिकाप्टर सेवा पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी-कितनी धन राशि खर्च की गई और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह काम भारतीय एजेन्सियों को सौंपा जा सकता हैं और क्या ऐसी एजेन्सियां उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारी विदेशी-मुद्रा की वचत करने के लिए यह काम भारतीय वायु-सेना को सौंपा जा सकता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) आई ए० एफ० और निजी चार्टर कम्पनियों के बीच विभाजित व्यय इस प्रकार हैं :

(रुपये लाखों में)

	आई० ए० एफ०	प्राईवेट चार्टर्स
1978-79	90	115
1979-80	99	107
1980-81	120	205

(ख) और (ग) निजी चार्टरों को कार्य प्रदान करने के लिए प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर ओ० एन० जी० द्वारा टैंडर मांगे जाते हैं और सबसे कम बोली देने वाले तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदाकार को ठेका दिया जाता है। भारतीय एजेंसी को, यदि वह तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करती है और उसकी दरें प्रतियोगी हैं, ठेका दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ओ० आई० एल० ने भारतीय कम्पनियों से हैलीकोप्टर किराये पर लिये हैं। कार्य का कुछ भाग आई० ए० एफ० को दिया भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त आई० ए० एफ० की भूमिका को बढ़ाने के लिए हैलीकोप्टरों को प्राप्त करने की योजना है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का संशोधन

2732. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को उत्पादक विरोधी बनने से रोकने सम्बन्धी सच्चर समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) समिति के प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया ;

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से सम्बद्ध कम्पनियों के पूंजी-निवेश प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और ऐसा कब करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधन की बाबत उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) की सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के एक दूरगामी उप-लक्षणोंयुक्त, आर्थिक कानून होने से, प्रस्तावों को, अनेक सम्बन्धित दृष्टिकोणों से, एवं आवश्यकता-

नुसार, अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, गहराई से परीक्षा की जाती है। इस पर भी, मामलों को शीघ्रातिशीघ्र संभव समय के अन्दर, निपटाये जाने के सभी संभव प्रयास किये जाते हैं। 1981 के दौरान, निर्बाधन के पग, पहले की अवधियों की तुलना में, अधिक तीव्रगामी थे।

(घ) तथा (ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के संशोधनों की बाबत सच्चर समिति की सिफारिशों को, अनेक चेम्बरों आदि से इस बाबत प्राप्त अन्य सुझावों सहित, परीक्षा की जा रही है। सरकार के इस मामले पर अन्तिम निर्णय कर लेने पर, यथाशीघ्र, आवश्यक विधायी कार्यवाही की जायेगी।

इराक से कच्चे तेल का आयात

2733. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के आयात के सम्बन्ध में इराक से कोई समझौता हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए इराक की 15 लाख टन अतिरिक्त कच्चे तेल की पेशकश के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 3.5 मिलियन मीट्रिक टन अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए इराक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार इराक से अतिरिक्त अशोधित तेल लेना आवश्यक नहीं होगा।

तट-पर और तट-दूर क्षेत्रों से होने वाले तेल के उत्पादन में वृद्धि

2734. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के दौरान तट-पर और तट-दूर क्षेत्रों से होने वाले तेल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में तट-पर और तट-दूर क्षेत्रों के तेल-उत्पादन में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) यह उत्पादन देश की आवश्यकता के कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(घ) आवश्यकता के शेष भाग की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 की अवधि में वर्ष 1980-81 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अशोधित तेल के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है :

मि० मी० टनों में

क्षेत्र	अप्रैल, 1980 से जनवरी 1981	अप्रैल, 1981 से जनवरी 1982	प्रतिशत वृद्धि कालम (1) अतिरेक कालम (2)
1	2	3	4
तटीय	4.24	6.84	61.3%
अपतटीय	3.89	6.25	60.7%
योग	8.13	13.09	61.0%

(ग) और (घ) इस समय देश की लगभग अशोधित तेल की 50 प्रतिशत मांग देशीय उत्पादन के और शेष आयात के द्वारा पूरी की जाती है।

फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

2735. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय फिल्म-निर्माताओं ने कितने मूल्य की कच्ची फिल्मों का आयात किया;

(ख) एम० पी० ई० ए० ने भारतीय फिल्मों के निर्यात से कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित की ;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान कौन-कौन सी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया ; और

(घ) प्रत्येक फिल्म के निर्यात से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

सम्बलपुर में दूर-दर्शन केन्द्र की स्थापना

2736. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर में दूरदर्शन-स्टूडियो का निर्माण न करने के क्या कारण हैं, जबकि दूर-दर्शन प्रसारण केन्द्र सम्बलपुर में स्थित है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सम्बलपुर में एक स्थायी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) समग्र "इनसेट" स्कीम के अन्तर्गत सम्बलपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

अल्कोहल बनाने वाली फर्में

2737. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्कोहल/विदेशी (इंगलिश) शराब बनाने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन फर्मों में से प्रत्येक में कितने कर्मचारी काम करते हैं और मासिक उत्पादन कितना है, और

(ग) सशस्त्र सेनाओं को शराब सप्लाई करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है तथा सशस्त्र सेनाओं को प्रति वर्ष कितने मूल्य की शराब सप्लाई की जाती है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उन कम्पनियों के नाम, जिन्हें भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई० एम० एफ० एल०) और देशी शराब (सी० एल०) के निर्माण के लिये कारोबार चालू रखने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, अनुबंध I में दिये गये हैं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3523/82)

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इस सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय और श्रम लाभप्रद नहीं होंगे ।

(ग) सशस्त्र सेनाओं को शराब की सप्लाई करने वाली कम्पनियों के नाम अनुबन्ध—II में दिये गये हैं । इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान सप्लाई की गई शराब का अनुमानित मूल्य 29.26 करोड़ है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3523/82)

उत्तर प्रदेश में लघु इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

2738. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश में लघु इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) किन किन स्थानों पर इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जिला राय बरेली में नसीराबाद और दीह में दो 10 लाइनों के एक्सचेंजों की संस्थापना हेतु 77,200 रुपये आवंटित किए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

2739. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ख) वर्ष 1981-82 में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान 3,795 और गांवों को विद्युतीकृत किया गया। इससे मार्च 1981 के अन्त तक बिजली की सुविधाएं प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या बढ़कर 42,372 हो गई और प्रतिशतता 37.6 प्रतिशत हो गई।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान 30.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.38 करोड़ रुपये, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित स्कीमों से 11.62 करोड़ रुपये और संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.00 करोड़ रुपये इसमें शामिल हैं। उक्त वर्ष के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश के 4816 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शामिल है।

गैस-सिलिण्डरों के वजन की जांच

2740. श्री सज्जन कुमार : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले अधिकांश गैस-सिलिण्डरों में गैस की पूरी मात्रा नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरे वजन के सिलिण्डरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कभी कोई जांच की है, और यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मन्त्रालय/तेल कम्पनियों में उपभोक्ताओं को कम वजन वाले एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) सिलेण्डरों की सप्लाई करने के सम्बन्ध में शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को केवल सही वजन वाले और ठीक सीलों वाले एल० पी० जी० सिलेण्डर सप्लाई किये जाते हैं के लिए सभी सम्भव पूर्वोपाय किये गये हैं। एल० पी० जी० सिलेण्डर तेल कम्पनियों के अथवा उनकी सहायक कम्पनियों के बोटलिंग प्लाटों में आटोमेटिक एवं गैर-आटोमेटिक मशीनों में भरे जाते हैं। नागर आपूर्ति मन्त्रालय के माप तोल निदेशालय और निगम इन मशीनों की नियमित रूप से जांच करते हैं और इन पर मोहर लगाते हैं। भरे हुए सिलेण्डरों की आकस्मिक जांच की जाती है और अगर कोई सिलेण्डर कम भरे हुए अथवा खराब होते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। डीलरों द्वारा डिलीवरी किये जाने के समय डीलरों के शो-रूमों और गोदामों में जांच भी की जाती है। इन सावधानियों के बावजूद अगर इसी प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तेल कम्पनियों द्वारा उनकी तत्काल जांच की जाती हैं। अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं तो वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को दिये गये खराब/कम वजन वाले सिलेण्डरों को बदला जाता है।

दिल्ली से अन्य नगरों के लिए डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

2741. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली से किन-किन नगरों के लिए डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा विद्यमान है ; और

(ख) वर्ष 1981-82 के अन्त तक डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की पद्धति में अन्य नगरों को जोड़ने की सरकार की क्या योजना है तथा उससे किन-किन नगरों को जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय 139 नगर ऐसे हैं जहां के लिए दिल्ली से एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है । स्थानों के नाम विवरण-1 ('0' स्तर पर एस० टी० डी० सेवा) तथा विवरण-2 में (एस० टी० डी० सेवा स्तर '9' पर) दिए गए हैं ।

(ख) दिल्ली के साथ एस० टी० डी० के जरिए निम्नलिखित स्थानों के 1981-82 के दौरान जोड़ने हेतु संस्थापन कार्य प्रगति पर है :

1. कोटा
2. उदयपुर
3. पांडिचेरी
4. फिरोजपुर

विवरण-1

दिल्ली से (स्तर '0' पर) टी० ए० एक्स० सेवा के जरिए जोड़े गए नगरों की सूची :

1. आगरा 0562
2. इलाहाबाद 0532
3. अल्लेपी 0477
4. अम्बाला 0171
5. अनन्तपुर 08551
6. अंडाल 03111
7. आर्रा 06182
8. आसनसोल 0341
9. बड़ौदा 0265
10. बाहुला 03442
11. बंगलौर 0812
12. बाराबार 03446
13. बेलगांव 0831

दिल्ली से (स्तर '0' पर) टी० ए० एक्स० सेवा के जरिए जोड़े गए नगरों की सूची :

14. बेल्लेरी 08382
15. बम्बई 022
16. भुवनेश्वर 0674
17. भटिंडा 0164
18. बर्दवान 0342
19. बर्नपुर 03448
20. +बरेली 0581
21. कलकत्ता 033
22. चंडीगढ़ 0172
23. चंगानौर 047812
24. छपरा 06152
25. कन्नानौर 0497
26. कटक 0671
27. चेंगलपेट 04114
28. चिदाम्बरम 04144
29. कोयम्बतूर 0422
30. दरभंगा 06282
31. दावान्गेर 0819
32. धनबाद 0326
33. धर्मपुरी 04342
34. दुर्गापुर 0343
35. दिसपुर 0361 (गौहाटी)
36. एर्नाकुलम 0484
37. इरोड 0424
38. गांधीनगर 0271
39. गंगटोक 0359
40. गोरखपुर 0551
41. गुन्टूर 0863
42. हल्दिया
43. हैदराबाद 0842
44. जमेशेदपुर 0657
45. जमूरिया 03443
46. जलंधर 0181

दिल्ली से (स्तर '0' पर) टी० ए० एक्स० सेवा के जरिए जोड़े गए नगरों की सूची :

47. काकीनाडा 0884
48. खड़गपुर 0321
49. खम्माम 08742
50. कोहिमा 03886
51. कोसीकलां 05662
52. कोट्टायम 0481
53. कोविलपट्टी 04632
54. कोजीकोड 0495
55. कुडाईकनाल 04542
56. लुधियाना 0161
57. मद्रास 044
58. मंगलौर 0824
59. मानरगोडी 04367
60. मवेलीकारा 017816
61. मयूराम 04364
62. मुजफ्फरपुर 0621
63. मदुराई 0452
64. मैसूर 0821
65. नागपट्टीनम 04365
66. नागपुर 0712
67. नाराक्कल 04852
68. नीमतपुर 03445
69. ऊटी 0423
70. पालघाट 0941
71. पंजिम 0832
72. पटियाला 0175
73. पुणे 0212
74. क्विलोन 0474
75. राजकोट 0281
76. रानीगंज 04337
77. राय बरेली 0535
78. राजामुन्दरी 0883
79. राजापालायम 04563

दिल्ली से (स्तर '0' पर) टी० ए० एक्स० सेवा के जरिए जोड़े गए नगरों की सूची :

80. रांची 0651
81. राउरकेला 0661
82. रूपनारायणपुर 03444
83. +शाहजहांपुर 05842
84. सलेम 0427
85. समस्तीपुर 06274
86. शिलांग 0364
87. शिमोगा 08182
88. सिलीगुड़ी 0353
89. सासाराम 06184
90. थेनी 04546
91. त्रिरुचिरापल्ली 0431
92. त्रिपुरा 0421
93. तिरुवयल्ला 047811
94. तिरुवंरूर 04366
95. त्रिवेन्द्रम 0471
96. त्रिचूर 0487
97. तूतीकोरिन 0461
98. उदीपी 08252
99. उडूपलपेट 04255
100. उज्जैन 0734
101. वाराणसी 0542
102. बैल्लौर 0416
103. विजयवाड़ा 0866
104. विल्लूपुरम 04166
105. विरुद्धनगर 04562
106. विशाखापत्तनम 0891
107. सूरत 0261

+पूर्णकालिक सेवा 20 और 83 को छोड़कर जो केवल रात्रि के दौरान ही उपलब्ध हैं।

विवरण-2

दिल्ली से एस० टी० डी० के साथ जोड़े गए नगरों की सूची

(क्रम संख्या 32 को छोड़कर दोनों ओर के लिए प्वाइंट-टू-प्वाइंट) लेवल '9'

1. अहमदाबाद 975
2. अलीगढ़ 954
3. अलवर 981
4. अमृतसर 9183
5. भिवानी 974
6. भोपाल 977
7. बुलन्दशहर 955
8. देहरादून 935
9. गुड़गांव 9227
10. ग्वालियर 976
11. हापुड़ 9112
12. हिसार 983
13. इन्दौर 978
14. जयपुर 914
15. जम्मू 9191
16. जोधपुर 986
17. कानपुर 951
18. करनाल 984
19. लखनऊ 952
20. मेरठ 913
21. मोदी नगर 9223
22. मुरादाबाद 985
23. मसूरी 93585
24. मुजफ्फनगर 956
25. पानीपत 933
26. पटना 972
27. रोहतक 932
28. सहारनपुर 982
29. शिमला 9977
30. सोनीपत 9226
31. श्रीनगर 9194
32. इंगलैंड 900-44

(क्रम संख्या 32 को छोड़कर और के लिए प्वांइट-टू-प्वाइंट)

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आवंटन से संबंधित विचाराधीन आवेदन

2742. **श्री सज्जन कुमार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से आवंटन से संबंधित कितने आवेदन-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर कब तक विचार कर लिया जाएगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन आवंटन हेतु 1588 आवेदन बकाया हैं ।

(ख) 1982-83 के दौरान इन आवेदनों को उत्तरोत्तर निपटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है । कुछ एक्सचेंजों में सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने हेतु पर्याप्त क्षमता नहीं है । इनका 1982-83 में उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा ।

दिल्ली के गांवों में रसोई-गैस की सुविधाएं

2744. **श्री सज्जन कुमार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों में रसोई-गैस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के आस-पास के गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की वृद्धिशील उपलब्धता की आशा के साथ और क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए एल० पी० जी० की सुविधा 50,000 और उससे अधिक आबादी वाले कस्बों/ स्थानों में दिये जाने के बाद गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदान की जायेगी ।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक और रसायन संयंत्रों की स्थापना

2744. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई-गैस पर आधारित उर्वरक और रसायन उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और उन उद्योगों की स्थापना किन-किन स्थानों पर करने का विचार है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में बम्बई हाई-गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान का चयन करने वाली किसी समिति का गठन किया गया था और यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि बम्बई हाई-गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में केवल रतलाम ही उपयुक्त स्थान है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) महाराष्ट्र में थाल और गुजरात में हजीरा में दो-दो कार्यान्वयनाधीन चार परियोजनाओं के अतिरिक्त पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस पर आधारित छः और उर्वरक प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। इन प्लांटों में से एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान और चार उत्तर प्रदेश में लगाये जाएंगे। इन प्लांटों के सही स्थल पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने मध्य प्रदेश में लगाये जाने वाले एक प्लांट समेत गैस पर आधारित प्रस्तावित अतिरिक्त उर्वरक प्लांटों के सही स्थलों की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की। समिति ने हाल ही में विभिन्न स्थलों की उपयुक्तता दर्शाते हुए विस्तृत तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद मध्य प्रदेश में लगाये जाने वाले एक प्लांट समेत गैस पर आधारित अतिरिक्त प्लांटों के सही स्थल पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि

2745. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर टेलीफोन बिलों की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है और कब-कब से बकाया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) टेलीफोन उपभोक्ताओं के बारे में रिकार्ड टेलीफोन नम्बर क्रम में रखे जाते हैं। इस उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बतौर कोई श्रेणी नहीं है। तथापि किसी विशेष टेलीफोन नम्बर/उपभोक्ता के बारे में, मांगे जाने पर सूचना दी जा सकती है।

टेलीफोन उद्योग की स्थापना

2746. **श्री रेणुपद दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए देश में किसी टेलीफोन-उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है, ताकि हमें किसी विदेशी सहयोग की जरूरत न पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) फिलहाल स्वदेशी तकनीकी जानकारी से अन्तर्राष्ट्रीय मानक के टेलीफोन उपकरण बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए गुणवत्ता और सूक्ष्मता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मितव्यता तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन की दृष्टि से उपस्कर बनाने की विशेष प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है ताकि छोटे पुर्जों और उप-गटकों और टेलीफोन की ही एक जैसी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय संचार तंत्र तथा भारतीय परिस्थितियों के लिए उपर्युक्त टेलीफोन उपकरण के परखे नमूने का चयन करने के बाद, विदेशी सहयोग से सूक्ष्म मदों की बड़ी मात्रा में तैयार करने का लक्ष्य ज्यादा अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है।

दामोदर नदी पर रेल एवं सड़क पुल का निर्माण

2747. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेल मंत्रालय और योजना आयोग के साथ दामोदर नदी पर रेल-एवं सड़क पुल के निर्माण के मामले पर विचार किया है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मेजिया में (3×210 मेगावाट के) प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र विषयक दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोयले और भारी सामग्री की ढुलाई के लिए रानीगंज और बांकुरा के मध्य रेल-लिंक तथा दामोदर नदी पर रेल पुल की आवश्यकता है। इस रेल-लिंक के निर्माण का प्रश्न जुलाई, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रेल मंत्रालय के साथ उठाया था। रेलवे ने मार्च, 1981 में उत्तर दिया था कि उक्त लिंक के लिए कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है। इस रेल-लिंक की लागत मिलकर पूरी करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन और इसकी मांग में अन्तर

2748. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष से किन-किन राज्यों को उनकी मांग के अनुसार बिजली सप्लाई की जा रही है तथा किन-किन राज्यों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) मध्य प्रदेश में प्रत्येक संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने-कितने मेगावाट है तथा दिनांक 15 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1982 तक के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक विद्युत-संयंत्र में अधिकतम कितने-कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ ;

(ग) मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता और उसकी कुल मांग के बीच कितना

अन्तर है तथा इस अन्तर के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी श्रोत क्या होंगे।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में ऊर्जा की आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (उपाबंध 1) [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3524/82**]

(क) 15 जनवरी से 31 जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में संयंत्र-वार उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन निम्नानुसार है :

विद्युत संयंत्र का नाम	क्षमता (मिग्रा०)	15 से 31 जनवरी, 1982 के दौरान उत्पादन (मेगा०)
कोरबा एक	100	69
दो	200	130
तीन	120	110
चार	120	110
अमरकंटक एक	60	58
दो	240	180
शतपुड़ा एक	312.5	242.5
शतपुड़ा छः	200	50
शतपुड़ा सात	210	172
गांधी सागर) (जल विद्युत)	115	102

(ग) चम्बल काम्पलेक्स में मध्य प्रदेश के हिस्से समेत मध्य प्रदेश की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 1630.5 मेगा० है। अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में ऊर्जा की कमी 7.8 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 1979-80 के दौरान यह कमी 15.2 प्रतिशत थी। छठी योजना के दौरान यह आशा की जाती है कि लगभग 1640 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू की जाएगी। इसमें, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है। यह आशा की जाती है कि 1984-85 के अन्त तक मध्य प्रदेश कुल मिलाकर ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेना।

माइक्रो हाइडल परियोजनाएं

2749. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर इन माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की गई है ;

(ग) इन माइक्रो हाइडल परियोजनाओं से प्रति वर्ष कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है ;

(घ) क्या देश में माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार का चीन से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) देश में प्रचालनाधीन माइक्रो जल-विद्युत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

प्रचालनाधीन माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं

क० स०	परियोजना का नाम		प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
उत्तर प्रदेश			
1.	गरुड़	1×25	25
2.	नागेश्वर	1×50+1×18.6	68.5
3.	चम्पादत	2×100	100
4.	उत्तरकाशी	3×200	600
5.	भटवारी	2×25	50
6.	धारासू	1×5	5
7.	बरकत	1×5	5
8.	रद्रप्रयाग (अन्तरिम)	1×30	30
9.	मिन्ती चेरा	2×100	200
10.	देवप्रयाग	2×50	100

क्र० सं०	परियोजना का नाम		प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
11.	रुद्रप्रयाग (तिलवाड़ा)	2×100	200
12.	चमोली	3×200	600
13.	गुप्तकाशी	2×100	200
14.	बद्रीनाथ (अन्तरिम)	1×30	80
15.	सिमली	1×5	5
16.	पीपलकोटी (अन्तरिम)	1×9	5
17.	जोशीमठ (अन्तरिम)	1×25	25
18.	भोला	4×375+2×600	2700
19.	पालरा	3×200	600
20.	सुमेरा	2×600	1200
21.	मसूरी	2×500+2×1000	3000
22.	नैनीताल	3×100+2×350	1000
23.	पंकूकेश्वर	3×250	750
24.	कोटी	2×100	200
25.	सल्वा	2×500	1000
26.	चितौरा	2×1500	3000
27.	निरगजनी	2×2500	5000
28.	मोहम्मदपुर	3×3170	9510
हिमाचल प्रदेश			
1.	नोगली	2×250+2×500+1×100	1500
2.	चम्बा	2×100	200
3.	क्षमला	4×50	200
4.	जुब्बल	2×25	50
5.	विल्लिंग	4×50	200
6.	चरोला	1×50	50
7.	चम्बा (शिमला)	3×250+2×500	1750
8.	सिभु	1×150	150
9.	मेहयार	1×100	100
10.	धरमौर	1×20	20

क्रम सं०	परियोजना का नाम		प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
जम्मू व कश्मीर			
1.	जम्मू	2 × 500	1000
2.	ऊधमपुर	3 × 320	660
3.	रजौरी	2 × 280	560
4.	पुंच	1 × 98 + 2 × 30	158
5.	भन्दूरवाह	2 × 280	560
6.	गन्डरवाल	2 × 3000 + 2 × 4500	15000
7.	गोहरा	2 × 4500	9000
महाराष्ट्र			
1.	राधानगरी	1 × 5000	5000
2.	वीर	2 × 4500	9000
आंध्र प्रदेश			
1.	निजाम सागर	2 × 5000	10000
पश्चिम बंगाल			
1.	मसंजोर	2 × 2000	4000
2.	लिटिल रणजीत और बिजोनबाड़ी		2400
दा० घा० नि०			
1.	तिल्लैया	2 × 2000	4000
अरुणाचल प्रदेश			
1.	पस्सीघाट	2 × 100	200
2.	राहुंग	3 × 250	750
3.	बसर	2 × 50	100
4.	दिरंग	3 × 500	1500
5.	कंललतांग	1 × 10	10
6.	तर्कसिंग	1 × 10	10
7.	न्यू ईतलयर	3 × 250	750
8.	तेज	4 × 100	400
9.	अलोंग	4 × 100	400

क्रम सं०	परियोजना का नाम		प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
10.	तवांग	3×500	1500
11.	जीरो सोपान-एक	4×500	2000
12.	तीरथजो (खोंसा)	3×250	750
13.	सेप्पा	2×100	200
मणिपुर			
1.	लीमाखेंग (चरण-क)	600	600
मेघालय			
1.	शिलांग	2×500	1500
2.	उमत्रू	4×2800	11200
त्रिपुरा			
1.	गुमटी	2×5000	10000
नागालैन्ड			
1.	दजूजा नाला	3×500	1500
सिक्किम			
1.	रोगनीयानी	2100	
2.	रिम्बी	200	
3.	रोतहाक	200	
4.	लोअर लग्यप	2×6000	12000

हाई वोल्टेज डायरेक्ट करन्ट ट्रांसमिशन योजना

2750. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करन्ट ट्रांसमिशन" योजना शुरू करने पर सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त (एच० वी० डी० सी०) ट्रांसमिशन पद्धति कब शुरू की जाएगी ;

(ग) इस पद्धति को शुरू किए जाने का मुख्य प्रयोजन क्या है ; और

(घ) देश में विद्युत ट्रांसमिशन का खर्च कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उच्च वोल्टता डाइरेक्ट करेंट पारेषण प्रौद्योगिकी में कुछ तकनीकी लाभ निहित हैं। इसके कारण यह, ए० सी० पारेषण का व्यवहार्य तकनीकी विकल्प बन गई है। तथापि, टर्मिनल लागत अधिक आती है तथा स्वदेशी निर्माण क्षमता इस समय नहीं है। देश में उच्च वोल्टता डाइरेक्ट करेंट पारेषण प्रणालियां आरम्भ करने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए दीर्घकालीन योजना अध्ययन किए जा रहे हैं।

(घ) रिएक्टिव विद्युत कम्पेन्सेशन की व्यवस्था करके विद्युत प्रणालियों में बोल्टता की स्थितियों में सुधार लाने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। पारेषण कार्यक्रमों को यथासंभव तेज करने के लिए भी सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि इन प्रयासो के परिणामस्वरूप न केवल विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि पारेषण हानियों में भी कमी होगी।

महाराष्ट्र में और अधिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

2751. **श्री आर० आर० मोले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितने टेलीफोन केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने और विस्तार करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन से सम्बन्धित प्राधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर शीघ्र ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें इस कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं ; और

(घ) दोषी टेलीफोनों से सम्बन्धित शिकायतों को उसी दिन दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लगभग 70, वशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(ख) 1982-83 के 5 एक्सचेंजों के स्वचालित बनाए जाने का प्रस्ताव है तथा 15 ऐसे एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है। जहां तक महाराष्ट्र में बड़ी टेलीफोन प्रणाली के विस्तार का सम्बन्ध है इसके निम्नानुसार विस्तार किए जाने की उम्मीद है :

बम्बई	32,000 लाइनें
पुणे	2,200 लाइनें
नागपुर	1,800 लाइनें

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। प्रविदित दोषयुक्त टेलीफोनों की 3000 से 4000 तक प्राप्त शिकायतों में से 70 प्रतिशत शिकायतों को 24 घंटे के भीतर निपटाया जाता है। कुल शिकायतों में 90 प्रतिशत शिकायतें 48 घन्टे में निपटायी जाती हैं। बम्बई टेलीफोन के वरिष्ठ अधिकारी दोषों को दूर करने की प्रगति पर सावधानी-पूर्वक ध्यान रखते हैं।

विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता

2752. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल उत्पादन क्षमता की तुलना में तापीय, जल और आणविक स्रोतों से पृथक-पृथक बिजली के उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में बिजली का कितना-कितना उत्पादन हुआ तथा विशेष रूप से बिहार में कितना-कितना ; और

(ख) सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण बिहार, उत्तरी बिहार तथा बिहार के शेष भाग में क्रमशः बिजली की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता के नवीनतम आंकड़े क्या-क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में यूटिलिटीज में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 31316.68 मेगावाट है जिसमें 1217.22 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, 860 मेगावाट न्यूक्लीय क्षमता तथा 18285.46 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता है। अप्रैल, 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान देश में वास्तविक उर्जा उत्पादन 112134 मिलियम यूनिट जल विद्युत, 2867 मिलिग्रम यूनिट न्यूक्लीय तथा 63644 मिलियम यूनिट ताप विद्युत उत्पादन शामिल है। देश में 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 की अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता और उर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बिहार की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 927.7 मेगावाट है जिसमें से 778.5 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता तथा 149.2 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। अप्रैल, 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान बिहार में वास्तविक उत्पादन 2370 मिलियन यूनिट था जिसमें से 2204 मिलिमम यूनिट ताप विद्युत उत्पादन तथा 166 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन था।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 155.62 यूनिट थी। इसकी तुलना में उत्तरी बिहार में उपलब्धता 14.82 यूनिट, दक्षिण बिहार में 43.4 यूनिट, छोटा नागपुर में 249.06 यूनिट तथा बिहार राज्य में 82.48 यूनिट उपलब्धता थी।

विवरण

1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता तथा ऊर्जा उत्पादन दिखाने वाला विवरण

	31-3-79 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट	1978-79 के दौरान उत्पादित ऊर्जा मिलियन यूनिट	31-3-80 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट	1979-80 के दौरान उत्पादित ऊर्जा मिलियन यूनिट	31-3-1981 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट	1980-81 के दौरान उत्पादित ऊर्जा मि० यूनिट
अखिल भारत (यूटिलिटीज)						
1. जल विद्युत	10833.07	47158.86	11383.97	45477.55	11791.22	46532.52
2. ताप-विद्युत	115206.99	52593.98	16423.86	56273.12	17562.46	61287.48
3. न्यू-क्लीय	640.00	2769.68	640.00	2876.59	860.00	3001.34
जोड (अखिल भारत)	26680.06	102522.52	28447.83	104627.26	30213.68	110821.34

हिन्दी दैनिक "हितवाद" की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2753. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीयक, समाचारपत्र को जबलपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "हितवाद" की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां मिली हैं जिसमें अखबारी कागज के कोटे के दुरुपयोग की ओर इंगित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) रिपोर्ट, जो एक चार्टर्ड लेखाकार की बताई जाती है, की एक अहस्ताक्षरित प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) 42,674/- रुपए के मूल्य के अखबारी कागज का दुरुपयोग बताया गया है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

देश की टेलीफोन प्रणाली

2754. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि हमारे देश की टेलीफोन प्रणाली दोषपूर्ण और असन्तोषजनक है ;

(ख) टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा कितने प्रकार की शिकायतें की जाती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय मंत्री ने जब अपना पदभार संभाला था, तब उनके सारे टेलीफोन खराब थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश की टेलीफोन प्रणाली सामान्य ढंग से कार्य कर रही है ।

(ख) सामान्यतया विभाग को निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं :

(i) निष्क्रिय टेलीफोन
(ii) दोषयुक्त टेलीफोन
(iii) ट्रंककाल मिलने में विलंब
(iv) अधिक राशि के बिल

(ग) डाक तार विभाग की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय लघु औषधि निर्माता संघ द्वारा एल बेस के लिये अभ्यावेदन

2755. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय लघु औषधि निर्माण संघ (आल इण्डिया स्माल स्केल फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चरिंग एसोशिएशन) की ओर से जनवरी, 1982 में कोई विस्तृत अभ्यावेदन मिला है जिसमें एल बेस अर्थात क्लोरमफेनीकोल आई० पी० के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, और

(ख) क्या अभ्यावेदन की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो इस मामले में प्रश्न दर प्रश्न सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । एल-बेस और क्लोरमफेनीकोल से संबंधित मुद्दों पर सरकार को दिनांक 16 जनवरी, 1982

को आल इन्डिया स्माल स्केल फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाये गये मुख्य मुद्दे देश में क्लोरमफेनीकोल की मांग और आयात तथा एल-बेस पर सीमा शुल्क में कटौती के संबंध में हैं । जहां तक मांग और आयात का संबंध है, क्लोरमफेनीकोल की स्वदेशी उपलब्धता और प्रत्याशित मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1981-82 के दौरान क्लोरमफेनीकोल का आयात न करने का निर्णय किया है । सरकार ने मूल स्तर से क्लोरमफेनीकोल की स्वदेशी क्षमता के बेहतर प्रयोग के लिए सीमा शुल्क में कटौती न करने का भी निर्णय किया है ।

क्लोरमफेनीकोल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी और इसका उत्पादन

2756. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में क्लोरमफेनीकोल के मूल निर्माताओं के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी घटिया है और उनमें से प्रत्येक के लिए स्वीकृत मूल्य में अत्यन्त मूल्य अन्तर है ;

(ख) क्या इन एककों द्वारा आयकर नियमों के अन्तर्गत मूल्यह्रास का पूरा लाभ उठाने के बावजूद, इनकी मशीनरी की मूल लागत पर अब भी मूल्यह्रास की अनुमति दी जा रही है जिससे तैयार बल्क औषधियों के लिए जो मूल्य स्वीकृत होता है, वह उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक मंहगा हो जाता है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में क्लोरमफेनिकोल का मूल स्तर से निर्माण मै० पार्क डेविस और मै० बोहरिगर नौल लिमिटेड नामक दो कम्पनियों द्वारा किया जाता है । यद्यपि दोनों एककों की उत्पादन लागत में अन्तर है, कुशल उत्पादनकर्ता की उत्पादन लागत के आधार पर दोनों एककों के लिए 680-79 रु० प्रति कि०ग्राम का मूल्य निर्धारित किया गया है । यद्यपि क्लोरमफेनिकोल पाउडर के उत्पादन के लिये देश में उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है फिर भी प्रौद्योगिकी में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है ।

(ख) और (ग) मै० पार्क डेविस और मै० बोहरिगर नौल ने स्ट्रेटलाइन पद्धति के अन्तर्गत लागत अध्ययन के समय मूल्यह्रास की दरों को अपनाकर उनका दावा किया है जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों से भिन्न है । तथापि, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्युरो ने क्लोरमफेनिकोल पाउडर के मूल्यों की सिफारिश करते समय, जिनको सरकार ने अधिसूचित कर दिया है, आयकर की दरों पर अंकित मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास को अपनाया है।

पाकिस्तान से आये लोगों को भूमि का आवंटन

2757. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री पाकिस्तान से आये लोगों

को भूमि के आवंटन के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5058 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 159 मामलों में यदि किसी को भूमि आवंटित की गई है तो, इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि उनको भूमि आवंटित नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है और इनका अधिग्रहण किन-किन तारीखों को किया गया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 159 मामलों में आवंटन कर दिया गया है जिसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। एक मामला रद्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : दिल्ली से सम्बन्धित 24 मामले, विभिन्न अदालतों और विभागीय अधिकरणों के समक्ष लम्बित हैं। विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 12 के अन्तर्गत, जुलाई, 1955 में अर्जित लगभग 142 मानक एकड़ निष्क्रान्त कृषि भूमि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है जिनसें इन दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

शेष 126 मामलों के लिए, लगभग 890 मानक एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता है। पंजाब सरकार ने 29-1-81 को, उन क्षेत्रों में जिनको अभी निर्दिष्ट किया जाना है, लगभग 241 मानक एकड़ भूमि आवंटित करने की सहमति दे दी है। हरियाणा सरकार से लगभग 650 मानक एकड़ भूमि देने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

8 मामलों में दिल्ली में निष्क्रांत कृषि भूमि आवंटित करने संबंधी ब्यौरा

क्रम सं०	नाम	क्षेत्र मानक एकड़ में	गांव
1.	श्री चन्दूलाल	1-5.11/12	हमीदपुर
2.	श्री तरसीमल हक	1-8	हमीदपुर
3.	श्री ओमप्रकाश व अन्य	3-0	हमीदपुर
4.	श्री कजान व अन्य	2-12.1/4	सुल्तानपुर डिवास
5.	श्रीमती लाजवन्ती	1-8	अलीपुर
6.	श्री गंगाधर	2-4	अलीपुर
7.	श्री हुक्म चन्द	4-5.3/4	रिठाला
8.	सर्वश्री ईश्वर चन्द व अन्य	0-6	छत्तरपुर
		17.-1	

तेल और पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास हेतु भारत-इटली वार्ता

2758. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में तीन दिवसीय भारत इटली वार्ता आयोजित की गई थी ;

(ख) क्या इस बैठक में तेल की खोज, उत्पादन, परिष्करण, पाइप लाइनों के लाने-ले-जाने और पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास और गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के प्रश्नों पर मुख्य रूप से विचार किया गया ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त विषयों में से प्रत्येक के बारे में इटली द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए थे ; और

(घ) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) इटली की राजकीय स्वामित्व वाली कम्पनी ई० एन० आई० से एक शिष्टमण्डल फरवरी 1982 में भारत आया और विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ दिनांक 10-2-1982 से 12-2-1982 तक और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श प्रमुख रूप से पेट्रोलियम की खोज, शोधन और पेट्रो रसायनों पर केन्द्रित रहा। आपसी हितों के विषयों का पता लगाया गया। पेट्रोलियम विभाग के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इन क्षेत्रों में सम्भव सहयोग के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करेंगे।

अच्छे किस्म के कोयले की खानों के विकास हेतु फ्रांसीसी सहायता

2759. **श्री मगन भाई बारोट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छे किस्म के कोयले की खानों का विकास करने के उपकरणों और प्रौद्योगिकी के आयात हेतु फ्रांस से ऋण प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि प्रस्ताव कार्यान्वित हो जाते हैं तो कितना अधिक अतिरिक्त कोयला खानों से निकाले जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) और (ख) नवम्बर, 1981 में जब प्रधान मंत्री फ्रांस गईं थीं उस समय भारत और फ्रांस के बीच एक सम-

झौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके अधीन एक "कोयले पर भारत-फ्रांस कार्यकारी दल" की स्थापना की गई है और भारत का कोयला उद्योग फ्रांस से ऋण लेने का पात्र होगा। इस ऋण में यह बातें शामिल होंगी—तकनीकी सेवाएं, उपकरण की सप्लाई और प्रशिक्षण।

कुछ खानों के बारे में कोल इण्डिया लि० की फ्रांस की तकनीकी सहायता से अब परियोजना रिपोर्टें तैयार कर रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर संभावित अतिरिक्त उत्पादन लगभग 3 मिलियन टन होगा।

भड़ोंच, गुजरात में गैस का पता लगाना

2760. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गुजरात के भड़ोंच जिले में बागरा तालुका के गांव कोलियाड में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्र दाहेज में एक कुंए में अच्छी किस्म की प्राकृतिक गैस का पता लगाया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : किसी गांव विशेष के संदर्भ में तेल/गैस की खोज की पुष्टि करना अत्यंत कठिन है। तथापि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात के भरूच जिले में दाहेज संरचना में दूसरे कुंए में प्राकृतिक गैस मिली है।

गुजरात में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज/टेली-प्रिंटर्स/टेलेक्स प्रणाली की स्थापना किया जाना

2761. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टेलेक्स प्रणाली स्थापित करने का संचार विभाग का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नगरों में और कब ये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज शुरू किए जाएंगे ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) विस्तृत योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात के लिए नई बिजली योजनाएं

2762. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने 1000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन के लिए नई बिजली योजनाएं केन्द्र की स्वीकृति हेतु भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अधिष्ठापित क्षमता सहित उपर्युक्त बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा इन नई बिजली योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है क्योंकि राज्य की बिजली आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसलिए इन योजनाओं के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्कीमों के नाम, उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता और वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण में, परियोजना प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विभिन्न मामले बताए गए उनका अभी निपटान किया जाना है । लम्बित पड़े मामलों का समाधान किए जाने के पश्चात ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जा सकती है तथा उसके बाद योजना आयोग निवेश सम्बन्धी स्वीकृति देने के लिए प्रस्तावों की जांच करेगा ।

विवरण

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अद्यतन स्थिति
1. गांधी नगर विस्तार	1 × 210	स्कीम की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली गई है । चूंकि राज्य जल प्रदूषण बोर्ड से स्वीकृति की प्रतीक्षा है अत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी ।
2. उत्राण में छोटे यूनिटों के बदले दूसरे यूनिट लगाना	1 × 120	राख के निपटान के लिए प्रस्तावित प्रबंधों के सम्बन्ध में राज्य जल प्रदूषण बोर्ड और सिंचाई विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
3. कच्छ ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1 × 60	जल प्रदूषण बोर्ड की स्वीकृति को और गुजरात बिजली बोर्ड से जल की उपलब्धता राख निपटान प्रणाली आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरणों की प्रतिक्षा है ।
4. कांडला में पुराने यूनिट के बदले दूसरे यूनिट लगाना	1 × 60	गुजरात बिजली बोर्ड से, रेलवे साईडिंग सम्बन्धी सुविधाओं, राख निपटान संबंधी और जल शीतलन सुविधाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की तथा अद्यतन लागत अनुमानों की प्रतीक्षा है ।

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अद्यतन स्थिति
5. सरदार-सरोवर (नर्मदा) बहुद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना	6 × 200	संशोधित रिपोर्ट पर के० वि० प्रा० की टिप्पणियों को के०ज०आ०/राज्य सरकार को भेज दिया गया है। स्पष्टीकरणों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए के० वि० प्रा० द्वारा बिचार किया जाएगा।

वनसंरक्षण अधिनियम द्वारा केरल की पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति में बाधा

(6)

2783. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि वन संरक्षण अधिनियम ने केरल की पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाली है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम के क्षेत्राधिकार से पनबिजली परियोजनाओं को छूट देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि जल विद्युत स्कीमों के सर्वेक्षण और अन्वेषण सम्बन्धी कार्य को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से छूट दी जाये।

(ग) कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, जल विद्युत परियोजनाओं की संवीक्षा वन संरक्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति देने हेतु प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए सहमत हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी है कि कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति के लिए विचारार्थ अपेक्षित सूचना वे प्रोफार्मा में शीघ्र ही भेज दें। जल विद्युत स्कीमों के सर्वेक्षण और अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय आम छूट देने के लिए सहमत नहीं हुआ है। तथापि कृषि मंत्रालय इस बात के लिए सहमत है कि यदि अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों के लिए बृक्षों को नहीं काटा जाना है तो मामले को सलाहकार समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्य मामलों में, मामले के गुण दोषों के आधार पर ही समिति अपना बिचार बनायेगी।

एर्नाकुलम और कालीकट में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

2764 **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ;

(ख़) क्या सरकार समूचे केरल को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से एर्नाकुलम और कालीकट में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापता करने पर विचार करेगी ; और

(ग) इस प्रकार के प्रसारण केन्द्रों पर कितनी अनुमानित लागत आएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है और शिलान्यास 2-´-81 को कर दिया गया है । सिविल निर्माण कार्य सौंप दिए गए हैं । टावर की सप्लाई और उसे लगाने के लिए आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय को इनडेंट भेज दिया गया है । उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं ।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) डाक-तार माइक्रोवेव मार्ग पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की भावी योजना में, एर्नाकुलम और कोझीकोड (कालीकट) को चरण-2 (1985-90) में शामिल किया गया है । तथापि, इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी जाने वाली सापेक्ष अग्रता पर निर्भर करेगा ।

(ग) एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की वर्तमान अनुमानित लागत 200.00 लाख रुपए है ।

धुवारण बिजली घर के लिए अमरीकी सहायता

2765. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धुवारण बिजली घर के निर्माण के लिए अमरीकी सहायता ऋण की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : धुवारण विद्युत केन्द्र के निर्माण के लिए दी गई यू० एस० ऋण सहायता की शर्तें नीचे दी गई हैं :

समझौते का शीर्षक	समझौते की तारीख	समझौते की राशि रद्द होने/ वाध्यता मुक्ति के वाद निवल	ब्याज की दर	रिआयती अवधि	चुकता करने की अवधि रिआयती अवधि को छोड़ कर
ऋण सं० 386-एच० 052-धुवारण ताप विद्युत केन्द्र (पहला ऋण)	26-2-1962	33.09 मिलियन यू०एस० डालर	0.75% प्रति वर्ष	10 वर्ष	30 वर्ष
ऋण सं० 386-एच० 143-धुवारण ताप विद्युत केन्द्र (दूसरा ऋण)	1-6-1966	17.47 मिलियन यू०एस० डालर	पहले 10 वर्ष के लिये 1% तथा उसके वाद 2.5%	10 वर्ष	30 वर्ष

गुजरात में नायलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए आशयपत्रों का जारी किया जाना

2766. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के विवरण क्या हैं जिन्होंने गुजरात में नायलोन फिलामेंट यार्न उत्पादन करने हेतु आशयपत्रों के लिए आवेदन किया है ;

(ख) किन-किन तारीखों को इन कम्पनियों ने आशयपत्रों के लिए आवेदन किया था और उन कम्पनियों के विवरण क्या हैं जिनको आशयपत्र जारी किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक आशयपत्र जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) नायलोन फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसैंस प्राप्त करने हेतु अनेक प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। जब तक सरकार अपना निर्णय नहीं ले लेती तब तक सरकार के विचाराधीन आवेदनों के ब्यौरे प्रकाशित नहीं किए जाते ।

गुजरात और मध्य प्रदेश द्वारा एक संयुक्त बिजली घर की स्थापना करने हेतु अनुरोध

2767. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने एक संयुक्त बिजली घर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) किन कारणों से अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है ; और

(घ) शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने 990.6 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बांधव में 500-500 मेगावाट की चार यूनिटों को स्थापित करने के लिए एक योजना भेजी है (यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है) । इस योजना में सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के कोयले और गोपद नदी पर बांध बनाकर जल का समुपयोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है । परियोजना के लिए कोयला लिंकेज अभी सुनिश्चित किए जाने हैं ।

राज्य विद्युत बोर्ड को जल आदि की उपलब्धता के बारे में विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति लेनी अभी शेष है। इसके अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्ड से यह भी कहा गया है कि परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता, शीतलन जल प्रणाली, जल विज्ञान संबंधी आंकड़े, लागत प्राक्कलनों आदि के बारे में कुछ स्पष्टीकरण भेजें। जब सभी आवश्यक निवेश सम्बद्ध कर लिए जायेंगे तब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए उस पर विचार किया जा सकता है।

वाहनों द्वारा पेट्रोल की खपत कम करने हेतु योजना

2768. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाहनों द्वारा पेट्रोल की खपत को कम करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) कारों आदि में पेट्रोल के स्थान पर हाई स्पीड डीजल अथवा बैटरी का प्रयोग करने की क्या संभावनायें हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां। वित्तीय उपायों के प्रारम्भ करने से, पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल का उपभोग लगभग स्थिर रहा है। पेट्रोल का उपभोग कम करने के लिए अन्य उपाय इस प्रकार हैं :

सरकारी विभागों तथा उपक्रमों द्वारा वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण, कार तथा दो पहिया के मालिकों के लिए व्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिसमें कि वह पेट्रोल की बचत के लिए साधारण युक्तियों का प्रयोग करके अपने वाहनों से सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन प्राप्त कर सकें।

(ख) पेट्रोल के साथ डीजल का प्रतिस्थापन उचित नहीं समझा गया है, क्योंकि देश डीजल का आयात कर रहा है जबकि पेट्रोल के स्वदेशी उत्पादन में देश आत्म निर्भर है। वाहनों में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास, मुख्य रूप से पुनः आवेशित बैटरी वाले दो पहिया वाहनों में शुरू हो गया है तथा इनमें से कुछ बाजार में आ गये हैं। कुछ भारी वाहन भी पुनः आवेशित बैटरी शक्ति पर प्रचालन कर रहे हैं। बैटरी को बार बार आवेशित करने, इसके आकार तथा भार के कारण. बैटरी प्रचालित वाहन व्यापारिक रूप से तभी उपलब्ध होंगे जबकि पुनः आवेशित बैटरी की प्रौद्योगिकी में सुधार होगा।

प्रचार माध्यम सलाहकार समिति की रिपोर्ट

2769, **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संगठनों का पुनर्गठन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष से भी अधिक पहले नियुक्त प्रचार-माध्यम

सलाहकार समिति ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार को रिपोर्ट कब तक मिल जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके अधीन माध्यम एककों के ढांचे और इनकी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर इस मंत्रालय को सलाह देने के लिए श्री जी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक 14-सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की गई थी । समिति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक वारगी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, किन्तु वह संगठनात्मक मामलों, नीति निर्माण में परिवर्तनों और कार्यक्रम कार्यान्वयन कवर करते हुए समय समय पर सिफारिशें करती है ।

2. समिति ने मंत्रालय को अब तक निम्नलिखित विषयों पर तीन सिफारिशें भेजी हैं जिनकी मंत्रालय में जांच हो रही है ।-

(1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देना ;

(2) प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति ; और

(3) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करना ।

3. इसके अलावा, विभिन्न मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए समिति ने कुछ उप-समितियां गठित की हैं । इस समिति के विचार-विमर्शों में माध्यम कर्यचारियों के सामने बड़ी संख्या में नये विचार और उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार करने के लिए सुझाव रखे हैं ।

कोल इन्डिया को हुआ घाटा

2770. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड, को इसकी स्थापना के समय से ही घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो घाटे की वार्षिक मात्रा कितनी है ; और

(ग) सरकार ने इस उपक्रम की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए हुए खातों के अनुसार घाटे की वार्षिक राशि निम्नलिखित है :

		(रुपये करोड़ों में)
1975-76	—	55.19
1976-77	—	75-22
1977-78	—	128:16
1978-79	—	241.31
1979-80*	—	88.06
1980-81*	—	33:34

*पहले की अवधि के समायोजन को छोड़कर ।

(ग) घाटे कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उटाए जा रहे हैं :

(1) ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास करके उत्पादन बढ़ाना, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू करना, बिजली तथा विस्फोटक पदार्थों जैसी उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना; राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क करके कानून और व्यवस्था स्थिति में सुधार, आदि ।

(2) खनिकों में अनुपस्थिति को नियंत्रित करना ।

(3) जन-शक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार ।

(4) समाग्री सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत ।

(5) उपकरण के उपयोग में सुधार ।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

2771. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में विद्युत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में फरक्का में 3 × 200 मेगावाट (प्रथम चरण) की प्रारंभिक क्षमता की एक सुपर ताप विद्युत परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है । ये युनिटें 1984.85 तथा 1985-86 के दौरान चालू की जाएंगी । इसके अतिरिक्त 1980-85 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 1368 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है । इससे पिछड़े जिलों सहित राज्य में, विद्युत के उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार होगा ।

डेसू में जांच हेतु लम्बित बिजली की खराबी के मामले

2772. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेसू के अधिकारियों के पास जांच हेतु बिजली की खराबी के कितने मामले लंबित हैं

और दिल्ली में बार-बार बिजली खराब होने के कारण कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोपपत्र दिए गए हैं ; और

(ख) राजधानी में बार-बार बिजली खराब होने के कारणों पर विचार करने वाली विशेष समिति की जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जब कभी प्रणाली में विद्युत ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। अधिकांश मामलों में सप्लाई का दूसरा स्रोत सदैव उपलब्ध रहता हैं तथा दोष वाले भाग को पृथक करके, सप्लाई बहाल कर दी जाती है। प्रभावित क्षेत्र को सप्लाई में औसतन 20 से 30 मिनट तक की बाधा पहुंचतीं हैं। सप्लाई में बाधाओं को न्यूनतम करने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जाते हैं।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की वितरण प्रणाली के बार-बार फेल होने के कारणों की जांच करने के लिए तथा अल्पकालिक/दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए, महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 18-7-1981 को गठित की गई समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, राजधानी में पांच विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत वितरण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए उक्त समिति ने कुछ अन्तरिम उपाय सुझाए हैं तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बार-बार फेल होने वाले कुछ केबिलों को बदलने के मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है।

कैबल हैंडलिंग

2773. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कैबलों की विभिन्न स्तरों पर हैण्डलिंग के समय अर्थात् लादते/उतारते समय, डेसू के कर्मचारियों की जान को खतरा होता है और यदि हां, तो उचित तरीके अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : केबलों को लादने/उतारने का बल्क कार्य क्रेनों की सहायता से किया जाता है। कार्मिको की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कार्य स्थल पर केबलों की हैण्डलिंग के समय उपयुक्त औजारों और उपस्करों का इस्तेमाल किया जाता है तथा सभी संभव सावधानियां बरती जाती हैं।

डेसू के महाप्रबन्धक की नियुक्ति

2774. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 जून, 1980 से महा प्रबन्धक के रिक्त पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का पद 6 जून, 1980 को रिक्त हुआ था और उसी समय में आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त, महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कार्य भी देख रहे हैं। हाल ही में अतिरिक्त महाप्रबन्धक के एक नए पद का सृजन किया गया है और यह पद भर लिया गया है। महाप्रबंधक के पद के लिए भी उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्वी कोयला क्षेत्रों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला उत्पादन में गिरावट का रुख

2775. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और क्या वर्ष 1981-82 के लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त लक्ष्य निर्धारित करते समय पूर्वी कोयला क्षेत्रों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला उत्पादन में गिरावट के रुख को ध्यान में रखा है ;

(ग) क्या सरकार ने वितरण प्रणाली का सुधार करने और मुहानों पर कोयला इकट्ठा नहीं होने देने का प्रयास भी किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए 133 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग से परामर्श करके निश्चित किया गया है । परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया जाना है,कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को उपर्युक्त लक्ष्य से बढ़ा दिए जाने की संभावना है । वर्ष 1981-82 के लिए उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग से परामर्श करके मूलत: 121 मि० टन निश्चित किया गया था । परन्तु इस वर्ष 124 मि० टन उत्पादन होने की संभावना है ।

(ख) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले के उत्पादन में 1979-80 से बढ़ोतरी शुरू हुई है । फिर भी, इन कंपनियों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते समय उनके सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखा गया है ।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को कोयले की अधिक सप्लाई करने की दृष्टि से कोयला कंपनियां रेलवे के साथ विभिन्न परिचालन स्तरों पर लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं । कोयले के रेल द्वारा संचलन की निगरानी उच्चतम स्तर पर "आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति" भी करती है ।

एल्ट्रोक्सीन गोलियों का उपलब्ध न होना

2776. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाइराइड कैन्सर का इलाज करने के लिए उपयोगी एल्ट्रोक्सीन गोलियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) क्या ग्लेक्सो कंपनी इन गोलियों का उत्पादन करती थी और इस समय कंपनी ने इन गोलियों का उत्पादन करना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) मेरा मंत्रालय राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के

क्षेत्रीय कार्यालयों और जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर औषधों की उपलब्धता की देख-रेख करता है। मै० ग्लैक्सो लैब्स द्वारा निर्मित एल्ट्रोक्सीन गोलियों की कमी की शिकायत एक-दो स्थानों से प्राप्त हुई है। पूछे जाने पर ग्लैक्सो ने सूचित किया है कि उन्होंने इन गोलियों का उत्पादन बढ़ा दिया है और कमी की शिकायत वाले क्षेत्रों में उनकी सप्लाई पहुंचा दी है। इसके अलावा मै० वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा निर्मित प्रोलाइड गोलियां और मै० बुरोज वैल्कम द्वारा निर्मित थाइराइड गोलियां जो इसी के समान उत्पाद हैं, सामान्य तौर पर उपलब्ध हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3214, दिनांक 8-9-1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में, उत्तरी और मध्य अण्डमान के दिग्लीपुर, मायाबंदर और रणघाट में प्रत्येक के लिए पेट्रोल की औसत मासिक मांग 50 से 60 लिटर बतायी गई थी जिसका फुटकर मूल्य प्रति लिटर रुपये 7.07 है।

बाद में पड़ताल किये जाने पर यह ध्यान में आया था कि उपर्युक्त आंकड़े सही नहीं थे और पेट्रोल की सही मासिक मांग आंकड़े 200 लिटर से 500 लिटर होनी चाहिए जिसका अण्डमान प्रशासन के अधीन विभागों के लिए मूल्य प्रतिलिटर रुपये 8.10 और निजी उपभोक्ताओं के लिए मूल्य रुपये 8.65 प्रति लिटर है।

संशोधित उत्तर निम्न प्रकार के होना चाहिए।

(क) जी, हां। निजी उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की मासिक औसतन आवश्यकता 200 लिटर और दिग्लीपुर, मायाबंदर और रणघाट जो उत्तरी और मध्य अण्डमान में हैं की सरकारी एजेन्सियों के लिए 500 लिटर है और इनकी सप्लाई अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी की जाती है क्योंकि इन स्थानों पर इंडियन आयल कारपोरेशन का कोई डिपो नहीं है। पेट्रोल का विक्रय मूल्य जो अण्डमान प्रशासन के अधीन विभागों के लिए प्रतिलिटर करीब रुपये 8.10 है और निजी उपभोक्ताओं के लिए प्रति लिटर रुपये 8.65 है, जो पोर्ट ब्लेयर पर सरकारी अनुमोदित दर जमा परिवहन पर वास्तविक लागत, भण्डारण, रख-रखाव सेवाएं प्रभार, मार्ग में हुई हानि आदि पर आधारित है। सरकारी एजेन्सियों और निजी उपभोक्ताओं के बीच पेट्रोल के विक्रय मूल्य में अन्तर निजी उपभोक्ताओं के लिए अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये सेवा प्रभारों के कारण है :

(ख) भावी अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेक्टर-पत्तनों, बन्दरगाह और जहाजरानी वाले स्थलों में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में भंडारण टैंकों और तेल टेकरों के प्रापण की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। यह आशा है कि बल्क स्टोरेज और परिवहन से फुटकर मूल्य कम हो जाएगा।

पहले की गई भूल के लिए खेद है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैंने आज के इंडियन एक्सप्रेस में असम में विदेशी नागरिकों के प्रश्न के सम्बन्ध में छपी कहानी के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी हुई है। करार का उल्लंघन करते हुए नागरिकता प्रदान के लिए एक गोपनीय परिपत्र जारी किया गया है।.....पर बहस जारी है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रस्ताव दीजिये। मैं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, मेरा निवेदन है कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी उपेक्षा मत कीजिये। मुझे निवेदन करने का अवसर प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह तो मालूम होना चाहिये कि यह किस बारे में है।

प्रो० मधु दंडवते : इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो आपके नोटिस में केवल यह बात लाना चाहता हूं कि हरियाणा में नकली शराब के कारण होने वाली मौतों के मौके पर आपकी जरा-सी सावधानी ने स्थिति को संभाल लिया और अधिकारीगणों ने कार्यवाही शुरू कर दी। मैं आपके सामने ऐसी ही एक और घटना की चर्चा करूंगा। मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई दबाव नहीं दूंगा.....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे प्रस्ताव दीजिए ताकि मैं इस पर विचार कर सकूं।

प्रो० मधु दंडवते : 5 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने सूरजकुण्ड काम्पलेक्स के 50000 बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए एक निर्णय दिया है।.....

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रस्ताव तो दीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। जिस समय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया उस समय वे प्रबन्धकों द्वारा पीटे जा रहे थे और उन्हें अपने-अपने घरों को जाने के लिये पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई प्रस्ताव क्यों नहीं देते ?

प्रो० मधु दडवते : मैंने छः प्रस्ताव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप कितने और प्रस्ताव चाहते हैं ? मैंने हर नियम के अधीन छः प्रस्ताव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई टिप्पणी करें...

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल टिप्पणी ही नहीं करूंगा बल्कि मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें आज भी पीटा गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि दिल्ली में खाद्य और आपूर्ति विभाग.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे। चिन्ता मत कीजिये। इसमें समय लगेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह निष्फल हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में केवल एक ही प्रस्ताव दिया जा सकता है। यह भी एक समस्या है।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हैदराबाद का परमाणु ईंधन काम्पलेक्स खुले में अपना कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर रहा है। इससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अधीन इसे लाइये।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, कम से कम इस पर ध्यानार्षकण प्रस्ताव की तो इजाजत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बांडेड लेबर के ऊपर मैंने भी एडजोर्नमैंट मोशन दिया है। बांडेड लेबर की समस्या बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा है लेकिन वे बेचारे मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री राम विलास पासवान : बांडेड लेबर के ऊपर डिस्कशन करवाइये।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं आपकी सहायता चाहता हूं·····

अध्यक्ष महोदय : आप केवल मेरी सहायता चाहते हैं···आप मेरे संरक्षण में हैं।

श्री ई० बालानन्दन : धन्यवाद, महोदय···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अदि आप बंधुआ मजदूरों के प्रति कुछ सहानुभूति रखते हैं तो इससे पुलिस वालों पर कुछ रोक लग सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रति किस में सहानुभूति नहीं है ? केवल पत्थर दिल मनुष्य ही सहानुभूति नहीं रखते होंगे। हमारी तो पूरी सहानुभूति है और मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री ई० बालानन्दन : गोले के तेल का आयात किया जा रहा है·····

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि यह बात मेरे ध्यान से बाहर है ? मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अत्यधिक ओला वृष्टि हुई है, अति वृष्टि हुई है। मैं होशंगाबाद से आता हूं·····

अध्यक्ष महोदय : सभी का आ रहा है।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय वक्फ परिषद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3497/82]

बर्मा आयल कम्पनी [आयल इन्डिया लि० के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लि० और दि वर्मा आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लि० के भारत में स्थित उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): मैं बर्मा आयल कम्पनी [आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और दि बर्मा आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में स्थित उपक्रमों का अर्जन] अधिनियमम, 1981 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बर्मा आयल कम्पनी [आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और बर्मा आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में स्थित उपक्रमों का अर्जन] (धन का प्रशासन) नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 20 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3498/82]

भारत में प्रेस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के वर्ष 1978, 1979 और 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन और बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई को वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और पुनरीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां); मैं निम्नलिखिति पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारत में प्रेस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग2), 1978।

(दो) भारत में प्रेस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2), 1979।

(तीन) भारत में प्रेस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रति-

वेदन (भाग 1), 1980।

(चार) भारत में प्रैस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2), 1980।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3499/82]

(2) (एक) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई के क्रियाकलापों के बारे में ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3500/82]

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर भारत में ओलावृष्टि, हिमपात और वर्षा से फसलों तथा जानमाल की हानि होने का समाचार।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर भारत में औलावृष्टि, हिमपात और वर्षा से फसल और जान माल की हुई हानि।" (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय सदस्य होली के बारे में कह रहे हैं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह खबर समाचारपत्रों में छप चुकी है—कि दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में महिलाओं से छेड़-छाड़ करने की घटनाएं हो रही हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह शर्मिन्दगी की बात है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हां महोदय, यह शर्मिन्दगी की बात है। उन्हें इसे रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। पिछले वर्ष भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बसों को रोका गया था···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : 12 के बाद कोई होली नहीं होगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : ऐसे अच्छे त्योहारों को इतनी घटिया बातों से विकृत नहीं किया जाना चाहिए। आप गृह मंत्री से इस बारे में कार्यवाही करने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसी बातों के विरुद्ध जनमत जागृत करना चाहिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : गृहमंत्री क्या कर रहे हैं ? श्री स्टीफन यहां मौजूद हैं। आप इन बातों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से होली खेल रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भाई हम आपके घर आएं तो क्या श्रीमान् आप मिठाई से हमारा स्वागत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इधर सुनिए, वह अब मुझसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : ओले की बात चलने दो जिसमें कितने लोग मारे गये हैं और कितनी ही फसल नष्ट हो गई है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसे समाचार मिले हैं कि मध्य प्रदेश में 10 जनवरी, 1982 को ओला-वृष्टि से फसलों की क्षति हुई है···

श्री मनीराम बागड़ी : यह आप किस भाषा में बोल रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं तो आपके पास घर आ करके भी आपको समझा दूंगा।

हाल में, मार्च के प्रारम्भ में इस मौसम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर भी प्रभाव पड़ा था। इसके फौरन बाद ही भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इसके कारण होने वाली क्षति का सम्पूर्ण ब्यौरा दें।

परन्तु अभी तक पूरी तरह से सरकारी रिपोर्ट नहीं मिली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ओलावृष्टि सामान्यत: एक ऐसी स्थिति है जो स्वभावत: एकाकी और स्थानीय होती है, और साधारणत; विभाग की नोटिस में तब तक नहीं आती जब तक कि यह उस स्थान विशेष पर न हो जहां मौसम विभाग की प्रयोगशाला होती है।

मध्य प्रदेश

अभी तक भारत सरकार के पास केवल मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से हुई क्षति के समाचार सम्बन्धी एक ज्ञापन आया है। मध्य प्रदेश में इससे लगभग 3571 गांव प्रभावित हुए हैं। परन्तु यह क्षति हर जिले में अलग-अलग हुई है। आठ जिलों में एक करोड़ रुपये से अधिक की फसलों की क्षति का समाचार है।

राज्य सरकार ने प्रभावित जनता को सहायता के रूप में अग्रिम भुगतान के लिए 75 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की है तथा जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं उनसे

वसूल की जाने वाली भू-राजस्व की राशि में छूट दी है। शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल को राज्य का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है।

हरियाणा

हरियाणा सरकार से पूछ-ताछ करने पर यह पता चला है कि छः जिलों में लगभग 800 गांव मार्च के पहले सप्ताह के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी का आदेश दिया है जो कि 10 मार्च से प्रारम्भ होकर एक पखवाड़े के भीतर पूरा होगा। गिरदावरी के पूरा होने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर नुकसान की वास्तविक सीमा का पता चल सकेगा। हरियाणा से किसी मनुष्य या जानवर के मारे जाने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब

टेलीफोन से पूछ-ताछ करने पर पता चला है कि ओलावृष्टि के कारण फसल को कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है। थोड़ी-बहुत हानि हुई हो जो कि राज्य सरकार की जानकारी में न आई हो। पंजाब में भारी वर्षा के कारण नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

एक सम्मानित सदस्य : राजस्थान के विषय में ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं राजस्थान के विषय में भी बता रहा हूं।

राजस्थान

अलवर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हानि होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। जयपुर जिले की एक तहसील के कुछ गांव तथा गंगानगर जिले की दो तहसीलें भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है। जो मुख्य फसलें खराब हुई हैं वे हैं सरसों तथा गेहूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मूंग की फसल का क्या हुआ ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राजस्थान में मूंग की फसल नहीं है। वहां केवल खरीफ की फसल होती है।

किसी भी मानव जीवन की हानि नहीं हुई है तथा पशुधन की हानि के विषय में भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : चने की फसल का क्या हुआ ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसके बारे में अधिक हानि के समाचार प्राप्त नहीं हुए। राज्य सरकार के अनुसार रेपसीड को ही अत्यधिक हानि हुई है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आप राजस्थान में भी कोई दल भेज रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम उनसे ज्ञापन प्राप्त होने पर भेजेंगे।

उत्तर प्रदेश

ओलावृष्टि के कारण 8 जिलों के गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों तथा फसल को हुई हानि का विवरण सरकार द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। कुल दस मौतों का समाचार मिला है—6 कानपुर में तथा 4 मथुरा तथा मिर्जापुर जिलों में।

जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है वहां राज्य सरकार ने भू-राजस्व, तकावी तथा सिंचाई शुल्क की वसूली स्थगित कर दी है। जबरन वसूली की प्रक्रियाओं को भी रोक दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को तेज किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश

ओलावृष्टि तथा हिमपात से प्रभावित जिलों की संख्या या क्षेत्र के विषय में राज्य सरकार द्वारा विवरण एकत्रित किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में 18 घरों को हानि पहुंची है जबकि शिमला में 5 मौतें हुई हैं। पशुधन की हानि के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हिमपात के कारण कई जिलों के साथ संपर्क टूट गया है। फिर भी, राज्य सरकार ने भू-राजस्व में छूट, वसूलियों को स्थगित करने, मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि की अदायगी, नुकसान पहुंचे घरों के लिए नकद सहायता तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने आदि के रूप में सहायता प्रदान करने के अनुदेश जारी किए हैं।

राज्य सरकारों के पास ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण आकस्मिक खर्चे से निबटने के लिए वार्षिक धन में अतिरिक्त गुंजाइश रहती है, इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धन का भी प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, विस्तृत वक्तव्य दे दिया गया है अतः आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने मैमोरेंडम ही नहीं दिया है। आप सरकारों को रिमाइंड कीजिये।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य में, उड़ीसा के बोलंगीर ज़िले में चार आदमियों की मृत्यु पत्थर गिरने से हुई है और उत्तर प्रदेश में चमौली ज़िले मे चार आदमियों की मृत्यु ओलावृष्टि से हुई है, इनका कोई ज़िक्र नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहबाद ज़िले से आता हूं। आठ ज़िले उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित बताए गए हैं, जबकि मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतहपुर, कानपुर, मथुरा, बांदा और इटावा तक आठ ज़िले हो जाते हैं और इनके अलावा गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल—इन जगहों पर भी लोग ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। चार दिन पहले गाज़ियाबाद मे भी भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इस साल दुर्भाग्य यह रहा है कि सीमित इलाकों में ओलावृष्टि न होकर बहुत बड़े पैमाने पर हुई है।

पहले हम सुनते थे और देखते थे कि एक या दो ज़िलों में ओलावृष्टि हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो पूरी तहसील की तहसील और ज़िले के ज़िले में हुई है।

एक बात मुझे यह समझ में नहीं आती है कि मनुष्य, जो भाग कर शरण ले सकता था, वे भी मरे हैं लेकिन मवेशियों के मरने की कहीं खबर नहीं है। जब किसी गांव में मनुष्य मरे हैं तो मवेशी कैसे बच गये, जो आम तौर पर छूटे रहते हैं, घूमते रहते हैं। निश्चित रूप से हज़ारों की तादाद में मरे होंगे, लेकिन उनका कोई लेखा-जोखा माननीय कृषि मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सौभाग्य से रबी की फसल भी अच्छी थी, आम की फसल भी अच्छी दिखाई पड़ रही थी, पहाड़ी क्षेत्रों में, खास कर कुमाऊं क्षेत्र में सेबों की फसल भी अच्छी थी, लेकिन इस ओलावृष्टि से दोनों फसलों को क्षति पहुंची है। यही नहीं घास-फूस और खपरैल के मकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इलाहाबाद ज़िले की बारा, करधना एवं मेजा तहसीलों में चार-चार इंच तक ओलों की तह खेतों-घरों पर जमी थी और आठ घन्टे बाद भी उनकी वही हालत थी, कोई खपरैल नहीं बचा, कोई छप्पर नहीं बचा। कुल मिला कर मेरा अन्दाज़ है 1 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग एक वेलफेअर स्टेट हैं। बादशाहों और राजाओं के जमाने में भी लगान माफ हो जाता था, लेकिन आज के ज़माने में किसान अपने खेतों में खाद डालता है, उन्नत बीज डालता है, करीब-करीब 1 एकड़ पर 1 हज़ार रुपये कास्ट आती है, तो केवल लगान माफ कर देने या "पनकट" माफ कर देने से काम नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है कि जैसे एक केन्द्रीय अध्ययन दल मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है, उसी तरह से देश के शेष भागों में भी भेजा जाय और जिस तरह से केन्द्रीय सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता देती है, यह दैवी-विपत्ति, यह "उपल-वृष्टि" उन से कम नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों को भी अतिरिक्त सहायता दी जाय तथा वहां के अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि वे अपने क्षेत्र में हुए नुकसान का पूरा लेखा-जोखा बना कर पूरी रिपोर्ट शीघ्र भेजें, जिससे सभी प्रभावित लोगों को सहायता मिल सके।

आखिर में, जितने प्रभावित गांव हैं वहां के सभी पढ़ने वाले लड़कों की फीस माफ की जाय, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके पास तो खेती है और फिर उनके लगान माफ हो जायेंगे, पनकट माफ हो जायगा, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मज़दूर-पेशा हैं, किसानों तथा उनके बच्चों की फीस माफी का लेखा-जोखा बनाकर यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल को भेजे तथा उनकी फीस माफ की जाय तो इससे सभी को बहुत लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जगह-जगह राहत कार्य खुलवाये जायं, गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवायें तथा केन्द्र से अतिरिक्त धन-राशि दें, जिससे राज्य सरकारें, चूंकि उनके साधन बहुत सीमित हैं, केन्द्रीय सरकार की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकें।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमान जी, जो इस तरह का नुकसान होता है, जैसा मैंने पहले बतलाया है, उस में 75 फीसदी सहायता भारत सरकार की तरफ से मिलती है। सहायता का इन्त-

जाम करना और किस-किस चीज़ के लिए सहायता दी जाय यह तय करना राज्य सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास 11 करोड़ 80 लाख रुपया मार्जिनमनी की शक्ल में इस तरह की सहायता देने के लिये हर साल होता है।

भारत सरकार से कोई रकम फौरन न भी मिले, तो भी वे उसमें से खर्च कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने उड़ीसा का जिक्र किया कि वहां भी कुछ नुकसान हुआ है। हमारे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है। यू० पी० के बारे में मैंने 8 जिलों का जिक्र किया है, लेकिन जब मैंने डिटेल्ज़ को देखा तो मालूम हुआ कि 9 जिलों के बारे में रिपोर्ट है, 9 जिलों के अन्दर ओला-वृष्टि हुई है। आप मेरे पहले स्टेटमेन्ट को करैक्ट कर लें—वे जिले हैं—मथुरा, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, कानपुर (शहर), कानपुर (देहात) और इलाहाबाद के बारे में रिपोर्ट आई है।...

श्री मनीराम बागड़ी : गढ़वाल की नहीं आई ? और चमोली की नहीं आई ?

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : इसमें गोरखपुर की रिपोर्ट नहीं है। चमोली में चार आदमी मरे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने पेपर में पढ़ा होगा, मैं अखबार की खबरों के आधार पर कुछ नहीं बतला सकता। राज्य सरकार से जब हमारे पास तफसील से रिपोर्ट आयेगी तब मुझे पता लगेगा कि कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है।

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हम डिटेल्ड इन्फार्मेशन का इन्तज़ार कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : यू० पी० की सरकार बड़ी गन्दी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : केन्द्रीय अध्ययन दल मध्य प्रदेश की तरफ़ गया है, क्या इन राज्यों में भी उसको भेजेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्टेट सरकार की तरफ़ से यह मांग हुई है कि 11 करोड़ रुपये के करीब जो उनके पास मार्जिन मनी है, उसमें उनका काम नहीं चलेगा और उन्होंने सहायता मांगी है। सेन्ट्रल टीम भेजने के लिए उनके पास से कोई मेमोरेण्डम आएगा तो फिर सेण्ट्रल टीम भेजने पर विचार करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : फ़सल बीमा के लिए कुछ एनाऊन्स कर रहे हो, यह बता दो।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर नहीं दीजिए। उनका नाम इसमें नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बेमौसम वर्षा, हिमपात और ओला-वृष्टि से देश में 50 प्रतिशत आबादी प्रभावित हुई है और भारत के कई प्रान्तों के किसानों की आशाओं पर तुषारपात हो गया है। हमारा यह उत्पादन का वर्ष है और हमने ऐसी आशा की थी

कि इस वर्ष हम उत्पादन में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। यह केवल हमारी आशा ही नहीं थी बल्कि हमारी सरकार की ओर से ऐसे कुछ कार्यक्रम भी चलाए गये, जिनसे इस बात पर भरोसा किया जा सकता था कि हम उत्पादन में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं लेकिन असामायिक प्राकृतिक प्रकोप ने हम सब को झकझोर दिया है और अब हमें ऐसी शंका होने लगी है कि हम इस में सफल हो भी सकेंगे या नहीं। फ़सल के उत्पादन के बाद उसकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम अन्न के मामले में बचाव नहीं कर सकते और तब तक हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। मैं कृषि मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि बिहार में भी काफ़ी क्षति हुई है और यह सिर्फ अख़बारों की बात नहीं है बल्कि आज ही मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दे दिया गया है और उसका प्रतिवेदन अब इनके पास आने ही वाला है लेकिन मेरा सुझाव यह होगा कि सर्वेक्षण का जो तरीका होता है, उस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। सर्वेक्षण कभी-कभी दोषपूर्ण होता है। भारत सरकार यहां से केन्द्रीय दल भेज रही है, इसकी सूचना मंत्री महोदय ने दी है। यह बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो सर्वेक्षण दल यहां से जाए, वह पटना या किसी भी राज्य के सचिवालय में बैठ कर सर्वेक्षण न करे बल्कि प्रखंड स्तर पर जाकर सही माइनों में देखें कि कितनी फ़सल की बरबादी हुई है। अमूमन यह होता है कि ब्लाक के छोटे-छोटे पदाधिकारी, कर्मचारी सर्वेक्षण करते हैं, जिनको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और वे कभी-कभी विरोधाभास करके प्रतिवेदन भेज देते हैं और उसमें महीनों लग जाते हैं। महीने, दो महीने सर्वेक्षण में लगते हैं और फिर रिपोर्ट आती है। इस प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता है। राज्य सरकार भारत सरकार को रिपोर्ट भेजती है और फिर यहां से एसिसटेंस भेजी जाती है और इसी में 4-5 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच में हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मज़दूर हैं, उन लोगों की जान व माल को ख़तरा ही नहीं पैदा होता है बल्कि सैंकड़ों लोग भूख से मरने लगते हैं।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि किस तरह की तेजी लाई जा रही है। राशि का आवंटन तो किया जाता है लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि 6-7 महीनों के बाद वह राशि कभी तो लैप्स कर दी जाती है, कभी वह सरेन्डर हो जाती है और उसके बाद हमारे जो मज़दूर और किसान गांवों में बसते हैं, व 80 प्रतिशत जनता तकलीफ में रहती है और उसका त्राण नहीं हो पाता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह जो विपत्ति आई है, जो नैचुरल कैलेमिटी है, जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, उससे त्राण दिलाने के लिए पैसा आप देंगे, उसका सही माइनों में उपयोग होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि खाली फ़सल ही नष्ट नहीं हुई है बल्कि खलिहान में जो फसल थी, उसकी क्षति भी हुई है और इसके साथ हमारे उत्तर बिहार में लीची और आम की फ़सलें समाप्त हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश में सेव के बगीचे सारे समाप्त हो गये हैं। यह बहुत ही गम्भीर और शोचनीय विषय है। फ़सल के अलावा जो पशु और पक्षी हैं, उनका भी हमारे पैमाने पर मृत्यु ह्रास हुआ है। वन रोपण का कार्य चल रहा था वह तो समाप्त ही हो गया है।

तीसरी मुख्य बात मैं कहना चाहती हूं कि जो ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उनसे हम लोगों को बचा तो नहीं सकते लेकिन जब ऐसे प्रकोप आ जाते हैं उसके बाद उनकी कुछ सुरक्षा तो कर सकते हैं, उन्हें कुछ राहत तो दे सकते हैं।

अख़बारों में हमने देखा है कि विभिन्न कीड़े लगने से फसलों को हमारे देश में 6 अरब रुपये का नुकसान होता है। वर्षा, ओला वृष्टि होने के बाद तो बहुत बड़े पैमाने पर फसलों को कीड़े लगते हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं और अपने बिहार के 410 वर्ग मील क्षेत्र के बारे में ध्यान खींचना चाहती हूं जिसमें कि चने, मसूर, दाल, तिलहन आदि की खेती होती है उस सारे हिस्से में बड़े पैमाने पर कीड़ों का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है।

कीड़ों से फसलों के बचाव के लिए आपके पास 39 हवाई जहाज हैं। उनके द्वारा आप छिड़काव कर सकते हैं। उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा राज्य मंत्री जी ने राज्य सभा में और मंत्री महोदय ने लोक सभा में भी बताया था। इनकी क्षमता का उपयोग कौन करेगा ? इनकी क्षमता का उपयोग स्वयं हमारे कृषि मंत्री जी कर सकते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह कीड़ों से फसल को बचा सके। मंत्री महोदय इसको भी देखें कि फसल में कीड़ा लगना अभी से शुरू हो गया है, उसका बचाव कैसे किया जाए। राज्य सरकार के पास तो इतने साधन और धनराशि नहीं है कि वह कीड़े से फसलों का बचाव कर सकें।

आप जो इस बारे में आंकड़े मंगा रहे हैं वे जल्दी से मंगाएं ताकि लोगों को राहत समय पर पहुंचा सकें। बाढ़ और सूखे से राहत पहुंचाने के काम होते हैं इनके लिए आप साधन जुटाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यह जो ओलावृष्टि, भारी वर्षा या हिमपात हुआ है यह अपने में एक अपूर्व क्षति है। इससे भी लोगों को इसके लिए युद्धस्तर पर सहायता कार्य होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जब तक कि मौसम विज्ञान के केन्द्र पर ही ओलावृष्टि न हो तब तक सही मायनों में उनको इसकी रिपोर्ट नहीं मिल पाती है और इससे किसानों को आगाह नहीं किया जा सकता है। इसलिए फसलों की बीमा योजना जो सरकार के विचाराधीन है उस पर भी सरकार विचार करे। इससे भी हमारे किसानों और मजदूरों को राहत मिल सकेगी। इस तरह का जो प्राकृतिक प्रकोप हमारे यहां होता है उससे बचाव के लिए भी फसल की बीमा योजना बहुत ही आवश्यक है।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में भी काफी अधिक मात्रा में, अधिक बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ है। वहां के लोगों को भी राहत पहुंचानी है। वहां लोगों की मृत्यु भी हुई है। यह सही है कि आंकड़ों के जाल में स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल पाती। मंत्री महोदय चाहें तो अपने एक्सपर्ट्स भेज कर वस्तु-स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जितने भी इससे प्रभावित राज्य हैं उनमें बची हुई फसल की सुरक्षा के उपाय करवा सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमन्, जो ऐसी कुदरती मुसीबतें हुआ करती हैं, उनसे पहले बचाव नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने पहले बताया ओलावृष्टि भी ऐसी ही मुसीबत है। इससे

राहत देने के लिए टीम बना कर भेजने के बारे में मैंने पहले बताया है कि यह राज्य सरकार का काम है।

इसमें शक नहीं है कि काफी इलाकों में ओला गिरने से बहुत नुकसान हुआ है आम और अलीची की फसल को नुकसान हुआ है। बेवक्त बारिश होने से भी नुकसान हो जाता है, बरफ गिरने से भी हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमें पता नहीं लगता कि वे क्या-क्या करना चाहते हैं? उनके पास मार्जन मनी होती है, उसमें से वे सहायता पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और रुपये की जरूरत है तो उस वक्त तक जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कह सकता।

बिहार सरकार के पास 13 करोड़ 8 लाख रुपये की हर साल मार्जिन मनी होती है, उसमें से वे इस किस्म की सहायता दे सकते हैं, राहत के काम कर सकते हैं। पिछले साल, सन् 1981-82 में 24 करोड़ 20 लाख रुपये तो कैश नेशनल रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार सरकार को दिया गया था।

बीस हजार टन के करीब अनाज सप्लाई किया गया। तो यह इतनी भारी रकम है, 24 करोड़ से ज्यादा कैश, जिससे काम कराया जा सकता है और जहां इस किस्म की जरूरत हो वहां राज्य सरकार पैसा इस्तेमाल कर सकती है।

दूसरा माननीय सदस्या ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के अफसर जब जाएं तो वे हर जगह जाकर इंस्पेक्शन करें, जहां-जहां नुकसान हुआ है। कोशिश यही होती है कि जो सेंट्रल टीम जाए, वह हर जिले में जाकर मुआयना करे और देखे कि नुकसान कितना है। एक बात और है कि पैसा तो राज्य सरकार भारत सरकार से मांगती है तो वह कम करके तो बताएगी नहीं। ज्यादा नुकसान ही बताएगी और जितना ज्यादा बारीकी से अध्ययन किया जाएगा तो उसमें राज्य सरकार को और किसानों को नुकसान हो सकता है। हम इस मामले में उदार हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की सहायता की जाए।

श्री मनीराम बागड़ी : फसल बीमा के बारे में ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल बीमा के बारे में सब राज्य सरकारों को, सब चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है कि इसके बारे में योजना बनाएं। उसके मुताबिक वे कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे में कदम उठाए हैं। पहले जहां कम नुकसान होता था वहां पर यह योजना थी, लेकिन अब जहां ज्यादा नुकसान होता है, उन इलाकों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि किसानों को कुछ और राहत मिल सके।

फसलों को कीड़ा लगने के बारे में श्रीमती कृष्णा साही ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बे-वक्त बारिश के दौरान, वैसे भी बरसात में या ओलावृष्टि के समय फसल को कीड़े लग जाते हैं। उन्होंने चना और दालों का जिक्र किया।

श्रीमती कृष्णा साही : दवा छिड़काव के बारे में ?

राव बीरेन्द्र सिंह : छिड़काव की ही बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी हाउस को बताया कि हम 11 रुपए एक एकड़ के ऊपर हवाई जहाज से छिड़काव के लिए सबसिडी देते हैं और चना, दालों की फसल के लिए या तेल के बीजों के लिए जो दवा खर्च होती है, उसके लिए आधा हिस्सा खर्चे का भारत सरकार देती है। तो अगर वहां कीड़ा लगा है तो राज्य सरकार हमसे जहाज मांगे या प्राइवेट एयरक्राफ्ट से छिड़काव करा सकते हैं।

(जोरावर) (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारी वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि से भयंकर क्षति हुई है, यह बात मंत्री जी ने भी मानी है, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, यह अधूरा और तथ्य से परे है। अधूरा इस दृष्टि में है कि बिहार और उड़ीसा में उपलवृष्टि हुई है, तथा जम्मू-कश्मीर में हिमपात हुआ है, इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है जबकि और राज्यों का किया गया है।

विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि, हिमपात, भारी वर्षा आदि के कारण जन-धन की भारी हानि हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग दस व्यक्ति मरे हैं। दूसरे राज्यों में भी मरे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सूचना दी है कि मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उनके पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यही कहा है कि वह भी कुछ सहायता देगी लेकिन मृत व्यक्तियों के परिवारों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने की बात उसने नहीं कही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे ? मैंने कल भी इस सवाल को यहां उठाया था।

अरबों रुपये की फसल इस दैवी आपदा के कारण नष्ट हुई है। जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की जाती है। फसल बीमा योजना लागू करने के बारे में मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है किन्तु राज्य सरकारें अपने वित्तीय संकट को आधार बनाकर इस कार्य को करना नहीं चाहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा बताए गए वित्तीय संकट को दूर करने के लिए क्या मंत्री जी उन्हें कोई अनुदान देंगे ताकि वे फसल बीमा योजना को लागू कर सकें ?

इस प्रकार की दैवी आपदाएं आती रहती हैं। कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, कभी हेल स्टार्म से, ओलों से, कभी बवंडर से, टारनीडो से नुकसान होता रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा कोष बनाएगी जिस के माध्यम से दैवी आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जा सके ? ऐसे संकटों के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहायता राज्यों को दी जाती है वह धनराशि प्लान असिस्टैंस जो होता है उस में एडजस्ट कर दी जाती है, योजनाएं चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें इस पैसे को एडजस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से इस पैसे को एडजस्ट कर दिया जाएगा तो राज्य सरकारों की कहां अलग से सहायता हुई ? प्राकृतिक [illegible]ओं की वजह से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने के

लिए क्या केन्द्रीय सरकार योजनाओं के लिए सहायता देने के अतिरिक्त अलग से धनराशि देगी और कर्जा जो दिया जाता है उसको प्लान असिस्टैंस में एडजस्ट न करने का निर्णय लेगी या प्लान असिस्टेंस में जो कटौती कर दी जाती है इसकी वजह से उसको बन्द करेगी और अलग से अनुग्रह राशि देगी ?

मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास ग्यारह करोड़ रुपया पहले से है जो वह इस प्रकार की आपदाओं में खर्च कर सकतो है। वहां जो बाढ़ आई थी उसी में ग्यारह सौ करोड़ से ज्यादा का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी सहायता की मांग की थी उतनी भी उसको नहीं दी गई। नतीजा यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जो यह कहा गया था कि उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए, दूसरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, आज वह भी नहीं हो पाई है। कारण यह है कि वहां सरकार के पास पैसा ही नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में लोग मरे हैं, फसलें नष्ट हुई हैं, जानवर मरे हैं। ग्यारह करोड़ उनके पास कहीं नहीं रह गया है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं जानना चाहता हूं कि अलग से उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना पैसा दिया जाएगा ताकि पिछला जो उसका कमिटमेंट है बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का वह पूरा हो सके और ओलावृष्टि के कारण जो नई क्षति हुई है उसकी वह पूर्ति कर सके ?

मैंने नैचुरल कैलेमेटीज के बारे में अलग से फंड बनाने के बारे में पूछा है, मैंने यह पूछा है कि योजना से जो कटौती की जाती है, इसको क्या आप खत्म करेंगे, अलग से अनुदान आप राज्य सरकारों को देंगे ? आप इवैल्युएशन वहां करते है जहां पचास प्रतिशत से अधिक की फसल को नुकसान पहुंचा होता है।

वहां पर आप सहायता देते हैं तो इसका क्या आधार है ? क्या प्रदेश के आधार पर करते हैं या जिले के आधार पर करते हैं ? मान लीजिए 10, 20 गांवों में ओला पड़ गया या दूसरी जगह पड़ गया तो पूरे प्रदेश के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 फीसदी भी नहीं होगा जिसका मतलब यह होगा कि कोई सहायता नहीं दी जाएगी। अगर जिले के आधार पर भी करेंगे तो बहुत से जिलों को सहायता नहीं दे पायेंगे। इसलिए क्या आप तहसील, प्रखंड को आधार मान कर कोई इवैलुएशन करेंगे ? या अलग-अलग कृषकों को इकाई मान कर इसका इवैलुएशन करते हैं ?

जो केन्द्रीय टीम आप भेजते हैं वह बहुधा सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं करती है। जैसे मैंने बाढ़ के समय कहा था आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में टीम भेजी थी लेकिन वह गोरखपुर न जाकर बस्ती जाकर लौट आयी। कहा कि उनको हैलीकाप्टर नहीं मिला उत्तर प्रदेश सरकार की मेहरबानी की वजह से। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय टीम जो आप भेजेंगे सही रूप से जहां नुकसान हुआ है वहां जाएगी, या पुरानी पद्धति को अपना कर केवल स्टेट कैपिटल में जा कर लौट आएगी ? इसलिए इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें आप विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन्स दें जहां पर क्षति हुई है उन स्थानों पर अवश्य जाएं।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में जो सुझाव दिया माननीय सदस्य ने उसके लिए तो हम पहले ही इंस्ट्रक्शन्स जारी कर चुके हैं कि सेन्ट्रल टीम जब जाए तो कोशिश करे

हम जिले में जहां ज्यादा नुकसान हुआ है उसका दौरा करे और पता लगाए नुकसान का।

दूसरे मैं इनका यह शक मिटाना चाहता हूं कि अगर नुकसान 25 फ़ीसदी या इससे ज्यादा किसी जिले या स्टेट में हुआ तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे यहां की राशि राज्यों को नहीं मिलनी थी। इकाई तो हमारी छोटी से छोटी है एक-एक खेत की गिरदावरी। एक-एक मकान जिसको नुकसान पहुंचता है उसको देखा जाता है, एक-एक जानवर जो मरता है उसके लिए भी सहायता दी जाती है। इसके नीचे तो और कोई इकाई नहीं हो सकती ? एक किसान की अगर 4 एकड़ ज़मीन है उसमें अगर 1 एकड़ में नुकसान हुआ है तो उसको 1 एकड़ के लिए सहायता दी जाएगी। इसी तरह से मकान के नुकसान की पूर्ति होती है। अगर कोई मकान बिल्कुल गिर गया है तो उसके लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट सहायता देती है, पार्शली डैमैज्ड के लिए अलग है।

दूसरा इनको यह शक है कि सारा पैसा जो कुछ राहत के लिए मिलता है यह प्लान में ऐडजस्ट हो जाता है। यह बात भी ठीक नहीं है। आम तौर पर जो आपत्तियां आती हैं किसानों के लिए उनमें दो तरह की सहायता होती है—एक प्लान असिस्टेंस और दूसरी नान-प्लान असिस्टेंस। ड्राउट में भी और दूसरी चीजों में जो सहायता दी जाती है, दोनों तरह की सहायता होती है। प्लान असिस्टेंस ऐसे कामों के लिए जो काम प्लान में होने थे और मन्जूर हो चुके हैं उनके लिए ऐडवांस प्लान असिस्टेंस होती है ताकि आइन्दा भी काम पूरा हो जाय। नान-प्लान असिस्टेंस होती है जैसे पीने के पानी का इंतजाम करना, चारा मंगाना है, कैटिल कैम्प खोलना है, दवाइयां मंगानी हैं, इन चीजों के अन्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। यह ग्रान्ट होती है। इसी तरह से ओला, बाढ़ की मुसीबत में 75 परसेंट ग्रान्ट होती है आउटराइट और प्लान में एजस्ट नहीं होती। यह सारा का सारा भारत सरकार से राहत के काम के लिए पैसा मिलता है। इसका कोई एडजस्टमेंट प्लान में नहीं होता। और जो इस वक्त ओला पड़ा है, मकान गिरे हैं, आदमी मरे हैं, कैटिल मरे हैं उन चीज़ों के लिए जो पैसा भी भारत सरकार देगी सारा स्टेट सरकार के खर्च का 75 परसेंट वह ग्रान्ट होगी। उसमें भी आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए। बिहार और जम्मू-कश्मीर सरकार को हमने तार भेजे थे 3 मार्च को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : तार बाद में पहुंचते हैं, चिट्ठी पहले पहुंचती हैं।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : आपका टेलीफोन जल्दी काम करता होगा, आप कर दिया करो।

श्री मनीराम बागड़ी : टेलीफोन को तो साठे साहब खा गए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जम्मू-कश्मीर और बिहार सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला। 3 तारीख के टेलेक्स का हमारे पास जवाब नहीं आया। जब तक राज्य सरकार से पूछने के बाद हमारे पास इत्तिला नहीं आये, उस वक्त तक मैं औनरेबल मेम्बर्स को कोई जवाब नहीं दे सकता कि नुकसान है या नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : नेचुरल कैलैमिटी फंड कोई अलग से बनायेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जितना मार्जिनल मनी स्टेट गवर्नमेंट्स को एनुअली मिलता है, यह

एक तरह का इन मुसीबतों के लिए फंड है। आप कौन सा अगल फंड और बनाना चाहते हैं? सैंट्रल गवर्नमेंट का अलग हो ? सैंट्रल गवर्नमेन्ट का तो सारा खज़ाना एक है, कंसौलिडेटेड फंड है, उसमें इन चीजों के लिए प्रावीज़न रखा जाता है। भगवान ना करे कि ज्यादा मुसीबत आये, लेकिन जितने पैसे की ज़रूरत हो इन राहत के कामों के लिए, तो भारत सरकार के पास उसकी कोई कमी नहीं है।

फसल बीमा योजना के लिये इस प्लान में 20 करोड़ का प्रावीजन है। उस 20 करोड़ रुपये के लिए हमने स्टेट्स को लिखा है कि अपनी स्कीमें बना-बनाकर इस्तेमाल करने के लिये हम से लें। उसमें पहले प्लान में प्रावीजन 20 करोड़ कर दिया है। यह मार्जिन मनी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास इन मुसीबतों के लिए एक फंड है। भारत सरकार उसमें और ज्यादा सहायता देने के लिए पैसे की कमी महसूस नहीं करती है।

श्री हरिकेश बहादुर : अंतिम बात उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में है···

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी तो भगवान करें आप ज़िन्दा रहे, अंतिम बात क्यों पूछते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं तो अभी बहुत दिन तक ज़िन्दा रहूंगा, लेकिन इस समय पूछने के लिये अंतिम बात है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पास 11 करोड़ रुपये जो आपने बताये, वह तो पहले ही बाढ़ में खर्च हो गये हैं, अब क्या अलग से देंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जब तक उस पैसे का हमारे पास हिसाब न आये और राज्य सरकार यह न लिखे कि यह पैसा खर्च हो चुका है, हमें और इतने पैसे की जरूरत है, तब तक मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। यह राज्य सरकार के बताने का काम है कि पैसा खर्च हो गया है और हमको इतना और चाहिये।

———

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सरकारी अस्पतालों में मरने वाले व्यक्तियों की आंखों को निकालने और उनको मासी-मूल्य पर बेचने का समाचार

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर कि अस्पतालों से मरे हुए

लोगों की आंखें पुलिस, डाक्टरों और बदमाशों की साजिश से निकाल ली जाती हैं, व्यापक जन-असंतोष व्याप्त है। यह आंख निकालने की प्रक्रिया पहले जेल में शुरू हुई, फिर बाहर गुण्डों द्वारा आंखें निकाले जाने की बातें आईं, मगर सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि अब सरकारी अस्पतालों के अन्दर घुसकर डाक्टरों और पुलिस को मिलाकर असामाजिक तत्त्व आंखें निकाल रहे हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। अतः इस गम्भीर तात्कालिक लोकमत के प्रश्न पर मैं सदन और सरकार का ध्यान दिलाकर इस अमानवीय कुकर्म को रोकना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : ये आंखें कहां निकाल रहे हैं, दिल्ली में, बिहार में, हरियाणे में ?

श्री भीखू राम जैन (चांदनी चौक) : आप तो रोजाना यहां हाउस में आंखें निकालते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम निकालते नहीं, दिखाते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : वागड़ी साहब, आप वहां न जाना।

श्री मनीराम बागड़ी : वहां पर जब तुम्हारी आंख निकाली जायेंगी, तब मैं ही जाऊंगा, बेटा। मेरे सिवाय बचाने वाला कौन है तुम्हें ?

ये बदमाश, डाक्टर और पुलिस एक-एक आंख की कीमत 8 से 10 हजार रुपया बाजार में-लेकर बेच रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तथा इसकी जांच कराई जाये और दोषी लोगों को सख्त सजा दी जाये।

(दो) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई के लिए पारादीप बन्दरगाह पर कोयला घाट का निर्माण

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित बातें कहना चाहती हूं।

पारादीप पत्तन में कोयला वर्थ न होने की वजह से सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले का आयात असंभव हो गया है। भारत सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पत्तन के माध्यम से कोयला आयात कर रही है। पारादीप पत्तन के नजदीक कई कोयला क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र भी इस पत्तन के कुछ सौ किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित हैं। अतः, ये इस्पात संयंत्र इस पत्तन से ही कोयला प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं।

दुर्भाग्य से, कोयले का निर्यात और आयात करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पारादीप पत्तन पर कोई कोयला बर्थ नहीं बनाई गई है। दूसरी तरफ, एकीकृत इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले का भंडार तेजी से गिरा है। जब तक पारादीप पत्तन पर एक कोयला बर्थ नहीं बनाई जाती, यह समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से पारादीप पत्तन में एक कोयला बर्थ बनाने की प्रार्थना की है। संघीय नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने वहां एक कोयला बर्थ का निर्माण करने के लिए 30 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया

था। लेकिन कोयला-बर्थ के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया गया। जब तक इस मामले में शीघ्र कदम नहीं उठाए जायेंगे तब तक इस्पात संयंत्र कोकिंग कोल की कमी के शिकार रहेंगे तथा उनके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 1982 वर्ष को 'उत्पादकता वर्ष' घोषित किया गया हैं। अतः, कोयले की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए।

इस दृष्टि से मैं मांग करती हूं कि उड़ीसा के पारादीप पत्तन पर कोयला बर्थ के निर्माण का कार्य अविलंब प्रारम्भ किया जाए।

(तीन) बड़े इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की कम सप्लाई

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंह पुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व की निम्नलिखित बातें कहना चाहूंगा।

देश में सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र एक तरफ कोकिंग कोयले की अत्यधिक कटौती और दूसरी तरफ तेजी से बिजली में कटौती के कारण गंभीर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयत्रों में जनवरी के प्रारम्भ में कोयले के भंडार में पिछले वर्ष के 4 लाख टन से 1,97,100 टन तक की कमी आ गई है। कोकिंग कोयले के भंडार का वर्तमान स्तर खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर है।

उन इस्पात संयंत्रों में बिजली की स्थिति भी समान रूप से अनिश्चित है। राउरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि लगातार क्षमता उपयोग के अत्यधिक उच्च स्तर पर कार्य करते रहे हैं तथा दोनों ही बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जनवरी 1982 से बिजली में कटौती के शिकार हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में दिसम्बर के उत्पादन की तुलना में जनवरी के उत्पादन में कमी आई है। यदि इसी दर पर कुछ और महीनों तक बिजली की कटौती जारी रहती है तो देश के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र 1982-83 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।

कोकिंग कोयले के भण्डारों में इस दर से होने वाली कमी से उन संयंत्रों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यपालन को चालू रखने में भारी कठिनाई हो सकती है।

भारत सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात संयत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। यदि बिजली की कटौती इसी प्रकार जारी रहती है तो शायद सरकार का विस्तार कार्यक्रम वस्तुरूप न ले सके। कोकिंग कोयले की कमी से बिक्री योग्य इस्पात, इनगोट इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडेगा। सरकारी क्षेत्र के इन एकीकृत इस्पात संयत्रों में करोड़ों रुपए वह इन इस्पात संय कदम उठाएं। राज्य स विद्युत का उत्पादन नहं

इस मामले पर खान मंत्रालय से मांग उठाए। (व्यवधान)

(चार) पश्चिम बंगाल में जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र प्रणाली की व्यवस्था करने और महत्वपूर्ण ट्रंक लाइनों पर माइक्रोवेव अथवा यू० एच० एफ० प्रणाली की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र प्रणाली आरम्भ करने का कार्यक्रम काफी धीमा है। 1974 में दार्जिलिंग में स्वचालित केन्द्र आरम्भ हुआ और तब से वर्तमान संचार प्रणाली की आवश्यकताओं के साथ ताल-मेल रखने के लिए किसी भी अन्य जिला मुख्यालय के केन्द्र को स्वचालित नहीं किया गया। माइक्रोवेव के माध्यम से ट्रंक संचार परिपथ तथा अल्प क्षमता वाले यू० एच० एफ० (अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी) रेडियो प्रसार के माध्यम उपलब्ध कराने के संबंध में भी यही स्थिति है।

महोदय, कुछ रूट अनुमोदित हैं और योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं किन्तु, पश्चिम बंगाल को बिलकुल कोई आवंटन नहीं मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि ट्रांसमिशन प्रणाली वास्तव में हमारे देश में आयात की जा चुकी है और उसे इस राज्य में लगाने के लिए लाया जाना है बजाय दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्रों में प्रयोग करने के जो केवल "उल्टे बांस बरेली को" कहावत चरितार्थ करेगा।

केवल, जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र प्रणाली आरम्भ करने और महत्वपूर्ण ट्रंक परिपथों पर माइक्रोवेव अथवा यू० एच० एफ० प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराने से ही पश्चिम बंगाल के टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

इन परिस्थियों में मैं संबंधित मंत्री से मांग करता हूं कि वह सदन में स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य दें कि जिला मुख्यालयों में स्वचलित टेलीफोन केन्द्र कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण ट्रंक परिपथों को माइक्रोवेव अथवा यू० एच० एफ० प्रणाली से कब जोड़ा जाएगा।

मैं सरकार से यह मांग भी करता हूं कि वह सभी जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलोफोन केन्द्र प्रणाली लगाए तथा पश्चिम बंगाल के सभी महत्वपूर्ण ट्रंक परिपथों को बिना किसी और विलम्ब के माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि पश्चिमी बंगाल की टेलीफोन सेवा में सुधार किया जा सके।

(पांच) बिहार के न्यायिक अधिकारियों की मांग

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार न्यायिक सेवा के ग्यारह सौ अधिकारी जिसमें सेशन जज, जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दण्डाधिकारी भी शामिल हैं विगत 23 फरवरी से अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाय।

23, 24 एवं 25 फरवरी को वे कलम बंद हड़ताल पर थे। संघर्ष का दूसरा चरण विगत 5 मार्च, 1982 से शुरू है जिसमें नियमानुसार काम करो संघर्ष चला रहे हैं।

बिहार न्यायिक सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो 22 मार्च से अनिश्चित कालीन "कलम बंद" हड़ताल पर चले जाएंगे।

न्यायिक अधिकारियों के आन्दोलन से मुकदमे के निपटारे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। न्यायालयों में प्रायः काम ठप्प है। लोग परेशान हैं। खेद है कि न्याय देने वाला स्वयं न्याय की मांग कर रहा है।

बिहार राज्य तार एसोशिएन एवं विभिन्न राजनैतिक दलों ने उनकी मांगों का समर्थन किया है।

अतः केन्द्र सरकार हस्तक्षेप कर बिहार सरकार को निर्देश दे कि वह न्यायिक अधिकारियों की उचित मांगों को शीघ्र मान कर जनजीवन को राहत दे।

(छः) एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बातों का उल्लेख

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैं अब नियम 377 के अन्तर्गत, जानकारी की अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक, एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका द्वारा इस सदन की अवमानना के एक मामले का उल्लेख करूंगा। मैं इस मामले का उल्लेख करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह सातवीं लोकसभा के सम्मान से सम्बन्धित है और ब्रिटेनिका ने इस सदन के दिवंगत सदस्य श्री संजय गांधी की छवि को धूमिल किया है। इस पुस्तक ने संजय को अपने अपमानजनक शब्दों में एक "विवादास्पद व्यक्ति" और "ऋणात्मक प्रभाव" वाला तथा उसके प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में अविश्वास सहित अन्य कई बातें कही हैं।

श्री संजय गांधी इस सदन के निर्वाचित सदस्य थे और एक विदेशी विश्वकोष द्वारा उन पर किया गया आक्रमण हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर आक्रमण है।

इसके अलावा, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सदन के सदस्य पर प्रहार करने में ब्रिटेनिका अपने क्षेत्र से बाहर चली गई है क्योंकि शब्दकोष के अनुसार, एक विश्वकोष संदर्भ की वह पुस्तक है जिसमें व्यक्तियों, घटनाओं, संगठनों और महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। विश्वकोष एक टिप्पणात्मक पुस्तक नहीं होती; इसका कार्य तथ्यों की व्याख्या करना नहीं बल्कि उन्हें प्रस्तुत करना है। तो फिर ब्रिटेनिका ने राष्ट्रीय नेता, जो भारतीय गणतन्त्र के संस्थापक, श्री जवाहरलाल नेहरू का पोता भी है, की छवि धूमिल करने की धृष्टता किस प्रकार की ?

जैसा कि सर्वविदित है, श्री संजय गांधी ने इस देश के युवाओं का नेतृत्व किया, और ऐसा स्वतन्त्रता के समय से नहीं देखा गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके कट्टर आलोचकों ने भी यह स्वीकार किया कि वह एक राष्ट्र निर्माता, एक भविष्य द्रष्टा और अपरिमित साहस और निष्ठा के व्यक्ति थे। आज इस सदन में बैठे हुए बहुत-से व्यक्तियों की विचारधारा, राजनैतिक अस्तित्व और मूल प्रेरणा श्री संजय गांधी के नेतृत्व की ऋणी है। इस अभिमानी ढंग से उनका उपहास

करना अथवा उनकी याद का अपमान हम सब यहां उपस्थित व्यक्तियों का अपमान है। ब्रिटेनिका की जो भी ख्याति रही हो, उसे इस प्रकार से मानव जाति के सातवें हिस्से की भावनाओं को कुचलने का कोई अधिकार नहीं है।

ब्रिटेनिका जो कि संयुक्त राज्य का एक प्रकाशन है उसने श्री संजय गांधी के चित्र के स्थान पर हमारे आदरणीय सहयोगी श्री विद्याचरण शुक्ल का चित्र प्रकाशित करके हमारे दुख को और भी बढ़ा दिया है। हम सब श्री शुक्ल की दीर्घायु की कामना करते हैं किन्तु यह इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटेनिका के निर्माताओं को हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति कितना सम्मान है। श्री संजय गांधी की निन्दा से जब वे सन्तुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने चित्र की प्रामाणिकता की जांच करने की भी कोई कोशिश नहीं की।

मैं उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच की मांग करता हूं जिनके कारण इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री ब्रिटेनिका में छपी और यदि यह पाया जाता है कि यह सामग्री भारत से किसी विदेशी द्वारा भेजी गई थी तो उसे तुरन्त देश छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। इस प्रकार के कदम उठाए जाने तक मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 1980 की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की सभी प्रतियां जब्त कर ले और पुस्तकों की दुकानों और पुस्तकालयों से हटा दे और इस संस्करण को नाजायज करार दे।

यह स्पष्ट नहीं है कि ब्रिटेनिका की सामग्री अलग-अलग लेखकों का कार्य होता है अथवा यह सम्पादन की मेज पर संकलित की जाती है। जो भी प्रक्रिया हो, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उस व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह का पता लगाए जो श्री संजय गांधी पर सामग्री के लिए उत्तरदायी है। एक बार जिम्मेदारी निश्चित हो जाने पर भारत सरकार को चाहिए वह उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से बिना शर्त माफी मंगवाने के लिए अपने राजनयिक और वाणिज्यिक प्रभाव का प्रयोग करे। हम अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए यह तो कर ही सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक 2.05 अपराह्न तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर ग्यारह मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बजट (सामान्य), 1982-83—सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री चित्त बसु···

श्री चित्त बसु : सामान्यतः मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष की ओर से वक्ताओं की कमी है।

श्री चित्त बसु (थारसाट) : बजट पर बोलने के लिए उठते हुए मैं कतिपय प्रत्ययात्मक ढांचे से आरम्भ करूंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि बजट तैयार करना केवल गणितीय अभ्यास नहीं है, न तो यह गणितीय अभ्यास है और न ही लेखाकारों का व्यापार है। बजट तैयार करते समय कतिपय विचारधारा सम्बन्धी दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, कुछ सिद्धान्तों का ध्यान रखना होता है और निःसन्देह रूप से तात्कालिक सरकार का आर्थिक दर्शन प्रदर्शित होता है। किन्तु बेशक मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ मत हैं किन्तु मैं मतवादी होने से इन्कार करता हूं।

दूसरे मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरणों को ध्यान में रखे बिना किसी भी राष्ट्र और विशेषकर इस समय नया बजट तैयार नहीं किया जा सकता। महोदय, इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण और सरकार की आर्थिक नीति का प्रश्न किसी विशेष समय पर सरकार के बजट प्रस्तावों पर विचार करने के मामले में आपस में सम्बद्ध हैं—असंबद्ध नहीं बल्कि सम्बद्ध—

महोदय मुझे खेद है कि इन दो मुद्दों पर सरकार अथवा वित्त मंत्री की स्पष्ट नीति नहीं है। जहां तक बजट से प्रतिबिंबित होने वाले दृष्टिकोण का सम्बन्ध है वह अस्पष्ट है, यह उभयवृत्तिक है और इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। और यह भी उनके उपयोगवाद की ओर अनावश्यक और परिहार्य रुझान के कारण है। सरकार के लिए आर्थिक दर्शन के लिए मैं उसे दोष नहीं देता और मैं एक ऐसी सरकार, जिसके वे वित्तमंत्री हैं, से समाजवादी बजट की उम्मीद भी नहीं रखता। मुझे उनसे कोई वैयक्तिक शिकायत अथवा शत्रुता नहीं है और न ही मुझे उनसे कोई ऊंची उम्मीदें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम आप यह स्वीकार करते हैं कि आप समाजवादी हैं।

श्री चित्त बसु : इसमें कोई शक नहीं है।

महोदय, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कुछ मतों में विश्वास रखता हूं किन्तु मतवादी होने से इन्कार करता हूं। आर्थिक विचारधारा के संबंध में यह सर्वविदित है कि आपकी विचारधारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की है। आप केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था के मापदण्डों के भीतर कार्य कर सकते हैं, इसलिए वित्तमंत्री से समाजवादी दृष्टिकोण की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि वे निश्चित मापदण्डों के भीतर कार्य करते हैं और यह निश्चित मापदण्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था के हैं। परन्तु बजट प्रस्तावों का विश्लेषण करने पर मुझे यह विश्वास होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिधि में भी, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि झुकाव अधिकतर एकाधिकारियों, पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रिक व्यापारिक, शक्तिशाली पूंजीपतियों की ओर है। मुझे यह आशा नहीं है कि हमारी सरकार और हमारे वित्तमंत्री, जिस स्थिति में आज वे हैं, क्या वे ऐसा बजट पेश कर सकते हैं जो हमारे देश में बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के हितों के खिलाफ हो ? वे ऐसी आर्थिक नीतियों को कैसे छोड़ सकते हैं जो अर्थ-व्यवस्था में पूंजीवादी आधार को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं ? मुझे उनसे ऐसा करने की आशा नहीं है।

यह उनके लिए सम्भव ही नहीं है। ऐसा करना उस दल के लिए भी सम्भव नहीं है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु यह कहना कि आपका बजट और नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है और न केवल आप प्रगति का अनुसरण करते हैं, परन्तु आपकी सामाजिक न्याय की प्रगति भी भ्रामक है। यह बजट एकाधिकारवादियों, पूंजीपतियों, व्यापारिक शक्तिशाली पूंजीपतियों की ओर झुकाव दर्शाता है। (व्यवधान)। आप यह सोचेंगे कि यह हमारी वाक्य रचना है और जिससे श्री स्वामी को बहुत अधिक अलर्जी होती है।...

वित्तमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : आप बड़े जमींदारों के उल्लेख को तो छोड़ ही रहे हैं।

श्री चित्त बसु : बड़े जमींदार भी आपकी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : कालानुक्रम में ये दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : परन्तु आपकी सरकार बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रिक शक्तिशाली पूंजीपतियों को संरक्षण देती है, इसमें कोई शक नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इन्होंने जिस चीज को छोड़ा हैं वह है तेजी से बढ़ने वाला कुत्ता साम्राज्यवाद।

श्री राम प्यारे पानिका (रावर्ट्सगंज) : पश्चिम बंगाल, भाकपा सरकार, जिसके ये सहयोगी हैं—(व्यवधान)—ये पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मुझे उनके विचार का पता चल गया है। उसका जवाब देने की जरूरत है। आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, ये नीतियां, आमतौर पर यहां की सरकार द्वारा तय की जाती हैं। राज्य सरकार को आर्थिक दिशा और वित्तीय दिशा के सम्बन्ध में मूल नीति तैयार करने में कुछ नहीं करना होता। इसलिए, पश्चिम बंगाल सरकार, जैसी कि उसकी स्थिति है, वित्तीय और आर्थिक नीतियों की दिशाओं की परिधि के भीतर काम नहीं कर सकती जो यहां तैयार की जाती हैं। आप ऐसी नीति बनाइये जो उन समुदायों और वर्गों के हितों की रक्षा करे जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। आपके मुद्दे के लिए मेरा जवाब है कि पश्चिम बंगाल सरकार वामपंथ के प्रति प्रतिबद्ध संयुक्त मोर्चा सरकार होने के कारण, जो नीतियां आप केन्द्र में बनाते हैं उन आर्थिक और वित्तीय नीतियों में सुधार नहीं कर सकती। आप वर्ग हितों—उन वर्गों के हितों को जिनका मैंने पहले हवाला दिया है,—की सुरक्षा के लिए नीति बनाते हैं। अतएव, इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की विफलताएं, पश्चिम बंगाल सरकार की त्रुटियां आधारभूत नीतियों की उन खामियों का परिणाम है जिनका आप आज पालन कर रहे हैं। अतएव, मैंने सरकार से इस बात की आशा भी नहीं की, न ही मैं इस कारण से असंतुष्ट हूं, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता के बारे में पहले से जानकारी थी और सरकार ने जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय माहौल के संबंध में मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं—मैं भी इस बात से सहमत हूं।

किसी राष्ट्र का बजट, विशेष कर ऐसे समय में, विशेष रूप से हमारे चारों ओर सुरक्षा के वातावरण में ह्रास होने की घटनाओं की पूरी तरह अवहेलना करके नहीं बनाया जा सकता। इसका उससे प्रत्यक्ष संबंध है। (उस बारे में भी) मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि वित्त मंत्री ने परिस्थिति का सही रूप से मूल्यांकन करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने बिगड़ती हुई सुरक्षा

परिस्थितियों की अड़चनों को और अमेरिका की आज की विश्वव्यापी कूटनीति को वास्तव में नहीं समझा है। कोई मेरी बात से सहमत हो या न हो, परन्तु आज की भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर बिगड़ते हुए सुरक्षा माहौल की परिस्थिति के सन्दर्भ में अमेरिका की विश्वव्यापी कूटनीति से अलग करके नहीं देखी जा सकती। आपकी अपनी कोई नीति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विदेशी आर्थिक संबंधों पर आपका सही प्रकार का दबाव नहीं होता। जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह केवल विदेश मंत्रालय का विषय नहीं है। बजट बहुत अधिक अपेक्षाकृत विदेशी आर्थिक संबंधों से जुड़ा हुआ होता है।

विदेशी आर्थिक संबंध जो आपने पहले से स्थापित किये हुए हैं या आपका जिन्हें स्थापित करने का विचार है, उन्हें अवश्य ही बजट प्रस्ताव में दर्शाया जा सकता है। महोदय, इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका की विश्व नीति के दावपेंचों को समझना हमारे लिए जरूरी है। संक्षेप में, यह वर्णन ऐसे किया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मतैक्य नीति की अवधारणा है। उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता को विशेष मतैक्य नीति की अवधारणा के साथ जोड़ा है। इसका आशय यह है कि वे उन राष्ट्रों और देशों को आर्थिक सहायता नहीं देते जो इस मतैक्य नीति की परिधि में नहीं आते। उन्होंने उन सहायता लेने वाले देशों का भी पता लगा लिया है जो अनुयायी राष्ट्रों के रूप में काम करने के लिए सहमत हैं और उनकी विश्व नीति के हितों में सहायता करते हैं। अमेरिका ने उन देशों को आर्थिक सहायता या कोई अन्य चीज न देने का निर्णय किया है जो उस परिधि से बाहर हैं। इस सन्दर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले से ही यह निर्णय किया है कि बहु राष्ट्रिक कम्पनियों के माध्यम से भारत को सहायता की मात्रा कम की जानी चाहिए और उन्होंने इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से भी कुछ शर्तों को लगा दिया है। अतःएव, महोदय, उन्होंने सुझाव दिया है कि हमारे विकास कार्यक्रमों को वित्त पोषण के लिए या धनराशि की व्यवस्था के लिए, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजी बाजारों के ऋणों पर निर्भर रहना चाहिए। सरकार को इसे छुपाना नहीं चाहिए। जहां तक मुझे याद है, आपके सचिव ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि धन की कोई समस्या नहीं होगी चाहे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी निधि से भले ही ऋण प्राप्त न हो। धन पर्याप्त मात्रा में है। प्रश्न यह है कि हम इसे लें या न लें। इसका अर्थ यह है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न एजेंसियों की निजी पूंजी के वाणिज्यिक ऋणों पर आश्रित हैं या आश्रित होना चाहते हैं।

महोदय, इसी कारण शर्त लगाई जाती है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक असुरक्षित हो जाती है और इस बिगड़ते हुए सुरक्षा माहौल के सन्दर्भ में, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया और इसका सही मूल्यांकन नहीं किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें, हमें मजबूर कर रही है कि हम और वाणिज्यिक ऋण इसलिए लें ताकि अमेरिका की विश्वव्यापी चाल, जो भारत को कर्ज के जाल में फंसाने की है, की शुरुआत हो सके। और हमारा देश अमेरिका की निजी पूंजी से वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से शुरुआत करे। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें भारत को मौत के फंदे में डालने की शुरुआत की प्रक्रिया है जिसने बहुत-से विकासशील देशों को तबाह किया है और जो हमारे लिए एक उदाहरण है।

लेकिन, दुर्भाग्यवश, माननीय मंत्री जी ने इस बात पर और इस परिस्थिति से होने वाले खतरे की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया और आज वही हालात पैदा हो रहे हैं।

यह बजट—मैं बजट के दायरे से बाहर नहीं जा रहा—बढ़े हुए बाजार ऋण दर्शाता है। ये ऋण 3200 करोड़ रु० के हैं जबकि चालू वर्ष के लिए बाजार ऋणों की राशि 2800 करोड़ रु० है। मैं केवल उनको संकेत के रूप में बता रहा हूं। बाजार ऋण पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। मि० कलाजन की सलाह के अनुसार बाजार ऋणों का अधिक से अधिक आश्रय लिया जा रहा है। मि० कलाजन हाल ही में दिल्ली में थे। मि० कलाजन ने यह सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक ऋणों पर निर्भर रहने के सिवाए आपके पास कोई चारा नहीं है। आपने इसी सलाह का पालन किया है और यही बात बजट में दर्शाई गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मि० कलाजन का कर्मचारी आपका वित्त मंत्री है।

श्री अशोक मित्रा...

श्री चित्त बसु : मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री चित्त बसु : इसलिए, मेरे कार्य में विघ्न न डालें। कृपया आप उन्हें भी कहिए कि वे विघ्न न डालें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप वित्त मंत्री हैं, तो मैं आपको और समय दूंगा। क्या आप इस बात को मानते हैं ?

श्री चित्त बसु : मैं सन्तुष्ट हूं। मुझे एक मिनट और दें। वे मेरे बोलने में विघ्न डाल रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री विश्व बैंक के कर्मचारी हैं। आप उनसे यह बात पूछिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न बजट के प्रावधानों के सम्बन्ध में है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात सच है कि चित्त बसु जी वहां बहुत वर्ष रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पश्चिम बंगाल···

श्री चित्त बसु : क्या हम यहां विश्व बैंक के मामले पर चर्चा कर रहे हैं ?

और फिर, यह बजट विदेशी सहायता पर अधिक निर्भरता दर्शाता है। इस ऋण में 40% तक की वृद्धि हुई है। इसलिए, ये ही इसके लक्षण हैं। मेरा आरोप या शिकायत—मैं अधिक कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता···कठोर शब्द का प्रयोग करने का क्या फायदा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे मुस्करा रहे हैं। आखिरकार, वे आपके राज्य के हैं।

श्री चित्त बसु : मैं नहीं चाहता कि केवल कठोर शब्दों से कोई नतीजा निकलता है। कभी-कभी कोमल शब्दों का भी नतीजा निकल आता है और इसी आशा से मैं कोमल शब्दों का प्रयोग कर

रहा हूं। कठोर शब्दों की अपेक्षा कोमल शब्दों को उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। और फिर, यदि हम असन्तुष्ट हैं, तो मेरे पास भी कठोर शब्द हैं मेरे पास इनकी कमी नहीं है।

बजट में पर्याप्त रूप से इस धक्के को सहने के लिए उपाय नहीं किया गया, यदि उस धक्के के बढ़ने की सम्भावना अमेरिका की विश्वव्यापी नीति के कारण है और इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का माहौल बिगड़ने की सम्भावना है। इस धक्के को सहने का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। इस प्रकार, हर चीज गड़बड़ा जाएगी और उन पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी।

माननीय सदस्य श्री चह्वाण जी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने में सफल हो गई है और इस बजट में उनकी शर्तों का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। यह सत्य नहीं है। यह असत्य है। यदि कोई यह दावा करता है···मेरा विचार था कि माननीय वित्त मंत्री इस बात का दावा नहीं करेंगे क्योंकि अपने आर्थिक सर्वेक्षण में उन्होंने इस बात का निश्चित रूप से उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार संरचनात्मक समायोजनों की मजबूरियां थीं जो कि गलत हैं। यह गलत है यदि कोई खड़ा होकर यह कहे कि हमारे बजट पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का कोई प्रभाव नही है : यह गलत है ; झूठ है : यह एक प्रकार की झूठी तारीफ है। जैसा कि आप जानते हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह इच्छा थी कि आयात की शर्तों को उदार बनाया जाए, तथा पश्चिमोन्मुख निर्यात को और अधिक बढ़ाया जाय। क्या ऐसा नहीं है ? क्या उन्होंने इस बात पर बल नहीं दिया कि प्रत्यक्ष कराधान के स्थान पर अप्रत्यक्ष कराधान पर तथा विदेशी सहयोगियों को अनुदान में छूट पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यह सब शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निर्धारित की गई थीं। आप बजट दस्तावेज पढ़िए और देखिए कि इन प्रस्तावों पर इन शर्तों की छाप है या नहीं। आपने अप्रत्यक्ष कराधान के रूप में 535 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाला है। क्या आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं ? इसके साथ ही साथ, 681 करोड़ रुपये का बजट पूर्व कर भार भी था। और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि इनके बजट प्रस्तावों पर अंतर्राष्ट्रीयमुद्रा कोष की स्पष्ट छाप है। कुछ आधारभूत कमियां हैं जिनसे वित्त मंत्री ने बचना चाहा है। उनका दृष्टिकोण यही है कि इस मुश्किल प्रश्न को रद्द कर दिया जाए। उनका दृष्टिकोण है कि यथापूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए और उसी घिसी-पिटी परम्परा को बनाए रखा जाए। किसी ने इसको एकदम नया बजट बताया है। यह घिसी-पिटी परम्पराओं पर बनाया गया बजट है जो प्रणाली कई पिछले वित्त मंत्रियों द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए अपनाई जा चुकी है जिससे कि अर्थव्यवस्था के पूंजीगत आधार को और दृढ़ बनाया जा सके—

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : समाजवादी पूंजीवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है सामाजिक पूंजीवाद।

श्री चित्त बसु : यह ऐसा बजट है जो कि घिसी-पिटी परम्पराओं पर बनाया गया है और इसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि उन्हें निर्धारित 'पैरामीटर' के अनुसार कार्य करना था। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि उन्होंने पिछली परम्पराओं को तोड़ दिया है और नए आयाम बनाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वह तो घिसी-पिटी परम्पराओं पर ही

चले हैं। (व्यवधान) यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करना है तो सरल विकल्प अपनाने की कोई गुन्जाइश नहीं है। यह आपको अपने आप समझना चाहिए इसमें मेरे समझाने लायक कोई बात नहीं है। मेरा यह दृष्टिकोण है कि सरल विकल्प की यहां कोई गुन्जाइश नहीं है परन्तु आपने यह सरल विकल्प स्वीकार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ संरचात्मक समायोजनों और हमारी आर्थिक और कर सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन के स्थान पर यदि संरचात्मक कमियों का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया जाता तो अधिक अच्छा होता। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे और स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि संसाधन की आवश्यकताओं और संसाधन उपलब्ध करने के बीच के अन्तर को तब तक कम नहीं किया जा सकता—यह देश की प्रगति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है—जब तक कर का ढांचा एक नए आर्थिक चिन्तन के आधार पर नहीं तैयार किया जाता। मेरे विचार से यह आर्थिक चिन्तन साधारण ही है। कर की संरचना आर्थिक वृद्धि की दर और गठन के आधार पर होनी चाहिए। मेरे पास इस बात के पर्याप्त तथ्य हैं कि जी० एन० पी० में काफी वृद्धि हुई है परन्तु इसका बड़ा भाग धनाढ्यवर्ग द्वारा हड़प लिया गया है। मैं दोबारा यह कहूंगा कि एकाधिकारियों, पूंजीपतियों और भूस्वामियों ने जी० एन० पी० का बड़ा भाग हड़प लिया है।

एक माननीय सदस्य : अब वह भूस्वामी कहां हैं ?

श्री चित्त बसु : इसलिए मैं फिर यही कहूंगा कि पहले भी यही परम्परा अपनाई जाती रही थी और उन्होंने भी यही परम्परा अपनाई है। नियमित क्षेत्र पर और नए कर नहीं लगाए गए हैं। और यही वादा आपने किया था। बहुत सी छूटें भी दी गई हैं जैसे धन कर, पूंजीगत लाभ कर, मूल्य ह्रास, लाभांश पर और फ्रीट्रेड जोन के उपक्रमों पर आय कर आदि। यह सभी छूटें महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि निगमित क्षेत्र में कोई कर नहीं लगाया गया है···

एक माननीय सदस्य : यह सब समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, कल विपक्ष के किसी भी सदस्य ने कोई वक्तव्य नहीं दिया था। उसके बदले में मुझे बोलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक दल को थोड़ा समय दिया गया है। उससे अधिक समय मैं आपको नहीं दे सकता।

श्री चित्त बसु : मुझे केवल पांच मिनट का समय ही और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहे जितना चाहे लेकिन वित्त मंत्री को ताव नहीं दिला पाएंगे। वह अभी भी मुस्करा रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं भी मुस्करा रहा हूं, मैं भी नाराज नहीं हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, आप विपक्ष के भीतर शॉक एब्सॉरबर का कार्य कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय सदस्य श्री व्हाई० बी० चव्हाण एक प्रश्न के उत्तर में

यही बता रहे थे। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है ? उनका कहना है कि घाटे की वित्त व्यवस्था हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अच्छी है। यह पहला मुद्दा है। उनका कहना है कि घाटे की वित्त व्यवस्था नियंत्रित है तथा सीमा के भीतर है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता। क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने हमारी अर्थव्यवस्था और देश की शक्तियों और कमजोरियों की पुनरीक्षा के बाद यही निष्कर्ष निकाला था कि देश की अर्थव्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण 5000 करोड़ रुपया का घाटा बरदाश्त कर सकती है···

(व्यवधान) यह पूरा किया जा चुका है और इसमें 40 करोड़ रुपए की वृद्धि भी हो गई है···

प्रो० मधु दंडवते : अब यह धोखाधड़ी शुरू कर देंगे।

श्री चित्त बसु : इसलिए पंचवर्षीय योजना की जो सीमा थी वह तीन वर्ष में ही पूरी होकर और अधिक हो गई है तथा अब बजट में अन्तर बढ़ कर 40 करोड़ रु० का हो गया है तथा अभी योजना में दो वर्ष और बचे हैं। अभी भी आप यही कहते हैं कि सिर्फ खुशामद के तौर पर ही ऐसा किया जा रहा है। यहां आप यह कहते हैं कि योजना आयोग का विश्लेषण तथा भारत की आर्थिक समस्याओं की उनकी समझ ठीक नहीं है। परन्तु वह सब कुछ समझते हैं और उसका विश्लेषण करने के बाद अब यह कहते हैं कि यह सीमा 5000 करोड़ रुपए की है और यह सीमा पूरी हो चुकी है, तब भी आप यही कहते हैं सरकार ने जो घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रस्ताव किया है वह सीमा के भीतर है। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह आखरी मुद्दा है।

श्री चित्त बसु : और भी बहुत-सी बातें मुझे कहनी हैं परन्तु यदि आप मुझे पांच मिनट भी नहीं दे सकते···

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपका नाम लिया है जिससे कि मैं आपको अधिक समय दे सकूं···आप 25 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री चित्त बसु : योजना की बात करते समय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि पिछले दो वर्षों की तरह जो कि मुसीबत के वर्ष रहे हैं···मेरे विचार से आपने यह कहा था आप इसे नकार नहीं सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप मेरा वक्तव्य उद्धृत कर रहे हैं। मैं इसे क्यों नकारूंगा ? वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि पिछले दो वर्ष जो कि प्रबन्ध-व्यवस्था और वसूली के लिए संकट पूर्ण वर्ष थे, की तरह 1982-83 की नीति का उद्देश्य होगा की बढ़त की गति बनी रहे तथा यह प्रयत्न किया जाए कि छठी योजना के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह शब्द उनकी जबान से जितने अधिक अच्छे लगते हैं उतने मंत्री महोदय की ज़बान से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने इस तरह नहीं कहा था।

श्री चित्त बसु : उनका कहना है इसका उद्देश्य गति को बनाए रखना है। आप अर्थशास्त्री

हैं आप ही इसे देखिए। यह कौन सी गति बनाए रखना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक पूंजीगत अर्थव्यवस्था।

श्री चित्त बसु : मैं यह स्वीकार करता हूं कि योजना लागत में 21% की वृद्धि हुई है परन्तु उस समय तक परियोजना की लागत में 20% की वृद्धि हो चुकी थी। इसके अभी और बढ़ने की आशा है। यदि मूल्यों और परियोजना की लागत इसी प्रकार बढ़ती रही तो योजना का वास्तविक लाभ इतना नहीं हो पाएगा जितना दावा किया जा रहा है। इसलिए महोदय, योजना का वास्तविक लक्ष्य तो समाप्त हो जाएगा और यदि योजना का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा तो गति कैसे बनाई रखी जा सकती है। इसलिए महोदय, इसमें धोखा है। वह हमसे कम बुद्धिमान नहीं हैं। वह अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही होशियार हूं, वह नहीं हैं। वह भी होशियार हैं। परन्तु उनकी होशियारी का प्रयोग एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हितों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। (व्यवधान) इसलिए महोदय, यह सही नहीं है। उनका यह दावा है कि अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर लगती है। मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है। अर्थ-व्यवस्था पहले से बेहतर नहीं है। मैं इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर केवल 3% थी जबकि योजना के अनुसार वृद्धि का लक्ष्य 5.2% प्रति वर्ष का था। यह स्पष्ट है कि 1981-82 में कुल कृषि निवेश 1978-79 वाले सर्व श्रेष्ठ उत्पादन वर्ष से थोड़ी ही अधिक थी। ऐसा संभव है। वर्ष 1980-81 में 24.60 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई अधिक हुई थी जबकि 1979-80 में यह 19.80 लाख हैक्टेयर थी। इसलिए कृषि के क्षेत्र में तो आपकी उपलब्धि मामूली ही है। इसलिए 1978-79 के सर्वश्रेष्ठउत्पादन वर्ष के मुकाबले में यह केवल 27.30 लाख हैक्टेयर ही अधिक है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जनता शासन काल में ऐसा हुआ है।

श्री चित्त बसु : यह मैं उन पर छोड़ता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब वह बहुत ही प्रसन्न हैं।

श्री चित्त बसु : मैं यह बात मानता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अधिक हुई है जो कि 9.8 प्रतिशत है। बेशक ऐसा मूलभूत ढांचे तथा क्षमता उपयोग में सुधार हो जाने के कारण हुआ है। अतः, आवश्यकता इस बात की है कि क्षमता का विस्तार किया जाये। आप जिस प्रगति का दावा करते हैं वह क्षमता विस्तार के कारण नहीं प्रत्युत ऐसे केवल बढ़े हुए क्षमता उपयोग तथा मूलभूल ढांचे में सुधार के कारण सम्भव हो पाया है। ऐसा मानते हुए भी कि बिजली जैसे नाजुक क्षेत्रों में, कुल क्षमता विस्तार पर्याप्त रूप से कम हो गया है। यह गत कुछ वर्षों के दौरान नियोजित लक्ष्य से काफी कम रहा है। रेलों के सम्बन्ध में पूंजी निवेश में कमी हुई है। आवश्यक पूंजी निवेश में कमी कर दी गई है। माल डिब्बे नवीकरण की दर भी निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा बहुत धीमी है। खनिज तेल की 160 लाख टन से 350 लाख, 400 लाख टन की प्रायोजित वृद्धि हो जाने के बारे में आज भी संदेह व्याप्त है। यह आर्थिक समीक्षा हमारे समक्ष आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती है। किस प्रकार खनिज तेल के उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता

है ? क्या ऐसा किया गया है ? क्या खनिज तेल के बढ़े हुए उत्पादन के तात्पर्य को समझना सम्भव है यदि ऐसा सम्भव है तो वह ऐसा बतायें ।

यदि सरकार यह दावा करती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तो मैं इससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं । अभी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और उसके लिए अधिक उग्र सुधार-वादी उपायों के किये जाने की आवश्यकता है ।

महोदय, मुझे खेद है कि इस बजट से हमारे देश के लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ जायेंगे । यह बजट विशिष्ट वर्ग के पक्ष में अधिक है । इस बजट से और मूल्य बढ़ेंगे । अतः, हमारे देश के असंख्य लाखों लोग बजट प्रस्तावों से किसी प्रकार की सन्तुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है, यदि सरकार ऐसा चाहती है तो उसे कठोर पग उठाने होंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था में, जो बिगड़ी हुई है, में सुधार किया जा सके ।

श्री भीकूराम जैन (चाँदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, वार्षिक आर्थिक विवरण तथा व्यय तथा आय के अनुमान वास्तव में बजट तथा सांविधानिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त बजट में सामान्यतया सत्तारूढ़ दल की नीतियां प्रतिबिम्बित करते हैं । मेरे मित्र, श्री चित्त बसु अभी-अभी कह रहे थे कि इस बजट में सत्तारूढ़ दल की नीतियों की झलक नहीं मिल रही है जो कि हमारे लाखों देशवासियों के लिये आंसुओं का कारण हुआ है ।

महोदय, यदि उन्होंने यह कहा होता कि बजट में श्रमजीवी वर्ग अथवा वेतन भोगी लोगों के लिये कर योग्य सीमा को बढ़ा कर या धन के रूप में उन्हें सेवा निवृति के समय मिलने वाली दूसरी रियायतें देकर जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए अभिप्रेत हैं, वह किया है तो मैं उनसे सहमत हो जाता । महोदय मैं वित्त मंत्री महोदय को अवश्य ही बधाई देता हूं । वित्त मंत्री महोदय ने वेतन भोगी वर्ग तथा 25,000 रुपये वार्षिक पाने वाले कर्मचारी पर अब कोई आय कर नहीं लगाया है । 25 प्रतिशत की मानक कटौती की रियायत के कारण प्रत्यक्ष रूप से उन्हें 20,000 रुपये तक आय-कर नहीं देना होगा । इसके अतिरिक्त उन्हें मकान किराये के भत्ते, जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में दूसरी रियायतों के मिलने की सम्भावना है जिसके द्वारा 5,000 रुपये का आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है ताकि उन्हें कर से छूट मिल जाये । किन्तु महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि 2,000 रुपये से अधिक पाने वाले कर्मचारियों अर्थात् अधिकारी वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 2,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच पाने वाले लोगों को काफी कठि-नाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या इस रियायत को जो 2,000 रुपये प्रति मास तक पाने वाले लोगों को दी गई है, 3,000 रुपये अथवा इसके लगभग प्रति मास तक पाने वाले लोगों के लिए बढ़ाया जा सकता है ? मेरे विचार में यह बड़े बड़े पूंजीपतियों के वर्ग के अन्तर्गत नहीं आयेगा, जैसा कि अभी-अभी मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने कहा है । मैं अधिकारी वर्ग के बारे में कह रहा हूं जैसा कि उन्हें वेतन भोगी वर्ग का नाम दिया जाता है । मैं 30 हजार प्रति मास कमाने वाले उद्योगपतियों या व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इन वेतन भोगी वर्ग के बारे में तथा उन्हें सेवा निवृति पर मिलने वाले धन हेतु दी गयी कुछ रियायतों के बारे में बता रहा हूं । इससे उन्हें काफी

अधिक सहायता मिलेगी । अत:, मैं चाहता हूं कि उनके दल के आगामी वक्ता कहें कि क्या वे 2,000 रुपये पाने वाले एक लिपिक को बड़ा पूंजीपति कह सकते हैं ? क्या उन्हें उन लोगों के साथ कोई सहानुभूति है अथवा नहीं ?

मैंने वित्त मंत्री महोदय को एक शब्द कहना है और वह विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बारे में है । उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं, जब वे यहां आते हैं और 60 दिन के लिए ठहरते हैं तो उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि विदेशों में रह रहे ऐसे लोग काफी संख्या में हैं जिन्होंने बहुत अधिक धन कमा लिया है और वे स्वदेश लौटना चाहते हैं । भारत में सुविधाओं को प्राप्त किये बिना वे आने में समर्थ नहीं हैं । यह आवश्यक नहीं है कि केवल आयकर में ही उन्हें कुछ सुविधाएं तथा रियायतें दी जाएं । प्रत्युत उन्हें मकान भी दिये जा सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें ये रियायती दरों पर ही दिये जाएं, किन्तु दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे, बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर प्राधिकारियों को उन्हें सहायता देने हेतु कुछ धन दिया जाना चाहिए या उन्हें कुछ ऐसा निदेश दिया जा सकता है जिसमें बताया गया हो कि विदेशी मुद्रा के साथ भारत में आने वाले लोगों को वरीयता दी जा सकती है । उन्हें यह रियायत और सुविधा दी जा सकती है ताकि वे अपने आप को यहां स्थापित कर सकें, ताकि वे अपने उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ हो सकें और इस देश में धन को ला सकें । हमने इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है और मैं यह महसूस करता हूं कि इस बात को बहुत पहले किया जाना चाहिए था । हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों की सहायता करनी चाहिए जो वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा सभी को लिखते चले आ रहे हैं । इसके साथ ही उन लोगों के लिए, जो विदेशों से आना चाहते हैं, इस देश में छोटे या बड़े उद्योग को स्थापित करने हेतु पूरी की जाने वाली विभिन्न आवश्यक औपचारिकताओं को उदार किये जाने की आवश्यकता है ताकि हम विदेशी मुद्रा में धन का पूंजी निवेश कर सकें, हम अपने भाइयों और बहनों को वापिस अपने देश में ला सकें ताकि वे अपने आपको स्थापित कर सकें । उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात की भी सराहना करेंगे कि जब तक रियायतें नहीं दी जाती हैं, तब तक वे कभी भी वापिस नहीं आ सकते हैं । अत:, मैं अत्यन्त आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय में इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे बजट में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए ।

मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा दूसरे बड़े औद्योगिक गृहों को दी गई रियायतों के बारे में उल्लेख किया है । मुझे उस जैसी कोई भी बात यहां दिखाई नहीं पड़ रही है । औद्योगिकीकरण तथा उत्पादकता के इस वर्ष में कुछ ऐसी रियायतों का दिया जाना बहुत ही आवश्यक है । यदि यह देश अधिक उत्पादन तथा वस्तुओं आदि की प्राप्यता संबंधी समस्याओं को हल करना चाहता है, तो उद्योग का विकास करना ही होगा । हमारे मित्र उन सभी तरीकों का प्रयोग करते रहे हैं जिनसे उत्पादन रुक जाता है । यह कोई तरीका नहीं है । मेरी इच्छा है कि हमारी सरकार देश के औद्योगिकीकरण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे, क्योंकि इससे लोगों का काफी भला होगा और साथ ही इससे राष्ट्रीय राजकोष को आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा दूसरे करों के रूप में काफी धन मिलता है तथा रोजगार की व्यवस्था भी होती है । यदि लोगों ने दूसरे देशों में प्रगति की है तो इसका कारण यह है कि वहां उद्योगों को प्रोत्साहन देना पहली

बात रही है। ऐसा इसी कारण से हो पाया है। मुझे मालूम नहीं कि क्या विरोधी पक्ष के मेरे मित्र उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं अथवा नहीं। मेरा विचार यह है कि वे ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उद्योग हैं, तो उनकी गतिविधियां भी हैं। यदि उद्योग नहीं हैं तो उस सीमा तक उनकी गतिविधियां भी नहीं रहेंगी। अतः, उनके दल का अधिक हित भी इसी में है कि उद्योगों का विकास किया जाये। इस प्रयोजन के लिए माननीय वित्त मंत्री ने आर्थिक सेवाओं के मूलभूत ढांचे, बिजली जल आदि की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। मेरे माननीय मित्र का यह कहना है कि निगमित क्षेत्र पर भारी कर लगाये जाने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस समय इस देश में निगमित क्षेत्र पर भारी कर लगे हुए हैं। वास्तव में निगमित क्षेत्र को उद्योग में पुनः पूंजी निवेश करने हेतु कुछ बचतों को संचित करने के लिए कुछ रियायतें दी जानी चाहिए थीं ताकि उससे पर्याप्त नकदी मिल सके। किन्तु इस प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया है। मेरे मित्र श्री चित्त बसु जानते हैं कि निगमित कर दोहरा कराधान देता है। अंशधारी अलग से कर का भुगतान करता है और निगमित क्षेत्र अलग से कर देता है और दोनों को मिला करके 93 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के लगभग राजकोष को जाता है।

निगमित क्षेत्र में अधिकांश शेयरधारी निर्धन हैं। वे जन साधारण हैं। आप उन्हें पूंजीपति कहिए। जन साधारण के कोई बहुत अधिक शेयर नहीं हैं। बल्कि अधिकांश जन-साधारण के कम शेयर हैं। आप हमेशा बड़े उद्योगपतियों जैसे बिरला, टाटा की बात करते हैं। परन्तु आप जन साधारण को, जिनके उन बड़े उद्योगपतियों की फर्मों में बहुत कम शेयर हैं, इस श्रेणी में कैसे शामिल कर सकते हैं? मेरे विचार में आप या तो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं या देश को। मेरी राय में, बड़ी संख्या में, शेयरधारी निर्धन हैं। मैं उद्योगपतियों के छोटे वर्ग से संबंध रखता हूं। मुझे मालूम है कि एक कम्पनी के 40,000 शेयरधारियों में से, लगभग 10 प्रतिशत शेयर प्रबन्ध निर्देशकों के पास हैं और शेष 90 प्रतिशत शेयर जन साधारण के पास हैं। प्रत्येक वर्ष के तुलन-पत्र में एक चार्ट दिया जाता है जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शाये जाते हैं जिनके पास 100, 200 और 200 से अधिक शेयर हैं। यदि आप चार्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि निदेशकों के पास कुल 2 से 3 प्रतिशत शेयर हैं तथा कुछ व्यक्तियों के पास 500 और इससे अधिक शेयर हैं। अतः हमें इन छोटे उद्योगपतियों के कृत्यों को नहीं भुलाना चाहिये। हम जानते है कि गत 34 वर्षों के दौरान इन उद्योगों ने भारी प्रगति की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 32 वर्ष या 34 वर्षों के दौरान?

श्री भीकू राम जैन : मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूं जब इस देश का उद्योगीकरण करने के लिए उचित वातावरण विद्यमान नहीं था। इसलिए महोदय, मेरा सादर निवेदन है कि उद्योग राष्ट्र की सम्पत्ति है न कि किसी व्यक्ति विशेष की। 1962 में चीन युद्ध के दौरान और बाद में भी जबकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हमारे देश ने बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से उनका मुकाबला किया। यदि हमारे देश में औद्योगिक विकास न हुआ होता तो भिन्न परिणाम होते। महोदय, क्या हमें प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे स्वदेशी उत्पादन पर गर्व नहीं करना चाहिये। हमारी बहुत सी वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। और इसीलिए लोगों की मांग है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये। विश्व बाजार में हमारी वस्तुओं को बहुत अधिक पसंद एवं स्वीकार किया

जाता है, और जितना अधिक हम निर्यात करते हैं उतनी ही अधिक हमें आय होती है। इसलिए, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आय कर, धन कर, दान कर सम्बन्धी कानूनों तथा अन्य कराधान सम्बन्धी कानूनों को सरल बनाना होगा।

महोदय, 90 प्रतिशत से अधिक शेयरधारी जन-साधारण हैं और उनमें से अधिकांश निर्धन हैं। उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 2000 रुपये या 3000 रुपये लाभांश के रूप में प्राप्त होते हैं। इन शेयर-धारियों में विधवायें, वृद्ध सेवा निवृत व्यक्ति और छोटे निवेशकार शामिल हैं। (व्यवधान) विपक्ष के मेरे माननीय सदस्य चपड़ासियों एवं श्रमिकों के गरीबी की रेखा से नीचे होने की बात करते हैं। उनका कहना है कि लगभग 1000 रुपये पाने वाले व्यक्ति, चाहे वे चपड़ासी के पद पर कार्य कर रहे हैं अथवा श्रमिक हैं, सभी निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। आप केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। परन्तु मैं ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनकी आय चपड़ासियों एवं अन्य श्रमिकों से भी बहुत कम है। निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की आपकी परिभाषा मेरे द्वारा दी गई परिभाषा से बहुत भिन्न है। ऐसी बातें करके आप केवल उन्हें भड़का रहे हैं और उन्हें भड़का कर आप अपना कार्य सिद्ध करा लेते हैं और इस प्रकार आप गलत परिभाषा देकर और बड़ी-बड़ी आशायें बंधा कर उन पर नियंत्रण करते हैं। निर्धन श्रमिकों का शोषण किया जाता है जो निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। वे वास्तव में श्रमिक नहीं हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि दिल्ली में श्रमिकों की आय विधवाओं एवं सेवा निवृत वृद्ध शेयरधारियों से अधिक है। उनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। उन्हें प्रतिवर्ष 2000 रु० से 3000 रु० तक लाभांश प्राप्त होता है। उन्हें पूंजीपति नहीं कहा जा सकता। परन्तु आपके अनुसार 35,000 रु० प्रतिवर्ष आय वाला श्रमिक निर्धनता की रेखा से नीचे आता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सब विवाद की बजाय आप इसे 'भाग्य रेखा से नीचे' की संज्ञा क्यों नहीं देते ?

श्री भीकू राम जैन : ऐसा नहीं है कि वे इस बारे में नहीं जानते परन्तु वे ऐसा न जानने का दिखावा करते हैं·····(व्यवधान)

इन कम्पनियों के 90 प्रतिशत से भी अधिक शेयरधारी निर्धन व्यक्ति हैं जो निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित हैं अथवा जो मजदूरों एवं कामगारों से भी निर्धन हैं·····(व्यवधान), उनका जीवन स्तर कमजोर वर्ग के लोगों से भी नीचा है। इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है; मेरा यही निवेदन है। यदि आप ऐसी किसी भी कम्पनी के तुलन-पत्र पर नजर डालें, आप देखेंगे कि यदि कम्पनी के शेयर का मूल्य 10 रुपये है तो उसके दस हजार शेयरधारी होंगे जिनमें प्रत्येक के पास मुश्किल से 1000 रु० मूल्य के सौ शेयर होंगे। और यदि उन्हें 15 प्रतिशत लाभांश मिलता है तो उन्हें प्रतिवर्ष केवल 150 रुपये मिलते होंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यहां तक कि निजाम हैदराबाद ने भी कहा था कि वह भारत का सबसे गरीब व्यक्ति है।

श्री भीकू राम जैन : इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में 10,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को मजदूर या कामगार कहा जाता है। दल विशेष की नीतियों के अनुसार परिभाषा बदलती रहती है। यह एक विवादास्पद मामला है लेकिन हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय उद्योगों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। केवल उद्योगों द्वारा ही देश समृद्ध हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि आज उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है और यदि उन्हें प्रोत्साहन न दिया गया तो स्थिति डांवा-डोल हो जायेगी। यह तो सोने का अंडा देने वाली हंसिनी है।

आज निगमित क्षेत्र पर सबसे अधिक कर हैं। उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिये ताकि वे कुछ पैसा बचाकर पुनः उद्योगों में लगा सकें। गत 25-30 वर्षों के दौरान यही हुआ है। निवेश संबंधी छूट तथा उस प्रयोजन के लिए उद्योग को दी गई दूसरी छूटों के सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि पहले आय कर की अधिकतम दर 72 प्रतिशत थी, इसे पिछले वर्ष घटा कर 66 प्रतिशत कर दिया गया है और इसके अच्छे परिणाम हुए हैं। यह भी कहा गया कि आय कर में और कमी की जाये ताकि इससे और अच्छे परिणाम प्राप्त हों। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के पैरा 29 में कहा है :

"बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 1981-82 में कर में भारी रियायत दिये जाने के बावजूद आयकर से 1444 करोड़ रु० के बजट अनुमानों के मुकाबले 1520 करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है।"

मुझे याद है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि अधिक कराधान ही काले धन के लिए जिम्मेदार है। यदि मेरे मित्र चाहते हैं कि काला धन समाप्त हो, यदि वह चाहते हैं कि काला धन पैदा न हो, तो उन्हें यह कहने की बजाय कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिये, यह कहना चाहिये कि कर प्रस्ताव सही हों। इसलिए, मेरा सुझाव है कि आय कर की अधिकतम दर 50 प्रतिशत रखी जानी चाहिये। मेरे मित्रों को इस बात का समर्थन करना चाहिए विशेष तौर पर जब कि वित्त मंत्री ने यह कहा है कि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उत्पादन बढ़ा है और उद्योगों ने भी सहयोग दिया है और इस बात को देखते हुए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की जांच करें कि निगमित क्षेत्र को किस प्रकार आवश्यक रियायतें दी जा सकती हैं।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि मेरी राय में पूंजीगत लाभ के प्रश्न पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जब कि व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अपना मकान बेचना चाहता है। यदि वह पूंजीगत लाभ कर से बचना चाहता है तो उसे राशि 7 वर्षों के लिए 7½ प्रतिशत ब्याज पर बैंक में जमा करानी होगी। उसे किसी कार्य विशेष के लिए पैसे की आवश्यकता है लेकिन वह उस कार्य के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता अथवा, वह कोई कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये अपना मकान बेचता है तो वह पूंजीगत लाभ संबंधी रियायत नहीं ले सकता। आपने कतिपय रियायतें प्रदान करने की व्यवस्था की है बशर्ते धन का उपयोग एक विशेष ढंग से किया जाये। जब तक किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तुरन्त धन की

आवश्यकता नहीं होती तब तक वह अपने आभूषण, मकान या कोई अन्य परिसम्पत्ति नहीं बेचता। परन्तु यदि वह उस राशि का इस्तेमाल उस प्रयोजनार्थ नहीं कर सकता जिसके लिए उसने अपने मकान या किसी अन्य परिसम्पत्ति को बेचा है तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मेरा निवेदन है कि पूंजीगत लाभ करके उस ढांचे की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। और यदि इस कर को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कुछ समय पूर्व दी जा रही रियायत की पुनरीक्षा की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत प्राप्त राशि को तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करना होता है। यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि किसी व्यक्ति से उसके धन को सात वर्ष की लम्बी अवधि के लिए जमा कराने के लिये कहना, और वह भी 7.5 प्रतिशत की रियायती दर पर, अनुचित होगा।

महोदय, इस उत्पादकता वर्ष में आप लोगों को अधिक उत्पादन के लिये निवेश करने हेतु आगे आने नहीं दे रहे हैं। निवेश हेतु पूंजी या तो बैंकों से प्राप्त होती है या व्यक्ति विशेष स्वयं निवेश करता है। और यदि वह स्वयं पूंजी निवेश करता है तो अपनी परिसम्पत्तियों को बेचता है। यदि उसे अपनी परिसम्पत्तियां ही उपलब्ध न हों तो शायद वह ऐच्छिक उद्योग नहीं लगा सकता।

श्री सुनील मैत्रा : वह सरकार से धन लेता है और उसका अपव्यय करता है।

श्री भीकू राम जैन : ऐसे मित्रों की सलाह से जो ऐसा चाहते हैं।

धन का अपव्यय करना कुछ भिन्न बात है। मैं ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में पूंजी निवेश करना चाहते हैं न कि उनके बारे में जो धन का अपव्यय करते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : पूंजीपतियों को सरकार से धन प्राप्त होता है। वे अपनी परिसम्पत्तियों को नहीं बेचते।

श्री भीकू राम जैन : सरकार तब तक पैसा नहीं देती जब तक कि आपके पास अपना 20 प्रतिशत अथवा 15% पैसा न हो। सरकार तभी पैसा देती है जब आपके पास भी अपना पैसा हो। राजनीतिक व्यक्ति पैसा ले सकते हैं जैसा कि आप अभी-अभी मुझे बता रहे थे। आप पैसा ले सकते हैं किन्तु उद्योगपति नहीं।

श्रीमान्जी, आयकर में एक धारा है जिसके अन्तर्गत अचल सम्पति को बेचने के लिए अर्जन नोटिस भेजे जाते हैं। मैं हर पन्दरहवें दिन राजपत्र प्राप्त करता हूं जो इतना ही मोटा होता है जितना कि यह। सम्भवत, देश भर में होने वाले सभी सौदों के लिए 1500 नोटिस भेजे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में, हो सकता है 1½ लाख अथवा 2 लाख ऐसे नोटिस भेजे गए हों। उनमें से अर्जन के केवल 10 मामले हुए। और उन 10 में से, लगभग 6 अथवा 7 न्यायालय में हैं। अन्य 3 जो अर्जित किए गए, कोई नहीं जानता कि उन सम्पत्तियों का क्या हुआ। श्रीमान् जी, इस बारे में मैंने सदन में ही एक प्रश्न पूछा था और उन 3 भवनों के प्रयोग के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि उन भवनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। इस सब का क्या अर्थ है? यह एक उत्पीड़न है और भ्रष्टाचार का एक साधन है। मैं नहीं जानता कि क्या इससे सरकार को कोई

लाभ हो रहा है। आप अच्छी प्रकार से यह अंन्दाजा लगा सकते हैं कि आजकल 25,000 रु० की सम्पत्ति का मूल्य क्या है। अतः कोई भी सम्पत्ति जिसका मूल्य 25000 रु. से अधिक है, इस तथ्य के बावजूद प्रत्येक मामले में एक नोटिस जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी अब तक हुई चोरी-छिपे लेन-देन के बारे में जानता है। और अब तक कुछ भी साबित नहीं हो सका। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं है तो वे इतना भारी काम क्यों कर रहे हैं और इसके कार्यालय भारत भर में क्यों बनाये गए हैं। आप नोटिस जारी कर रहे हैं। विशेष उद्देश्य के लिए आपके पास बड़े कार्यालय हैं। क्या यह आय-कर से सम्बन्धित नहीं है ? और उपयोगिता के बारे में मैं ऊपर कह चुका हूं, निस्सन्देह यदि मेरी सूचना गलत नहीं है तो। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि वित्त मंत्री स्वयं यह महसूस न करें कि उन्हें इससे कुछ लाभ हो रहा है।

इसी प्रकार, मैं आयकर के बारे में कहूंगा। कनिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर आय-कर अधिकारियों, को दिए गए जुर्माने सम्बन्धी अधिकार की व्याख्या का दुरोपयोग हो रहा है। श्रीमान (क) के विरुद्ध जुर्माना 10% है; तो श्रीमान (ख) पर यह 90% लगाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा साधन है। इसलिए, जुर्माने की प्रणाली को सरल और सुस्पष्ट बनाने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मेरा विश्वास है कि इसमें निर्धारितियों के लिए समस्याओं का अम्बार खड़ा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा।

वित्त मंत्री ने 60,000 रु० और 70,000 रु० के बीच तथा 85.000 रु० से 1 लाख रु० तक की आय पर 2½% कर बढ़ाया है। इससे आय 3 करोड़ रु० के लगभग आय होगी। देश में आय कर राजस्व कुल राजस्व का मुश्किल से दो प्रतिशत है जो कुल राजस्व में समुद्र में एक बूंद के समान है। और प्रत्येक रियायत दिए जाने के बाद भी आपको केवल 2.5 प्रतिशत अथवा 3 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होती है। यह मुझे कुछ उचित नहीं लगता विशेष कर तब जब मैं यह कहता हूं कि आप उन लोगों को प्रोत्साहन दें, जो रोजगार में निवेश करके अवसर बढ़ाना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है कि रोजगार के अवसर बढ़ाये जाएं इसलिए, मैं उनसे इसकी जांच करने का और यह देखने का अनुरोध करूंगा कि क्या वह इस मामले में कुछ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री भोकू राम जैन : महोदय, मैं मुश्किल से 7 मिनट बोला हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमानजी, वह अब तक केवल 5 मिनट ही बोले हैं और वह 5 मिनट और बोलेंगे।

श्री भोकू राम जैन : श्रीमानजी, अधिकतर समय यह सज्जन टोका-टोकी करते रहे हैं। वह वित्त में विशेषज्ञ हैं। श्रीमानजी, वह कहते हैं कि वह चुप बैठे हैं किन्तु अभी भी वह बोल रहे हैं।

श्रीमान जी, भारत में काले धन के बारे में इस सदन में तथा अन्य स्थानों पर काफी कुछ बोला गया है। मैं यह कहूंगा कि इस तथाकथित काले धन ने एक समानांतर अर्थ व्यवस्था बना दी है। यह सिलसिला 1945 से शुरू हुआ है। ऐसा विभिन्न नियन्त्रण उपायों, अतिरिक्त कर भार

और अन्य कारणों से हुआ जिनके बारे में मैं इस समय बोलना नहीं चाहता। किन्तु समानांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले-धन का मुख्य-कारण बिक्री-कर है। ऐसी चर्चा थी कि 5 मदों को बिक्री कर की सूची से हटाया जा रहा है और यह कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगेगा। मैं नहीं जानता कि बजट आंकड़ों में इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है क्योंकि उन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से कोई राजस्व आय नहीं है और न ही राज्यों को कोई अदायगी की गई है। राज्यों का उत्सुक होना स्वाभाविक है, और वे ठीक भी हैं कि जो कुछ वे बिक्री-कर के माध्यम से ले रहे हैं क्या उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिपूर्ति की जायेगी ? अन्यथा उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी क्योंकि उनकी आय का 57% भाग बिक्री-कर से आता है। बिक्री कर एक घृणित शुल्क है। यह भारत में सम्पूर्ण प्रणाली को बदनाम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पाने वाले अथवा देने वाले के स्तर पर नहीं है। मैंने अभी तक कोई बिक्री कर अधिकारी अथवा कर्मचारी ईमानदार नहीं देखा और न ही उनसे सम्बन्ध रखने वाला कोई व्यापारी ही ईमानदार देखा है अतः यह राष्ट्रीय चरित्र को गिराने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हमें एक न एक दिन देश से बिक्री कर को समाप्त करने का निर्णय लेना ही होगा। मैं यह नहीं कहता कि 3,000 करोड़ प्रति वर्ष की बिक्री कर की राशि छोड़ दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि 3,000 करोड़ रु० से भी अधिक राशि वसूल की जा सकती है। यह 4,000 करोड़ रु० अथवा 5,000 करोड़ रु० हो किन्तु बिक्री कर के माध्यम से नहीं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जहां यहां तक कि बिक्री-कर आयुक्त अथवा अधिकारी व्यापारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कैश-मीमो अथवा बिल क्यों बनाते हो। बिक्री कर को गोल करो। इसी प्रकार अन्य लोग हैं, जो यह करते हैं। हो सकता है मेरे जैसा आदमी ऐसा करे क्योंकि आखिरकार हम आदमी ही हैं। मैं इस बारे में प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इसमें काफी रुचि ली है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया। चार को छोड़कर शेष सभी ने स्वीकार कर लिया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से चाहे उनका किसी भी दल से सम्बन्ध हो, यह पूछूंगा कि वे यह मानते हैं कि बिक्री-कर ही सम्पूर्ण राष्ट्रीय चरित्र को गिराने के लिए उत्तरदायी है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : स्वीकार है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) स्वीकार नहीं है।

श्री भीकू राम जैन : मैं जानता हूं कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला···

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्योंकि यह राज्यों का अधिकार है।

श्री भीकू राम जैन : यह राज्यों का ही अधिकार नहीं है; अपितु यह राज्यों का सरंक्षण है और यह अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए आदमी को निचोड़ रहा है। यदि यह जारी रहा तो यह निश्चित है कि बिक्री कर आदमी को निचोड़ने के लिए प्रयोग होता रहा है और होता रहेगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह सब इस देश में चरित्र को गिराने के लिए उत्तर-दायी है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से सम्मानपूर्वक यह कहता हूं कि जो कुछ भी प्रयास वह कर रहे हैं उन्हें इसे समाप्त करने में थोड़ा और प्रयास करना चाहिए।

श्रीमान् जी, अब मैं दिल्ली के बारे में केवल एक मिनट बोलूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपको 90% समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस (ई) इसको समाप्त करना चाहती है। जनता पार्टी इसको समाप्त करना चाहती है। भा० ज० पा० इसको समाप्त करना चाहती है, लोक दल इसको समाप्त करना चाहता है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री भीकू राम जैन : श्रीमान वित्त मंत्री जी, क्या महत्त्वपूर्ण रहस्योद्घाटन हुआ है ! कम्यूनिस्ट (भा) दल को छोड़कर शेष सभी दल ऐसा चाहते हैं। क्या आप इसकी ओर ध्यान देंगे ?

मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूं। दिल्ली के लिए योजना परिव्यय 200 करोड़ रु० हैं ; और आपने दिल्ली को विशेष दरजा दे रखा है। महानगर परिषद् अथवा निगम को छोड़कर, यहां कोई विधानमण्डल नहीं है और न ही कोई जनप्रतिनिधित्व है।

मैं राजनीति की बात नहीं करता। मैं प्रशासनिक मामलों के बारे में बोल रहा हूं। जब तक कि दिल्ली को पर्याप्त पैसा नहीं दिया जायेगा, क्योंकि इसका लोकप्रिय प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके पास विकास के लिए कोई पैसा नहीं होगा।

श्री सतीश अग्रवाल : तब आप दिल्ली में चुनावों के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री भीकू राम जैन : चुनाव आज की चर्चा का विषय नहीं है और आप यह जानते हैं कि महानगर परिषद् स्वयं अपना बजट नहीं बना सकती और इसके पास कर लगाने अथवा फंड बढ़ाने की कोई शक्ति भी नहीं है। चुनाव हों अथवा न हों, दिल्ली को अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। अतः दिल्ली का मामला केन्द्र की विशेष जिम्मेदारियों में से एक है अर्थात इसके लिए पैसा जुटाना केन्द्र का काम है। मैं समझता हूं कि 200 करोड़ रु० का पूंजी परिव्यय दिल्ली के लिए कतई पर्याप्त नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप 200 करोड़ रु० एशियाई खेलों के भी जोड़ लें।

श्री भीकू राम जैन : एशियाई खेल दिल्ली का मामला नहीं है। कल आप यह भी कहेंगे कि यह सदन ही दिल्ली है। निस्सन्देह, हमें दिल्ली में इस सदन के होने का गर्व है, किन्तु यह एक अलग मामला है। मेरा सुझाव यह है कि पुरानी दिल्ली में अब भी गन्दी बस्तियां हैं और पानी तथा बिजली की सप्लाई खराब है और सड़कों की हालत भी यही है, सब कुछ पैसे की कमी के कारण है। इसलिए थोड़ा अधिक परिव्यय जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसका ख्याल रखेंगे।

दिल्ली को शुष्क बंदरगाह बनाने का भी एक सुझाव था। उत्तरी भारत के व्यापारियों को बम्बई और कलकत्ता जाना पड़ता है क्यों कि यहां आयात और निर्यात की कोई सुविधा नहीं है। आप कलकत्ता की परिस्थितियों के बारे में जानते ही हैं। पत्तन के लोगों को 101 सलाम मारने पड़ते हैं और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। बम्बई में भी पत्तन से माल की निकासी के लिए काफी भारी खर्चा करना पड़ता है। सम्पूर्ण उत्तर भारत के लाभ के लिए दिल्ली को शुष्क पत्तन बनाने का प्रश्न पिछले 15 वर्ष से लटक रहा है। और दिल्ली के हस्तशिल्प और उद्योग यहां शुष्क पत्तन न होने के कारण काफी हानि उठा रहे हैं। अतः दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाने की दिशा में कोई कदम उठा लिया जाना चाहिए ; इसलिए मैं, यह कहूंगा कि इस मामले पर अब विचार किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण मलिक (जगत सिंहपुर) : महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद यह दूसरा बजट पेश किया गया है। वर्तमान बजट में उठाये गये कदमों का जनता ने व्यापक रूप से स्वागत किया है, हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री द्वारा पेश किये जाने वाला भी यह पहला बजट है, दूरगामी प्रभाव वाले इस बजट को पेश करने के लिए, वित्त मन्त्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

वर्तमान बजट का बड़ा महत्व है। 14 जनवरी, 1982 को नये 20-सूत्री कार्यक्रम को पेश और शुरू करने के लिए मैं अपनी आदरणीय और प्रिय प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम पहले-पहल 1975 में पेश किया गया। इस बात के बावजूद कि इसे धक्का लगा और कांग्रेस सरकार सत्ता से हटी, मूल 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुईं और प्रगति हुई।

नये बीस-सूत्री कार्यक्रम में इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं। जैसा कि नये 20 सूत्री कार्यक्रम को घोषित करने के समय प्रधानमन्त्री ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, और यह कि हम चाहें तो इन सुधारों को कायम रखते हुए लाखों लोगों पर बोझ कम कर सकते हैं, हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों के लिए यह वरदान सिद्ध होगा।

यह खुशी की बात है कि वर्तमान बजट में नये 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया है और उसके अनुसार प्राविधान किये गये हैं।

जब हम बजट पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि इसमें सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए गए हैं.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, सदन में कोरम नहीं है। इतने महत्वपूर्ण मामले पर हम, बिना कोरम के कैसे विचार-विमर्श कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम नहीं है। कोरम की घंटी बजाई जाय.....अब सदन में कोरम पूरा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी करें।

श्री लक्ष्मण मलिक : जब हम बजट पर नजर डालते हैं, तो पता चलता है कि इसमें सामाजिक परिवर्तन की भावना विद्यमान है और इसमें समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष लाभ पहुंचाने की दिशा में ईमानदारी की झलक मिलती है।

मैं बजट की मूल नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। आर्थिक क्षेत्र में विश्व आज काफी मुश्किल समय में गुजर रहा है। मुद्रास्फीति और दामों का बढ़ना एक विश्वव्यापी समस्या है। अनुमानित विकास भी एकसमान नहीं है।

क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है। यह असंतुलन न केवल राज्यों के बीच है, बल्कि वर्गों के बीच भी है। रोजाना आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है, जिससे लोगों में असन्तोष फैल रहा है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वे बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का समर्थन करें।

मुझे खुशी है कि कमजोर वर्गों खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की आर्थिक-दशा को सुधारने में मदद मिलेगी। हरिजनों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहूंगा। विभिन्न राज्यों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं तथा उनकी हत्या की जा रही है। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, यह हम सबके लिए और भी शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्ष बाद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं या देखने में आती हैं। गरीब परिवारों व हरिजनों की हत्या की जा रही है। मैं किसी पार्टी या संगठन विशेष को इनकी हत्या के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता। लेकिन समाज के इन दलित वर्गों के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सबकी है। भारत सरकार को उनको समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। उनकी सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा बलों की स्थापना की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो इनमें भर्ती भी हरिजनों में से ही की जाए और उन्हें हरिजन गांवों में तैनात किया जाए।

यह अनुसूचित जाति के लोग बहुत गरीब हैं; इनकी अस्थायी वित्तीय दशा से इनका मनोबल टूट रहा है। कुछ हरिजन परिवार शोषकों के शिकार हुए हैं। उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है। उनको जबरन धर्म परिवर्तन से बचाया जाना चाहिए।

जैसा कि वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि 1982-83 में सिंचाई, कृषि, और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में 1981-82 की तुलना में ज्यादा धनराशि रखी गई है।

श्री हरिनाथ मिश्र (पीठासीन) : योजना परिव्यय को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 1981-82 बजट की तुलना में इस वर्ष केन्द्रीय योजना में 27.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी वास्तव में बहुत ज्यादा है और इससे नये कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्रधान मन्त्री ने नये 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली और कृषि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है। भारी उद्योगों के क्षेत्र में विशाखापत्तनम और विजय नगर इस्पात कारखाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा उड़ीसा ऐलुमिनियम परियोजना के लिए 140 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छा कदम है और जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, इससे उड़ीसा के उस पिछड़े हुए क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा जिसमें अधिकांशतः आदिवासी जनसंख्या है।

जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि, कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

कुछ राज्यों में अधिकतम सीमा से अधिक पड़ी फालतू सरकारी भूमि को हरिजनों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों में बांटी गई है। लेकिन अपनी खस्ता आर्थिक स्थिति के कारण वे इस भूमि का विकास नहीं कर सके। मेरा सुझाव है कि मकान बनाने आदि के लिए, भूमि विकास में केन्द्र को मदद देनी चाहिए। जैसी कि आवास स्थलों के बारे में की जाती है। कृषि मंत्रालय को गरीब लोगों, जिन्हें भूमि वितरित की गई है, इनकी समस्याओं की ओर भी ध्यान

देना चाहिए। इन लोगों में से काफी लोगों को अभी तक भूमि सौंपी नहीं गई है। शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि समाज का समृद्ध वर्ग उन गरीब लोगों को भूमि का दखल लेने में बाधा डाल रहा है। यहां तक कि जमींदार और बड़े काश्तकार इन गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं जो कि न्याय के लिए न्यायालयों में नहीं जा सकते। प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि इन गरीब लोगों को तंग किए जाने से रोका जा सके।

यह भी बताया गया है कि बंदोबस्त प्राधिकारी और चक्कबंदी प्राधिकारी इन गरीब लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित दर दुकानों और अन्य छोटी सरकारी व्यापारिक संस्थाओं का अपना निर्धारित कोटा नहीं मिल रहा है। मुझे खुशी है कि, कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवार नियोजन, आई० आर० डी० पी० एन० आर० ई० पी० आर० एल० और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचेगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। निचले स्तर पर, यहां तक कि खण्ड स्तर पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख या समीक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन पहलुओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को निदेश दे कि वे उपयुक्त कार्यवाही करें।

हमारी प्रधान मंत्री वन रक्षण पर जोर देती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्यों में पेड़ों का कटना अभी भी जारी है। केन्द्र को राज्य सरकारों को निदेश देना चाहिए कि बेकार में पेड़ काटने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। वृक्षारोपण कार्यक्रम को मुस्तैदी से लागू किया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं सिर्फ एक-दो मिनट और लूंगा। जहां तक नये करों का सम्बन्ध है, उनमें भी जनसाधारण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। खनिज तेल, पैट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सहायक शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है, अमोनिया, नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी। आम इस्तेमाल की चीजें जिन्हें धनीवर्ग ज्यादा इस्तेमाल करता है, या होती हैं उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है। इन सभी उपायों से बीस-सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

इस विषय पर बोलते हुए, मैं कुछ शब्द अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के बारे में कहना चाहूंगा। रेल बजट, पहले ही पेश किया जा चुका है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, हमें खुशी है कि बासपानी-जाक्केपुरा और कोढ़ापुट-रायगाढ़ा रेल लाइनों के लिए कुछ प्राविधान किया गया है। लेकिन उड़ीसा में जिस मांग पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है, अर्थात तलचर-सम्भलपुर रेल लाइन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि पारादीप पत्तन देश का प्रमुख पत्तन है। इस पत्तन का शिलान्यास

जनवरी, 1963 में, मास्टर-प्लान के साथ पं० जवाहर लाल नेहरू ने किया था। दो दशक बीत जाने के बाद भी पारादीप मास्टर प्लान पर अधिकांश काम अभी नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि पारादीप पत्तन की विभिन्न समस्याओं की भारत सरकार अच्छी प्रकार से जांच करे।

अन्त में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पारादीप पत्तन में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के भारत सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इस फैसले को इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाना चाहिए।

वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिए जाने के लिए, श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुक्तुपुजा) : महोदय, मैं एक क्षेत्रीय दल से सम्बन्ध रखता हूं और मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। केरल के लिए योजनागत आवंटन बहुत कम है। केरल उद्योगों और रेलवे के विकास में पूर्णतया पिछड़ा हुआ है। आयात और निर्यात के मामले में भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। कृषि के लिए, केरल के लिए आवंटित निधियां नहीं के बराबर हैं। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। कोकोनट बोर्ड तथा अन्य बोर्डों के लिए आवंटन बहुत ही कम है। हम नकद फसलों को अधिक महत्व दे रहे हैं, लेकिन बजट में दी गई धनराशि बहुत ही कम है। केरल में कोई नई रेलवे लाइन बिछाने का काम हाथ में नहीं लिया गया है। हम दिल्ली से बहुत दूर हैं। केवल केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास फालतू बिजली है लेकिन वहां किसी भी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। केरल भारत में बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन फिर भी केरल में किसी भी रेलवे लाइन को दोहरी (डबल) करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। मेरा वित्तमंत्री से अनुरोध है कि वे रेलवे के विकास के लिए केरल को अधिक धनराशि का आवंटन करें।

हम विश्व के अन्य भागों में मानव शक्ति का निर्यात कर रहे हैं और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश उद्योगों के मामले में हमारे राज्य की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है। हमारे राज्य में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग शुरू नहीं किया गया है। केरल में कोको का परिष्करण करने वाला कोई उद्योग नहीं है जबकि केरल में कोको का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यदि केन्द्र सरकार केरल में कोको का कारखाना स्थापित करने में रुचि लेती है, तो इससे हमारे गरीब किसानों को काफी सहायता मिलेगी। केरल में सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

खोपरे के तेल, खोपरा, रबड़, कोको, दालचीनी, लौंग और अन्य कृषि उत्पादों के निर्बाध आयात के कारण केरल की कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गई है। यदि यह आयात जारी रहा तो केरल का भविष्य अन्धकारमय ही नजर आता है। केरल दिल्ली से बहुत दूर है और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी पूर्णतया उपेक्षा की गई है। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह हमारे लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करे और इन कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए। केरल अपनी उष्णकटिबन्धीय जलवायु के कारण ऐसी फसलें उगा सकता है जो उत्तरी भारत में नहीं उगाई जा सकती। इसलिए मेरा वित्तमंत्री से अनुरोध है कि वे हमें अधिक धनराशि आवंटित करें

और कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाएं। खोपरे का तेल जो कभी बहुत ही मंहगा तेल था लेकिन अब इसके मूल्य गिर गए हैं क्योंकि इसका आयात किया जा रहा है और हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। केरल के 30 लाख से भी अधिक किसान कोकोनट की खेती कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बारे में उदार रुख अपनाएं और अधिक कारखाने लगाएं। केरल में अधिक रेलवे लाइन बिछवाएं और साथ ही कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाएं। हम दिल्ली से बहुत दूर हैं। पंजाब में खालिस्तान आन्दोलन चला हुआ है। असम में भी आन्दोलन चल रहा है।

सभापति महोदय : आप कहते हैं कि आप दिल्ली से बहुत दूर हैं। यदि आप सचिवालय जाएं तो आप वहां उस हिसाब से केरलवासियों की संख्या अन्य लोगों से अधिक पाएंगे।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : इसका कारण हम अधिक पढ़े-लिखे हैं। इसीलिए हमारे लोग न केवल दिल्ली में बल्कि विदेशों में भी काम करते हैं।

सभापति महोदय : जब आपने यह कहा कि आपके यहां फालतू बिजली है तो मैं कहना चाहता था कि आप के पास कुशल मानव शक्ति का भी आधिक्य है जिसका आप अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : हमारे क्षेत्र में कोई भारी उद्योग नहीं है। इसलिए हम जितनी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं केवल आपको उत्साहित करना चाहता था।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : दुर्भाग्यवश, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हमारा हिस्सा बहुत ही कम तथा नहीं के बराबर है। हम जिन नकद उत्पादों का उत्पादन करते हैं आप उन सभी का आयात कर रहे हैं। इसीलिए केरल की कृषि अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई है। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो हमें भी केन्द्र सरकार के खिलाफ कोई आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा। देश की एकता के लिए मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि आप केरल के गरीब लोगों के ऊपर और अधिक ध्यान दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों पर हमारे गणतंत्र की नींव रखी गई थी। यह सोचा गया था कि यहां पर एक शोषण-विहीन और श्रेणी-विहीन समाज बनेगा, सच्चे मानों में हर इन्सान की हुकूमत हो जाएगी और बजट बनाने में केवल हमारे वित्त मंत्री का ही हाथ नहीं होगा, बल्कि देश के 70 करोड़ लोगों का हाथ होगा। बजट से तभी कोई लाभ हो सकता है, जबकि देश के 70 करोड़ लोगों के अरमानों को उसमें लाया जाये। आज स्थिति यह है कि एक तरफ ऐश्वर्य के सब साधन उपलब्ध हैं और दूसरी तरफ अनाज के एक ग्रास के लिए तरसता हुआ इन्सान है। एक तरफ विशाल पैमाने पर गरीबी है और दूसरी तरफ काले धन का अम्बार है।

सभापति महोदय : आप गद्य में पद्य का समावेश कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके पद-चिह्नों पर चल रहा हूं।

इस विषमता में कमी नहीं हो पाई है। भले ही हमारी राष्ट्रीय आय कुछ बढ़ गई, हमारा ग्रास नेशनल प्राडक्ट कुछ गढ़ गया, परन्तु हुआ क्या उसका ? ज्यादा खर्च अनुत्पादक कामों में हुआ और हमारा खर्चा बढ़ गया। प्रशासन का खर्चा बढ़ गया लेकिन उसकी तुलना में हम अपना विकास नहीं कर पाए।

केन्द्रीय सरकार के सम्मिलित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1960-61 में 1896 करोड़ रु० था 1970-71 में बढ़कर 5673 करोड़ रुपए हो गया तथा वर्ष 1980-81 में उससे भी बढ़कर 22,808 करोड़ रुपए हो गया। दो दशकों की अवधि में केन्द्रीय सरकार का खर्च 12 गुना बढ़ गया है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह 13 प्रतिशत से बढ़कर 18.7 प्रतिशत हो गया है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1981-82 में यह खर्च 24,871 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अपरिहार्य रूप से घाटे के वित्तपोषण की स्थिति पैदा हो गई है।

इस प्रकार से यह ओवरड्राफ्ट क्यों बढ़ते हैं ? जितना धन अर्जित कर सकते उससे अधिक खर्च कर देते हैं और इस तरह से ओवरड्राफ्ट हो जाता है। आज तमाम राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किए हुए हैं। सीमित साधनों में राज्य अपने को चला नहीं सकते इसलिए ओवरड्राफ्ट होते हैं।

यह इतने बड़े-बड़े बजट हमारे सामने पेश किए जाते हैं लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं ? हम देखते हैं कि बेकारी और मंहगाई तेजी के साथ बढ़ रही है और गरीब आदमी उसमें पिस रहा है। हम देखते हैं कि गरीब आदमी की झोंपड़ी में ज्यादा सूराख हो गए हैं और धनवान की इमारत और ज्यादा मजबूत हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के पीछे जो आपकी नीति है उसमें केवल जोड़-बाकी का ही सवाल नहीं है। इसमें केवल आंकड़े की ही बात नहीं है जोकि एयरकण्डीशण्ड कमरो में बैठ कर बना दिए जाते हैं। मैं समझता हूं आपको जमीन पर उतर कर देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है।

मैंने एक क्वैश्चन किया था कि देश में बेकारी किस प्रकार बढ़ रही है तो उसका जो उत्तर दिया गया, यानी जो सरकार की फीगर्स हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार के लाइव रजिस्टर के हिसाब से 1980 में 1 करोड़ 43 लाख बेकार थे। एक साल के बाद यह फीगर 1 करोड़ 52 लाख पर पहुंच गई। यह तो जनवरी तक हुई और उसके बाद जून में यह फीगर 1 करोड़ 55 लाख हो गई। यह तो जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से यह फीगर है लेकिन वास्तव में देश में जो बेकारी बढ़ी है वह एक अभिशाप है। आज देश की जो मैन-पावर है, जो कि इस देश की दौलत है, वह वेस्ट हो रही है। तो इस प्रकार की जो विषम समस्या हमारे देश के सामने है, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं ?

फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं कि हम कल्याण-कारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, आप बड़े अच्छे स्वप्न दिखाते हैं। आप कल्याणकारी राज्य में ज्यादा लोगों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं और इसके लिए आप गरीब लोगों का नाम लेते हैं। गरीब लोगों का नाम लेना अपराध है अगर बार-बार उनका नाम लेकर उसकी

आड़ में उनके लिए कोई काम न किया जाए। आज मुझे पता नहीं लद्दाख में लोग क्यों खड़े हो गए हैं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसका कारण है आर्थिक विषमता और उनकी दयनीय आर्थिक हालत। काश्मीर में राज करने वाले लोगों को उन्होंने सैकेंड सिटीजन समझा। झारखण्ड में लोग क्यों खड़े हुए, हरिजनों पर अत्याचार क्यों होने लगा है—इन कारणों में हमें बहुत गहराई से जाना होगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, देश में एक दिन आन्दोलन होगा और क्रान्ति आएगी।

श्री चित्त बसु : आप उसमें शामिल होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्या होऊंगा, दुनिया शामिल होगी। कोई उससे बच नहीं सकता है। दलदल में हाथी नहीं चल सकता है। दलदल में हाथी फंस जाएगा, चाहे कितना ही मोटा हाथी क्यों न हो। मैं या आप उससे बच नहीं सकते हैं। हमें जो यह विशाल पैमाने पर फैली हुई आवाजें हैं, उनको देखना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ है कि :

"कल्याण की धनराशि के गबन को कैसे रोका जाए ?"

केन्द्र सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय की नियुक्ति की है कि क्या कमजोर वर्गों के लाभार्थ जुटाए गए सभी वित्तीय लाभ वास्तव में उन तक पहुंच रहे हैं·····यह आलोचना की गई है कि गरीब लोगों को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए प्रवंचकों द्वारा पहले ही हड़पे जा चुके हैं·····।

उन्होंने अनेक मामलों के उदाहरण दिए हैं जो अभी भी न्यायालयों में निलम्बित पड़े हैं। हजारों अपराधी कर्मचारियों को पहले ही दण्ड दिया जा चुका है। जांच-पड़ताल से पता चला है कि लगभग 11 करोड़ रु० की धनराशि का गबन किया गया है और वास्तव में लगभग 3 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं। पंजाब के मामले में भी ऐसी ही बात है।"

यह किसी को पता नहीं है कि दौलत किस प्रकार कहां जाती है। केन्द्रीय सरकार किसी भी कार्यक्रम में यदि एक रुपया भी लगाती है, तो तीन आने भी देश के किसानों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर देती है। पंजाब के अन्दर।

उन्होंने आगे कहा कि "ज्यादातर धनराशि बड़े जमींदारों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के पास गई है।"

हमने बड़े-बड़े काश्तकारों की बात की, छोटे काश्तकारों की बात की, लैंड फार्मर्स की बात की। हम लोग बातें कर रहे थे कि इस देश में जमाखोर, काला-बाजार करने वाले लोग राज करेंगे। इन भ्रष्ट लोगों को निकटतम लैम्पपोस्ट पर टांग दिया जायेगा।

सभापति महोदय : अहिंसात्मक रूप से।

श्री मूलचन्द डागा : आप बिहार की भूमि से आए हैं। वहां बड़े-बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। जब मैं पढ़ता था, तो हम लोग श्री नेहरू और श्री सुभाष के मुंह से सुनते थे कि इस देश में लोग काला

बाजार और मुनाफाखोरी करेंगे। आज लोग कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार विश्व-भर में व्याप्त है।

श्री चित्त बसु : भ्रष्टाचार विश्व-भर में व्याप्त है?

श्री मूलचन्द डागा : आप बताइए, इस प्रकार यह कैसे अच्छा समाज बनेगा जिस समाज में नासूर लग गया है, रोग लग गया है—यह मुझे मालूम नहीं है।

बजट क्या है— पैसे की भाषा में हम अपनी नीति लिखते हैं। तीन-तीन बड़े-बड़े मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, जोकि बजट का अध्ययन करते हैं और बड़ी बारीकी से लिखते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यहां बैठकर बजट के बारे में मत लिखिए, गांवों में जाकर इस बजट को देखकर लिखिए। बजट लिखने का यह तरीका नहीं है·····

सभापति महोदय : गांव में बिजली नहीं मिलेगी।

श्री मूल चन्द डागा : बिजली की जरूरत नहीं है, वहां तो अन्धे मिलेंगे। एक साल में 90 हजार लोग अन्धे हो जाते हैं, इसलिए कि उनको 2400 कैलोरीज के मुताबिक खाना नहीं मिलता है। वहां उनका शोषण किया जाता है, उनका शोषण करके इमारत खड़ी की जाती है और वे शोषण करने वाले आगे बढ़ते हैं।

इनकी सारी मशीनरी का खर्चा कितना है, जरा उसको भी समझ लीजिए। इनके ही आंकड़ों से मुझे मालूम हुआ है—1979-80 में इनकी तनख्वाहें चुकाने पर 12,047 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1980-81 में 13,310 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इतना ही नहीं 72 करोड़ रुपया ओवर-टाइम पर खर्च हुआ। ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। जब श्री सी० सुब्रह्मण्यम यहां पर फाइ-नेन्स मिनिस्टर थे मैंने उनसे भी इसके लिये कहा था। उन्होंने कहा—"डागा साहब, मैं ओवर टाइम एलाउन्स को खत्म करके छोड़ूंगा," वह ओवरटाइम एलाउन्स आज 72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। ये लोग आफिसिज में क्या काम करते हैं—आप सब जानते हैं। हमारी प्रधान मंत्री, मैडम इन्दिरा गांधी खुद कहती हैं—इस मुल्क की क्या हालत है···

प्रधान मंत्री नौकरशाही को पुनर्गठित करने के पक्ष में हैं।

उनसे पहले नेहरू जी ने भी कहा था···

पंडित नेहरू ने नौकरशाही के गैर योजनागत विकास को एक प्रशासनिक जंगल के रूप में बताया है।

इस जंगल में ये घूमते हैं, कहीं आप भी न फंस जाएं, सांप-बिच्छू काट खायेंगे। कोई मजबूती से कदम उठाना नहीं चाहता, वही घिसा पिटा काम चलता रहता है·····

सभापति महोदय : आप समस्या का हल बतलाइये।

श्री मूलचन्द डागा : समस्या का हल है; यदि आप चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप की इच्छा मजबूत है तो सफलता मिल सकती है। आपका निश्चय यदि दृढ़ है तो काम होता है।

सभापति महोदय : आपका निश्चय तो दृढ़ है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा तो पूरा दृढ़ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं···

मैं नीचे दिनांक 29 अक्तूबर, 1980 के 'दि हिन्दू' से उद्धृत-अंश दे रहा हूं···

प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी आज की नौकरशाही की प्रतिभा के खराब स्तर के प्रति काफी चिन्तित हैं, समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस वरगद के पेड़ रूपी विस्तृत ढांचे में कोई आमूल चूल परिवर्तन किए बिना ही प्रशासनिक ढांचे में तुरन्त ही ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है कि कार्यनिष्पादन में सुधार आ सके।"

इसी प्रकार इस विषय पर काफी कुछ लिखा गया है।

मुझे दुख होता है, यह हालत इस मुल्क की है, जहां सारी मशीनरी की इतनी शाखाएं फैल गई हैं। मिनिस्टर कहता है कि फाइल लाओ। जवाब आता है कि फाइल तो प्रोसेस से आयेगी। मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है कि कहां क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : डागा साहब, आप ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं या मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आप दोनों को समझ लीजिए। जो मतलब चाहें निकाल लीजिए। एक बात कह दूं मिनिस्टरों और जन-प्रतिनिधियों को भी, मैं सब के लिए ऐसा नहीं कहता, कि सरकारी मशीनरी जो है, वह एक बैसाखी-सी बन गई है और जब ये बैसाखी बन जाते हैं तो ये लोग विकलांग बन जाते हैं और जो काम ये ले सकते हैं वह नहीं ले पाते। ऊपर से तैयार की हुई चीज आ गई और यहां पर स्टेटमेंट दे दिया। इसी कारण मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रश्न पूछे थे कि ब्लैक-मार्केटिंग को कैसे हटाया जा सकता है और इसके लिए मैंने 10 क्वेश्चन किए लेकिन जवाब वही का वही आता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप भिन्न जवाब की आशा करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जवाब चाहता हूं कि अमुक उपाय किए जा रहे हैं और हमने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है।

जब सवाल पूछते हैं, तो जवाब अलग-अलग सवालों का ऐसे दिया जाता है कि पेड़ जरूर बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा या फिर पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह के आन्सर देने से काम कब तक चलेगा और काम नहीं हो पाएगा। काला धन निकालने के लिए मैंने कहा था कि अगर इच्छा हो, तो यह निकल सकता है लेकिन इसका जवाब क्या आता है। आप अगर उनको सुनेंगे, आप बड़े अच्छे लोग हैं, तो यह पायेंगे कि एक पेटेन्ट जवाब है। सेक्रेटरी लिख देता है और स्टीरियो टाइप जवाब वह होता है। अपने हर बयान में वे उसी जवाब को दे देते हैं। मैं कभी उसको पढ़ता हूं, तो ऐसा मालूम होता है कि ये मंत्री लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत इनकी सरकारी मशीनरी करती है ? मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य होता है।

सभापति महोदय : खट्टे-मीठे, दोनों का मिश्रण है।

श्री मूलचन्द डागा : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, जब वे जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, उन्होंने जो रेप्लाई दिया था, वही अब भी चलता गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब सवाल वही होगा, तो जवाब दूसरा कैसे होगा ?

श्री मूलचन्द डागा : जी, हां । मैं यह पूछूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज आप की उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे कि इतनी उम्र है । 5 महीने के बाद पूछूं, तो भी यही कहेंगे कि इतनी उम्र है और 10 साल के बाद पूछूं, तो भी वही उम्र होगी । क्या ऐसा हो सकता है । प्रश्न किया गया था कि काले धन को हटाने के लिए क्या किया तो जवाब यह दिया गया था :

काले धन को हटाने तथा कर वंचकों की धर-पकड़ के लिए हाल के वर्षों में कानूनों तथा कर प्रशासन की मशीनरी को सुदृढ़ बना दिया गया है ।

श्री चित्त बसु : यह किस का जवाब है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल का जवाब है । इसके बाद श्री मगनभाई बारोट ने यह जवाब दिया था :

"सख्त उपाय किए जा रहे हैं ।"

सभापति महोदय : अग्रवाल साहब ने कब जवाब दिया था और बरोट साहब ने कब जवाब दिया था ?

श्री मूलचन्द डागा : बारोट साहब ने 1980 में जवाब दिया था और अग्रवाल साहब ने 1979 में जवाब दिया था और इसके बाद 1981 के अन्दर श्री वेंकटरामन ने यह जवाब दिया :

"सरकार का कर सम्बन्धी कानूनों के और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से काले धन की वृद्धि को रोकने का विचार है ।"

इस तरह से आप देखें कि किस तरह के जवाब दिए गए हैं । जोर-जोर से आवाज करते हैं कि ब्लैक-मार्केटिंग को खत्म कर देंगे और एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देंगे लेकिन चार साल के बाद, दो साल के बाद जब सवाल किया जाता है तो कह दिया जाता है—यह राज्य का विषय है ।

ब्लैक मार्केटिंग को कम करने का काम किस का है ? काला धन हमारे देश के लिए अभिशाप बन रहा है, यह देश के लिए कलंक है । यह जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, इसके कारण क्या हैं, यह मैं बताने की कोशिश करूंगा ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : छिपाना मत ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने छिपाना सीखा नहीं है । आर्टीकिल 19 संविधान की है । सच्ची बात छिपा कर आदमी जिन्दा नहीं रह सकता । मैं अपने मन की बात को छिपाऊंगा, तो मेरा मन क्या गवाही देगा ? मैं किसी बात को छिपाना नहीं जानता ।

आदरणीय मंत्री जी एक तो आपकी इनकम टैक्स की समरी असेसमेंट स्कीम है ।

सभापति महोदय (श्रीहरिनाथ मिश्र) : आप कौन-से मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : सभी का इससे सम्बन्ध है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि मैं किसी मंत्री का नाम बताऊं।

समरी असेसमेंट स्कीम के अन्तर्गत एक लाख रुपये तक जिसकी आमदनी होगी, उसका हिसाब नहीं देखा जाएगा। ऐसा क्यों है ? इस स्कीम के अन्तर्गत हजारों-लाखों टैक्स इवेजन करते हैं, बेईमानी का धन्धा करते हैं। किसी के नाम बिल्टी कटवा देते हैं। इस तरह से बहुत सारा टैक्स इवेजन इस स्कीम के नीचे होता है।

इसी तरह से आपका लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट है। उसमें भी बड़ा भारी धन्धा हो रहा है। वास्तव में कोई प्रापर्टी तीन लाख की है, लेकिन उसे 50 हजार रुपये का बेचा दिखाया जाता है। क्या आप यह बतायेंगे कि आपने इस ऐक्ट के बनने के बाद कितनी प्रापर्टी एक्वायर की है? आपने इस ऐक्ट में कौन-कौन सी प्रापर्टी अक्यायर कर ली है ? मैंने आपको कहा था कि यदि किसी मकान का वेल्युएशन करना है तो उस मकान को आक्शन पर चढ़ा दो। आपने कहा कि हम सी० पी० डब्यु० डी० के इंजीनियर लगायेंगे जो उसका वेल्युएशन करेंगे। वे उसका वेल्युएशन अपने घर में कर देंगे। ये जो ठेकेदार हमारे गुलाब के फूल हैं ये उनके फूलों पर बैठते हैं और उनसे मधु लेते हैं। मंत्री जी ने क्या किया ? उनको इस काम के लिए लगा दिया।

जब आपको समरी असेसमेंट से कोई लाभ नहीं होता है तो आपने रेड करनी शुरू कर दी। रेड के बारे में भी मैंने प्रश्न पूछा था कितनी प्रापर्टी रेड के बाद जप्त की गयी। किसी की रेड होने के बाद आपके पास पुलिस का इन्तजाम नहीं है। आपको मालूम है कि इनके इनकम टैक्स अधिकारी कश्मीर में मार खाकर आये। उनके साथ जबलपुर में क्या हुआ ? मेरे राज्य में क्या हुआ ? मेरे राज्य राजस्थान में इनकम टैक्स अफसर रेड करने गए। वहां उनकी आंखों में मिरचें डाल दी गयीं। अब वे बिचारे क्या करें ? जब आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह की कार्यवाही करता है तो उसके साथ ऐसा होता है।

सभापति महोदय : आप तो कागजात के जंगल में खो गए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया था कि आप यह बता दें कि रेड के अन्दर कितने टैक्स इवेजन का आपको पता चला। मैंने इनसे यह भी कहा था कि आप केवल दो काम कर दें। एक तो यह कि आपका पब्लिक सेक्टर में बीस हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। अगर उसमें से आपका दस परसेंट भी रिटर्न होता है तो आपको दो हजार करोड़ रुपया सालाना मिलता है। आपका पब्लिक सेक्टर कोई काम नहीं करता है। उसमें जो बीस हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी है उसका आप क्या करेंगे ?

मेरे यहां एक खेतड़ी प्रोजेक्ट राजस्थान में है। वह ताम्बे का प्रोजेक्ट है।

यह सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) का अठारहवां प्रतिवेदन है :

"परियोजना की जांच करने के बाद समिति को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि खेतड़ी परियोजना को 1972-73 से 1979-80 तक 71.86 करोड़ रु० की संचित हानि हुई है।"

एक खेतड़ी प्रोजेक्ट के अन्दर 78 करोड़ का घाटा है।

सभापति महोदय : क्या मेन्युफेक्चर होता है वहां पर ?

श्री मूलचन्द डागा : तांबे का काम होता है। इसमें इतना घाटा है, अगर आप सारे डिटेल्स देखेंगे तो पता चलेगा।

सभापति महोदय : सारे डीटेल में मत जाइए, अब कुछ समय पर भी ध्यान दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने देखा है कि किस प्रकार से खर्चा होता है। एन० डी० एम० सी० के अन्दर देखिए कि किस तरह से काम होता है और उनका परिणाम क्या निकलता है।

मैं टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें देखिए 1979 में एसेसमेंट के लिए केसेस थे 81892, इनमें से 38030 का डिसपोजल हुआ और 43862 बेलेंस बचे। इससे पता चलता है कि इन्कम टैक्स के केसेस का किस तरह से डिसपोजल होता है। 1980 में भी 46.43 प्रतिशत केसेस का डिसपोजल नहीं किया जा सका।

इसी तरह से देखिए कि 5 लाख से ऊपर के जो केसेस होते हैं, उनके बारे में क्या स्थिति है। 1970 में इस तरह के 8649 केसेस थे, डिसपोज किए गए 3281 और बेलेंस हैं 5368। मतलब यह है कि 37.93 परसेंट केसेस का डिसपोजल किया गया। 1980-81 में डिसपोजल केवल 38 परसेंट है। इन 5 लाख से ऊपर के केसेस का डिसपोजल क्यों नहीं हुआ, इसको आप देखिए। 31 जुलाई तक उन्हें अपना रिटर्न पेश करना होता है, लेकिन वे समय ले-लेकर मार्च तक आ जाते हैं और मार्च आने के बाद फिर कहते हैं कि जल्दी से एसेसमेंट कर दो। इसके बाद केस फिर री ओपन करना पड़ता है और 2-2 साल तक चलता रहता है। ये सारी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं।

इसी तरह से वैल्थ टैक्स को ले लीजिए। किस प्रकार से हम एसेसमेंट करते हैं और किस प्रकार से मुकदमे तय होते हैं। एस्टेट ड्यूटी को ले लीजिए। सारी स्थिति देखने से जाहिर है कि लाखों-करोड़ों रुपया लोगों के ऊपर बकाया है। कम्पनीज को आप देख लीजिए कि कितना टैक्स उन्होंने चुकाया है। कहा जाता है कि एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, क्या एडवांस पेमेंट कर दिया गया है ? कम्पनी वाले सारे तरीके जानते हैं। उनका चालान कहां होता है—फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास और कम्पनी वाले इतने धनी होते हैं कि उस मजिस्ट्रेट पर हावी हो जाते हैं। टैक्स इवेशन बहुत होता है। हिन्दुस्तान में अच्छे-अच्छे वकील हैं। ये मदद करते हैं। हजारों-लाखों लोग टैक्स नहीं देते हैं। अगर टैक्स इवेशन न हो और पब्लिक सैक्टर ठीक से काम करे तो आपको डिफिसिट बजट नहीं बनाना पड़ेगा। इंडायरेक्ट तरीके से आपको टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी इस तरह से नहीं लगानी पड़ेगी। ज्यादा इनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सरकार की यह बड़ी भारी कमजोरी है कि वह डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रही है। अमीर लोग कहते हैं हमें रिबेट दिया जाए, डिवेलेपमेंट फंड का पैसा दिया जाए, सबसिडी दी जाए। जितने फायदे उनको उठाने होते हैं उठा लेते हैं। सब चीजें वे डिक्टेट करते हैं। पूंजीपति, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राज नेताओं का एक अपवित्र गठबन्धन हो गया है। इसको सख्ती से तोड़ने की जरूरत है, इस पर हमला करने की जरूरत है। तभी यह टूट सकता है और काला धन बाहर आ सकता

है। लेकिन यह हो नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी लाबी बना रखी है। बहुत से आर्टिकल इसके बारे में छप चुके हैं। एक लेख यह है :

"पदाधिकारी तथा राजनेता दोनों मिलकर नियमों को तोड़ते-मरोड़ते हैं।"

इसके अन्दर लिखा गया है :

पिछले तीन दशकों के दौरान भारतीय नौकरशाही ने जानबूझकर राजनेताओं, बड़े औद्योगिक गृहों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ दृढ़ सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं।"

इस आर्टिकल को पढ़ने से मालूम होता है कि किस प्रकार ये अफसरों के घरों में जाते हैं शादी-ब्याहों के अवसर पर, त्यौहारों के अवसर पर और उनको किस प्रकार से तोहफे देते हैं। नतीजा यह है कि बिजिनैसमैन की दौलत बढ़ती चली जा रही है। यह कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं···

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा: मैं खत्म कर रहा हूं। यह जो टैक्स इवेशन है इसको आपको चैक करना चाहिये। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ ठीक से चलेगी, इसको आपको देखना चाहिये। सस्ता कपड़ा बनाने वाले कारखानों को आप देखें। डे टू डे उनके अन्दर एक-एक महीने में पांच-पांच करोड़ का नुकसान हो रहा है। जिससे टैक्स लेना है वह आप ले नहीं सकते हैं। इस तरह से कैसे काम चल सकता है। मैंने कई मीटिंगों में देखा है। अभी भी इनकम टैक्स आफिसर्स में फ्रस्ट्रेशन है, अशान्ति है। सबार्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी के जो मेरे प्रेडिसैसर थे उन्होंने कहा था कि इन्होंने ऐसे रूल बना रखे हैं कि आर्टिफिशल तरीके से भेद किया जा सके। इसका नतीजा यह है कि निष्ठावान और ईमानदार आदमी काम नहीं कर सकता है। एक आदमी तो 23 साल के बाद कमिशनर बनता है और एक दूसरा आदमी छः साल के बाद ही बना दिया जाता है। उन लोगों की बात भी आपको सुननी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि समय को पहचान कर बजट आप बनाएं। लोकतान्त्रिक समाजवाद हमने कायम करना है। समता, स्वतन्त्रता और न्याय के आदर्शों को हमने अपनाया है। उन आदर्शों की नींव पर ही गांधी के सपनों का समाज हम बनाना चाहते हैं। इस सब को देखते हुए हम को मितव्ययता लानी होगी, सादगी लानी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिये कि पांच साल तो हम ऐश और आराम करें और गरीब अपनी झोपड़ी में रोता रहे। बजट का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि उनसे लिया जाए जो देने की स्थिति में हो और इंडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा न लगाया जाए। सेल्ज़ टैक्स और आक्ट्राय को हटाने के बारे में दस साल से चिन्तन हो रहा है। चिन्तन करते-करते कहीं और कूड़ा न हो जाए। आप कह देते हैं कि चुंगीकर माफ कर देंगे। अखबारों में इस आशय की खबरें दे दी जाती हैं। जो काम सरकार अपने प्रयास से नहीं कर सकती है उसको वह बातों से कर लेती है। जो सरकारें केवल बोलती हैं और करती कुछ नहीं, उससे काम नहीं बनता। ऐक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। लेकिन आपके यहां वर्ड्स ज्यादा बोलते हैं। पता नहीं कब ऐक्शन्स ज्यादा होंगे ? इसलिये जो बजट बनना चाहिये उसमें हमारे 70 करोड़ लोगों का दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित होना चाहिये।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : बिरोधी पक्ष के मेरे मित्रों ने हमारी सरकार तथा हमारे वित्त मंत्री की आलोचना करने के लिए अवसर का लाभ उठाया है। इसका कारण यह है। चुनाव आ रहे हैं और अतएव···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कौन से चुनाव ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : राज्यों के चुनाव। अतएव, वे यह चाहते हैं···

प्रो० मधु दडण्वते : गढ़वाल के नहीं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : हमारी सरकार को जितना सम्भव हो बदनाम करने के लिए और अतएव, जैसा कि श्री वित्त बसु ने किया है। ऐसी कोई भी चीज को छोड़े बिना वे सभी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री तथा हमारी सरकार विदेशी एजेन्सियों के दबाव में है और इसलिए शर्तों के अन्तर्गत उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन उधार लिया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसा किसी विदेशी एजेन्सी के दबाव में आकर नहीं किया गया है लेकिन ऐसा छठी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं के कारण किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के कारण किया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वाह, वाह।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : जो निर्धारित की गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यही सब कुछ है ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : डा० स्वामी ने भाषण को नहीं पढ़ा है। उनके लाभ के लिए मैं बताता हूं। यहां यह कहा गया है कि—यह संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम का संदेश है। कार्यक्रम से उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जहां विशेष ध्यान दिया जाना है और जिनमें कार्य निष्पादन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : उसके बाद वित्त मंत्री जी ने यह कहा है :

"विभिन्न सैक्टरों के लिए आवंटन करते समय, मैंने गरीब लोगों के उत्थान के लिए, जिसका उल्लेख हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम में भी किया गया है, किए जाने वाले कार्यक्रमों पर अधिक वल देने का प्रयास किया है तथा मूलभूत ढांचे सम्बन्धी सैक्टरों की पूंजी निवेश सम्बन्धी आवश्यकता पर जोर देने की कोशिश की है।"

आगे वे कहते हैं :

"संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में ऐसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने की बात कही गई है, जोअर्थ-व्यवस्था के विकास तथा हमारे लोगों के कल्याण के लिए हैं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम का प्रभावशाली कार्यान्वयन सामाजिक न्याय के हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम आगे और बढ़ाने के समान होगा। इसमें सभी स्तरों पर संगठित प्रयास करने की बात कही गई है। वर्ष 1982-83 में 20-सूत्री कार्यक्रम में उल्लिखित अनेक क्षेत्रों के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है।"

और उन्होंने यहां सभी मुद्दों का जिक्र किया है तथा उन्होंने पूंजी निवेश में कैसे वृद्धि की है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 20 सूत्र ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या आपने ये नहीं पढ़े हैं ? मैं···आपको पुस्तिका दे दूंगा, आप पढ़ लेना। लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तथा आप किसी ऐसे विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अथवा प्रगति को मान्यता नहीं देंगे, जो हम कर रहे हैं। आप हमेशा आलोचना करना चाहते हैं। यही आपका कार्यक्रम है। इसीलिए आप कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। अतः मैं कहता हूं : कृपया आप पुनः पढ़ें कि वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है···

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह मान कर चल रहे हैं कि संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम सब जानकारी रखते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हमारा 36-सूत्री कार्यक्रम है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वे आपको यह याद दिला रहे हैं कि वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : हमारी सरकार ने अधिक भू-क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रति वर्ष 30 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने का पक्का निश्चय किया है। क्या इसके लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है ? बिना पूंजी लगाए आप उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे ? तथा पूजी लगाने के लिए उन्हें कहां से धन प्राप्त होगा ? यह धन या तो हमारे अपने संसाधनों से जुटाया जाएगा अथवा उधार लिया जाएगा। यदि हम ऋण लेना चाहें, तो हम किसके आगे हाथ पसारेंगे ? क्या इसके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सम्पर्क नहीं करना पड़ेगा ? क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के गठन के विरुद्ध हैं ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अमेरिका की कोई एजेन्सी है ? क्या इसके शासी निकाय में हम सम्मिलित नहीं हैं ? क्या इसकी चर्चाओं में हम भाग नहीं लेते हैं ? क्या हम नीति-निर्धारण नहीं करते हैं, उसे तीसरी दुनियां के देशों की मदद करने की सलाह नहीं देते हैं ? यदि आप इन बातों को स्वीकार करते हैं, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना कोई गलत काम है ? आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम अमेरिका के दबाव में हैं।

पिछले तीस वर्षों से मैं उनकी यह बात सुनता चला आ रहा हूं कि कांग्रेस अमेरिकी पूंजीवाद के प्रभाव में है। क्या वे यह भूल गये हैं कि हम रूस से भी मदद ले रहे हैं ? क्या वे यह भूल गए हैं कि रूस भी उनसे मदद ले रहा है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : रूस भी उनसे मदद ले रहा है ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या आप यह भूल गए हैं कि टीटो ने भी मार्शल-प्लान के अन्तर्गत अमेरिका से मदद ली थी और अपने उस देश की व्यवस्था में सुधार किया था जो अत्यधिक मुसीबत में फंसा हुआ था ?

अतः किसी भी देश के लिए यह निहायत जरूरी हो जाता है कि वह किसी अन्य देश से

आर्थिक सहायता प्राप्त करे अथवा ऋण ले, बशर्ते कोई शर्तें न हों। आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ऋण के लिए बन्धन होते हैं। यदि आप रूस से ऋण लेना चाहते हैं, तो क्या आपका कहने का यह तात्पर्य है कि हम रूस के आगे झुक गए हैं ? आप ऐसा नहीं कह सकते। अपने लाभ के लिए हम ऋण लेते हैं, अपने लाभ के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं ; अपने लाभ के लिए हम निर्यात करते हैं और अपने लाभ के लिए हम आयात भी करते हैं। अतः हम सदैव अपने देश के हित की बात पहले सोचते हैं। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी के पिछलग्गु हैं···आप जानते हैं कि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है। हमें 5,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। यह वह रकम है, जिसका हमने अनुमान लगाया है। क्या हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि अनुसन्धान के लिए हम पूंजी लगाएं, उसकी व्यवस्था करें और पेट्रौल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को अपने ही देश से प्राप्त करें। आपको सम्भवतः याद होगा कि हमें दूसरे देशों से 3000 करोड़ रुपये मूल्य तक के खाद्यान्न आयात करने पड़ते थे। जब श्रीमती गांधी सत्ता में आईं, वे हमारे देश में हरित क्रान्ति लाईं तथा अब हम 10 लाख टन चावल का तथा गेहूं का अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या आप भूल गए हैं कि जनता शासन में हमें चीनी का आयात करना पड़ा था ? अब हम चीनी का निर्यात कर रहे हैं तथा इसी प्रकार हम अपने दूसरे उत्पादों का भी निर्यात करते हैं। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि हम पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहें हैं। हमारी सरकार इसमें कमी करना चाहती है। अब यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष इसमें 2000 करोड़ रुपये की कमी की जाएगी और यदि इस ओर हम निरन्तर प्रयास करते रहे, तो दो-तीन वर्षों में हम इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर भी हो सकते हैं। हमारी सरकार यही कुछ करना चाहती है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि वित्त मन्त्री जी इन कामों पर फिजूल ही धन खर्च कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया जाने वाला ऋण इसी आत्म-निर्भरता का एक अंग है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : आप कुछ भी कह सकते हैं और यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप जो चाहे कहें। गरीब लोगों की सहायता करने के सम्बन्ध में, उनकी अब एक समेकित ग्रामीण विकास योजना है। इस प्रयोजन के लिए सरकार उक्त योजना पर धन खर्च कर रही है। क्या यह जरूरी नहीं है कि इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनकी मदद की जाए ? उन्हें ऋण या राज-सहायता दिए बिना अथवा उन्हें वित्तीय सहायता दिए बिना सरकार के लिए यह कैसे सम्भव होगा कि उनका इतना विकास किया जाए कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएं। आप इसे मजाक में उड़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : वे आपका कितना ध्यान रख रहे हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : अतः इस सम्बन्ध में धन लगाना अत्यन्त आवश्यक है।

गरीबों, अपंगों और अन्य लोगों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में पैसे की जरूरत होती

है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उचित अनुपात में धन का आवंटन किया है, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए जरूरी है।

महोदय, मैं 20 सूत्री कार्यक्रम में थोड़ा-सा और संशोधन करना चाहता हूं, जो कुछ दिनों में किया जा सकता है। यह कृषकों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य दिलाने से सम्बन्धित है।

यह कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी की गारन्टी दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह काम अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन खेतिहर मजदूरों को तब तक न्यूनतम मजूरी देनी सम्भव नहीं है तब तक कि कृषि मदों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं कर दिए जाते, क्योंकि इस मजूरी का उस आय में से भुगतान करना पड़ता है, जो कृषकों को अपना उत्पाद वेचने के वाद होती है। इसलिए, महोदय, कृषि मूल्य आयोग को इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी निर्देश अवश्य दिए जाने चाहिए ताकि कृषि मदों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं।

महोदय, अब मैं लघु सिचाई योजनाओं पर अधिक बल देने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी सिंचाई योजनाएं 10 से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि में फलदायक हो पाती हैं, जबकि कुएं खोदने, तालाब बनाने आदि जैसी लघु सिचाई योजनाएं वड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं और हमें एक-दो वर्ष में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। भूमिगत जल का उपयोग भी लघु सिंचाई के अन्तर्गत आता है। हमारे देश में बहने वाले जल की मात्रा के बराबर मात्रा में ही भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका अभी तक पूरा उपयोग किया जाना शुरू नहीं हुआ है। इसके केवल 10 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया गया है। अतः भूमिगत जल के उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वैज्ञानिक ऐसी आशा कर रहे हैं कि शुष्क खेती के माध्यम से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। हमारे देश में हरित-क्रान्ति इसलिए सम्भव हुई है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों से कृषकों को दुगनी आय हुई है। इसी प्रकार यदि शुष्क खेती से किसानों को अधिक आय हो सकती है, तो वे निश्चित रूप से इसे अपनाएंगे। यदि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो शुष्क खेती के माध्यम से हम खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस समय हमारे यहां तिलहन और दालें जरूरत से कम उत्पन्न होती है। यह कहा जाता है कि तिलहनों और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र का अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन बात तो यह है कि ऐसा अनुसन्धान होना चाहिए ताकि हम प्रति एकड़ भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, क्योंकि उस स्थिति में कृषकों को दालों और तिलहनों का उत्पादन करने में आसानी होगी।

अब मैं अपने देश के आयात और निर्यात के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। हमारे आयात और निर्यात का कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आयात और निर्यात सम्बन्धी नीति में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि यह कृषकों के लिए लाभकारी हो। यहां मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। कपास के सम्बन्ध में क्या हुआ ? हमारे लोगों को कपास का अधिक

उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उन्हें उसके लाभकारी मूल्य नहीं मिले। भारतीय कपास निगम नामक संस्था को फालतू कपास की खरीद का काम सौंपा गया है। यह वह काम नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। अतः महोदय अधिक उत्पादन ही काफी नहीं है। उसका उचित मूल्य भी निर्धारित किया जाना चाहिए और सरकार को कृषकों के फालतू उत्पाद खरीद कर उनकी मदद भी करनी होगी ताकि आगामी वर्ष में उत्पादन में कमी न होने पाये।

मैंने पहले ही बताया है कि जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है 55 प्रतिशित गन्ने का उपयोग गुड़ के उत्पादन में किया जाता है। आप जानते हैं कि जलाने की लड़की का दाम प्रति खेफ 20 रुपये है। आज उसी मात्रा में गुड़ का मूल्य 5 रुपये है इस कारण से किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि आज 1 किलो चीनी का मूल्य 6 रुपये है और 1 किलो गुड़ का मूल्य केवल 1 रुपये है। इसलिए किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं वित्तमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे एक ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे मूल्यों के बारे में कोई अनिश्चितता न रहे। उन्हें यह देखना चाहिए कि किसी भी तरह से मूल्यों में स्थिरत बनी रहे। मेरा उनसे यही निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, श्री मुखर्जी इस सभा में अपना पहला बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपना कमाल उन्हें अपनी शुभकामना देते हुए आरम्भ करूंगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे आशंका है कि मैं अपना वक्तव्य उनके कार्य निष्पादन पर बधाई देते हुए आरम्भ नहीं कर सकता।

मैं बजट को 'निराशाजनक' नहीं कहूंगा।

बजट को यह कहना अधिक सही होगा कि यह समाजवाद के संबंध में की जाने वाली बड़ी-बड़ी घोषणाओं और कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों और नियमों का परित्याग है।

सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में बजट का एक निश्चित कृत्य है, यह कृत्य समय पर खरा उतरा है। यह आशा की जाती है कि सरकार सभा को अर्थव्यवस्था के हालत, संसाधन जहां से धन उगाहा जा रहा है, अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता, दर जिस पर राजस्व उगाहा जाना है, व्यय की मदें, शीर्ष और मात्रा के बारे में स्पष्ट, व्यापक और सही तस्वीर रखेगी। बजट ही एक ऐसा दस्तावेज है जो सार्वजनिक वित्त की स्थिति की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार राजकोष के लिए धन उगाहने और उसमें वृद्धि करने हेतु सभा से अनुमति मांगती है और प्राप्त करती है। यह संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक और जिम्मेदार सरकार का आधार है—और यदि सभा का बजट पर नियंत्रण नहीं रहता है तो सभा यह कहलवाने का अधिकार खो देती है कि उसके पास शक्तियों का प्रभुत्व संपन्न भंडार है जो कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को मिलता है।

परन्तु महोदय, इस सरकार ने एक गलत परंपरा कायम की है और उसने बजट का मजाक बनाया है, यह सभा में जो प्रस्ताव लाई है उससे कुछ सौ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। जब सभा स्थगित होगी तब यह आकलित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा करेगी, लोगों पर कर लगाएगी जिससे उन पर करोड़ों रुपयों का भार पड़ेगा। वर्ष 1981-82 में बजट रखने से पूर्व बजट से बाहर जो कर लगाए गए उससे 2600 करोड़ रुपये की आय हुई और बजट के बाद बजट से बाहर लगाए गए करों से 2500 करोड़ रुपयों की आय हुई, बजट इन दो के बीच में फंसा रह गया, क्या मेरे मित्र दो ब्रेड पीस के बीच मक्खन की यह हलकी परत लगा रहे हैं? 1980-81 के बजट के प्रस्ताव में 262 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान था। 1981-82 में यह 320 करोड़ रूपये था और 1982-83 में यह 587 करोड़ रुपये था। वर्ष 1981-82 में उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री 320 करोड़ रुपये के कराधान का प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने सभा को और देश को गुमराह किया जिससे वे यह समझें कि लोगों पर 320 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जबकि उन पर वास्तव में 5400 करोड़ रुपये का भार पड़ा। सार्वजनिक वित्त में बजट का जो अर्थ होता है वह सरकार के हाथ में पड़कर निरर्थक हो गया है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में जो किया है उसका मैं उद्धरण देना चाहूंगा।

> "इन कर उपायों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 और फिर 1981-82 में रेल तथा डाक परिवहन शुल्कों में वृद्धि की। इन समायोजनों से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने की आशा है जो कार्यक्रम अवधि के दौरान 11 मिलियन रुपये होगा। 1980-81 में इस्पात के मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई, कोयले के मूल्यों में 20 से 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में जून 1980 में और फिर जनवरी 1981 में वृद्धि की गई। अभी हाल में सरकार ने घरेलू कच्चे तेल का मूल्य 391 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1182 रुपये प्रति टन कर दिया है। मूल्यों में इस 200 प्रतिशत वृद्धि से बहुत हद तक संसाधन प्राप्त होने की आशा है। सरकार ने सबसीडी को कम करने के लिए कार्यवाही की है। 1980-81 में उर्वरकों के मूल्यों में संशोधन किया गया जिसमें 10 मिलियन के सबसीडी बिल में बचत हुई·····अभी हाल में उर्वरकों का मूल्य बढ़ाया गया है जिससे 8 मिलियन रुपये का सबसीडी भार कम हुआ है।
>
> इन समायोजनों से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा वह जी० डी० पी० का 3 प्रतिशत से अधिक है।

यह उद्धरण कोई विपक्ष की पत्रिका का नहीं है अपितु सरकार की पत्रिका का है। यह उद्धरण 28 सितम्बर, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रस्तुत ज्ञापन में से लिया गया है। मेरे माननीय मित्र ने इस परंपरा को बरकरार रखा है और असंतोषजनक कार्य निष्पादन के लिए घिसा-पिटा हुआ बहाना दिया है।

सभापति महोदय : आप निष्फल रहने के लिए सरकार को बधाई देते हैं·····

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए वचन का पालन किया है। कृपया उस विषय पर मेरे पहुंचने तक धैर्य रखिए। यह कोसी

नहर के निकट है। (व्यवधान) भूगोल से यह पता चलता है कि मृत सागर का स्तर औसत सागर स्तर से कुछ सैकड़ा फीट कम है। उन्होंने तुलना के लिए 1979-80 का आधार वर्ष चुना है। इस वर्ष देश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था, इस वर्ष देश में ऐसी कामचलाऊ सरकार आई थी जिसके कारण देश में अराजकता की स्थिति आ गई थी। उन्होंने अनिश्चितता के वातावरण को बढ़ावा दिया।

वह उन दो वर्षों के कार्यनिष्पादन को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनको वह अनिश्चितता के वातावरण का वर्ष मानते हैं। इन वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 111 मिलियन टन से बढ़कर 131 मिलियन टन हो गया ; दालों का उत्पादन 11.36 मिलियन टन से बढ़कर 12.18 मिलियन टन हो गया ; सिंचाई का क्षेत्र 12.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया ; स्वर्ण निक्षेप 187.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 219.5 करोड़ रुपये अथवा 222.53 टन से बढ़कर 260.5 टन हो गया। विदेशी मुद्रा 2863 करोड़ रुपये से बढ़कर 5219 करोड़ रुपये हो गई थी। खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार 21.4 मिलियन टन हो गया था। मैं मूल्यों पर नियंत्रण के बाबत नहीं कहूंगा। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं परन्तु सभा का अधिक समय न लगे इसलिए मैं अधिक कुछ न कहूंगा।

अब मैं अपने मित्र द्वारा कार्य निष्पादन के दावों का जिक्र करूंगा। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार की नीतियों से अच्छे परिणाम हासिल होते हैं तो मैं उन्हें बधाई देने में नहीं हिचकूंगा। इस सरकार को बधाई देने का प्रश्न नहीं है परन्तु इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए और हम सबकी इसमें रुचि है। परन्तु यदि बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और एक बनावटी रूप प्रस्तुत किया जाता है तो हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई सुधार हुआ है।

यह कहा गया है कि खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यदि पिछले वर्ष 131.8 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था और--इस वर्ष 131.9 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है तो यह भी रिकार्ड उत्पादन होगा। उनके अनुसार इस वर्ष 134 मिलियन टन का उत्पादन होगा। यह 1978-79 में प्राप्त 131.9 मिलियन टन उत्पादन से थोड़ा अधिक है। यह दावा किया गया है कि 5 मिलियन अतिरिक्त हेक्टेयर को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है, मेरे मित्र, जिनसे मैंने अनेक वर्षों के साथ में बहुत कुछ सीखा है, प्रोफेसर रंगा जानते हैं कि यदि आप प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1.5 टन लेते हैं और आप 5 मिलियन अतिरिक्त हेक्टेयर सिंचाई के अधीन लाते हैं तो इससे लगभग 7.5 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन होना चाहिए ! परन्तु वृद्धि केवल 2 मिलियन टन की हुई है जिसका मतलब यह है कि या तो सिंचाई के अधीन लाये गए अतिरिक्त क्षेत्र के आंकड़ों के आकलन में कुछ गड़बड़ी हुई है या खेती किए जाने वाली भूमि का क्षेत्र कम हो गया है। जैसा कि श्री नायडू ने कहा है किसानों को उसका लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। आप उर्वरकों का मूल्य बढ़ाते हैं आप आदानों का मूल्य बढ़ाते हैं और आप भारतीय किसान को 130 रुपये प्रति क्विन्टल देते हैं, अमरीकी किसान को 200 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं और फिर आप आशा करते हैं कि भारतीय किसान अधिक उत्पादन करेगा।

श्री चित बसु : उन्हें अधिक उत्पादन क्यों करना चाहिए ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए। उर्वरकों के प्रयोग की वृद्धि पर

1978-79 में 20 प्रतिशित से कम होकर आज 5 प्रतिशित रह गई है—सही 4.9 प्रतिशत हो सकती है।

यह कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ा है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एन० सी० ए० ई० आर० द्वारा किए गए सर्वेक्षण और इकनामिक सर्वे में सरकार के अपने आंकड़ों से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी हो रही है, फिर भी हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय बताएं कि किस क्षेत्र में यह वृद्धि हुई है।

क्या इसका कारण लायसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने का निर्णय है—वह क्षमता जो पहले से ही विद्यमान थी; और वह उत्पादन जो पहले से ही होना था और जो अब पुस्तकों में लाया जा रहा है ? क्या वह यही बात है जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि आ रही है ? यदि उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है तो इसका प्रभाव निगमित करें तथा उत्पाद शुल्कों को प्राप्ति के रूप में भी प्रकट होना चाहिए। मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि उत्पाद शुल्कों तथा निगमित करों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि प्राप्ति में वृद्धि मूलतः तेल व प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया के लाभों में वृद्धि के कारण हुई है। यह बात कहकर मैं उनकी ओर से गलत बात नहीं कह रहा हूं।

फिर यदि आप यह जानना चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा नहीं तो उसके लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की परस्पर तुलना करनी होगी। यही बात उन्होंने नहीं की है तथा शायद यह बुद्धिमत्ता ही दिखाई है। जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है कोयला उत्पादन का लक्ष्य 12.4 करोड़ टन था और वास्तविक उत्पादन लगभग 11.6 करोड़ टन होगा इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 63 लाख टन था और उपलब्धि 57 लाख टन के लगभग होगी। निर्यात का लक्ष्य 8400 करीड़ रुपये का था और यदि निर्यात के आंकड़ों में गत वर्ष की तुलना में 15-20 प्रतिशत की भी वृद्धि हो जाये तो वह स्वयं को और मैं उन्हें बधाई दूंगा। बिजली के लिए अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य 3213 मैगावाट था जिसमें से 2190 मैगावाट की प्राप्ति का दावा किया जाता है। उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की दर—मैं अपने माननीय मित्र प्रो० रंगा के लाभ के लिए बता दूं—15-16% थी परन्तु उसमें से उपलब्धि केवल 5 प्रतिशत की ही होती है। अब, श्रीमन, मैं आगे भी काफी कुछ कह सकता हूं परन्तु मैं आपके आंकड़े नहीं पेश करना चाहता। परन्तु इस्पात के बारे में मेरे मित्र मंत्री महोदय ने उस दिन सभा में कहा था कि इस्पात संयंत्र में इस्पात का उप्पादन 57 लाख टन हो सकता है। मैं तो केवल यह कहना चाहूंगा कि यह तो 1976-77 के 54.3 लाख टन की तुलना में थोड़ा बहुत ही अधिक होगा।

अब तो इसका रुख उन्हें भी तथा मुझे भी अवश्य दिखाई दे गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप 1977-78 के आंकड़े क्यों नहीं दे सकते ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं दे सकता हूं। परन्तु जब आप कहते हैं कि आज तक सबसे अधिक तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप स्वयं की तुलना 'डैड सी' से कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसीलिए तो मैं चाहता था। आप वर्ष 1976-77 के आंकड़े दे रहे हैं। आप 1977-78 में इस्पात का उत्पादन क्यों नहीं बताते ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे मित्र यह नहीं चाहेंगे कि मैं उनके द्वारा निर्धारित आंकड़े से उनका ध्यान हटाऊं। उक्त लक्ष्य मैंने नहीं आपने रखे थे। आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। मैं यह कहता हूं और आप को क्रोध आता है।

श्री सतीश अग्रवाल : परन्तु आप तो उन्हें ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वह तो लक्ष्य नहीं है। वह मेरे अच्छे मित्र हैं।

अब श्रीमन, मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करूंगा। जब हम यह कहते हैं कि बजट पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मोहर लगी है तो यह कथन वास्तविकता से बहुत कम बात कहना होगा। यदि हम कहें कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जकड़ में है तो यह वास्तविकता के निकट की बात होगी परन्तु जब हम ऐसा कहते हैं तो इनके सबसे बड़े नेता को गुस्सा आ जाता है। उनके सबसे बड़े नेता सज्जन तथा अन्य लोगों का पारा चढ़ जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : सज्जन आदमी क्या ? आप महिलाओं को पुरुष कह रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उनकी समझ-बूझ लड़खड़ा जाती है। परन्तु महोदय, मैं अपने इन मित्रों को बता देना चाहता हूं—आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बताया कि आप विदेशी ऋण की अन्तिम सीमा की बात मान लेंगे; आन्तरिक मुद्रा प्रसार के आकार पर अन्तिम सीमा लगा देंगे; देशीय ऋण पर अन्तिम सीमा लगा देंगे और इस देशीय ऋण के प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू कर देंगे जिसका उपयोग सरकार करेगी। और फिर बचतों एवम् निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये आप प्रत्यक्ष करों को कम कर देंगे बजट घाटे पर अधिकतम सीमा लागू करेंगे; आप आयात प्रतिस्थापन की नीति को उलट देंगे तथा आयात को उदार बनाने की नीति अपनायेंगे तथा आप आयात पर प्रतिबन्ध हटा देंगे और प्रतिबन्धित वस्तुओं के आयात को भी अनुमति देंगे चाहे उनके लिये देश में ही क्षमता बनाई जा चुकी हो। अब, मैं पैराग्राफ 19 से उद्धरण नहीं दे रहा हूं जो कि इस सम्बन्ध में सर्वाधिक अस्पष्ट कथनों में से एक है। सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का पैराग्राफ 19 उन सभी वक्तव्यों की पुष्टि करता है जो मैंने यहां दिये हैं।

उन्होंने आगे कहा है कि वे अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुख बनायेंगे, "राजसहायता घटायेंगे चाहे इसके लिये महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्यों में समन्जन भी करना पड़े।" यह पैराग्राफ 12 से एक उद्धरण है। और पैराग्राफ 18 में कहा गया है :

"एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को निर्यातोन्मुख उत्पादन के मामले में उदार बनाया जायेगा।"

अब मुझे अपने माननीय मित्र को बताना ही होगा कि आपने निश्चय ही अपना वचन निभाया है। अब तथ्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उक्त सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त के रूप में उक्त ज्ञापन को एक आश्वासन, एक वचन समझा तथा स्वीकार किया है। अ० रा० मुद्राकोष के दस्तावेज के पैराग्राफ 4 से स्पष्ट है। मैं इसे पढ़कर सुना सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने उसे सभापटल पर रख दिया है। उन्होंने नहीं बल्कि उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने। पैराग्राफ़ स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि भारत इन शर्तों से हटा ले तो

वह उक्त सुविधा के लाभ से वंचित हो जायेगा, कि यह राशि स्वतः ही अन्तरित नहीं हो जायेगी, कि अगली किश्तें केवल तभी उपलब्ध होंगी जबकि इन नीति सम्बन्धी आश्वासनों का अनुपालन किया जायेगा तथा नीति-निर्देशों और आंकड़ेबद्ध लक्ष्यों को कोष के सन्तोष के अनुरूप पूरा किया जायेगा। यदि यह ऋण सशर्त नहीं है तो क्या आप सभा को बता सकते हैं कि कोई सशर्त ऋण क्या होता है। इसे बिना शर्त कहना स्वयं को धोखा देना है। इसे किस अध्ययानुसार एक बिना शर्त का ऋण कहा जा सकता है।

वित्त मंत्री ने जो वित्तीय प्रस्ताव सभा के समक्ष रखे हैं वे इन शर्तों के बजटीय-परिभाषायें हैं। इन परिस्थितियों में यदि वह अथवा दूसरी ओर का कोई व्यक्ति शब्द 'कैपिट्युलेशन' (जकड़) पर आपत्ति करता है तो कोई अच्छे शब्द भी प्रयोग कर सकता हूं और कह सकता हूं कि उन से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छाओं की भरपूर पूर्ति और समरूपता प्रकट होती है।

अब श्रीमन्, मैं कर सम्बन्धी प्रस्तावों पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कर प्रस्ताव इस बात का प्रमाण पेश करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रति वचनबद्धता की पूर्ति करते हैं। कुछ कर-राजस्व में आयकर का भाग 8.7 प्रतिशत तक जायेगा। मेरे माननीय मित्र श्री डागा ने प्रत्यक्ष कराधान के स्वरूप के बारे में कहा था। वह इस तरफ़ से भी कह सकते थे। इसका तो मात्र यही अर्थ है कि इस सभा के सभी पक्ष वस्तुतः तथा दिल से ही इस बात को महसूस करते हैं।

मध्य आय वर्ग से दी गई रियायतें अपर्याप्त तथा भ्रामक हैं। बजट में सम्पत्ति के मालिकों को, सम्पदा करदाताओं को अनेक रियायतें दी हैं। तथा खर्चशाली होटलों पर कर समाप्त करने के निर्णय के फलस्वरूप राजकोष को 6 करोड़ रुपये का घाटा होगा। 5-स्टार स्तर का जीवन बिताने वाले व्यक्ति को इससे लाभ होगा। परन्तु प्रत्यक्ष करों के जाल से बाहर के 90 प्रतिशत लोगों का क्या होगा जिन्हें अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के बोझ के नीचे दबना पड़ेगा।

उत्पाद शुल्क में क्या रियायतें दी गई हैं। उनसे किस को लाभ होगा? गैर सैलूलोज़ कटे हुए धागे, सैलूलोज़ कटे हुए धागे, सूती धागे, डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों, रेफ्रिजरेशन, वातानुकूलन, मोटरगाड़ियों, जूतों, घड़ियों, दीवारघड़ियों, वैक्यूम फ्लास्कों तथा मेरे मित्र तो पेंसिलों तथा रबड़ों की बात कहेंगे।

वह बहुत ही चालाक हैं इससे मेरा अभिप्राय कोई निन्दात्मक बात कहना नहीं है। मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। वह निश्चय ही बहुत होशियार हैं। पेन्सिलों तथा रबड़ों पर शुल्क घटाने से राजकोष को होने वाले घाटे के रुपये क्या लाखों रुपयों में होगी? 10 लाख रुपये भी नहीं। आपने गैर-सैलूलोज़ कटे धागे को 320 लाख रुपये के मूल्य की रियायतें दी हैं परन्तु प्राथमिक स्कूलों के उन करोड़ों लड़के-लड़कियों को जिन्हें आप पेन्सिलों तथा रबड़ों की बात कहकर बहका रहे हैं 10 लाख रुपये की भी रियायत नहीं दी है। यह तो शायद 4 लाख रुपये की रियायत होगी। आप किसे बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, मित्र?

किन-किन बड़ी फर्मों पर आपने उत्पादन शुल्क बढ़ाया है? सीमेंट, कृत्रिम रेशा, मानव

निर्मित वस्त्र, धागों, प्लास्टिक तथा कागज और कागज से बनी वस्तुयें।

आप पेन्सिल पर घटाते हैं तथा कागज पर बढ़ा देते हैं। यह कैसा न्याय? इनमें से अधिकतर चीजें ऐसी हैं जिनके कारण सामान्य जन पर प्रभाव पड़ेगा। आपने अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में 20 प्रतिशत की रियायत दी है बशर्ते कि 38 मदों पर उत्पादन 110 प्रतिशत तक पहुंच जाये। आपने केवल 38 मदें ही क्यों चुनी हैं तथा शेष को क्यों छोड़ा है? क्या इसलिये कि इन चीजों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है अथवा कि इन 38 मदों से सामान्य जन को लाभ पहुंचेगा? क्या आप इन 38 मदों में से मुझे ऐसी पांच फर्में भी गिना सकते हैं जिन से सामान्य जन को लाभ पहुंचेगा?

आपने कार्बन ब्लैक पर से शुल्क हटा दिया है जो टायरों के उत्पादन में काम आता है। इससे किसको लाभ होगा? आपने टायरों पर शुल्क बढ़ा दिया है। इससे किसको हानि पहुंचती है? क्या इसके कारण मूल्य नहीं बढ़ेंगे, निर्माताओं का लाभ नहीं बढ़ेगा—इस मामले में तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ही लाभ पहुंचेगा।

अब मुझे सीमा शुल्क की बात करनी चाहिये। मैं अपने माननीय मित्र के ही वक्तव्य से उद्धृत करता हूं:

"मेरे प्रमुख प्रस्ताव सीमा शुल्क के सह-शुल्कों के बारे में है।"

और वह आगे कहते हैं—मैं उसे पुनः उद्धृत करता हूं:

"तदनुसार, मैं कुछ अपवादों को छोड़कर आयात की सभी श्रेणियों पर 5 प्रतिशत तक पूरक शुल्कों की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं।"

इससे सबसे बड़ी मात्रा में—290 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

अब, मेरे माननीय मित्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा:

"आप इस सदन के साथ और अपने मंत्रिमंडल के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं?"

मैं जानता हूं, आपने, जैसी कि परम्परा है, बजट प्रस्तुत किए जाने से केवल एक घण्टा पूर्व ही मंत्रिमंडल के अन्य साथियों को सूचित किया, आपके क्या प्रस्ताव थे अथवा क्या आपने उन्हें पहले बताया? मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा किया।

लेकिन, श्रीमन्, इस सरकार ने 28 सितम्बर, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को संक्षेप में बता दिया कि वह क्या लेवी लगाने जा रही थी। उनके लिए इस सदन का कोई महत्व नहीं है। एक संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के बजट की गोपनीयता और पवित्रता का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उनके मंत्रिमंडलीय साथियों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ किया जाता है। क्या तब यह बराबरी का सम्बन्ध है? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि यह समानता का सम्बन्ध है जो कि आपके अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों द्वारा उपभोग की गई समानता की तुलना में अधिक है?

श्रीमन्, मैं पढ़ता हूं :

"केन्द्रीय सरकार के द्वारा खर्चों का वित्तपोषण करने के लिए बजट में राजस्व की प्राप्ति में 12 प्रतिशत वृद्धि बताई गई है। बचत और पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष कर राहत दी गई है। तथापि, प्रत्यक्ष करों से राजस्व हानि, सैद्धान्तिक अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा की गई क्षतिपूर्ति की तुलना में अत्यन्त अधिक होगी।"

'सैद्धान्तिक' रूप से इस शब्द की ओर ध्यान दीजिए :

"पूरक सीमा शुल्कों और दरों में 5 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि के परिणामस्वरूप"

इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनसे 28 सितम्बर, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को अवगत करा दिया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : अत्यन्त आपत्तिजनक बात है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : न केवल नीति की दिशा अपितु एक विशिष्ट उपाय से, न केवल एक विशिष्ट उपाय से अपितु कर की एक विशिष्ट मात्रा के बारे में विश्व बैंक को अवगत कराया गया है। तब क्या यह कोई आश्चर्य है कि यदि हम यह पूछें कि यह उनके परामर्श से अथवा उनके सहयोग के साथ कब बनाई गई थी ? बजट की पवित्रता कहां रह गई है ?

इसके बाद, बजट में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अन्तर्राष्ट्रीय अथवा देशी सहयोगियों की सहायता करने के लिए अन्य छूटें, कुछ वस्तुओं पर सीमाशुल्क में कमी की गई है। आयातित जस्ते पर सीमा शुल्क में छूट को 50 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। केलकम नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट पर पूरी छूट दे दी गई है। आंतरिक दहन इंजिनों पर आयात शुल्क को 125 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है। 10 बल्क औषधियों के आयात पर शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट दी गई है जो उन 22 औषधियों की सूची के अलावा हैं जो पहले से ही इस विशेषाधिकार का उपभोग करती हैं जो औषधियों की संख्या को बढ़ाने के सितम्बर 1981 के निर्णय के पश्चात 75 से 120 तक सीमा शुल्क छूट का उपभोग करती हैं। आयातित फेब्रिक पर लगाए जाने वाले शुल्क में कमी की गई है। फिलामेंट धागे पर शुल्क 125 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है; और पूंजीगत सामान तथा उनके उपकरणों तथा कच्चे माल सहित 58 नई मदों को आयात शुल्क रियायतें दी गई हैं।

अब मैं योजना पर आता हूं। गत वर्ष के 1,243 करोड़ रुपए के संशोधित आंकड़े की तुलना में इस वर्ष बजट में 11,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस बात का दावा किया गया है कि यह 27.6 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह धारणा पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसका अर्थ यह है व्यापक पूंजीनिवेश जो उच्चतर लक्ष्यों और बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। लेकिन गत दो अथवा तीन वर्षों के दौरान रुपए का मूल्य 35 प्रतिशत या इससे अधिक गिर गया है। इसलिए, सही मायने मे योजना को पहले ही 35 प्रतिशत कमी का आघात पहुंचा है।

श्री चंद्रजीत यादव—(पीठासीन हुए)

मुद्रास्फीति पर पर्याप्त नियंत्रण करने की कोई आशा नजर नहीं आती। जिस समय योजना

बनाई गई थी, तो घाटा वित्त पोषण की अधिकतम सीमा पांच वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। यह अनुभव किया गया कि यह अर्थव्यवस्था द्वारा पूंजी निवेश को, वास्तविक मूल्य को जोखिम में डाले बिना न्यूनतम बनाई जा सकेगी। तीन बजटों में मेरी माननीय मित्र तथा इनके प्रतिभाशाली पूर्वाधिकारी ने निर्धारित सीमा को पहले ही तोड़ दिया है और हमें दिखाया है कि इस सरकार के लिए घाटा वित्त पोषण की कोई सीमा ही नहीं है। पहले वर्ष में घाटा 2,387 करोड़ रुपए था, 1981-82 में घाटा 1,700 करोड़ रुपए था, इस वर्ष 1,365 करोड़ रुपए का घाटा होने के अनुमान हैं। इस प्रकार कुल घाटा 5000 करोड़ के आसपास बैठता है। राज्यों के बजट का कुल घाटा 1,600 करोड़ रुपए है। तब योजना का क्या अर्थ है? योजना अस्त-व्यस्त हो गई है। वास्तविक रूप में इसके लक्ष्यों को बिना बढ़े हुए घाटा वित्तपोषण से बचाया नहीं जा सकता। विकल्प यही है कि या तो लक्ष्यों को कम किया जाए अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता के साथ सामंजस्य किया जाए। यह उन योजनाओं के साथ-साथ आवर्ती पद्धति हो गई है जिसके लिए मेरे माननीय मित्र की सरकार जिम्मेदार रही है।

अंततः, योजना को बचने और उसे कूड़े-कचरे से उबारने के प्रयास की चर्चा है। शायद यह काम कर्मावतार ही कर सकता है। योजना का सारतत्व क्या है? योजना का सारतत्व हमेशा ही आधारभूत ढांचे में पूंजी निवेश करना होता है। शेष योजना को लकवा मार गया है। वह डूबती जा रही है और गतिहीन हो गई है। आदमी पर निवेश, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी निवेश, जिससे लोगों के अतिसंवेदनशील वर्गों की स्थितियों में सुधार होगा, छोड़ दिए गए हैं।

अतिसंवेदनशील वर्गों के लिए बने समाज सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और कार्यक्रम ये सभी, 20-सूत्री कार्यक्रम को भारी महत्व देने से गौण हो जाते हैं। ये अनावश्यक निवेश समझे जाते हैं; इसी तरीके से योजना पर योजना चलती है और इसके कारण बढ़ते हुए धन और बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई विषमताओं और गरीबी की रेखा से नीचे आते जा रहे लोगों की बढ़ती हुई संख्या के विरोधाभासों का सामना करते हैं। सरकार ऐसे कार्यनिष्पादन को दोहराने का वायदा कर रही है।

तीन क्षेत्रों—पेट्रोलियम/पेट्रो-रसायन, रेलवे और नागर विमानन के लिए बढ़े हुए परिव्यय को 50 प्रतिशत रखा गया है। सात शीर्षों—मैं उन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता—लोहा और इस्पात, कोयला और भूरा कोयला आदि—को बढ़े हुए परिव्यय का एक साथ 59.92 प्रतिशत आवश्यक होता है। कोई भी इस प्राथमिकता पर आपत्ति नहीं कर रहा है। लेकिन इस बात को इंगित कर रहा है कि कमजोर वर्गों के लिए बने कल्याण कार्यक्रमों में जिनके बारे में 20-सूत्री कार्यक्रम चर्चा करता है, सभी पर कुठाराघात किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में से अधिकांश को, एक वर्ष पहले जितनी प्राथमिकता मिलती थी, उसकी तुलना में अत्यन्त कम प्राथमिकता मिलती है। गत वर्ष की योजना के 20 प्रतिशत की तुलना में आज इन्हें दस से ग्यारह प्रतिशत मिलता है। कुछ मामलों में वित्तीय परिव्यय को बरकरार रखा गया है अथवा धन का मूल्य कम होने की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां वित्तीय रूप में परिव्यय अपेक्षाकृत कम रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप परिव्यय पूर्णतः कम हो गया है। मैं नहीं समझता कि आप मुझे वह पढ़ने की अनुमति देंगे।

1981-82 में सामान्य सेवाओं पर परिव्यय 26 करोड़ रुपए था और 1982-83 में 22 करोड़ रुपए है; 1981-82 में चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर परिव्यय 125 करोड़ था और इस वर्ष यह 122 करोड़ रुपए है; गत वर्ष बीमारियों के निरोध और नियंत्रण पर परिव्यय 81 करोड़ रुपए था और इस वर्ष यह 70 करोड़ रुपए है। गत वर्ष विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर परिव्यय 29 करोड़ रुपए था और इस वर्ष 27 करोड़ रुपए है, गत वर्ष रसायनों, औषधियों और औषधीय परिव्यय 42 करोड़ रुपए था और इस वर्ष 31 करोड़ रुपए है, गत वर्ष पोतनिर्माण परिव्यय 16 करोड़ रुपए था और इस वर्ष 15 करोड़ रुपए है; गतवर्ष नौवहन का परिव्यय 124 करोड़ रुपए था लेकिन इस वर्ष 103 करोड़ रुपए है; मत्स्य उद्योग—मुझे नहीं मालूम कि मेरे माननीय मित्र की मत्स्य उद्योग में रुचि है या नहीं ; साथ ही मैं समझता हूं उनकी इसमें रुचि है—पर गत वर्ष परिव्यय 35 करोड़ रुपए था और इस वर्ष 28 करोड़ रुपए है। ग्राम और लघु उद्योगों पर गत वर्ष परिव्यय 157 करोड़ रुपए था। इस वर्ष 166 करोड़ रुपए है जिसका अर्थ है वास्तविक रूप में कटौती। गत वर्ष ग्रामीण जल सप्लाई और सफाई पर परिव्यय 112 करोड़ रुपए था इस वर्ष 127 करोड़ रुपए है लेकिन धन के मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए इसमें वास्तविक रूप में कमी हुई है। फिर भी आप कह कहते हैं कि आप गांवों की संख्या में 45,000 गांव और जोड़ रहे हैं जहां आप पेयजल सप्लाई को निश्चित करेंगे। गत वर्ष आपने 122 करोड़ रुपए के परिव्यय से कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था की थी ? क्या यह आप सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमने एक वर्ष में 40,000 के लिए इसकी व्यवस्था की थी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अब मैं अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। और वह मूल्यों के बारे में है। मैं इस पर आखिर में इसलिए आया हूं क्योंकि इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। सरकार इस बात का दावा करती है कि बिंदु दर-बिंदु आधार पर मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 4.9 प्रतिशत तक कम हो गई है।

प्रो० मधु दडण्वते : बिंदु-दर-बिंदु आधार पर !

श्री रवीन्द्र वर्मा : लेकिन उन्होंने एक अथवा दूसरे के बीच, जो उपयुक्त लगा वही चुना। वह हमें उन्हें अनिच्छा से नहीं देना चाहिए। आप कहते हैं कि यह पिछले वर्ष के 15.9 प्रतिशत की तुलना में 4.9 प्रतिशत तक कम हो गया है। अब, जब कोई व्यक्ति रात में कहा है कि यह दिन का उजाला है तो, सांख्यिकी और अवसर के सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यक्ति को इसे स्वीकार करना कठिन हो जाता है जब तक कि उस व्यक्ति को चांदनी नहीं दिखाई दे। मैं यह नहीं कह रहा कि मेरे मित्र उस तरीके से आक्रांत हैं।

वे कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है। मैं मानता हूं कि ऐसा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि अर्थव्यवस्था पर आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव का वास्तविक प्रतिबिम्ब होता है दिसम्बर 1980 के 408 से बढ़कर 1981 में 460 हो गया है। मुझे बहुत दूर तक नहीं जाना है। सतारूढ़ होने के बाद इस सरकार को स्वयं मंहगाई भत्ते की इस वर्ष देय किस्तों से और गत वर्ष की चार किस्तों से, कुल मिलाकर 10 किस्तों से जो वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं, निपटना था, बावजूद इस तथ्य के कि यह सूचकांक नगण्य हो गया है।...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों चुना है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : पुराने समय को ध्यान में रखते हुए। हररोज वे यही कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक नीचे आ गया है परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है ? इस दशाब्दी में केवल एक वर्ष ही ऐसा रहा है जब थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आयी। 1974-75 में थोक मूल्य सूचकांक 173.9 प्रतिशत था। 1975-76 में यह गिरकर 162.6 हो गया था। तदनुरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी उस वर्ष 277 से घटकर 265 रह गया था। आपकी मुद्रा स्फीति की परीक्षा आम व्यक्ति के जीवन-यापन मूल्य पर आधारित होती है। यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जीवन-यापन सूचकांक को ही आधार मानता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। मुझे ये मूल्य आपको नहीं सुनाने हैं।

इस वर्ष के बजट में 350 करोड़ रु० की व्यवस्था मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिये क्यों की गई है ? यह गत वर्ष से संबंधित है। इन मंगहाई भत्तों की किस्तें गत वर्ष देय हो गई थी। इसके बावजूद, व्यवस्था इस वर्ष की गई है, क्योंकि विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें गत वर्ष का कुल घाटा दिखाना था। यही कारण है कि इसे इस वर्ष में शामिल किया गया है।

महोदय, मैं उत्पादकता वर्ष की इस वार्ता का उल्लेख करूंगा। हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं किन्तु यदि इस सरकार का विचार यह है कि उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र की सहायता से तथा बहुराष्ट्रिकों और एकाधिकार गृहों के लाभ में वृद्धि करने से बढ़ेगी तो यह उनकी भूल हैं। कर्मचारी वर्ग के सहयोग के बिना उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। सामूहिक सौदेबाजी के लिए आश्वासनों को नकारने लिए इस सदन में वे अपने बहुमत का प्रयोग करना चाहते थे, कर्मचारी वर्ग की कार्य की स्थिति, वेतन, भत्ते और परिलब्धियों पर वे एक पक्षीय आदेश देना चाहते थे, मंहगाई भत्ते के मामले में उन्होंने रुकावट डाली। उन्होंने ई० एस० एम० ए० अर्थात् आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू किया। भारत की संविधि पुस्तक में यह सबसे काला अधिनियम है, जो केवल सदेह के आधार पर जनता को दोषी ठहराता है। वे उत्पादकता की बात करते हैं। मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल किये गए थे। उस समिति ने एक सर्वसम्मतीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या कारण है कि सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य नहीं कर रही है ? उत्पादकता के मामले में इस प्रकार का निर्णायक परीक्षण तो तब होगा जब वह 'शाप फ्लोर से निगमित स्तर' तक प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने का अश्वासन देते हुए इसी सत्र में कानून की इच्छुक हो। अन्यथा उनकी व्यर्थ की बात है और उनकी बातें हवाई किले बनाने जैसी होंगी।

मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—सी० पी० आई० पर रथ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। वह सचिवों की समिति द्वारा तैयार की थी जिसमें वित्त सचिव सहित छः सचिव थे और उन्होंने सात प्वांइटों की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। किन्तु उस सिफारिश पर अमल

नहीं किया गया। इसके बजाय उन्होंने एक और समिति नियुक्त की और यह निर्णय लिया कि 1980 को आधार माना जाए। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तब भी कुछ नहीं किया जा रहा है। क्यों ? और इस पर वे उत्पादकता की बात करते हैं।

महोदय, मैंने आपका बहुत समय लिया है। और भी अनेकों अन्य मामले हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। उन मामलों में राजस्व और व्यय के न्यून आकलन, योजना व्यय और गैर योजना व्यय का अंश आदि भी हैं। किन्तु मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। इसलिये मैं इतना कहते हुए समाप्त करूंगा और अपने माननीय मित्रों से यह कहने को विवश हूं कि उन्होंने जो बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उससे मुझे खेद है। मैं जानता हूं कि वह उस परिस्थिति का दास है जिसमें शासकीय दल ने समाजवाद और कल्याणकारी राज्य में विश्वास प्रकट करने का निर्णय लिया है। यह बजट धनवानों के लिये है गरीबों के लिये नहीं है। यह बजट बड़े घरानों के लिये है छोटे स्वयं-नियुक्त व्यक्ति अथवा छोटे उद्यमी के लिये नहीं है। यह बजट बहुराष्ट्रिकों के स्वागत के लिये है। इस बजट में दस वर्ष आगे की विदेशी सहायता मिलते रहने की बात कही गई है। आत्म-निर्भरता की बात तो इसमें लगभग दूर हो रही है। यह बजट, मुझे भय है, जब तक मेरे मित्र कोई चमत्कार नहीं दिखाते, मूल्य बढ़ते रहेंगे, मुद्रास्फीति अनियन्त्रित रहेगी। योजना का वास्तविक लक्ष्य बढ़ता रहेगा, जन साधारण की पीड़ा बढ़ती रहेगी और आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी। तथापि मैं बजट का विरोध करता हूं, मैं उनकी शुभ कामना करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस राष्ट्र में उनकी मौजमस्ती और हंसी खुशी बनी रहे जिसके साथ लोगों को दिये गये वचनों से वे फिर जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, आज होली का त्यौहार है, आपने आज छुट्टी नहीं रखी। अब सवा पांच बज गये, आप सदन की भावना लेलें और हम लोगों को जाने दें। बहस चलेगी आगे।

एक माननीय सदस्य : आज किसी का मूड नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : फाइनेन्स मिनिस्टर का रिप्लाई 15 की शाम को होने वाला है।

सभापति महोदय : पार्लियामैंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर को मैंने कहा है, वह आ जायें तो देख लेते हैं। आज बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की बैठक हुई थी, उसकी कोई रिपोर्ट हो तो देख लेते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि 15 की शाम को 5 बजे फाइनेन्स मिनिस्टर जवाब देंगे। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 तारीख को जवाब है।

सभापति महोदय : पार्लियामैंटरी मिनिस्टर को मैंने बुलाया है, वह आ जाते हैं। तब तक श्री के० सी० शर्मा बोल सकते हैं।

श्री कालीचरण शर्मा (भिंड) : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वागत-योग्य बजट पेश किया है, और मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : वाजपेयी जी, मैं समझता हूं कि आप प्रोटेस्ट में वाक-आउट नहीं कर रहे हैं ?

श्री कालीचरण शर्मा : हमारे देश के अधिकांश लोग, 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसीलिये खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में महती आवश्यकता है। देश की बेरोजगारी मिटाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से निदेदन करूंगा कि खेती के उद्योग जैसे सोयाबीन, आयल इंडस्ट्री, शक्कर के कारखाने, फल के उद्योग, स्टार्च फैक्टरी, ग्लुकोज़ फैक्टरी, काटन इंडस्ट्री आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की जरूरत है। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी तरक्की होगी और उसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा।

वित्त मंत्री जी ने काफी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष ढंग की व्यवस्था की जाये और इसमें अधिक धन लगाने की बहुत गुंजाइश है।

हमारे प्लान में जो 20-सूत्री कार्यक्रम रखा गया है और हमारी इन्दिरा जी के नेतृत्व में जो इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मेरा निवेदन है कि कमज़ोर लोगों के लिए, दूध वाले पशुओं के खरीदने के लिए आवास व दूसरी व्यवस्थाओं के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये। यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है और इससे हमारे देश के गरीब लोगों की कायापलट होगी, इसमें सन्देह नहीं है।

हमारे देश में मध्यप्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा प्रदेश खनिज और वन-सम्पदा में सबसे आगे है, हमारे मध्यप्रदेश में 16.8 प्रतिशत खनिज उत्पादन है और वन-सम्पदा 29.5 प्रतिशत है, मगर उसका दोहन कतई नगण्य रूप से है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए और इस तरह के कार्यों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाए।

मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, हालांकि वहां पर विपुल सम्पदा मौजूद है। वहां पर वन और खनिजपदार्थ काफ़ी मात्रा में हैं। उनका दोहन करने के लिए मध्य प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से 1200 वैगन कोयला प्रति-दिन देश-भर में जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोयला खदानों के पास थर्मल पावर स्टेशन बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हो और देश को सस्ती बिजली उपलब्ध हो।

मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में काली भूमि में सोयाबीन का उत्पादन प्रति-वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाए, ताकि उसका निर्यात कर देश को फ़ारेन एक्सचेंज प्राप्त हो।

सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन देना चाहिए। इस तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए कि प्रति-हेक्टर सिंचाई का खर्चा पिछले एक साल में दुगना और तिगुना हो गया है। चाहे इसका कारण प्लान बनाने में खामी हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में खामी, इस बढ़ोतरी के कारणों का पता लगा कर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार-विमर्श कर के इस व्यवस्था में सुधार करें।

हमारे देश में विकास-कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शान्ति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इसलिए वित्त मंत्री को गृह मंत्रालय के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वह ला एंड आर्डर की प्राबलम्ज़ को हल कर सके और हमारी योजनाएं ठीक तरह से चल सकें।

जब से हमारे देश की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश का शासन सम्भाला है, तब से पेट्रोलियम, सीमैंट, स्टील, कोयला और बिजली आदि हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार मिला है। मैं समझता हूं कि यदि वित्त मंत्री किसानों और गरीबों के हित के लिए अधिक धन की व्यवस्था करें, तो कोई बजह नहीं है कि हम तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते पर न बढ़ सकें।

मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट में सामाजिक सुरक्षा सर्टिफ़िकेट और पूंजी-निवेश बांड की व्यवस्था की है। इससे हमारे देश में पूंजी को जमा करने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी और देश की आत्म-निर्भरता भी बढ़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके इस बजट से देश को काफ़ी लाभ होगा।

सभापति महोदय : (श्री चन्द्र जीत यादव) संसदीय कार्य मंत्री सभा के कार्य के बारे में एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताइसवां प्रविवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, जब मैं अनुपस्थित था, तो विपक्ष के कई माननीय नेताओं ने विचार प्रकट किया कि चूंकि आज होलिका-दहन है, इस लिए सदन की कार्यवाही अब स्थगित कर दी जाए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं और सदन की ऐसी राय है, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए।

सभापति महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल होली का त्योहार है, सदस्य चाहते हैं कि सदन अभी स्थगित कर दिया जाये जिससे कि वे अपने-अपने स्थानों पर जा सकें। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए सदन इस महीने की 11 तारीख तक स्थगित रहेगा और 11 मार्च 1982 को प्रातः 11 बजे इसकी बैठक आरम्भ होगी।

5-25 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 मार्च, 1982
20 फाल्गुन, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032